



Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016

Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 for High Priority Sectors

Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016

Bihar Industrial Investment Promotion Rule, 2016

Bihar Start-Up Policy, 2017





Shyam Rajak
Minister
Department of Industries
Govt. of Bihar

Message

I am happy to know that a compendium by compiling the Hindi and English version of Bihar Industrial Investment Promotion Policy-2016, Policy for High Priority Sectors, Bihar Industrial Investment Promotion Act & Rule, 2016 and Bihar Start-Up Policy, 2017 for the assistance of Entrepreneurs/Investors is being published by the Udyog Mitra, Department of Industries, Govt. of Bihar.

This compendium would provide all necessary information about Act/Rules/Policies to Entrepreneurs/Investors at one place for establishing industry in the State. I am sure, this compendium will act as a catalyst for the rapid industrialization of the State.

I wish all success for publication and suitable use of this compendium.


(Shyam Rajak)

Table of Contents

Sl.	Name	Page No.
A. Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016		
1	Introduction	01
2	Our Vision, Mission and Strategy	04
3	Our Priority Sectors	07
4	Ease of Doing Business Reform	28
5	Enabling Infrastructure for Industrial Investment	31
6	General Package of Incentives	39
7	Preferential Purchase Policy	46
8	Carry Forward of the Existing Policy	47
9	Rehabilitation of Sick Units	48
10	Policy Implementation, Monitoring & Grievances	50
11	Annexure I-Definitions	52
12	Annexure II-Negative List of Industries	60
B. Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 for High Priority Sectors		
1	Introduction	62
2	High Priority Sectors	62
3	Package of Incentive	68
4	General Conditions	71
C.	Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016	76-82
D.	Bihar Industrial Investment Promotion Rules, 2016	84-92
E. Bihar Start-Up Policy, 2017		
1	Preamble	94
2	Vision	95
3	Policy Period	95
4	Objectives	95
5	Definitions	96
6	What is Start-Up in Bihar?	98
7	Yes to Start-Up	99
8	Unleash Regulatory Enablers for supporting Start-Ups	101
9	Vibrancy in Education System	102
10	Access to Funding and Incubation Support	103
11	Institutional Framework	106
12	Protection of action taken in good faith	110

BIHAR

Industrial Investment Promotion Policy 2016



DEPARTMENT OF INDUSTRIES
Government of Bihar

Resolution

Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 for promoting industrial development in the State

The Government of Bihar is committed for the inclusive economic development of the State. Though the state is primarily an agrarian state but contribution of secondary sector i.e. industries, in inclusive economic development of the state is of equal importance and therefore can't be ignored. The State Government has taken a series of measures to further improve the investment climate in the state and envisages achieving the industrial development growth rate of 15% per annum. This means, increase contribution of secondary sector in the GSDP to more than 25% in line with the National Manufacturing Policy and “Make in India” initiative.

To achieve this goal the State Government has formulated the Industrial Investment Promotion Policy, 2016. The main strategy for achieving the goals of this policy is to focus on development of support infrastructure, prioritizing core sectors of future development with emphasis on advanced technology, skill development, a modified structured package of assistance and balanced regional development i.e. uniformly extending the benefits of investment to all geographical areas of the State. This policy also focuses on uplifting the socially marginalised groups & women entrepreneurs by offering specialized package of assistance to them. The policy has well-defined provisions for effective implementation, monitoring & grievance redressal for the entrepreneurs. Thus the Industrial Investment Promotion Policy, 2016 has an integrated approach towards industrial development in the state and offers a wide range of benefits to the investors coming to Bihar.

1. Introduction

Bihar is one of the fastest growing states in India. During the period 2005-06 to 2014-15, the GSDP of Bihar at constant prices grew annually at 10.5 percent, which is one of the highest among all major Indian states. The scale and pace of economic change that Bihar has witnessed over the past few years has been the result of a comprehensive, home-grown reform program initiated by the government. These reforms ranged from changes in managing public finance and reforming government expenditures, public investments in building infrastructure, and most importantly revamping the law and order machinery. All these changes have provided an enabling environment for private investment in the state and greater industry commitment.

Bihar has a unique location specific advantage because of its proximity to the vast markets of eastern and northern India, access to ports such as Kolkata and Haldia and to raw material sources and mineral reserves from the neighbouring states. Bihar is primarily an agrarian

state and is one of the largest producers of vegetables and fruits in India. Bihar is endowed with water resources – both ground and surface water– as it receives an average rainfall of 1009 mm each year. Ganga is the main river that flows through the state, joined by tributaries that originate in the Himalayas. Some of the other major rivers are Saryu, Gandak, Budhi Gandak, Bagmati, Kamla and Mahananda. The state has a large base of cost effective, industrial labour, making it an ideal destination for a wide range of industries. Food processing, dairy, manufacturing, healthcare are some of the fastest growing industries in the state. The State has planned initiatives for the development of other sectors such as agricultural implements and small machine manufacturing, tourism, information technology, renewable energy etc.

Bihar is aggressively working on developing supporting infrastructure in the state. In the absence of adequate roads no state can amplify its economic growth. With this background, the State Government has resolved to connect the capital city of Patna to the remotest areas in the state, so that people can reach the capital within a maximum of six hours from any place. In recent years, the State Government has been making endeavors to achieve this goal and, as a result, the network of roads and bridges has expanded at a rapid pace. The State Government has also adopted the Bihar Road Resource Protection Policy, 2013 to ensure better maintenance of the growing road network. The total length of the State Highways (SH) is 4253 km (in 2015) and approximately 65% of these highways are double-lane roads. The National Highways, on the other hand, have a strategic significance in the state's economic development as they connect Bihar with other states. The total length of National Highways in the state is 4595 km (as of 2015) and efforts are being made to further increase the network at a rapid pace.

Golden Quadrilateral Highway that passes through Bihar is in close proximity to some of the districts, viz. Kaimur, Sasaram, Aurangabad, Gaya & Patna. These districts are well connected to this highway via branch roads. This serves as a high logistical advantage in catering to the markets within as well as in the adjoining states of Uttar Pradesh, West Bengal, Orissa, and Jharkhand. It provides connectivity to major industrial, agricultural, and cultural centres of India. The length of Golden Quadrilateral Highway that passes through the State, i.e. 204 km, has been widened.

Eastern Dedicated Freight Corridor passes through the state and would connect Bihar with West Bengal, Jharkhand, Uttar Pradesh, Haryana and Punjab and is expected to be immensely beneficial for industries in the state. It would facilitate the transport of finished products to ports in Bay of Bengal in lesser time; thereby, bringing down the transportation cost, significantly.

State Government has embarked on an ambitious plan to add substantial electricity generating capacity in the next few years. It is targeting to achieve a total generating capacity of 1330 MW by 2016-17, 3310 MW by 2017-18 and 7270 MW by 2021-22. In order to turn its vision into reality, Bihar State Power Generation Corporation Limited (BSPGCL) has

entered into joint ventures with reputed companies in the power sector, like National Thermal Power Corporation (NTPC) and National Hydro Power Corporation (NHPC). Some of the major power sector projects, at different stages of commissioning, are Nabinagar Stage-1 Plant, power projects in Buxar, Bhagalpur, Lakhisarai and Banka. On completion of all these projects, Bihar's dependence on the centre for its power requirements will reduce significantly and the state would become self-sufficient in meeting its power requirements.

For the industrialization of the state, availability of land is an important factor. Consequently, land acquisition assumes greater significance and it necessitated the establishment of a land bank for which a corpus fund with a limit of INR 1500 crore was mooted. Later, this limit was raised to INR 2500 crore to meet the increasing demand of land by industries and other allied sectors. The State Government, in the last few years, have sanctioned a sum of INR 1650+ crore to Bihar Industrial Area Development Authority (BIADA), for land acquisition to ensure rapid creation of the land bank and industrial areas.

There has been large scale change in industrial environment due to economic liberalization, privatization and globalization. Strong emphasis is being placed on Micro, Small and Medium Enterprises (MSME). Cluster based development is being promoted by the State Government and it is in the process of setting up specialized clusters for development of leather, small machinery, plastics, garments, jute & textiles, and food processing to boost the manufacturing sector and well-being of MSME entrepreneurs.

Bihar is progressively adopting practices to create an investor friendly environment in the state, so as to facilitate investments. Some of the key reform measures taken are implementation of UDYOG SAMWAD portal for grievance redressal; effective implementation of single window system, development of an online inspection system; provision for submission of single integrated return under various labour laws; differentiated compliance inspection requirement based on risk profile of industries; provision of synchronized/joint inspection under various labour laws etc.

The present policy aims at creating industry-friendly environment for maximizing investment, especially, in priority sectors i.e. food processing; tourism; , small machine manufacturing; IT, ITeS, electrical and electronic hardware manufacturing; textile; plastic and rubber; renewable energy; leather and technical education sector. The overall objective is to maximize the value addition to state's natural resources by setting up industries across the state, generating revenue and creating employment. This policy has been drafted in consultation with representatives of industries; industry association, investors, subject matter experts, etc. and efforts have been made to accommodate their views. It is expected that implementation of the policy will facilitate industrialization of the state, generate employment and add to its overall growth.

2. Our Vision, Mission and Strategy

2.1. Our Vision

To establish Bihar as the most preferred investment destination by leveraging the state's comparative advantages and maximizing employment opportunities for attaining a balanced regional and sustainable development.

2.2. Our Mission

- Achieve industrial development growth rate of 15% per annum.
- Increase contribution of the secondary sector to the GSDP to more than 25% in line with the National Manufacturing Policy and “Make in India” initiative.
- Create direct employment opportunities for 5 lakh people across all economic sectors.
- Attract on-ground investment of Rs.15,000 crore.
- Create high-end infrastructure facilities to attract investments in the state.
- Eradicate regional industrial imbalance by uniformly extending the benefits of investment to all geographical areas of the state.
- Provide relatively more economic benefits to the priority sections of society such as SC/ST, women, differently abled, war widows, acid attack victims and third gender entrepreneurs.
- Ensure that industries facilitate skill development of local people, so as to achieve the target of 15 million skilled youths as per the “Seven commitments” of the State Government.
- Increase the competitiveness of MSMEs and adoption of “Zero Defect Zero Effect” manufacturing practice.

2.3. Our Strategy

We will work with investors who share our vision of the future of Bihar as a vibrant economy, ready to take off on the path of sustained development. In particular, our strategy will consist of:

- Encouraging investments that add value to the farm produce and increase the income of the cultivators through processing and preservation of food crops, particularly vegetables and fruit crops.
- Utilising the traditional skills of artisans by finding a wider market for handloom and handicrafts.
- Investing in skill development and technical education so as to make Bihar the preferred

source for skilled manpower - for which an acute shortage has been forecasted not only in different parts of the country but even markets abroad.

- Creating preference for Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) in view of their limited requirement of land, and their capacity to absorb more labour per unit of capital and energy.
- Encouraging cluster development in MSME sectors.
- Emphasising on industries that rely on local production, local skills, and local consumption.
- Providing preference to low energy and non-polluting industries
- Encouraging large scale industrial units in the proposed Integrated Manufacturing Cluster under the proposed Amritsar- Kolkata- Industrial Corridor (AKIC). While, the State Government will assist investors in finding suitable land for setting up units, they will be expected to find land on their own for units outside these designated areas.
- Encouraging new investment in developing heritage tourism for which the state offers tremendous opportunities.
- Investments in developing new facilities and/or managing existing facilities under PPP mode will be encouraged.
- Promoting development of ancillary units to cater to the upcoming investments in public and private sector
- Establishing the Udyog Samwad Portal, a one stop platform for investors to resolve problems/ difficulties faced in establishment of industrial projects in the State.

2.4. Scope of Policy

The policy would be applicable to all the new units in the state, with the following conditions:

- a. Any unit manufacturing any item, wherein the manufacturing activity does not contribute in value addition shall not be considered under this policy. Units involved only in trading activities will not come under the purview of this policy.
- b. Units promoted by individuals/ firms/ companies etc. that at any point in the past were black listed by the government(state or central) will not be eligible to avail the benefits of this policy.
- c. Units promoted by individuals/ firms/ companies etc. that at any point in the past has defaulted on any loan availed from any bank or Financial Institutions (FIs) or has any dues payable to government will not be eligible to avail the benefits of this policy.

- d. Incentives under this policy would be applicable only for the investments made in the state.
- e. Incentives under this policy cannot be claimed as compensation for any loss caused to the unit on account of any kind of natural calamity or business reason.
- f. This policy shall be applicable only for private investment, including foreign investment, but shall not apply to public sector investment by Central or State Governments either alone or in partnership with the private sector.

3. Our Priority Sectors

Bihar enjoys a natural advantage in some sectors like food processing, leather, tourism, etc. and the State Government would like to leverage upon these advantages to ensure maximum employment generation and improve the standard of living of the people. A brief overview of the priority sectors is presented below:

3.1. Food Processing Sector

Bihar, fundamentally an agrarian economy, has a large agricultural and animal production base offering abundant supply of raw material to be processed for human consumption. Despite these natural advantages, the level of food processing is very low and there is scope to improve the food processing levels to meet the increasing requirements of the state's growing population, while at the same time offering a sustainable consumption market. Further, the rising income and changing life style in the cities as well as rural Bihar is changing the consumption demand towards processed food. Therefore, the state offers a substantial opportunity for the food processing industry and is expected to play a leading role in the industrialization drive of this state. Some of the strategic advantages in this sector across key product offerings are listed below.

Key Agro Produces	Our Strategic Advantage
Food-grains (Cereals and pulses) and oilseeds	<p>(a) The production level of cereals in the state has grown annually at 5.65% in the last 5 years i.e. 2010-11 to 2014-15. Total cereal production of the state was 143.21 lakh tonnes in 2014-15 which is one of the largest in the country.</p> <p>(b) Some of the major products of the state are-Rice: 82.41 lakh tonnes; Wheat: 35.70 lakh tonnes; Maize: 24.78 lakh tonnes; Pulses: 4.28 lakh tonnes; and Oilseeds: 1.27 lakh tonnes.</p> <p>(c) Bihar has the highest maize productivity amongst all the Indian states.¹</p>
Fruits (Mango, Guava, Litchi and Banana) & Vegetable (Potato, Cabbage, Cauliflower, Okra) ²	<p>(a) Bihar ranks first among all the Indian states in terms of vegetable production. The total vegetable production in the state was 144.99 lakh tonnes in 2014-15.</p> <p>(b) Some of the major vegetables produced in the state are Potato: 63.46 lakh tonnes; Onion: 12.47 lakh tonnes; Cauliflower: 10.03 lakh tonnes; and Tomato: 10.46 lakh tonnes. Other vegetables such as cabbage, okra, carrot, and pea are also grown in the state which can be used for commercial processing.</p> <p>(c) Some of the major fruits produced in the state are-Banana: 15.27 lakh tonnes; Mango: 12.72 lakh tonnes; Guava: 3.7 lakh tonnes; and Litchi: 1.98 lakh tonnes.</p>

1. All figures are annual production in FY 2014-15;

2. According to livestock census 2012;

Key Agro Produces	Our Strategic Advantage
	<p>(d) The state is well known- in India and in international markets - for its litchi produce, which presents a potential opportunity to set up units for litchi pulp, juice, pulp slab, nectar, jam, jelly, etc.</p>
Makhana	<p>(a) Makhana/Gorgon Nut is an exclusive offering of the state and has a strong potential to be placed in the wellness food category and can fetch premium pricing if marketed, appropriately.</p> <p>(b) Makhana/Gorgon Nut is quite nutritive and compares well with fish/ mutton in terms of protein content. In China, raw makhana seed powder is considered to be an essential ingredient of baby food.</p>
Animal Products(Milk, Meat, Fish, Eggs, Honey)	<p>(a) The total livestock population in the state is 329.38 lakh and it is expected to grow significantly.</p> <p>(b) Approximately 52% of the total livestock population is that of milch animals, with a cow population of 122.31 lakh, goat population of 121.53 lakh and buffalo population of 75.67 lakh.</p> <p>(c) Milk is one of the most important food product of the state with an average production of 79.172 lakh tonnes/ day, and this presents a sizeable processing opportunity</p> <p>(d) Large population of buffalo, goat and poultry presents a significantly large opportunity for meat processing</p> <p>(e) The state has a total water area of 10, 71, 000 hectares or 26, 77, 000 acres. This includes ponds (95,000 hectares), oxbow lake (9,000 hectares), reservoirs (26,000 hectares) and wetland (9.41 lakh hectares). The total river length in the state is approximately 3,200 km. The huge water wealth of the state presents gainful opportunity for fresh fish processing facilities/units. In 2014-15, the average fish production in the State from various water bodies was 5 lakh tonnes/annum.</p> <p>(f) Bihar is the 4th largest producer of honey in the country and produces approximately 6,500 tonnes per annum. Honey is becoming an important ingredient in today's world and is placed in the wellness food category. This product has the potential to be the first choice amongst the 1st generation entrepreneurs due to low investment requirement and higher revenue potential.</p>

Priority sectors in the food processing sector

The food processing units discussed below shall be considered under the priority sectors for the purpose of availing the incentives under this policy.

Sectors	Investment Opportunities
Food-grain (Cereal and pulses) and oilseed processing	<p>(a) Maize processing units with installed capacity of more than 100 TPD, including units for manufacturing starch and cattle and/or poultry feed</p> <p>(b) Any other cereal processing/flour/starch/dough mixes, breakfast food manufacturing unit with installed capacity more than 100 TPD.</p> <p>(c) Pulses processing unit</p> <p>(d) Modern unit for oilseeds processing or extraction from raw materials obtained locally; like Vanaspati oil manufacturing from rice bran and vegetables like soya-bean, safflower/sunflower, mustard, ground nut, etc. as well as fats and oils extracted from bovine/sheep/goat/fish/marine animals, etc. Unit for solvent extraction for edible oils with or without integrated refining facility.</p> <p>Note: Processing units purely for sorting, cleaning, and packaging that do not generate any substantial value addition shall not be considered under the priority sector.</p>
Fruits & Vegetable (F&V) Processing	<p>(a) All kinds of F&V processing units (including units for manufacturing dehydrated and frozen F&V items using IQF/Blast Freezer/Spiral Freezer, etc.)</p> <p>(b) Dehydration and powdering of vegetables like onions, mushrooms, etc.</p> <p>(c) Unit for processing litchi (e.g. units for manufacturing litchi pulp, juice, pulp slabs, jam, jelly, beverage, nectar, candies, powder, etc.)</p> <p>(d) Unit for processing local variety of mangoes into pulp, juice, pulp slabs, jam, jelly, beverage, nectar, candies, powder, etc. (units using mango pulp imported from other states or countries shall not be considered under the priority sector.)</p> <p>(e) Unit for banana processing (e.g. banana chips, pulp, powder, baby food, jam, jelly, banana flower vegetables, banana trunk vegetables & pickles, etc.)</p> <p>(f) Unit for makhana processing (e.g. unit for producing makhana pops, making flavoured and/or roasted makhana snacks, RTC kheer, baby food etc.)</p>

Sectors	Investment Opportunities
Milk Processing and Dairy Product Manufacturing	<p>(a) Milk processing units with installed capacities of more than 50 thousands litres per day</p> <p>(b) Units for manufacturing pasteurized milk, milk powder, ice cream powder, condensed milk, infant food, milk cream, butter, butter milk, lassi, yogurt, cheese, ghee, khoya, ice-cream, kulfi, flavoured milk and other dairy products.</p> <p>(c) Units that manufacture products out of milk powder imported from other states or countries shall not be considered under the priority sector. Only products manufactured from milk procured or milk powder manufactured by another unit within the state shall be considered under the priority sector.</p> <p>Note: For consideration under the priority sector, procurement of milk by the units shall not be carried out in areas where dairy co-operatives formed by COMFED are already in operation.</p>
Honey Processing	Natural honey processing unit
Meat, Poultry and Fish Processing	<p>(a) Meat, poultry and fish processing units (e.g. fresh, chilled, and frozen fish; fish fillets and pieces; fish cured or smoked and fish meal fit for human consumption; fresh and chilled meat of bovine animals such as sheep or goat; meat & edible offal of poultry meat; dried eggs; etc.)</p> <p>(b) Modern slaughter house & abattoir.</p>
Spice and herbs Processing	<p>(a) Modern processing unit for spices (for e.g. extracts essence & concentrates of spices, powder and paste manufacturing etc.)</p> <p>(b) Unit for extraction of food flavors, colours, oleoresins, etc.</p> <p>(c) Health and wellness food supplements made from herbs</p>
Tea Processing	Modern tea processing units
Other edible preparation	<p>(a) Modern unit for manufacturing of biscuits/ cookies, etc.</p> <p>(b) Modern bakery unit (e.g. bread, pastries and cakes manufacturing)</p> <p>(c) Modern unit for manufacturing ice-cream</p> <p>(d) Modern unit for manufacturing chocolate & non-chocolate based confectionery items</p> <p>(e) Unit for manufacturing of frozen or non-frozen and packaged ready to eat (RTE) meals and snacks, ready to cook (RTC) food, powdered energy concentrate, instant drink concentrate, etc.</p>

Sectors	Investment Opportunities
Sugarcane Processing	(a) Manufacture of sugar (b) Manufacture of ethanol
Warehousing	(a) Fruit ripening chambers (b) Controlled atmosphere (CA)/modified atmosphere (MA) chambers, cold rooms/ deep freezers/ pre-cooling chambers (c) Multiple cold storage facilities/infrastructure including pre-cooling chambers, ripening chambers, CA/MA chambers, cold rooms, deep freezers, bulk chillers, etc. including cold chain logistic arrangements (d) Modern grain silos
General/Business Development Services	(a) Research & development facilities, quality control laboratories/ testing laboratories, training / incubation centres/skill development centres, etc. related to the food processing sector (b) Food machinery manufacturing (c) Irradiation unit

Notes:

- The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the priority sector from time to time.
- Units/ enterprises set up for the purpose of packaging/ repackaging of food items imported from other states or countries shall not be considered under the priority sector.
- If a unit/ enterprise is setting up two or more kinds of facilities in an integrated manner/for captive use purpose, the facilities would be treated as a single project and combined cost of the facilities would be considered for grant calculation purposes. The classification of the units/ enterprises into priority or non-priority would be as per the nature of the main/mother facility, i.e. the core facility.
- In case a unit migrates from non-priority sector to priority sector through capacity expansion and/or facility addition etc., it would enjoy the incentives as per the priority sector for the portion that falls under the priority sector.
- Units for manufacturing any food item fit for human/ animal consumption which does not contain any grain, F&V or any processed/preserved items (like pulp concentrate, extract.) made from grain/F&V as its main ingredient would be considered under the non-priority sector.
- Unit established for processing of by-products of the main food processing facility will be

considered for a grant under the non-priority sector if the end product resulting from the processing of the by-product is not a food product fit for human/ animal consumption (with any exceptions defined above). If the final product is fit for human/ animal consumption it would be categorized as per the above list.

3.2. Tourism Sector

Bihar has a potential for tourism in view of its rich cultural heritage, religious and historical monuments. Bihar's great competitive strength from tourism point of view is its ancient and yet living civilization that gave rise to two of world's great religions, namely Buddhism and Jainism. Bihar has been the centre of religious activities of Hindus, Buddhists, Jains, Sikhs and Muslims. Endowed with a rich cultural and religious heritage, Bihar was a seat of power of the vast and powerful Magadh Empire. This is a land of ancient universities of Nalanda and Vikramshila, which spread knowledge far and wide through students coming from different countries of the world. The remnants of these two ancient universities, the antiques and artefacts attract tourists in huge numbers. The state has a rich tapestry of product offerings across its strengths of culture, heritage, nature, wildlife, wellness, as well as other unique products. Some of the key products offered by the state that attract travellers are:

Tourism Segments	Our Strategic Advantage
Spirituality	<p>Tourism in Bihar has traditionally thrived upon travellers visiting places of spiritual interest. Some of the identified tourism circuits focussing on this aspect are:</p> <p>(a) <u>Buddha Circuit-</u> Bodh Gaya (Gaya), Rajgir (Nalanda), Nalanda, Vaishali, Lauriya Nandangarh (East Champaran), Lauriya Arreraj (East Champaran), Kesaria (East Champaran) Vikramshila (Bhagalpur), Jehanabad;</p> <p>(b) <u>Sufi Circuit-</u> Manersharif (Patna), Khankahmujibia (Patna), Mittan Ghat (Patna), Hajipur Karbala (Vaishali), Hasanpura (Nalanda), Bibi Kamal Shahib (Jehanabad), Badi Dargah (Nalanda), Chhoti Dargah (Nalanda);</p> <p>(c) <u>Jain Circuit-</u> Vaishali, Rajgir (Nalanda), Pawapuri (Nalanda), Nathnagar (Bhagalpur), Mandar Hill (Banka), Champanagar (Bhagalpur), Kundal Gram (Nalanda), Samosaran (Nalanda) and Lachhuar (Jamui);</p> <p>(d) <u>Ramayan Circuit-</u> Valmikinagar (West Chaparan), Pret Shila (Gaya), Ahilya Asthan (Darbhanga), Sitamarhi, Kako (Jehanabad), Sita- kund (Sitamarhi), Shingheshwar (Saharsa), Ramshila (Gaya), Buxar, Giddheshwar (Jamui);</p> <p>(e) <u>Shakti Circuit-</u> Mundeshwari Asthan (Kaimur), Chandi Asthan (Munger), Ugratara Asthan (Mahishi, Saharsa), Aami (Saran), Thave (Gopalganj), Tarachandi Asthan (Rohtas), Bakhorapur (Bhojpur), Shyamakali (Darbhanga), Bhagwati Asthan (Nayanagar, Madhepura), Badi Patan Devi (Patna), Chhoti Patan Devi (Patna), Matsyagandha Raktkali Temple (Saharsa), Uchchait (Madhubani);</p> <p>(f) <u>Sikh Circuit-</u> Patna Sahib (Patna city, Patna), Ballila Sahib (Patna), Guru Teg Bahadur Gurudwara (Gaighat, Patna), Gurunanak Kund (Rajgir, Nalanda), Ara, Katihar, Gaya and Sasaram, Bhagalpur, Guru ka Bagh (Patnacity, Patna), Gurudwara Pacci Sangat (Munger), Gurudwara Handi Sahib (Danapur, Patna);</p> <p>(g) <u>Gandhi Circuit-</u> Motihari (East Champaran), Bettiah (West Champaran), Bhitiharwa Aashram (West Champaran), Vrindavan (West Champaran), Sadakat Aashram (Patna), Gandhi Sangrahalaya (Patna);</p>

Tourism Segments	Our Strategic Advantage
	<p>(h) <u>Shiv Circuit-</u> Guptadham (Kaimur), Baijudham (Gaya), Koteswardham (Gaya), Singheshwardham (Madhepura), Kusheshwar Asthan (Darbhanga), Siddheshwar Asthan (Jehanabad), Ajgaibinath (Sultanganj, Bhagalpur), Ashok dham (Lakhisarai), Garibnath (Muzaffarpur), Mahendranath (Saran),Bramheshwarnath (Buxar) ;</p> <p>(I) <u>Mandar and Ang Circuit-</u> Munger, Bhagalpur and Banka;</p> <p>(j) <u>Kanwariya Route-</u> Sultanganj (Bhagalpur) to Banka;</p>
Culture & Heritage	<ul style="list-style-type: none"> • Bihar has a vast array of protected monuments, world heritage sites and several other sites, like the ruins of Nalanda and Vikramshila (oldest universities in the world), which have the potential of being world heritage sites. • Special heritage zones with converted heritage buildings and suitable activities can be developed, while retaining the originality of the structures • Development and promotion of museums in co-ordination with ASI and other State Government departments to promote our culture. The newly inaugurated “Bihar Museum” is an important attraction. • With a view to promote handloom and handicrafts of Bihar, “Shilp Grams” (Craft villages) and handicrafts markets is being promoted near tourist places.
Rural/ Village	<p>Art and crafts of Bihar could help develop and promote rural tourism and extend the socio-economic benefits of tourism to rural areas. For example, villages engaged in Tehta (Jehanabad), Nepura (Nalanda), Ranti and Jitwarpur (Madhubani), Patharkatti (Gaya), Nathnagar (Bhagalpur) etc. could be targeted for development of rural tourism.</p>
Wellness	<p>“Wellness Tourism” based on yoga and aqua therapy using sulphur water from hot water springs in Rajgir and Munger can be promoted. This has the potential to be Bihar's most unique tourism offering, with holistic healing and rejuvenation of the individual from every dimension- physical, mental, and spiritual.</p>

Tourism Segments	Our Strategic Advantage
Eco and Wildlife	Eco-Tourism could be promoted through integration of wildlife sanctuaries to offer a potential tourist places. Some of the identified tourist places are: Rajgir (Nalanda), Bhimbandh Sanctuary (Munger), Kaimur Sanctuary (Kaimur), Gautam Budhh Sanctuary (Gaya), Naktidham (Jamui), Gogabill Sanctuary (Bhagalpur), Kanwar lake (Begusarai), Ghora Katora Lake (Nalanda), Kakolat Waterfall (Nawada), Telhar Waterfall (Rohtas), Gangetic Dolphin Sanctuary (Bhagalpur) and Valmiki National Park (West Champaran).
Ganga Based	<ul style="list-style-type: none"> • The Ganga has a unique value in terms of tourism and could be leveraged by introducing a cruise along the river, connecting historical sites near its banks such as Patna, Bhagalpur, etc. • Dolphin watching is another unique tourism product offered by the state that could be further strengthened.
Adventure	Water sports such as river rafting, para sailing, etc. could be developed to create more economic opportunities.
Fairs & Festivals	Bihar has unique events, fairs and festivals like Sonepur fair, Chath festival, Saurat Sabha, Rajgir festival and Boudh festival, all of which have the potential to attract domestic as well as international tourists, upon development of adequate facilities.
Cinematic	<p>Film shootings at tourist destinations in Bihar should be further encouraged through single-window clearances along with necessary incentives, as provided for under the relevant government notifications.</p> <ul style="list-style-type: none"> • The gourmet trails of Bihar can be promoted to showcase the rich culinary heritage of the state.
Cuisine Based	<ul style="list-style-type: none"> • The unique cuisines of the state, like khaja, lai, belgrami, tilkut, litti-chokha, sattu, makhana preparations etc. have the potential to generate economic opportunities upon being promoted through organisation of food festivals.

These identified products and circuits, at present, stand largely as green fields for various kinds of infrastructural and service related investments. Apart from these identified circuits there are many other geographical areas of the state which can be developed as future destinations from tourism point of view. Looking at the existing and prospective investment potential, and future growth opportunity along with the capacity to generate large number of employments in various sub-sectors of the tourism industry, the State Government has considered it as one of the thrust areas for the purpose of promotions and facilitations under its investment promotion policy. The policy, therefore, has made provisions to facilitate and incentivize private investment in the sector.

Priority sectors in the tourism sector

The priority sectors of investment in the tourism sector value chain are as follows:

Sectors	Investment Opportunities
Transportation	<ul style="list-style-type: none"> Taxi operators at tourist places Cab aggregators/ radio taxis at tourist places Luxury coaches & cars plying on tourist circuits Air taxis and helicopter services for the tourist circuits Special tourist trains, boats, steamers, etc.
Accommodation	<ul style="list-style-type: none"> Hotels, motels, resorts, guest houses, home stays, etc. within 10 km radius of the identified tourist circuits. Caravans, camping facilities/tent accommodations, heritage homes, etc.
Tours & Travels	Travel agencies, tour operators, tourist taxis, etc. at tourist places
MICE facilities	Meeting hubs, convention centres, exhibition centres, event organizers, etc. at the tourist places.
HRD Institutions	Hotel management institutes, food craft institutes, travel & trade institutes, manpower training centres, tourist guide training centres, management institutes providing tourism sector related education and trainings etc.
Souvenir shops	Handicraft shops, souvenir shops, ethnic boutiques, traditional jewellery shops etc. at tourist places
Wayside amenity (On the National Highways and State Highways)	Wayside amenity centres, wayside restaurants, snack bars, dhabas, pay-and-use toilets, utility shops, parking areas and shops of handloom and handicraft items produced in the state at tourist places.
Wellness centres	Ayurveda centres, wellness spas, treatment centres, yoga university, etc. at tourist places
River Attraction	Cruise, floating restaurant, floating cottages, water sports (like river rafting, para sailing), recreational facilities (like fishing, dolphin watching) etc.
Entertainment	Amusement parks, water parks, theme parks, craft village, ropeway, science center, museum, planetarium etc. at tourist places.
Cinematic	Film city

Notes:

1. Tourist places under this policy shall mean the places (districts or blocks or villages) mentioned in the above table that lists the various “Tourism segments” and “Our strategic advantage”.
2. Any units (mentioned above) under the tourism sector located in the metropolitan area of Patna shall be excluded from the priority sector related benefits.
3. The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the priority sector from time to time.

3.3. Small Machine Manufacturing Sector

Agriculture is the mainstay of the economy of Bihar. However, high cost of agricultural practices and low productivity of crops has been an issue. The relationship between agricultural output and input, as compared to many other states of the country/ world and their averages, has been problematic. Among others, provision of irrigation facilities, use of high yielding variety of seeds, use of pesticides and insecticides, use of fertilizers and better techniques of farming, use of modern agricultural machinery and implements, etc. play a vital role in increasing the productivity of agriculture. Thus optimal level of mechanization is an imperative for ushering in the regime of low-cost agriculture in Bihar.

In the recent past, the modern agriculture implements have registered a sharp increase in their presence in the fields of Bihar. The State Government has been providing incentives -- over and above the incentive provided under the centrally sponsored schemes-- for power tillers, tractors, sprayers, winnowing machines, power weeders and power threshers. The focus is on zero tillage machines which are more suitable for farmers with small and marginal land holdings. Because of easy availability of incentive and progressive outlook of the farmers, use of latest equipment is now becoming common in the state. The increase in electrification has led to increase in usage of electrical pumps and electricity based farm equipment. The agricultural implements market in the state is now witnessing a high growth which is poised to further growth in the time to come. Looking at this growing domestic consumption market and the lack of investment in this sector in the state till date, Government of Bihar has categorized the small machine manufacturing sector related to agriculture as one of the priority sectors in the industrial investment promotion policy.

Priority sectors in the small machine manufacturing sector

The priority sectors of investment in the value chain of the small machine manufacturing are as follows:

Sectors	Investment Opportunities
Land/ Seed bed preparation	Tractors, power tillers, levelers, ploughs, harrow, rotavator, cultivator, ridger, dozers, scrapers.
Seeding/ planting/ sowing	Drill, seeders, planters, dibblers, trans-planters, seed cum fertilizer drills, zero tillage machines.
Spraying and dusting Equipment	Weeders, conoweeders, tillers, sprayers, dusters, mist blowers
Harvesting	Harvesters/combine harvesters, threshers, potato diggers, reapers, sheller, sickles/ straw reapers,
Post-harvest Equipment	Seed extractors, de-huskers, hullers/de-hullers, cleaners, graders, dryers, winnowers, trailers, grain bins.
Irrigation	Diesel pumps, electric pump-sets, solar pump sets, sprinklers, drip irrigation equipment, HDPE irrigation pipes, etc.
Small machines and components	Ancillary units for automobiles and automobiles components, diesel and electric locomotives related ancillary units, cycle manufacturing.
General/ Business Development Services	Research & development facility, quality control laboratory/ testing laboratory, design studio/ prototyping facility, training centre/ incubation centre/skill development centre

Note: The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the priority sector from time to time.

3.5. Textile Sector

The textile sector plays a key role in the Indian economy by way of significant contribution to GDP, manufacturing output, employment generation, and export earnings. The sector contributes 14% to industrial production, 4% to India's GDP and constitutes 13% of the country's export earnings. The textile sector is one of the largest source of employment generators in India; it employs over 4.5 crore people, directly.

Bihar has ample potential to house textile units and other value chain activities. Silk is the focus product in Bihar, for textile units. Bihar has been famous for the production of silk. Bhagalpur district of Bihar has been a centre of silk fabric manufacturing. Tassar silk of Bhagalpur is an exclusive product of Bihar which has the potential to fetch premium prices. Bihar had produced

around 60 tonnes silk during 2014-15.

Jute is another fibre product produced in the state. Bihar produced around 1420 thousand tonnes of jute in 2014-15. A jute park is being establishing in Maranga, Purnea with an investment of INR 42.36 crore, by registered SPV M/s Punrasar Jute Park Ltd. Under PPP mode, the State Government has provided 44.30 acres land as equity and INR 2 crore as a grant. In the jute park, at present, two units M/s Tirupati Commodities Private Ltd. & M/s Punrasar Jute Park Training Centre have been established and are functional. They are producing jute yarn, jute twin, jute cloths and other jute products.

There are 14,000 power-loom in Bihar concentrated mainly in Bhagalpur, Gaya, and Banka districts. Their main products are staple chadar/bed sheets, furnishing clothes, etc. There is a training centre at Nathnagar (Bhagalpur), run by the Ministry of Textiles, where 120 power-loom weavers are trained each year.

Textile industry is a highly labour-intensive industry. Bihar is home of around one lakh weavers for whom manufacturing and dealing with fabric and garment is their livelihood. The presence of weavers' community is, therefore, an important asset base in terms of availability of skilled and semi-skilled workers for textile units. Apart from the regular weaver community, a large number of youths (especially, the female youth) in the state can be employed in the textile manufacturing units which can offer conducive employment opportunities such as sewing, stitching, cutting, and other tailoring requirements.

Priority sectors in the textile sector

The priority sectors for investment identified by the State Government in this sector are as follows:

Sectors	Investment Opportunity
Fibre Production/ Spinning/ Weaving/ Knitting/ Processing	(a) Cotton/ jute/ silk / banana and other natural fibre production (b) Production of man-made fibre and filament (c) Yarn Spinning (d) Power loom and knitting (f) Yarn and fabric processing
Production of apparel and home textile	(a) Woven and knitted apparel manufacturing (b) Hosiery products manufacturing (c) Saree (d) Carpets and other home textiles

Sectors	Investment Opportunity
Manufacturing of Technical textile	Production of items under following categories: <ul style="list-style-type: none"> (a) Agrotech (agriculture, horticulture and forestry etc.) (b) Buildtech (building and construction etc.) (c) Clothtech (technical components of shoes and clothing etc.) (d) Geotech (geo-textiles and civil engineering etc.) (e) Hometech (components of furniture, household textiles & floor coverings etc.) (f) Indutech (flotation, cleaning and other industrial usage etc.) (g) Meditech (hygiene and medical etc.) (h) Mobiltech (automobiles, shipping, railways and aerospace etc.) (i) Oekotech (environmental protection etc.) (j) Packtech (packaging etc.) (k) Protech (personal and property protection etc.) (l) Sporttech (sport and leisure etc.)
Post Processing of Handlooms and Khadi Textile Products	Post production facilities using the handloom and khadi cloth

Note: The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the priority sector from time to time.

3.6. Plastic and Rubber Sector

Plastic and rubber are versatile products used for everything from packaging other products to life sustaining equipment used in hospitals. Accelerated globalization, rapid change in technology and growing consumerism have brought with it sweeping changes and abundant opportunities for plastic industry to grow domestically. A major percentage of the population in Bihar has been engaged in agriculture. Though the land is very fertile, the farmers are affected with problems of low productivity and low return on investment, primarily, due to high dependence on monsoons. Plasticulture applications have the potential to offer them the much needed solution to improve productivity and reduce dependence on monsoons and therefore, drive the demand for plastics. The increase in electricity supply has led to increase in usage of electric pumps and irrigation systems.

The distribution pipes for these electric water pumps have increased the demand for plastic pipes. Beyond this, plasticulture offers various benefits like increase in the yield, reducing water losses, cleaner produce due to reduced soil contact, etc. As per industry estimates, 35-40% of the food products produced in India are wasted due to deficient infrastructure and lack of food processing capabilities. Plastic has applications in packaging which protects the longevity and quality of food. This sector also offers significant potential for growth leading to increase in demand for plastic. The State Government's programme to connect every household with piped water supply would require plastic pipes for distribution of water. This implies that there is potential of growth for the plastic and rubber industry in the state.

Priority sectors in the plastic and rubber sector

The priority sectors for investment identified by the State Government in this sector are:

Sectors	Investment Opportunities
Irrigation Products	Manufacturing of ISI standards PVC/CPVC pipes, emitting pipes, drippers, emitters, valves, fittings, nozzles, UV films, plant protection nets, crates, Hoses etc.
Packaging & Food Storage Products	Packing/ wrapping products for food items like tetra packs, containers, bags, etc.
Water Supply Products	Manufacturing of ISI standards PVC/ CPVC pipes
Electrical Fittings	PVC pipes and electrical fittings.
Automobile Products	Plastic automobile parts
Medical Supplies	Disposable syringes, gloves, blood storage pouches, catheters/ pipes, etc. and plastics used in medical field.
Building Construction	Plastic and rubber components for building construction
Sports and leisure	Manufacture of plastics and rubbers items for sports and leisure
Plastic Testing	Plastic testing laboratories accredited with ISO/IEC-17025 standards

Note: The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the priority sector from time to time.

3.7. Renewable Energy Sector

Bihar, with approximate peak deficit of 669 MW of electricity is significantly dependent on the power supplied by the central generation stations as of now. Currently, the state is majorly dependent upon the conventional sources for electricity generation. The deficit of electricity poses an

enormous constraint for all future development including industries. The per capita electricity consumption of the State is approx. 203 kWh, which is still below the national average and the demand will be much higher in the foreseeable future. The state realizes the importance of electricity on the overall economic growth and has initiated steps to address this gap by implementing large power projects which are primarily based on conventional sources, and are in various stages of implementation. These large power projects have long gestation period, while the demand continues to rise; therefore, the state has a unique opportunity to meet this requirement through rapid deployment of modular RE system. Bihar has RE potential of more than 12.559 GW (solar: 11.2 GW, biomass gasifier/ co-generation: 619 MW, bagasse co-generation: 300 MW, wind power: 144 MW, waste to energy: 73 MW etc.) which is yet to be harnessed. Further, there is a potential consumption market for solar off-grid applications such as SPV pumps, solar water heaters, solar street lights, etc. This presents an enormous opportunity to the industries, for setting up units for RE modular product manufacturing, RE projects, etc.

Priority sectors in the renewable energy sector

The following kinds of facilities/ units would be considered under the priority sector:

Sectors	Investment Opportunities
Solar Power	Solar photovoltaic and Solar Thermal Power Generation, Solar Hybrid Systems and Solar applications in Domestic and Industrial Sector.
Bio-mass	Biomass and Biogas projects, Biomass Hybrid Systems and biomass applications in Domestic and Industrial Sector.
Hydel Power	Small Hydropower projects (up to 25 MW)
Others	<ul style="list-style-type: none"> • Co-generation in sugar and other industries, Waste to Energy projects including municipal solid waste, industrial waste etc. based energy projects, Wind power projects, • RE modular product manufacturing

Note: The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the priority sector from time to time.

3.8. Healthcare Sector

Bihar is the third most populous state in India, with a population density of 1,106 persons per sq. km. The major health & demographic indicators of the state, like the infant mortality rate (42), maternal mortality rate (219), total fertility rate (3.5), etc. are much higher than the all India levels and presents an enormous opportunity to the investors to play a major role in improving these indicators. The public health facilities in Bihar are already overburdened and are in the process of being strengthened in terms of infrastructure and essential health requirements like manpower, equipment,

4 In 2014-15

5 In 2014-15

6 MNRE Annual Report, 2015-16

drugs and consumables. Hence, these facilities are not adequate to cater to the health care requirements of the population, at present. An overview of the healthcare related infrastructure requirement and gaps is presented in the table given below:

Particulars	Required	In position (Functional)	Shortfall
Medical colleges and hospitals	40	9	31
District hospitals	38	36	2
Sub-divisional hospitals	212	44	168
Referral hospitals	70	57	13
Community health centres	838	0	838
Primary health centres	3,314	533	2,781
Additional primary health centres	2,787	1,350	1,437
Health sub centres	20,997	9,729	11,268

Besides, there are very few private hospitals in the state; most of the organised private healthcare infrastructure is confined to the capital town, Patna. Patients seeking secondary & tertiary healthcare services have to go to Patna or move to other states for treatment. Also, most of the healthcare needs of the state are being provided by the nursing homes, run mostly by individual private practitioners, which mostly cater to the general healthcare needs of individuals. Very few of these provide speciality services. Therefore, there is a great need and substantial opportunity for private sector interventions in healthcare industry of the state.

Priority sectors in the healthcare sector

To reinforce the State Government's vision to improve accessibility to affordable, quality healthcare services and promote medical tourism in the state, the following components have been identified as priority sectors:

Areas	Investment Opportunities
In-patient Health Care Facilities	Specialty hospitals, super-specialty hospitals, multi-specialty hospitals, ultra-modern trauma centres
Emergency Medical Services	Mobile medical units, blood banks
HRD/Skill Development Services	HRD/ skill development centres (hospital services, bio-medical equipment maintenance etc.)
Manufacturing Units	Medicines

Areas	Investment Opportunities
Manufacturing Units-Equipment & Supplies	<ul style="list-style-type: none"> • Medical equipment like patient monitors, anaesthesia machine, surgical microscope, electro-surgical equipment etc. • Service equipment like blood collection tubes, gloves, catheter, urology disposable products, mouth piece for endoscopes, etc.
Hospital Waste Management Services	Bio-medical waste management units
Educational Institutes	Grade A Nursing Colleges

Note: The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the priority sector from time to time.

3.9. Leather Sector

Leather sector has a massive potential for employment, output growth and export. In India, the sector is one of the top foreign exchange earners. Bihar has a huge potential for investment in the leather sector. On account of large raw material base (in terms of hides and skins produced in the state), plenty of cheap as well as skilled and semi-skilled labour, and a huge domestic market for consumption, it offers both comparative and competitive advantage to a prospective investor in this sector. Our strategic advantages in this sector across factors of production are as follows:

Key Factors	Our Strategic Advantage
Availability of Raw hides and skins	<p>(A) Bihar has approximately 8% of the country's total bovine population. According to the livestock census of 2012, the total livestock population in Bihar was 329.38 lakh. As per the census, the cow population was 122.31 lakh and that of buffalo was approx. 75.67 lakh. The goat population stood at 121.53 lakh. Bihar accounts for nearly 12% of the country's total goat population, ranked 3rd in the country. These figures will improve when a new census would take place in 2017.</p> <p>(B) According to a recent survey conducted by the Central Leather Research Institute (CLRI), Chennai, Bihar annually produces 2.64 million bovine hides and 5.09 million bovine skins. The state is known for best quality goat skins, cow hides and buffalo's calf skins. Goat skins are smaller in size and the best material for the production of glazed kid's leather products, which are mostly exported.</p>

Key Factors	Our Strategic Advantage
Availability of Labour	<p>(C) According to a rough estimate, 3 trucks loaded with 7-8 thousand pieces of goat skins and 2-3 thousand pieces of cow hides are transported from Muzaffarpur to other destinations, daily. The leather units in the state export raw materials to Kolkata, Kanpur and Chennai depriving Bihar of the benefits.</p> <p>(A) Leather industry is a highly labour intensive industry. The small scale, cottage and artisan sectors account for over 75% of the total production from this industry and a majority of them belong to the unorganized sector. The main strength of these unorganized small cottage units has been the availability of the cheap labour, mostly from the weaker sections of the society. Women employment is predominant in leather industry with about 30% share.</p> <p>(B) Bihar, on account of its large, growing population is one of the largest labour base in the country.</p> <p>© At present, there are existing pockets in the state, in the districts of Patna, Gaya, Nalanda/Biharsharif, Muzaffarpur, etc. where artisans are involved in the production of leather footwear. Thus, there is availability of skilled labour who can be readily employed in the leather units.</p>
Availability of Domestic Market	<p>Almost all the goods produced by the leather sector are daily use items. Thus, the consumption rate of these products is very high. The large population of Bihar comprising of growing middle class, in both urban and rural areas, creates a significant local demand for the products. A leather unit established in the immediate neighbourhood of such big markets would, therefore, enjoy both the advantage of scale and cost cuttings.</p>

Priority sectors in the leather sector

The leather industry mainly includes units that are involved in production of finished or semi-finished leather and manufacturing of various kinds of leather goods. The state govt. has a clear focus to promote all the facilities in the value chain, from raw material processing to finished-goods manufacturing. The following kinds of facilities/ units would be considered as under the priority sectors:

Sectors	Investment Opportunities
Manufacturing of Leather products	(a) Manufacturing of leather shoes, leather chappals, and other footwear items of leather (b) Manufacturing of leather footwear components (c) Manufacturing of leather garments (d) Leather for upholstery (e) Manufacturing of leather goods (for e.g. labels, tags, belts, bags, purses hand gloves & other accessories and fashion items) (f) Manufacturing of upholstery for automobile (cars, etc.) & furniture (g) Manufacturing of saddlery and harness items
Storage/ Warehousing	Modern warehouses for storage of raw hides and skins with or without temperature control/ refrigeration arrangements, finished and semi-finished leather and other leather goods
Business Development Services	R&D facilities, design studios/ facilities for prototyping, quality testing, labs, etc.

Note: The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the priority sector from time to time.

Apart from these, the GoB would strive for the promotion of rural technologies developed by CSIR-CLRI. Units using these technologies would be treated as a priority sector for incentivising purposes. Following is the list of important rural technologies developed by the CSIR-CLRI.

- Leather Mojari/Jooti footwear
- Leather Kolhapuri footwear
- General footwear (shoes)
- Leather footwear (sandals/chappals)
- Leather puppets manufacturing
- Leather goods
- Leather board
- Collection of fallen carcasses and their utilization

Note: The above list is only indicative and the State Government may take suitable decision with regard to inclusion of any other kind of technology in the list.

3.10. Technical Education Sector

Bihar, at present, has 13 universities along with 262 government colleges and 231 local body colleges affiliated to the State Government. However, the number of institutes for technical education are limited and there are only 10 colleges for engineering and technical education. Because of lack of institutes of higher education and learning in Bihar, thousands of students migrate from the state to other states like Delhi, Maharashtra, Karnataka, Tamilnadu, Punjab and Rajasthan to pursue their college and university education. This leads to missed opportunities for the state as a hub for higher education. As many as 25 districts out of 38 in Bihar are educationally backward.

Govt. of India has pegged the target for GER at 30% for higher education, by 2017. This would drive massive investments in the sector. At present, Bihar has a GER of 13%. According to an estimate, the state needs 373 general colleges (arts, science and commerce), 236 engineering colleges, 139 medical colleges, 253 education colleges and 163 polytechnics to attain the national levels of enrolment in higher education. It is, therefore, obvious that there is potential for newer institutes of higher learning in the state. Despite the high poverty levels in Bihar, most of the families, even in rural areas, send their children outside of Bihar for higher education and bear the additional financial burden of outstation travel and accommodation. Hence, if more institutes come up in the state, there would be enough demand for them to flourish. The education sector would also help in employment generation in the state as most of the higher education institutes would result in establishment of educational townships with facilitation of daily needs of its residents. Hence, there would be creation of many opportunities for small business owners and young entrepreneurs.

Priority sectors in the technical education sector

In the technical education sector, the following facilities/ units would be considered under the priority sector:

Sectors	Investment Opportunities
Technical Education	Engineering colleges and polytechnic institutes (registered under the AICTE Act)
Skill Development	Technical skill development centres imparting training with high end equipment and empanelled by BSDM or Department of Industries,

Note: The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the priority sector from time to time.

4. Ease of Doing Business Reform

4.1. Introduction

The Government of Bihar is committed to establish a conducive environment for the entrepreneurs in the state, in order to attract investments and create substantial jobs opportunities. A series of measures have been taken up to improve the ease of doing business in the state and the emphasis has been on simplification and rationalization of the existing rules/procedures for hassle free entry & operation of business units across the state. A brief summary of some of the key 'ease of doing business' reforms is given below:

4.1.1. Availability of Information

- a) The 'Udyog Samwad Portal (www.udyog.bihar.gov.in) – A one stop platform for investors” provides information on acts/rules/policies/circulars/notices/notifications published by all relevant departments of the state.
- b) Detailed procedures/ guidebooks covering all applicable steps, from application submission to application approval, have been published online to facilitate investors in their application process
- c) A comprehensive checklist of all the documents that need to be submitted as part of the application has also been made available on the websites.

4.1.2. Institutional strengthening to catalyse industrial development

- a) The Udyog Samwad Portal (www.udyog.bihar.gov.in) – A one stop platform for investors, also facilitates grievance redressal. This platform provides an option to directly interact with the Principal Secretary, Department of Industries.
- b) Empanelled professional project management agencies (PMAs) in the food processing sector could facilitate speedy project appraisal and clearances
- c) Defined punitive actions on non-compliance of services are covered under Bihar Right to Public Service Act
- d) Application process and documentation requirement along with reduced timelines for various clearances such as electricity connection, VAT registration, professional tax registration, etc. have been simplified.

4.1.3. Labour related reforms

Some of the key labour related reform measures undertaken by the State Government are:

- a) Online application for registration and licenses (including renewal) under the Factory Act & other labour laws.
- b) Application tracking facility & clear timelines mandated for issue of registration certificates

and licenses including online facility to download the registration certificate & other licenses

- c) Single joint inspection and single annual return for various labour laws
- d) Online facility for verification of registered and licensed units
- e) Well defined inspection procedures, including online risk based differential compliance inspection of registered units including automatic allocation of inspectors, etc.

4.1.4. Tax Related Reforms

Some of the key tax related reform measures undertaken by the State Government are:

- Online application for Value Added Tax, Professional Tax, Entry Tax, Entertainment Tax & Luxury Tax registration
- Application tracking facility & clear timelines mandated for issue of registration certificates
- Online facility to download registration certificates and enquiry reports
- Online facility for verification of registered and cancelled dealers
- VAT refund to the dealers account within 60 days
- Computerized system to identify dealers for audit (based on publically notified risk parameters)

4.1.5. Environment Related Reforms

Some of the key environment related reform measures undertaken by the State Government are:

- Online consent management system for Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) under Water & Air Act; authorization under Hazardous Waste Rules
- Application tracking facility & clear timelines mandated for issue of CTE/CTO/ authorization certificates including online facility to download certificates
- Industries under Green category exempted from obtaining CTO & CTE
- Validity of CTO increased from 3 years to 5 years
- Lowered compliance inspection requirement-Green: once in 5 years, Orange: once in 3 years & Red: once in a year)

4.2. Way forward

Reform measures will be taken to streamline procedures across departments so that the investors would be able to obtain statutory clearances and approvals in a transparent and time-bound manner. The following steps will be taken to facilitate ease of doing business in Bihar:

- **Single Window Clearance System:** A new and simplified system of single window clearances will be put in place with suitable changes in the legislative framework. The online system will also provide facility for online application, adjustment and reimbursement of incentives.
- **Provision of Common Application Form (CAF):** A Common Application Form (CAF) will be introduced which will ensure coordination among all agencies involved in providing clearance. CAF will be web-based and will gradually be aligned to the Government of India's e-biz portal (www.ebiz.gov.in) so that prospective investors can obtain all clearances from one source.
- **Provision of Programme Management Agency (PMA):** The DoI will empanel PMA(s) to provide technical assistance as well as secretarial services to the competent committee in finalising the investment proposals for the approval including monitoring and reporting the progress. The PMA(s) will be the single point of contact for the investors to coordinate with the government for their investment proposals.
- **Amendment in the BIADA Act:** The GoB will review the existing Bihar Industrial Area Development Authority Act, 1974 and amend it to further strengthen the legal framework for planned development of industrial areas.
- **Inclusion of industry related services under the Bihar Right to Public Services Act, 2011:** In order to ensure accountability for timely processing of requests, additional investor-related services will be included under the Bihar RTPS Act.
- **Provision of Self certification:** The new single window system will have provisions for self-certification with random check by the statutory authorities after commencement of production.
- **Rationalisation of rules & regulations:** Considerable rationalization of labour law compliances has been implemented in the state. However, a further review in order to possibly ease compliances will be conducted, in consultation with industry representatives.
- **Monitoring & Grievance Redressal System:** The grievance redressal in regard to this policy will be done under the purview of the Bihar Lok Shikayat Nivaran Adhikar Adhinyam, 2015. Additionally the DoI will strengthen the existing web based interaction mechanism (www.udyog.bihar.gov.in) where suggestions and complaints can be directly addressed to the Industrial Development Commissioner/Principal Secretary, Industries Department.

5. Enabling Infrastructure for Industrial Investment

5.1. Introduction

Facilitation of high-end quality infrastructure facilities, including developed industrial land, availability of quality power, efficient transportation network, etc., is the prime focus of the current policy. These infrastructure facilities are keys to the growth of business and industry in the state. Following is the brief of the existing infrastructure in the state.

Particulars	Description of Existing Infrastructure
Industrial Land	<p>(a) Bihar is one of the largest states of the country in terms of land area. Its total geographical area is around 93.6 lakh hectares. Because of its topographical nature, the proportion of total land put to agricultural use is high as compared to other states of India. Out of the total land area of the state, around 57% is under agriculture. Looking at the facts that agriculture is the mainstay of the economy and that the population of the state needs land for residential and other uses, it has been a challenge for the government to be able to carve out land for industrial uses or to convert open lands to industrial lands.</p> <p>(b) BIADA is the key agency for allotting lands/ industrial plots to the prospective units in Bihar. BIADA has four regional offices at Patna, Darbhanga, Muzaffarpur and Bhagalpur. At present, there are 50 Industrial Areas (IA)/ Industrial Estates (IE)/ Large Industrial Estates (LIE)/ Growth Centres (GC)/ Mega Industrial Parks (MIP) under the purview of BIADA.</p> <p>(c) Up to Dec. 2015, BIADA had acquired a total of 5851 acres of land, of which 3324 acres has been allotted to the investors. After allocating the land for infrastructure, 182 acres of vacant land is available at various industrial areas. BIADA to preferably allot lands to manufacturing units.</p> <p>(d) BIADA allots the land in an industrial area after developing necessary infrastructure like roads, power, water and drainage facilities, etc. As on Dec. 2015, 1544 industrial units were in operation in various industrial areas.</p> <p>(e) The State Government has given approval to setting up of industrial units in parks that have industrial plots available for allotment to investors. These are:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pristine Mega Food Park: The Park is coming up in Khagaria district. It is spread over an area of 98 acres. The park is likely to be operational by this financial year. b. Punraser Jute Park: This is the country's only jute park. It is situated in Purnea district. It is spread over an area of 44.30 acres. The park is operational at present.

Particulars	Description of Existing Infrastructure
	<p>c. IT, ITeS and Electronic Manufacturing Park: The State Government has earmarked around 100 acres in Rajgir and 25 Acres in Bihta (Patna) for an IT, ITeS and Electronic Manufacturing Park.</p> <p>d. Leather Cluster: It is situated in Muzaffarpur with about 11 acres of land.</p> <p>e. Garment Manufacturing Park: It is situated in Bihta (Patna) having 25 acres of land.</p> <p>All these parks have well developed infra structural facilities for setting up of an industrial unit.</p>
Power	<p>(a) The installed power capacity in Bihar was 3704.63 MW in March, 2015. Out of this, 83.5 percent is coal based thermal power, 14.12 percent is hydro power, and the remaining 2.3 percent is renewable energy.</p> <p>(b) In terms of ownership, central sector has the largest share, i.e. 77.9%, followed by the private sector/ IPPs (14.7%) and the state sector (7.4%).</p> <p>(c) The State Government has entered into short term, medium term and long term contracts for power purchases so that power availability does not remain a problem for the state. Due to increased availability of power, the per capita consumption of power in Bihar has risen from 145 kWh in 2012-13 to 203 kWh in 2014-15, implying a growth of about 40% in two years, which is the highest among states in the country.</p> <p>(d) There are 13 minor hydel projects that are currently operational in the state, with a total installed capacity of 54.3 MW. Presently, Bihar State Hydroelectric Power Corporation (BSHPC) is also engaged in exploring the possibilities of bringing up more such minor hydel power projects in the state. There are 17 schemes under which exploration work is in progress.</p> <p>(e) The GoB has allowed open access for purchase of power in the state. It has also allowed the net metering arrangement for grid connected solar rooftop photovoltaic systems and has made regulations in this regard. Further, it has also notified the provisions for banking of solar power for captive use, group captive use, and for third party sale.</p>

Particulars	Description of Existing Infrastructure
Road	<p>(a) At present, the total road length in Bihar is around 2.26 lakh km. Out of this, the total length of NH is around 4595 km. Approximately 68% of NHs are double and multiple lane roads and the rest 32% single and intermediate lane roads.</p> <p>(b) The total length of the State Highways (SH) in Bihar is around 4253 km. Out of this approx. 65% is double-lane, 20% is single-lane and 15% is intermediate-lane road.</p> <p>(c) The state has a vast network of district roads also. The total length of Major District Roads (MDR) in the state is around 10,634 km with a major portion (54%) having a width of 3.75 meters. Out of the total length of MDR, 4897 km have been converted into intermediate or 2-lane width. Those roads which are yet to be converted into wider roads, have undergone surface renewal or repair work. The State Government is making endeavours to upgrade 5175 km of MDR to a minimum standard of intermediate lane with 5.50 meters width.</p> <p>(d) At present, the state has around 2.07 lakh Km. of rural roads. All the rural roads are being gradually upgraded to pucca roads, under different schemes like Mukhya Mantri Gram Sampark Yojana, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and Grameen Tola Sampark Nischay Yojna.</p>
Railways	<p>(a) Bihar has an extensive railway network of 3,638.73 km. All the districts of the state are well connected to the rail network. Almost all the districts of the state are connected with major cities of the country through the rail network.</p> <p>(b) There are two major rail routes passing through the state:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Delhi –Guwahati Rail Route via Chapra-Barauni-Katihar ii. Delhi-Kolkata Rail Route via Ara, Buxar, Patna, including Grand chord line via Gaya <p>(c) Hajipur in Bihar is the HQ of the ECR. The ECR commands a vast network of 5230 track kilometres and 3624 route kilometres spread across the states of Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh.</p> <p>(d) Quite recently, 3 major projects for rail-cum-road bridge have been commenced in Bihar at an estimated cost of INR 7000 crore. These rail-cum-road bridges would contribute in consolidating the transportation across the state.</p> <p>(e) The state is also speeding up on execution of the Patna metro rail project. State Government has already prepared the detailed project report (DPR) for the metro rail project and has also given it the in-principle approval.</p>

Particulars	Description of Existing Infrastructure
Air way connectivity	<p>(a) Bihar has one domestic airport in Patna and one international airport in Bodh Gaya. Several domestic airlines connect Patna to Delhi, Kolkata, Mumbai, Lucknow, Bengaluru, Hyderabad and Ranchi.</p> <p>(b) The number of aircraft movement in Bihar has increased to 11054 in 2014-15. Over the past two years, the number of passengers increased from 10.5 lakh to 12.0 lakh and freight also increased from 4849 tonnes to 5198 tonnes.</p>

5.2. Measures for creation of enabling infrastructure during the policy period

In order to strengthen the existing infrastructure situation in the state, the government has proposed the following measures during the policy period:

5.2.1. Allotment of vacant industrial land for priority sector projects

During the policy period, BIADA would strive to allot all the available vacant land (around 182 acres) at the various industrial areas to the prospective and eligible projects. In this regard the meeting of “Project Clearance Committee of BIADA” will be convened in a time bound manner. These vacant lands shall be allotted to the manufacturing units. The Government would also put efforts to facilitate the allotment of lands in the industrial parks to manufacturing units.

5.2.2. Establishment of new industrial areas and expansion of existing industrial areas by BIADA

- (a) BIADA would strive to develop new industrial areas as well as expand existing industrial areas across the various districts of the state. It is envisaged that a total of 5000 acres of land would be acquired and developed by BIADA over the next 3 to 5 years/ during the policy period. For this, government land from the land bank would be alienated and transferred to BIADA. Appropriate budget provisions would be made for the development of the new industrial areas. BIADA would develop the land suitable for industrial manufacturing units and notify the final rates at which the land would be available to industrial units.
- (b) As a policy decision, lands in industrial area controlled by BIADA shall be used only for the allotment to the manufacturing units. BIADA has notified the objective criteria for the allotment of land in the industrial areas. It has also issued a notification for earmarking industrial areas on the basis of criteria like type of industries and pollution level. The State Government may notify from time to time the kind of industry that can be allotted land in the industrial area controlled by BIADA.
- (c) As a policy decision, 25% of the land in a newly established industrial area by BIADA would be allotted to the MSME units. Out of these 25% allotted to MSME units, 75% will be for Micro & Small enterprises and 25% will be for Medium enterprises.

5.2.3. Recovery of land from Sick/ Closed units

Wherever feasible, the Govt. would strive to recover land from sick and locked out industries, more so in the existing industrial areas. BIADA may also formulate a suitable “One time Settlement” process for this.

5.2.4. Promotion of private participation for increasing availability of industrial land: “Aao Bihar” Scheme

- (a) “Aao Bihar” Yojana is a flagship scheme of the Government of Bihar to facilitate private buyers and sellers of land in respect of setting up of industrial units in the state. The scheme was launched in 2011.
- (b) Under this scheme any person/ group of persons, who own 2 acres or more land and want to sell their land for establishment of industries or institutions, can enlist their land details on the “Aao Bihar” Portal. The information shall be made available to prospective buyers on the website. Entrepreneurs interested in buying land can locate the land on the portal. The State Government through its machinery shall help the entrepreneur to verify the title and ownership of the land so as to enable the buyer to buy the land.
- (c) The role of govt. would be that of a facilitator only. It would not have any role in fixing the rates of the land and in the allotment of the land.

5.2.5. Establishment of Air cargo complex

An air cargo complex has been proposed in the state in Patna/ Gaya for products of export oriented industrial units and transportation of perishable agriculture goods from the state. The government would strive for its establishment during the policy period.

5.2.6. Container Freight Terminal

There are two container freight terminals in the state at Fatuha & Bihta. The GoB would pursue to upgrade the facilities available at these terminals.

5.2.7. Promotion of Amritsar Kolkata Industrial Corridor & IMCs

The Government of India has proposed to develop the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor along the Eastern Dedicated Freight Corridor. The proposed AKIC passes through three districts of the state viz Gaya, Jamui and Banka. The GoB would pursue to develop the influence area as an industrial hub. For this, the GoB would assess the infra structural needs in the influence area and formulate a suitable intervention plan. As of now, GoB has shortlisted a location near, Dobhi, Gaya District for an IMC.

5.2.8. Increase in the availability of quality/reliable power supply

- (a) At present, the work is in progress for four more generating units in Bihar that have been listed below. On completion of all these projects, the dependence of Bihar on the central sector for power will be lessened.

- i. Nabinagar Stage-1 Plant:** This project is located in Aurangabad district of Bihar. For this power project, construction works of three units of 660 MW each is in progress.
 - ii. Power Projects in Buxar, Bhagalpur and Lakhisarai:** An agreement has been signed with Satluj Hydro Electric Corporation for the construction of power project at Chausa (Buxar), having two units of 660 MW, each. In addition, an agreement has also been signed with NHPC and NTPC for the construction of two thermal power plants of 660 MW, each. The plant in Pirpainti (Bhagalpur) will be constructed by NHPC and that in Kajara (Lakhisarai) by NTPC.
 - iii. Ultra-Mega Power Project (Banka):** A proposal has been sent for the establishment of a power project in Banka (approximately 4000 MW), for which 2500 acres of land has been identified.
 - iv. Mathauli Hydel Power Project (West Champaran):** The construction work for this power project is nearing completion. It would have a capacity of 800 KW.
- (b) Efforts will be made to ensure availability of 24 hours of uninterrupted power supply to the industries situated in all industrial areas. All the industries getting electricity supply from 132/220 KVA feeders, will be exempted from power cuts, until necessary for safety of the grid. For this purpose, generation and distribution systems will be adequately upgraded.
 - (c) All such feeders of 33/11 KVA substations, which have more than 75 per cent industrial load, would be recognized as industrial feeders and exempted from power cuts. If consumers of other categories are connected to these feeders, then steps would be taken to separate them.
 - (d) **Open Access Policy:** The State Government shall allow power under the Open Access Policy as per the Electricity Act, 2003. This shall allow large users of power — typically having connected load of 1 megawatt (MW) and above — to buy cheaper power from the open market. It would help industry buy power at competitive rates and be competitive in the market.

5.2.9. Establishment of gas pipeline network

To ensure availability of natural gas as clean energy for industrial development, a gas grid will be developed in the state; necessary steps will be taken to ensure the supply of natural gas according to industrial and domestic demand in the state.

The Government of Bihar would coordinate with GAIL and other oil companies engaged in laying the proposed natural gas pipeline network from east coast of the country. Efforts would be made to make gas available through pipelines to maximum areas, especially to industrial locations. MoUs have been signed between GoB– IOC and GoB- GAIL to establish a gas pipeline network in the state. The main gas pipeline of GAIL shall pass through Gaya, Aurangabad, Rohtas and Kaimur districts of Bihar.

5.2.10. Promotion of MSME Clusters – Establishment of CFCs

- (a) The current industrial policy adequately recognizes the importance of the development of the MSME clusters; therefore, intends to promote them. There are several existing and potential MSME clusters in the state. For e.g.
- i. Brass and Bronze Metal Utensils Industry Cluster, Pareb, District-Patna
 - ii. CFL& LED Bulb, Patna city, District- Patna
 - iii. Leather Footwear, Patna city, District- Patna
 - iv. Makhana, Located in four district (Darbhanga is the key center)/ Darbhanga
 - v. Leather Products Cluster, District- Chappra
 - vi. Agarbati Manufacturing Cluster, District- Gaya
 - vii. Lahathi (lac) Cluster, District- Muzaffarpur
 - viii. Leather Shoes and Chappal Cluster, District- Muzaffarpur
 - ix. Brass & German Silver Utensils Cluster, District- West Champaran
 - x. Rice Milling Cluster, District- East Champaran
 - xi. Rice Milling Cluster, District Lakhisarai
 - xii. Copper Bronze Alloy Utensil Cluster, DistrictVaishali
 - xiii. Leather Shoes and Chappal Cluster, District-Nalanda
 - xiv. Readymade Garment Cluster, Patna city, District- Patna
 - xv. Silaw ka Khaja Cluster, District- Nalanda
 - xvi. Sweet and Namkin Khaja Cluster, District-Madhepura
 - xvii. Bamboo Works Cluster, District Madhepura
 - xviii. Handloom and Khadi (Post processing) Clusters
 - xix. Handicraft Clusters
 - xx. Small Machines and tools manufacturing Cluster in Aurangabad and Raxaul, East Champaran
- (b) None of the existing, new or potential clusters have adequate facilities, primarily, in terms of CFC. The cluster actors are also technologically poor and there is a dire need of technology and skill up gradation in these clusters.

- (c) In order to promote the cluster, the GoB had launched a special scheme named “Chief Minister MSME Cluster Development Scheme” in the year 2013. The Government would strive to implement this scheme effectively during the current policy period.
- (d) The State Government would also extend all necessary support to a cluster of industries under the relevant schemes of Government of India viz Micro and Small Enterprises-Cluster Development Programme of Ministry of MSME and Industrial Infrastructure Upgradation Scheme of Department of Industrial Policy & Promotion, GoI.

5.2.11. Promotion of Private Industrial Parks

- (a) The current policy adequately recognizes the role of private participation in order to develop industrial plots/ land and other basic infrastructure facilities in the state.
- b) To encourage private participation, the Government of Bihar had launched the “**Policies for Private Industrial Park**” in 2013. This policy would be treated as an integral part of the current industrial policy and the government would strive to implement this scheme effectively during the current policy period subject to certain revisions/ amendments. The government would also encourage the establishment of sector specific parks, especially, for the priority sectors (e.g. food parks, leather parks, IT parks, textile parks, etc.)
- © Under this policy, the Government of Bihar would provide incentives to the promoters of private industrial parks. A detail guideline about the incentives available to the private industrial parks and terms & conditions are furnished in chapter 6 (Section 6.7).

6. General Package of Incentives

Government of Bihar recognizes the need of fiscal incentives to improve the competitiveness of the units operating in the state. Accordingly, Government of Bihar has formulated a customized package of fiscal incentives which takes into cognizance state's comparative advantages and will trigger the next round of industrial growth in the state.

6.1. Guiding Principles/ General Provisions

- (i) These general provisions shall be applicable to all units eligible under this policy.
- (ii) Effective date means the date on which the provisions of this policy come into force. This policy will remain in force for 5 years from the effective date.
- (iii) The state would encourage the prospective promoters to avail term loan facility from the scheduled nationalized bank or financial institution approved by RBI/SEBI for setting up a unit and availing incentive on the investment.
- (iv) Unit applying for incentives shall provide a Detailed Project Report (DPR) accompanying the Bank Appraisal Report prepared by the scheduled nationalized bank or financial institution approved by RBI/SEBI, which is supposed to extend the term loan to the unit. The appraisal report prepared by the bank/ financial institute shall form the basis for ascertaining the project cost for calculation of incentives.
- (v) For the purpose of calculation of incentives under this policy, the approved project cost shall mean the project cost finally approved by the competent authority as defined by the Department of Industries from time to time. The approved project cost shall be the basis for determining the incentives.
- (vi) In the approved project cost considered for incentive calculation under this policy, the cost of land shall not exceed a limit of 10% of the total proposed investment other than the land. Thus in the approved project cost either the actual cost of land mentioned in the project report assessed by the bank/ financial institutions or 10% of the total proposed investment excluding the land, whichever is less, will be considered. This principal shall be followed for examining all investments under this policy.
- (vii) All incentives mentioned under this policy shall be provided post-production i.e. after the date of commercial production/ operations.
- (viii) In case of SC/ ST entrepreneurs, the maximum limit of all kinds of incentives (except for land) shall be increased by additional 15% across all categories (i.e. MSME & large units). For more details, please refer to Section 6.4.
- (ix) In case of women, differently abled entrepreneurs, war widows, acid attack victims and third gender entrepreneurs, the maximum limit of all kinds of incentives (except for land) shall be

increased by additional 15% across all categories (i.e. MSME & large).For more details, please refer to Section 6.5.

- (x) A unit will not get any incentive beyond a period of 5 years from the date of commencement of commercial production or 5 years from the date of end of this policy, whichever is earlier.
- (xi) The incentives will cease either on the exhaustion of the applicable quantum or on the completion of the eligible period, whichever is earlier. Any unutilized incentive at the end of eligibility period shall lapse.
- (xii) Any incentive under any other scheme/policy of the State Government or Central Government availed by a unit will not be considered for calculating the total accruable incentives to the unit.
- (xiii) In the event of change in ownership or management of a unit, the same shall be intimated by the unit to the competent authority as defined by the Department of Industries from time to time. If required, a revised Letter/ Eligibility Certificate shall be issued to the unit (in the name of new owner) for balance incentives. The eligibility period shall not be extended under any circumstances and shall continue to be defined with effect from the original date of production.
- (xiv) In the event of any change in the shareholding pattern of a unit promoted by SC/ST/ women/differently abled persons/war widows/ acid attack victims/ third gender entrepreneurs within 5 years of start of the commercial production, the new shareholders should be from the same category. In case the new shareholders are not from the same category, the amount of incentive extended to such units shall become liable to be recovered from the date of availing such incentives along with interest compounded annually @ 18% per annum.
- (xv) If any false declaration is given for the purpose of availing incentives or if any incentives are availed for a unit that was not eligible, the amount of incentives are liable to be recovered from the date of availing such incentives along with interest compounded annually @ 18% per annum. In case of non-payment within the stipulated time, the State Government may recover such amounts including interest as arrears of land revenue.
- (xvi) Any attempt to break/divide or merge units only for the sake of availing higher amount of incentive without substantial operational reasons shall be treated as misrepresentation of facts and will attract penal action as decided by the competent authority.
- (xvii) Any existing or new units, expanding its capacity, diversifying, or modernizing during the policy period will be given the benefits as applicable to new units on their incremental approved project cost. To avail the benefits, there must be a capacity expansion/modernisation of at least 50% of the capacity of the existing unit.

- (xviii) Negative list of industries/sectors which shall not be eligible for any incentives under this policy are stated in “Annexure II - Negative list of industries”. These industries/sectors shall not be eligible for any incentive, including under the GST regime.
- (xix) All matters of interpretation/disputes shall be decided by the Industrial Development Commissioner/Principal Secretary, Department of Industries. Such interpretation/decision shall be final.

6.2. Package of incentives

State Government is committed to encourage the process of industrialization by assuring an entrepreneur-friendly regime and an attractive package of incentives for the entrepreneurs. The following package of incentive will be made available to the entrepreneurs:

Type of Incentive	Salient Features
Reimbursement Stamp Duty/ Registration	<p>a) No stamp duty to be paid in respect of land allotted by the government to IDA/BIADA.</p> <p>b) 100% reimbursement of stamp duty/registration fees levied on lease/ sale /transfer of industrial land/shed as also those outside the jurisdiction of Bihar Industrial Area Development Authority would be available to all the new units after the unit commences the commercial production. This reimbursement of stamp duty and registration fees will be granted only for the first time and will not be applicable in subsequent stages of lease/sale/transfer. This incentive will be available to new units only.</p> <p>c) The area of land required by the unit shall be fully described in the DPR and the Bank Appraisal Report prepared by the bank or financial institution which is supposed to extend the term loan to the unit.</p>
Land Conversion Fees	<p>a) 100% reimbursement of “land conversion fees”/ “change in land use” fees being levied for conversion of agricultural land after the unit commences the commercial production.</p>
Interest Subvention	<p>a) State shall extend “Interest Subvention” to all the eligible units on the term loan availed by the unit from a scheduled nationalized bank or financial institution approved by RBI/SEBI.</p> <p>b) Rate of interest for interest subvention will be 10% or actual rate of interest on term loan, whichever is lower. For micro and small units, there shall an interest subvention of 12%.</p>

Type of Incentive	Salient Features
	<p>c) The overall limit of this subvention for priority sector units will be 30% of the approved project cost. The subvention limit for non-priority sector units shall be 15% of the approved project cost. The upper limit of this subvention shall be Rs. 10 crore.</p> <p>d) Disbursement of the subvention amount would be in instalments linked with the term loan repayment schedule stipulated by the concerned bank/financial institutions which extends the term loan to the unit. Interest shall not be paid on promoter's contribution in any form in the unit.</p> <p>e) In case the promoters do not avail any term loan for the unit, they would not be eligible for this incentive.</p>
Tax related incentive	<p>a) All new units can avail tax related benefits with a maximum limit as defined below: i. Non-priority sector: 70% of the approved project cost ii. Priority sector: 100% of the approved project cost</p> <p>b) All new micro and small units will be given tax benefits by additional 30% of the approved project cost.</p> <p>c) All units engaged in generation of solar and/ or renewable energy for commercial purpose will be given tax benefits by additional 30% of the approved project cost.</p> <p>d) All new units will be entitled to avail 80% reimbursement against the admitted VAT/ CST/ Entry Tax deposited in the account of the State Government (excluding strictly any tax paid by them arising out of a purely trading business), for a period of 5 years from the date of commencement of commercial production. The VAT/Entry Tax/CST reimbursement shall be applicable only to the net tax payable, after adjustment of input tax credit against the output tax liability.</p> <p>e) Government of India is in the process of introducing a uniform Goods & Services Tax (GST) regime throughout the country. In case GST becomes effective, the tax related benefits will be suitably modified.</p> <p>f) All new units shall be eligible for 100% reimbursement of the electricity duty on power including captive power consumed by the same unit or exported to the BSPHCL from the date of commencement of commercial production for a period of 5 years subject to the overall limit defined above. Electricity duty exemption will not be available on captive power exported to entities other than BSPHCL.</p>

6.3. Dovetailing with Central Government policies and schemes

Dovetailing of incentives with the Central Government schemes would be allowed under this policy subject to the condition that the same asset should not be covered under both the State and Central Government schemes. Thus, in case of grant availed/ to be availed by the promoter on a particular asset of the unit under any scheme of GoI, the approved project cost for the purpose of calculation of incentive under state policy will be arrived at by deducting the value of that asset.

6.4. Special Incentive Package for Scheduled Caste and Scheduled Tribe Entrepreneurs

6.4.1. Efforts shall be made to promote entrepreneurship among the Scheduled Castes (SC) and Scheduled Tribes (ST).

6.4.2. In case of a new unit established by a SC/ ST entrepreneur, the rate of interest for interest subvention will be 11.5% or actual rate of interest on term loan, whichever is lower (except for Micro and Small units). In case of micro and small units being established by a SC/ ST entrepreneur, the rate of interest for interest subvention will be 13.8% or actual rate of interest on term loan, whichever is lower.

6.4.3. The overall limit of this subvention will be 34.5% of approved project cost (for priority sector projects)/ 17.25% of approved project cost (for non-priority sector projects). The upper limit of this subvention shall be INR 11.5 crore.

6.4.4. In case of a new unit established by a SC/ ST entrepreneur, she/ he will be entitled to avail 92% reimbursement against the admitted VAT/ CST/ Entry Tax deposited in the account of the State Government (strictly excluding any trading related taxes paid by them), with a maximum limit as defined below:

i. Non-priority sector: 80.5% of the approved project cost

ii. Priority sector: 115% of the approved project cost

6.4.5. The State Government will provide Project Management Consultancy support to SC/ST entrepreneurs to facilitate the establishment and operation of units.

6.4.6 Special clusters shall be created for such entrepreneurs with common facilities.

6.5. Special Incentive Package for Women, Differently abled persons, War widows, Acid attack victims and Third gender entrepreneurs

6.5.1. Efforts shall be made to promote entrepreneurship among the women, differently abled persons, war widows, acid attack victims and third genders.

6.5.2. In case of a new unit established by women, differently abled persons, war widows, acid attack victims and third gender entrepreneurs, the rate of interest for interest subvention will be 11.5% or actual rate of interest on term loan, whichever is lower (except for Micro and Small units). In case of micro and small units being established by women, differently abled persons, war widows, acid attack victims and third gender entrepreneurs, the rate of interest

for interest subvention will be 13.8% or actual rate of interest on term loan, whichever is lower.

6.5.3. The overall limit of this subvention will be 34.5% of approved project cost (for priority sector projects)/17.25% of approved project cost (for non-priority sector projects). The upper limit of this subvention shall be INR 11.5 crore.

6.5.4. In case of a new unit established by the entrepreneur, he/ she will be entitled to avail 92% reimbursement against the admitted VAT/ CST/ Entry Tax deposited in the account of the State Government (strictly excluding any tax paid by them arising out of a purely trading business), with a maximum limit as defined below:

i. Non-priority sector:80.5% of the approved project cost

ii. Priority sector: 115% of the approved project cost

6.6. Dovetailing with State Government Schemes for MSME Cluster Development

Dovetailing of incentives under the Chief Minister Cluster Development Scheme for the establishment of the CFCs would be allowed under this policy. It would however be subjected to the condition that the same asset should not be covered under both the industrial investment promotion policy and the said scheme. Thus, in case of incentives availed/ to be availed by the promoter on a particular asset of the CFC under the said scheme, the approved project cost for the purpose of calculation of incentive under industrial investment promotion policy will be arrived at by deducting the value of that asset.

6.7. Incentive for Private Industrial Park

Incentives shall be made available for setting up of Private Industrial Parks. The effective guidelines of the scheme during the current policy period would be as follows:

- (a) The private industrial park can be established by an individual promoter/ partnership firm/ LLP/ company or any entity registered under the Companies Act/ Societies Act.
- (b) The promoter of the park has to arrange for the land. The State Government would not have any role in arranging the land for the park.
- (c) The minimum area of the proposed private industrial park should be 25 acres (3 acres in case of IT parks).
- (d) The land proposed for the park should be under the absolute possession of the promoter and should be free from any encumbrances. It should not have been obtained/owned by the promoter on leasehold basis.
- (e) At least 20% of the land would be earmarked for the general use/development of basic infrastructure/ green area and future requirements.
- (f) The industrial park shall have a minimum of 5 independent production units.
- (g) The promoter would be responsible for the allotment of land/plots to the individual units.

The State Government would not have any role in this.

- (h) The promoter shall not create residential units in the industrial park or convert the industrial park into a real estate project. The industrial park shall only be used for industrial use. All private industrial parks shall be notified as industrial lands. Under no circumstances a private industrial park shall be put into any other use other than for industrial purposes.
- (i) The rates for the industrial plots in the private industrial park would be ascertained by the promoter. The State Government would not have any role in this.
- (j) The promoter of the park would create a fund called “Development Reserve Fund (DRF)” for the development of external infrastructure of the park. The promoter would contribute 5% of the fund collected through land allotment and 10% of the Annual Net Profit in the DRF. The DRF would be maintained in the form of a fixed deposit. A committee would be constituted for the operation of the DRF. The committee would consist of promoter/ representatives of the promoter and units operating in that park. At any point of time, a maximum of 33% of DRF can be used for the development of the appropriate infrastructure. Further, the promoter would charge a maintenance fee from the operating units in the park. The same committee would be responsible for the operation of the fund created from the maintenance fee collected.
- (k) A private industrial park would be eligible for an interest subvention at the rate of 10% or actual rate of interest on term loan, whichever is lower, to the extent of 30% of the approved project cost subject to a limit of INR 50 crore. A sector specific private industrial park for the priority sector units (for e.g. food parks, leather parks, textile parks, IT parks etc.) would be given an interest subvention to the extent of 35% of the approved project cost subject to a limit of INR 50 crore. The promoter of the private industrial park shall be eligible for the interest incentive after the completion of the park.
- (l) In addition to the above, the private industrial park would also be eligible for the incentives mentioned under Section 6.2. Interest subvention shall be payable as per clause (k) above.
- (m) All the units set up in a private industrial park would be eligible to avail incentives under the industrial investment promotion policy, based on their eligibility.

7. Preferential Purchase Policy

- (a) The purchase preference policy shall apply to only those MSME firms/units wherein the manufacturing activity results in significant value addition. Simply trading and packaging units shall not be eligible for price preference.
- (b) MSMEs quoting prices within 15% of the lowest eligible price bid of other bidder(s) shall be eligible for purchase preference in the state. In such cases the MSME unit shall be given an order of 15% of the total order value on the lowest eligible price bid. In case of a tie, the state based MSME units will be given the preference.
- (c) If it happens that two or more state based MSME units are within L1 + 15% range, all such MSMEs will be given an opportunity to accept the L1 price and the 15% of the total order value will be equally distributed amongst these MSME units.
- (d) The preferential purchase policy shall also apply to contractors and sub-contractors where at least 15% of the products should be procured from the local MSME units in case the product is manufactured in the State.
- (e) The criteria of turnover or age of the firm shall be relaxed by 50% for the MSME units based in Bihar if they meet the technical specifications of the products.
- (f) A list of products to be procured only from MSME sector in Bihar shall be notified by the State Government. Limited tenders amongst the MSME units based in Bihar shall be invited for the purchase of such products.

8. Carry forward of the existing policy

The following are the provisions with respect to carrying forward the existing policy:

- (a) All projects which have been approved by the competent authority (as defined vide Circular No. 128, dated 16.01.2006 of Department of Industries, Government of Bihar) but have not commenced commercial production as on the effective date of the new policy will be given a choice between the existing policy and the new policy. These units shall have to apply separately with their choice or else they will be covered under the Industrial Investment Promotion Policy, 2016 by default. Those units which opt to be governed under Incentive Policy, 2011 shall continue to be governed under that policy by the Department of Industries provided they shall commence Commercial Production/Operations by 31st March, 2017 or they shall complete the implementation and commence operations as per the timeline in the approved DPR (in case the approved timeline is beyond 31st March, 2017). Units that do not commence commercial production/operations till 31st March, 2017 shall not be eligible for any incentives under the Incentive Policy, 2011, subject to all existing conditions of the Department of Industries. Such units shall have to apply afresh under the current policy. Further, units which opt to be governed under this policy shall apply afresh to the competent authority as may be notified by the State Government.
- (b) Existing unit will continue to draw the incentive at rates and conditions of the Incentive Policy, 2011 till their limit is exhausted or on completion of the eligible period, whichever is earlier. A unit which has availed any incentive under the previous incentive policy shall not be eligible to apply under this policy, subject to the above mentioned clause.

9. Rehabilitation of Sick Units

Industrial sickness is a part of the process of industrialization. It leads to unemployment, blockage of capital, loss of state revenue and non-utilization of assets. Hence it is necessary to take proper steps in order to rehabilitate the sick industries. The State Government is anxious about this and would take the following steps to check the sickness and to revive sick industries. Besides, steps will be taken for rehabilitation of such sick units, which have become sick due to natural calamities.

9.1. Industrial Rehabilitation Fund (Corpus Fund)

In order to revive the sick industry, a corpus fund will be created with the cooperation of the commercial banks, the State Government, industry associations and others. This corpus fund will provide financial assistance, in the least possible time, to sick micro, small and medium industrial enterprises for which the rehabilitation package has been approved.

9.2. Sickness in Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) units

- 9.2.1. State Level Committee: All decisions for the rehabilitation of micro, small and medium enterprises will be taken by the state level committee (apex body) constituted under the chairmanship of the Director of Industries.
- 9.2.2. The State Level Committee would be empowered with necessary statutory powers in order to rehabilitate the sick industry. This committee will select an agency for preparing a rehabilitation package that enables effective implementation.
- 9.2.3. The guidelines of the Reserve Bank of India / SIDBI would be relied upon to identify sickness in micro, small and medium units and provide assistance towards selecting an agency for preparation of the rehabilitation package, so that the above mentioned rehabilitation package is approved.
- 9.2.4. The sick industries being revived will not require sickness certificate on an annual basis, instead the revival package shall specify the period of revival of sick units.
- 9.2.5. The industry declared sick by the state level committee would be eligible to receive relief and concessions from banks and financial institution as per the guidelines of RBI. These reliefs and concessions will be considered within a fixed time frame.
- 9.2.6. After the identification of sickness, rehabilitation package would be prepared within a timeline of 3 months and the state level institutions would monitor the rehabilitation process of sick industries.
- 9.2.7. The sick units that have availed the benefits of any Industrial Policy in the past may avail the facilities under this policy for the second time. If any sick unit wants to avail the benefits under the Industrial Policy for the second time it will avail only the difference between the prior availed amount and the proposed amount under new policy. But this facility for rehabilitation to the unit will be made available only on the recommendation of the concerned committee constituted by the State Government. Such facility to the unit can be made available a maximum of two times only.

9.2.8. The date mentioned in the rehabilitation package will be considered as the cut-off date to determine the facilities.

9.3. Sickness in Large Industries

9.3.1. A committee would be constituted under the chairmanship of the Principal Secretary, Department of Industries to explore the possibility and to determine remedies for the revival of large scale industries and Public Sector Undertakings (PSUS) which are sick, not referred to the BIFR, and have a potential for revival. The committee will recommend the required relief provisions and concessions necessary for its rehabilitation, while considering the policy statement. The recommendations will be placed for final approval before the State Level High Powered Committee, under the Chairmanship of the Chief Secretary.

9.3.2. The rehabilitation package envisaged by BIFR or any statutory body constituted for this purpose such as BICICO/ BSFC / State Level Inter Institutional Committee of Bank shall be placed before the committee under the chairmanship of the Principal Secretary, Industry for consideration of selected relief and concessions and the same will be placed for government recommendation through the existing State Level High Powered Committee under the chairmanship of the Chief Secretary.

9.3.3. A sick industry means such industry, which has been registered by the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR). However, the relief and concession to the unit will be provided from the cut-off date mentioned in the Draft Rehabilitation Scheme (DRS) circulated by BIFR.

9.3.4. Those sick units which have availed the benefits of any Industrial Policy in the past may avail the facilities under this policy even a second time. If any sick unit wants to avail the benefits under the Industrial Policy for the second time it will avail only the difference between the prior availed amount and the proposed amount under new policy. But this facility for rehabilitation to the unit will be made available only on the recommendation of the concerned committee constituted by the State Government. Such facility to the unit can be made available a maximum of two times only.

10. Policy Implementation, Monitoring & Grievances

10.1 Policy Implementation

- 10.1.1. A high profile Industrial Advisory Council would be constituted. The council may comprise of the Hon'ble cabinet ministers, chief secretary, principal secretaries of various concerned departments, head of various concerned government agencies, representatives of the state and national level business associations, state chiefs of public & private sector banks and leading businessmen/entrepreneurs of the state/ consultancy organization(s) etc. The council would meet bi-annually.
- 10.1.2. A State Investment Promotion Board (SIPB) will be constituted for providing approvals and clearances on setting up of new businesses. The competent officials from the various concerned departments would be deputed to clear the applications for investment. The Secretariat of the State Investment Promotion Board would act as the single contact point for the investors regarding claims of eligible incentives under the policy.
- 10.1.3. The Department of Industries would issue a framework containing detailed guidelines for the implementation of policy and disposal of claims for incentives. Common Application Form (CAF) will be used to provide all necessary clearances including the incentives under this policy.
- 10.1.4. The Secretariat of the State Investment Promotion Board will look after the day to day implementation of the policy. The Department in consultation with the office of the Director, Technical Development, office of the Director, Industries, office of the Director, Food Processing, office of the Director, Handloom and Sericulture, BIADA, etc. would publish a quarterly report on the achievements under the policy.

10.2. Policy Monitoring & Grievance Redressal

- 10.2.1. A policy monitoring committee would be constituted to monitor the implementation and identify the hurdles/bottlenecks for appropriate grievance redressal.
- 10.2.2. The implementation of the policy will be periodically reviewed for necessary facilitation and mid-course correction, wherever necessary.
- 10.2.3. A state-of-the-art “Centralized Helpdesk Call Centre” would be made operational to handhold the investors at each stage of interaction with the government.
- 10.2.4. All matters of interpretation/disputes shall be decided by the Industrial Development Commissioner/ Principal Secretary, Department of Industries. Such interpretation/decision shall be final and binding for all concerned parties.

10.3. General Conditions

Following general conditions shall be applicable for availing the incentives under this policy:

If any false declaration is given for the purpose of availing incentives or if incentives are availed for a unit that was not eligible or any violation of condition of this policy, the amount of incentive is liable

to be recovered from the date of availing such incentives along with interest compounded annually @ 18% per annum. In case of non-payment within the stipulated time, the State Government may recover such amounts including interest as arrears of land revenue.

- 11. The definitions given in the Annexure-I to this policy shall be treated as part of this policy.**
- 12. Industries mentioned in the negative list in Annexure - II would not be eligible for any incentive / subsidy.**
- 13. This Policy will come into effect from the date of issue of this notification and will remain in operation till 5 years.**

By order of Governor of Bihar

(Sd.)

(Dr. S. Siddharth)

Principal Secretary, Department of Industries, Bihar, Patna

No:1822/ Patna, dated : 01.09.2016

Copy: - State Printing Press, Gulzarbagh, Patna to publish in the special edition of Bihar gazette. Request to print 1000 copies of the published gazette and make it available to the Department.

(Sd.)

(Dr. S. Siddharth)

Principal Secretary, Department of Industries, Bihar, Patna

No:1822/ Patna, dated : 01.09.2016

Copy:- For information and necessary action - To all Department/ Department Head/ Commissioner, Commercial Taxes/ Managing Director, All corporations under Department of Industries/ Bihar Industrial Area Development Authority/ Chief Executive Officer, Bihar State Khadi Village Industries Board, Patna/ Chairman, Bihar State Electricity Board, Patna/ All Divisional Commissioner/ All District Magistrates/ All Deputy Development Commissioner/ Director, Technical Development/ Director, Industries/ Resident Commissioner, Bihar Bhawan, New Delhi/ All General Manager, District Industries Centre/ Director, Micro, Small and Medium Enterprises Development Institute, Patna/ Muzaffarpur.

(Sd.)

(Dr. S. Siddharth)

Principal Secretary, Department of Industries, Bihar, Patna

Annexure I - Definitions

A. General Definitions

1. Industrial Unit

Industrial units mean any unit / establishment engaged or to be engaged in manufacturing/processing/servicing industry under the following categories:

- a) Industries listed under the first schedule of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951, as amended from time to time.
- b) Industries falling within the purview of the following boards/agencies: (i) Small Industries Board, (ii) Coir Board, (iii) Silk Board, (iv) All India Handloom and Handicraft Board, (v) Khadi and Village Industries Commission, (vi) Any other agency constituted by the Government of India or Government of Bihar for industrial development.
- c) **Other categories:**
 - (1) Mining or development of mines
 - (2) The maintenance, repair, inspection or servicing of any type of machinery of any description or vehicles or vessels or motorboats or trailers or tractors.
 - (3) The setting up or development of industrial area, industrial estate, integrated infrastructure development facility, export promotion industrial park, export promotion zone or growth centre.
 - (4) Providing special or technical knowledge or other services for the promotion of industrial growth.
 - (5) Providing engineering, technical, financial, managerial, marketing or other services or facilities for industry.
 - (6) Providing services relating to information technology (IT), telecommunication or electronics including satellite linkage and audio or visual cable communication.
 - (7) Tourism
 - (8) Healthcare
 - (9) Any activity defined under the priority sector of this policy

2. Industrial Unit Category

For the purpose of administration of fiscal incentives, the projects can be categorized as follows:

- a) **Micro, Small and Medium Enterprise (MSME):** Government of Bihar follows the MSME definition laid out by Government of India as per MSMED Act, 2006 (as updated from time to time).

- b) **Large Industrial Unit:** Large project is a unit in which the investment in plant and machinery is more than the investment threshold for Medium Enterprises as in MSME Act, 2006 and is less than INR100crore.
- c) **Mega Industrial Unit:** Project with an investment of INR100 crore or more will be accorded Mega Industry status.

3. **New Industrial Unit**

New Industrial unit means an industrial unit, in which commercial production has commenced within five years from the effective date.

4. **Existing Industrial Unit**

An existing industrial unit means an industrial unit which has started their commercial production before commencement of this policy. An existing industrial unit which sets up a new unit in the same premises shall be considered as a new unit for administration of fiscal incentives if it is located in a distinct building/structure, maintains separately identifiable books of accounts, and separately deposits the taxes and duties that can be levied under any state act including the Provident Fund. Inclusion of new product in existing industrial unit will not be considered in the category of new units.

5. **Approved project cost**

For the purpose of calculation of incentive under this policy, the approved project cost shall mean the project cost finally approved by the State Government. The approved project cost shall be the basis for determining the incentives.

6. **Expansion/ Modernization/ Diversification**

a. Expansion Project: Projects which undertake expansion shall satisfy the following conditions: There shall be a minimum 50% increase in the initial installed production capacity.

b. Diversification Project: Projects which undertake diversification shall satisfy the following conditions:- There shall be a minimum 50% increase in the approved project cost with respect to the original value without depreciation and establishment of new product line by the unit.

c. Modernization Project: Projects which undertake modernization shall satisfy the following conditions: There shall be a minimum 50% increase in the installed production capacity as a result of modernization.

7. **Date of Production**

The "Date of Production" of an industrial unit shall mean the date on which the unit actually commences commercial production of the item for which the unit has been registered. As regards the date of production of Micro, Small and Medium units, the certificate issued by

the respective General Manager, District Industries Centre or Managing Director, Bihar Industrial Area Development Authority would be valid. For large industries, the certificate issued by Director Technical Development will be acceptable. In case of any dispute regarding the date of production, the decision of the Principal Secretary, Department of Industries shall be final.

8. Scheduled Caste / Scheduled Tribe Entrepreneurs

Scheduled Caste / Scheduled Tribe entrepreneurs mean such entrepreneurs who have established units as sole proprietor or invariably have a 100% share in partnership/private limited companies.

9. Women Entrepreneur

Women entrepreneur means such domicile women of the state who are 1st generation entrepreneurs and who have established units as sole proprietor or invariably have a 100% share in partnership/private limited companies.

10. Differently Abled Entrepreneur

Differently abled means such domicile of the state who comes under the purview of the Persons with Disabilities (Right of equal opportunity, Protection and Full Participation) Act, 1995 of the Government of India and holds certificate for such purpose, issued by competent authority. Differently abled entrepreneurs mean such entrepreneurs who have established units as sole proprietor or invariably have a 100% share in partnership/private limited companies.

11. Term Loan

Term Loan means term loan sanctioned and disbursed by banks/financial institutions for financing.

12. Domicile of the State

Domicile of the State means those who have been defined by the State Government, from time to time, as original domiciles of the state and who hold the certificate issued for this purpose by the competent authority.

13. Closed Industrial Unit

- i. In cases of incentive, exemptions and concessions given by the Department of Industries, the closed industrial unit means such unit which is established and holds Commercial Production Certificate issued by the competent authority of the Department of Industries and after the establishment of the industry, is closed for more than 6 months, without communicating any appropriate and acceptable reason to the General Manager, District Industries Centre.

- ii. "Sick unit" means an industrial unit declared sick by the Board for Industrial and Financial Reconstruction under the Sick Industries Companies (Special Provision) Act, 1985 / National Company Law Tribunal (NCLT) or by the State Level Committee for micro, small and medium industries headed by the Director of Industries or the High Level Empowered Committee headed by the Chief Secretary for large sector.

14. Permanent Employment

Permanent Employment means direct salary/wages given by industrial unit to officers / employees / labours in category of management/ skilled labour/ unskilled labour in the registered established industries, it means that the employment provided through contractors is not included.

15. Land Bank

Land Bank means private and government land acquired outside industrial areas for the purpose of projects related to manufacturing.

16. Effective date

Effective date means the date on which the provisions of this policy come into force. This policy will remain in force for 5 years from the effective date.

B. Definition-Tourism Sector

1. Tourist Places

Tourist places under this policy shall mean the places (districts or blocks or villages) mentioned in the table placed in section 3.2 of chapter 3 of this policy document that lists the various "Tourism segments" and "Our strategic advantage".

2. Tourism Service Provider

Any partnership firm or private limited company duly registered under law and providing any service related to travel and tourism, including that of a travel agent, transport operator, ticketing agent, tourist guide, or a home-stay owner.

3. Hotel

Hotel projects should have facilities expected of establishments in the one to five star categories, as per the prevailing guidelines of hotels laid down by the Ministry of Tourism, Government of India. Such hotels should also obtain necessary category certification from the competent authority.

4. Heritage Hotel

A heritage hotel is a hotel run in a fort, fortress, palace, haveli, castle, hunting lodge or residence with heritage features, built prior to January 1950 and approved by the Ministry of

Tourism, Government of India. Such heritage hotels should also obtain necessary category certification from the competent authority.

5. Motel

A Motel project should have facilities conforming to the prevailing guidelines for motels laid down by the Ministry of Tourism, Government of India. Such motels should also obtain necessary category certification from the competent authority.

6. Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions (MICE)/ Convention Centres

A convention centre should have facilities as per the prevailing guidelines for convention centres, as laid down by the Ministry of Tourism, Government of India. Such convention centres should also obtain necessary category certification from the competent authority.

7. Resort

Resort projects should be of three-star category or above with facilities as per the prevailing guidelines of Ministry of Tourism, Government of India. Such resorts should also obtain necessary category certification from the competent authority.

8. Tented Accommodation

A tented accommodation project should have facilities as per the prevailing guidelines for tented accommodation, as laid down by the Ministry of Tourism, Government of India. Such tented accommodations should also obtain necessary category certification from a competent authority.

9. Tourism & Hospitality Training Institute

An institute that offers tourism/hospitality courses that are recognized/ certified by regulatory authorities.

10. Mega Tourism Unit

Projects capable of creating new employment for more than 150 persons with new investment of Rs. 75 crore and above (excluding the cost of land) will be construed as mega tourism units. Units which are set up and which commence commercial operations during the operative period of this policy only will be eligible under this category. Hotels and resorts, multiplexes and malls shall be excluded from the definition of a mega tourism unit.

11. Amusement Park

Amusement Park should have entertainment facilities such as rides, games, etc. built over a minimum plot area of 40,000 sq.m. (about 10 acres). Standalone commercial multiplexes shall not be treated as amusement parks.

12. Water Park

Water Park should have a minimum of three water slides with a plot area of at least 20,000 sq.m. (about 5 acres) and a capacity to handle at least 100 sliders simultaneously.

13. Theme Park

Theme Park should be based on a single or series of themes having a plot measuring at least 10,000 sq.m. (about 2.5 acres). It may have amusement rides, water slides, accommodation (at least ten lettable rooms), restaurant, theatre, shopping area, activity area and theme areas. It is, however, not mandatory for an amusement park to have all these features.

14. Adventure Sports (including water sports)

Adventure Sports should have the requisite infrastructure, equipment and trained staff, along with appropriate safety-and-rescue set-up, that will provide tourists with an opportunity to undertake permissible adventure and such other activities like mountaineering, river rafting, etc. All requisite permissions from various competent authorities as also a comprehensive insurance cover will have to be obtained beforehand.

15. Wayside Amenities

Wayside amenities would be a complex comprising resting areas, toilets, cafeteria, shops, first-aid facilities, parking, souvenir booths, etc. located on National/State Highways and other district roads. It is, however, not mandatory to have all these features.

16. Ropeway

A ropeway established under the prevailing act and rules.

17. Tourist Luxury Coach

A tourist luxury coach is an air-conditioned coach with push back seats, used for normal transportation of tourists to different tourist destinations and for sightseeing of various tourist places, with a minimum seating capacity of 13 seats. It should be operated by valid All India Permit holder Tourist Transport Operators, recognized by Indian Association of Tour Operators (IATO) and registered in the state of Bihar.

18. Caravan

A specially built vehicle, registered with any state transport department, which is used for the purpose of group oriented leisure travel and has at least 4 beds.

19. Health and Wellness Spa

A health and wellness spa is a short-term residential/lodging facility with the purpose of providing spa services such as massages, yoga, meditation and other related treatments for rejuvenating the body.

20. Cruise Boats

Any boat/yacht with a minimum seating capacity for 4 persons, which is licensed by the Transport Department, Government of Bihar, and has the capacity to operate in lakes/rivers of the state for pay-and-use facilities. Boats/yachts used by hotels to transport or entertain their guests and/or goods/raw materials will not be covered under this definition.

21. Science Centres, Planetariums, Museums

A building in which objects of historical, scientific, artistic or cultural interest are stored and exhibited and is open for general public with or without ticket

C. Healthcare Sector

1. Speciality Hospitals

Speciality hospitals are hospitals which have minimum 60 beds, out of which at least 30* beds are specifically for speciality services and at least 30 other beds for non-speciality services. The examples of speciality services are:

- Cardiology, Cardiovascular and Cardiothoracic surgery.
- Urology including Dialysis and Lithotripsy.
- Orthopaedics Surgery including Arthroscopic surgery and Joint Replacement.
- Emergency care for trauma.
- Endoscopic Surgery.
- Neurosurgery.
- Oncology/Oncosurgery.
- Ophthalmology.
- Obstetrics & Gynaecology.
- ENT.
- Any other specialization approved by CGHS/MCI/State Govt.

**As per CGHS norms, 50 beds in metro cities and 30 beds in non-metro cities*

2. Super-speciality Hospitals

Super Speciality hospitals are hospitals that offer at least three of following super speciality services, in addition to cardiology & cardio-thoracic surgery and specialized orthopaedic treatment facilities that include joint replacement surgery. These hospitals should have minimum 210 beds with at least 30 beds for each super-speciality and 30 non speciality beds.

The examples are:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| 1. Cardiology | 2. Gastroenterology |
| 3. Endocrinology | 4. Neonatology |
| 5. Medical Oncology | 6. Neurology |
| 7. Nephrology | 8. Pulmonary Medicine |
| 9. Neuro Radiology | 10. Cardio Thoracic Surgery |
| 11. Rheumatology | 12. Neuro Surgery |
| 13. Paediatric Surgery | 14. Oncology |
| 15. Surgical Gastroenterology | 16. Plastic Surgery |
| 17. Urology | 18. Surgical Oncology |

3. Multi-Speciality hospitals

Multi-Speciality hospitals are hospitals that offer more than one of the following speciality services, along with a minimum of 90 beds out of which at least 30 beds are for each speciality and minimum 30 non-speciality beds. The examples of speciality services are:

- Cardiology, Cardiovascular and Cardiothoracic surgery
- Urology including Dialysis and Lithotripsy
- Orthopaedics Surgery including Arthroscopic surgery and Joint Replacement.
- Emergency care for trauma
- Endoscopic Surgery
- Neurosurgery
- Oncology/ Oncosurgery
- Ophthalmology
- Obstetrics & Gynaecology
- ENT

Annexure II - Negative list of industries

1. The following units will not be eligible for any support under this policy:

- a. Units manufacturing narcotic drugs.
- b. Units manufacturing alcoholic beverages.
- c. Tobacco based industries.
- d. Units manufacturing asbestos.

The above list will be called the negative list under the policy.

2. The State Government shall have the right to decide whether a unit falls under the negative list and can modify the above list accordingly.
3. As a general principle, any industry which impacts the environment adversely will be discouraged by the State Government for investment. Such industries will not be eligible for any incentive under this policy and be placed in the above mentioned negative list.

Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 for High Priority Sectors

(Information Technology, Information Technology enabled Services (ITeS),
Electronic System Design and Manufacturing (ESDM) Sector,
Food Processing Sector,
Textile, Apparel and Leather Sector)



DEPARTMENT OF INDUSTRIES
Government of Bihar

Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 for High Priority Sectors

(Information Technology, Information Technology enabled Services (ITeS),
Electronic System Design and Manufacturing (ESDM) Sector,
Food Processing Sector, Textile, Apparel and Leather Sector)

1. Introduction

In order to establish Bihar as the most preferred investment destination by leveraging the state's comparative advantages and maximizing employment opportunities for attaining a balanced regional and sustainable development, Government of Bihar had announced the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 vide notification No.1822, Dated 01.09.2017. Further, The Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016 and The Bihar Industrial Investment Promotion Rules, 2016 were also formulated to facilitate the investment in the State.

The Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 is operational since last one year. Based on the assessments of their economic and employment generation potential, it is however, realised that an increased focus is required on the three broad sectors namely-

- a. IT, IT enabled Services (ITeS) and Electronic System Design and Manufacturing (ESDM) Sector
- b. Food Processing Sector and
- c. Textile, Apparel and Leather Sector

These sectors are manpower intensive requiring huge skilled manpower and are based on the huge production potential for the diverse agricultural commodities in the State. In order to promote accelerated investment in these three sectors the State Government has amended the Bihar Industrial Investment Promotion Policy 2016 for High Priority Sectors.

Details of the High Priority Sectors and Package of Incentives under the Bihar Industrial Investment Promotion Policy 2016 for High Priority Sectors are as follows:

2. High Priority Sectors

2.1. Definition of Industrial Unit under High Priority Sectors, Priority Sectors and Non-priority Sectors

The industrial units can be categorized into following categories:

Category	Characteristics
High Priority	<p>For ESDM, Textile & Leather Sector A unit in which (i) Investment in Fixed Asset and Plant and Machinery (excluding Land) is more than Rs 5 Crore, and (ii) creating direct employment of at least 50 core workers (excluding support staff such as Drivers, Guards etc.).</p> <p>For IT and ITeS Sector A unit in which (i) Investment in Fixed Asset and Plant and Machinery (excluding Land) is more than Rs 5 Crore, and (ii) creating direct employment of at least 50 core workers (excluding support staff such as Drivers, Guards etc.).</p> <p>For Food Processing Sector A unit in which investment in Fixed Asset and Plant and Machinery (excluding Land) is more than Rs 5 Crore</p>
Priority	As defined in the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016
Non-Priority	As defined in the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016

2.2. High Priority Sectors in IT, ITeS and ESDM Sector:

At the time when India is pushing hard to open up its markets, reduce regulatory roadblocks and develop innovative campaigns to attract more foreign direct investments in the IT, ITeS and ESDM sector in a bid to fuel growth in the country and create job opportunities, the State Government of Bihar is poised to make the State a major IT, ITeS and ESDM Hub of the country through targeted initiatives. The State Government's vision to develop the sector in the State revolves around:

- a. Spurring the growth of knowledge based economy in the State
- b. Bridging the digital divide between the urban and rural Bihar
- c. Developing Bihar into the next investment destination for IT/ ITeS, and allied industries, and
- d. Enabling good governance with technology-enabled reforms in the State

The State has already embarked on the development of the IT ITeS and ESDM industry with the implementation of several citizen-centric governance initiatives, and planning to set up state-of-the-art IT infrastructure, such as IT City, IT Tower, and IT Park. Besides these, to

promote industry-led growth in the State, Bihar is also in the process of implementing key reforms and strategic initiatives that will help the State accelerate its envisaged development plan in the sector.

The strategic initiatives in IT, ITeS and ESDM are targeted towards key investment opportunity areas within the sector, as listed below:

Sectors	Investment Opportunity
IT and IT-enabled Services (ITeS)	<ul style="list-style-type: none"> • IT Products, Software and Services • Knowledge Process Outsourcing (KPO) • Call-Centres • Software Development Centres • Digital content Development • Smart Technologies • Internet of Things (IoT) • Data Centres • Big Data and Analytics • PC Gaming, Console Gaming, Online/ Multiplayer Gaming, Mobile Gaming, Video Games • Comics and Animated Cartoon series, fully Animated Feature Films • Visual Effects or VFX • Web-Designing • E-Learning and E-Education
Electronic System Design and Manufacturing (ESDM)	<ul style="list-style-type: none"> • Computer peripherals and other Office Equipment • Chip Manufacturing and Design • Semiconductors • Server and storage devices • Communication and Networking devices • Automotive electronics • Medical Electronics • Industrial Electronics • Telecom electronics • Strategic electronics and devices • Electronic manufacturing services • Solar Photo Voltaic including thin film, polysilicon cells • Electronic consumer products • LEDs • Embedded software • Defense electronic equipment • Information, and broadcasting electronic devices

Note: Prior consent of the Information Technology Department, Government of Bihar shall be obtained through the single window clearance system before granting Stage-I approval under this policy. The above list of units/enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the high priority sector from time to time.

2.3. High Priority Sectors in the Food Processing Sector:

The food processing units discussed below shall be considered under the High Priority Sectors for the purpose of availing the incentives under this policy.

Sectors	Investment Opportunity
Maize Processing	(a) Maize based Feed units (Cattle Feed, Fish Meal, Poultry Feed) (b) Maize related food products (c) Starch Manufacturing Unit and other maize related products except primary processing like grading sorting etc.
Fruits & Vegetable (F&V) Processing	(a) All kinds of F&V processing units (including units for manufacturing dehydrated and frozen F&V items using IQF/Blast Freezer/Spiral Freezer, etc.) (b) Dehydration and powdering of vegetables like onions, mushrooms, etc. (c) Unit for processing litchi (e.g. units for manufacturing litchi pulp, juice, pulp slabs, jam, jelly, beverage, nectar, candies, powder, etc.) (d) Unit for processing local variety (varieties from Bihar) of mangoes into pulp, juice, pulp slabs, jam, jelly, beverage, nectar, candies, powder, etc. (units using mango pulp imported from other states or countries shall not be considered under the priority sector.) (e) Unit for banana processing (e.g. banana chips, pulp, powder, baby food, jam, jelly, banana flower vegetables, banana trunk vegetables & pickles, etc.) (f) Unit for makhana processing (e.g. unit for producing makhana pops, making flavoured and/or roasted makhana snacks, RTC kheer, baby food etc.) (g) Natural Honey Processing (h) Processing and value addition of Spice and Herbs grown in Bihar.

Sectors	Investment Opportunity
	<p>Note: There should be sufficient value addition to the agriculture produce. Units which carry out activities like washing, grading, sorting, cleaning, grinding and packing only shall not be considered under this sector. Accordingly all such units should also have the integrated processing/value addition and packaging facility like canning/ tinning, bulk packing, coding and labelling etc.</p>
Poultry and Fish Processing	<p>(a) Poultry and fish processing units (e.g. fresh, chilled, and frozen fish; fish fillets and pieces; fish cured or smoked and fish meal fit for human consumption; edible offal of poultry; dried eggs; etc.)</p> <p>Note: The end product for such units should be ready to the extent for consumption/sale in the retail market or for industrial sale. Units manufacturing products that are intermediary in nature shall not qualify under this category. Accordingly all such units should also have the integrated packaging facility like canning/ tinning, coding and labelling etc.</p>

Note:

- a. Agriculture raw materials used by the units should primarily be grown in Bihar.
- b. Units purely engaged in washing, sorting, cleaning, and packaging those do not generate any substantial value addition shall not be considered under the high priority sector.
- c. Units/ enterprises set up for the purpose of packaging/ repackaging of food items imported from other states or countries shall not be considered under the high priority sector.
- d. If a unit/ enterprise is setting up two or more kinds of facilities in an integrated manner/for captive use purpose, the facilities would be treated as a single project and combined cost of the facilities would be considered for grant calculation purposes. The classification of the units/ enterprises into priority or non-priority would be as per the nature of the main/mother facility, i.e. the core facility.
- e. In case a unit migrates from non-priority sector to high priority sector or from priority sector to high priority sector through capacity expansion and/or

facility addition etc., it would enjoy the incentives as per the high priority sector for the portion that falls under the high priority sector.

- f. Units for manufacturing any food item fit for human/ animal consumption which does not contain any F&V or any processed/preserved items (like pulp concentrate, extract etc.) made from F&V as its main ingredient would be considered under the non-priority sector.
- g. The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the high priority sector from time to time.

2.4. High Priority Sectors in the Textile, Apparel and Leather Sector:

The High Priority Sectors for investment identified by the State Government in Textile, Apparel and Leather Sector are listed below:

Sectors	Investment Opportunity
Weaving/ Knitting/ Stitching	(a) Power-loom and knitting (b) Production of Ready-made garments
Production of apparel and home textile	(a) Woven and knitted apparel manufacturing (b) Hosiery products manufacturing (c) Carpets and other home textiles
Banana Fibre/ Jute Fibre	(a) Integrated units for processing Banana Fibres and manufacture of products using Banana Fibres like cloth and other items. (b) Integrated units for processing Jute Fibres and manufacture of products using Jute Fibres like cloth and other items.
Leather and Artificial Leather and leather substitute material	(a) Manufacturing of garments/ Shoes/Slippers/footwear (b) Manufacture of furniture upholstery, upholstery for automobile (cars, etc.) (c) Manufacturing of leather goods (for e.g. labels, tags, belts, bags, purses hand gloves and other accessories, and fashion items)

Note:

- a. The end product for such units should be ready to the extent for consumption/sale in the retail market. Units manufacturing products that are

intermediary in nature shall not qualify under this category. Accordingly all such units should also have the integrated packaging facility including coding and labelling etc.

- b. The above list of units/ enterprises is only indicative and the State Government may suitably revise the list under the high priority sector from time to time.

3. Package of Incentives:

State government is committed to encourage the process of industrialization by assuring an entrepreneur-friendly regime and an attractive package of incentives for the entrepreneurs. The following package of incentive will be made available to the high priority category of Industrial Units.

3.1. Pre-production incentives:

	Type of Incentive	Salient Features
3.1.1	Exemption from Stamp Duty/ Registration Fees	<p>a) No stamp duty to be paid in respect of land allotted by the government to IDA/ BIADA.</p> <p>b) 100% exemption of stamp duty/registration fees levied on lease/ sale /transfer of industrial land/shed as also those outside the jurisdiction of Industrial Area Development Authority would be available to all the new units. This exemption of stamp duty and registration fees will be granted only for the first time and will not be applicable in subsequent stages of lease/sale/transfer. This incentive will be available to new units only.</p> <p>c) The area of land required by the unit shall be fully described in the DPR and/or the Bank Appraisal Report prepared by the bank or financial institution which is supposed to extend the term loan to the unit.</p>
3.2.1	Land Conversion Fees	<p>a) 100% exemption of “land conversion fees”/ “change in land use” fees being levied for conversion of agricultural land.</p>

3.2. Post-production incentives:

	Type of Incentive	Salient Features
3.2.1	Interest Subvention	<p>(a) State shall extend “Interest Subvention” to the eligible units on the term loan availed by the unit from a bank/ financial institution registered by RBI/SEBI.</p> <p>(b) Rate of interest for interest subvention will be 10% or actual rate of interest on term loan, whichever is lower.</p> <p>(c) The overall limit of this subvention for high priority sector will be 50% of the approved project cost. The upper limit of this subvention shall be Rs 20 crore.</p> <p>(d) Disbursement of the subvention amount would be in instalments linked with the term loan repayment schedule stipulated by the concerned bank/financial institutions which extends the term loan to the unit. Interest shall not be paid on promoter's contribution in any form in the unit.</p> <p>(e) In case the promoters do not avail any term loan for the unit, they would not be eligible for this incentive.</p>
3.2.2	Tax Related Incentive	<p>(a) All new units will be entitled to avail 100% reimbursement against the admitted SGST deposited in the account of the state government (excluding strictly any tax paid by them arising out of a purely trading business), for a period of 5 years from the date of commencement of commercial production. The SGST reimbursement shall be applicable only to the net tax payable, after adjustment of input tax credit against the output tax liability. This shall have a maximum limit of 100% of the approved project cost.</p>

	Type of Incentive	Salient Features
3.2.3	Employment Cost Subsidy	(a) For IT and ITES Sector, ESDM, Leather and Textile Sector and Food Processing, 50% reimbursement (in case of male workers) and 100% reimbursement (in case of female workers) of expenditure on account of contribution toward ESI and EPF scheme for a period of 5 years for new units for those employees who are domicile of Bihar. Maximum limit for reimbursement will be Rs. 1000/- per month for SC/ST and women employee and Rs. 500/- per month for general employee.
3.2.4	Skill Development Subsidy	(a) The State Government shall provide skill development subsidy of Rs 20,000 per employee/ Bihar Skill Development Mission (BSDM) rates whichever is lower. This incentive will be applicable for training of employees/ staffs who are domicile of Bihar (b) All the eligible unit will have to employ the trained core employee/ staff for a period of at least 1 year

3.3. The State Government shall also extend the Project Management Unit (PMU) support to the High Priority Sector Units. The State Government will set up an Investor Facilitation Cell cum PMU for investor facilitation. The Investor Facilitation Cell cum PMU for the IT, ITeS and ESDM sector shall be set up by the Department of Information Technology, Govt. of Bihar and the Investor Facilitation Cell cum PMU for the other two sectors shall be established by the Department of Industries, Govt. of Bihar. Some of the major responsibilities of the Investor Facilitation Cell cum PMU are mentioned below:

- i. Facilitating investment proposals and assisting entrepreneurs and investors in setting up their units in the State
- ii. Facilitation to addressing of investors' query, grievance redressal and handholding entrepreneurs through the entire process of compliance to statutory obligations

- iii. Disseminating information through mass media related to prospects of industries, prospective projects for investment, and statutory compliance requirements for setting up units etc.
- iv. Organizing, sponsoring, associating or participating in any fair, exhibition, celebration or campaign for the promotion of investment in the High priority sectors
- v. Reviewing and assessing the performance of the State in the sectors in terms of number of units set up, persons employed, amount of investments drawn and value of production
- vi. Deploying dedicated relationship officers for maintaining investor relationship in the State

4. General Conditions

This Amendment to the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016 for high Priority Sectors shall be an integral part of the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016. All other provisions, terms and conditions mentioned in the Bihar Industrial Investment Promotion Act-2016, Bihar Industrial Investment Promotion Rules-2016 and Bihar Industrial Investment Promotion Policy-2016 shall remain unaltered.


Following general conditions shall be applicable for availing the incentives under this policy:

- i. Dovetailing of incentives with the Central Government schemes would be allowed.
- ii. Units those have availed benefits under this policy shall not be eligible to avail benefits for the same assets under any other policy/scheme of the State.
- iii. Employees identified for State Government Projects or any of its undertakings and agencies cannot be considered for employment counting of a unit under this policy for the purpose of availing incentives in case the Company is implementing a project in the Government in which some resources are employed, the employed resources would not be eligible for the incentives. Any duplication in the counting of the employees for the purpose of availing incentive shall attract penalty as mentioned below in Section. 4(v). Tax related incentives shall not be available for projects related to the Government or any of its undertakings or agencies.

- iv. To avail the incentives under this policy, units shall have to commence their commercial operation within 3 (three) years of Stage-I of Clearance. The unit has to be under commercial production during the period of disbursement of incentives. Further, the unit shall have to remain in commercial operation for at least next 5 years from the date of last disbursement of all the eligible incentives to it under the policy.
- v. If any false declaration is given for the purpose of availing incentives or if incentives are availed for a unit that was not eligible or any violation of condition of this policy, the amount of incentive is liable to be recovered from the date of availing such incentives along with interest compounded annually @ 18% per annum. In case of non-payment within the stipulated time, the state government may recover such amounts including interest as arrears of land revenue.
- vi. For the purpose of this Policy:
 - a. Employees shall mean those employees who are on regular roll of the company. Daily wage employees or seasonal employees shall not be entitled to this concession. The employee strength shall be calculated on the basis of the employees involved in the core activities of the project. This shall be certified by the statutory auditor of the company as a support to the claim for incentive. Core activity shall be defined as those activities that are part of the production process. Support staff shall not be counted towards the employee's strength.
 - b. Domicile of the State of Bihar shall mean those who have been defined by the State Government from time to time as the original domiciles of Bihar and who hold the certificates issued for this purpose by the competent authority.

The Bihar Industrial Investment Policy 2016 shall be amended to this extent. These amendments to the Policy will come into effect from the date of issuance of this notification and will remain effective during the entire period of operation of the Bihar Industrial Investment Promotion Policy, 2016.

By order of Governor of Bihar



1309AAZ
27/12/2017


(Dr. S. Siddharth)

Principal Secretary, Department of Industries
Bihar, Patna

No:1937/ Patna, dated 27.12.17

File No. 4Tech./Policy Amendment/181/2017

Copy: State Printing Press, Gulzarbagh, Patna to publish in the special edition of Bihar gazette. Request to print 1000 copies of the published gazette and make it available to the Department.



1309AAZ
27/12/2017


(Dr. S. Siddharth)

Principal Secretary, Department of Industries
Bihar, Patna

No:1937/ Patna, dated 27.12.17

File No. 4Tech./Policy Amendment/181/2017

Copy: For information and necessary action - To all Department/ Department Head/ Commissioner, Commercial Taxes/ Managing Director, All corporations under Department of Industries/ Bihar Industrial Area Development Authority/ Chief Executive Officer, Bihar State Khadi Village Industries Board, Patna/ Chairman, Bihar State Electricity Board, Patna/ All Divisional Commissioner/ All District Magistrates/ All Deputy Development Commissioner/ Director, Technical Development/ Director, Industries/ Resident Commissioner, Bihar Bhawan, New Delhi/ All General Manager, District Industries Centre/ Director, Micro, Small and Medium Enterprises Development Institute, Patna/ Muzaffarpur/ I. T. Manager, Department of Industries, Bihar, Patna for uploading on the departmental website.



1309AAZ
27/12/2017

(Dr. S. Siddharth)

Principal Secretary, Department of Industries
Bihar, Patna

Bihar Industrial Investment Promotion Act 2016



DEPARTMENT OF INDUSTRIES
Government of Bihar

Bihar Industrial Investment Promotion Act - 2016

To provide for facilitating the promotion and development of investment in Bihar and for matters connected therewith or incidental thereto.

Whereas establishment of new enterprises by leveraging the abundant natural and human resources available in the state will lead to the generation of employment and improvement of the living standards of the people of the state;

And Whereas, it is expedient to simplify the procedures for establishment and running of industrial, service and business units in the state in order to make the state an attractive investment destination;

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty Seventh Year of the Republic of India as follows:

Chapter I: Preliminary

1. Short title, extent and commencement:

- (1) This Act may be called the Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016.
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification, appoint.

2. Definitions. – In this Act, unless the context otherwise requires:

- (a) “Act” means the Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016;
- (b) “Clearance” means grant or issue of no-objection certificate, allotments, consents, approvals, permissions, registrations, enrollments, licenses and the like, by any competent authority or authorities in connection with the setting up of an industrial undertaking in the State of Bihar and shall include all such clearances required till the industrial undertaking starts commercial production;
- (c) “Commissioner” means any person appointed by the State Government to act as Industrial Development Commissioner;
- (d) “Common Application Form” means such electronic form as may be prescribed under the act which combines individual application forms for all clearances;
- (e) “Company” means anybody corporate and includes a firm or other association of individuals;
- (f) “Competent Authority” means any department or agency of the State Government, which is entrusted with the powers and responsibilities to grant or issue clearances, and

shall include Gram Panchayats, Panchayat Samitis, Zila Parishads, Municipalities, Municipal Corporations and Development Authorities;

- (g) “Department” means the Department of Industries of the Government of Bihar;
- (h) “Enterprise” shall have the same meaning as in Section 2 (e) of The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 [No. 27 of 2006];
- (i) “Incentive” means such financial and non-financial benefits provided to the investor from time to time under the Policy;
- (j) “Policy” means the Bihar State Industrial Investment Promotion Policy.
- (k) “Public Authority” shall mean any office responsible for implementation of the various acts and it includes all Competent Authorities defined in section 2(e) of this Act;
- (l) “Secretariat” means Secretariat of State Investment Promotion Board as defined under Section 5 of this Act;
- (m) “State Board” means State Investment Promotion Board as defined under Section 4 of this Act;
- (n) “State Government” means the State Government of Bihar ;
- (o) “Udyog Aadhar” means such registration of industrial units as are laid down by the Union Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises from time to time.

Chapter II:

Registration of Industrial Units, and Constitution, Powers and Functions of State Investment Promotion Board, Industrial Development Commissioner and Secretariat of State Investment Promotion Board.

3. Registration of Industrial Units:

- (1) Registration of an industrial unit shall be voluntary, except for those industries manufacturing items which require an industrial license under the Industries (Development & Regulation) Act, 1951.
- (2) However, a unit which requires clearances/assistance provided by the Union and State Governments shall file the Common Application Form (CAF) in electronic form.
- (3) The Micro, Small and Medium Enterprises unit shall also file the online Udyog Aadhar Memorandum after commencement of production.

4. Constitution of State Investment Promotion Board:

- (1) There shall be State Investment Promotion Board under the Chairmanship of the

Development Commissioner in which Principal Secretaries of Industries, Finance, Commercial Taxes, Forest and Environment, Energy, Labour Resources, Urban Development & Housing and Revenue & Land Reforms will be the members. Principal Secretary Industries shall be the member secretary of the Board. The State Government shall nominate five members to this Board two of which shall be representatives from the Industry.

- (2) The following shall be the functions and powers of the State Investment Promotion Board:
 - (a) All proposals placed before it by the Secretariat of the State Board shall be approved or appropriate decision shall be taken on the proposal.
 - (b) The State Board shall meet at least once a month.
 - (c) It shall guide and advise the Department on Bihar State Industrial Investment Policy.
 - (d) State Board in each meeting shall also review the progress in the working of the Secretariat of the State Investment Promotion Board and shall give appropriate instructions to ensure speedy processing of investment proposals.
 - (e) The state board shall recommend action against the competent authority if the competent authority has not carried the prescribed responsibility under this act.

5. Secretariat of the State Investment Promotion Board: Secretariat of the State Investment Promotion Board shall be constituted, which shall assist the Chairman and the Board Members in examining and appraising the investment proposals received. The Secretariat shall be bound to place the investment proposal before the State Board within a period of 30 days from the date of receipt of such proposal. The composition of the Secretariat, its functions in regard to promotion and facilitation of investment, its remuneration and incidental matters shall be as laid down in the rules.

6. Constitution of Secretariat of the State Investment Promotion Board:

- (1) **Industrial Development Commissioner:** There shall be an Industrial Development Commissioner who shall be the head of the Secretariat. Principal Secretary, Department of Industries, Government of Bihar shall ordinarily be the Industrial Development Commissioner unless otherwise decided by the State Government.
- (2) **Constitution:** The Secretariat of the State Board shall be constituted consisting of the following members:
 - (a) An officer of the Finance Department not below the rank of Joint Secretary,
 - (b) An officer not below the rank of Environmental Engineer of the Bihar State Pollution Control Board,
 - (c) An officer not below the rank of Town Planner/ Architect/ Urban Planner of the

Urban Development and Housing Department.

- (d) An officer not below the rank of Joint Labour Commissioner of the Labour Resources Department.
- (e) An officer not below the rank of Deputy Commissioner of the Commercial Taxes Department.
- (f) An officer not below the rank of Superintendent Engineer of the Bihar State Power Holding Corporation Limited.
- (g) An officer not below the rank of Deputy Secretary to be deputed by Revenue and Land Reforms Department.
- (h) An officer not below the rank of Deputy Chief Inspector of Factories of the Labour Resources Department.
- (i) Such other officers and staffs as may be required by the Secretariat to be appointed either on deputation or contract by the State Government.

(3) Functions of the Secretariat: The following shall be the functions of the Secretariat :

- (a) Receive, process and make available all required clearance to all new investment proposals including modernization, up gradation and expansion of existing industrial units.
- (b) Plan, design and implement campaigns to promote Bihar as investment destination within and outside the country;
- (c) Arrange to receive and process Common Application Forms and ensure that all clearances are given within the time limits to be prescribed under rules;
- (d) Collect prescribed fees and deposits on behalf of the competent authority for grant of clearance and transfer the fees and deposits to the respective accounts.
- (e) Convey such clearances to the applicant and where there are deficiencies in the application, convey such deficiencies to the applicant and get these rectified;
- (f) Collate and furnish statistical information on investment by sectors, product and scale, collect all relevant statistical information and provide to Union and State authorities as and when required; and
- (g) Prepare sector and product wise information for prospective investors and disseminate through web sites, print and visual media and other means as may be directed by the Department.

(4) The members of the Secretariat shall examine and recommend for clearance to the respective competent authority online. The respective competent authority shall be bound to take a decision within 30 days of receipt of such recommendation or within a time limit prescribed by the concerned acts or rules under which the clearance is being granted. The clearance shall be communicated to the secretariat online within the

stipulated time which shall be made available to the investor. In case the concerned department fails to grant clearance or take a decision, the clearance would be deemed to have been granted and the Secretariat shall issue a clearance in this regard. The concerned competent authority shall comply with the clearances issued by the Secretariat and shall not have any powers to review the decision of the Secretariat.

The above mode of giving clearance shall be applicable as and when a request for clearance will be received from the investor through a common application form.

- (5) The Commissioner shall have powers to direct a public authority to carry out investigation, enquiry and seek a report on issues related to clearance under the various acts required for investment proposals within a specified time limit. The Commissioner shall have powers to give directions to public authority to take decisions within a prescribed time limit.

7. Financial Incentives to eligible industrial units:

The Secretariat shall ensure the timely sanction and disbursement of financial incentives to eligible industrial units in terms of the Policy as notified from time to time. The investors shall apply for all financial incentives through the Common Application Form to the Secretariat. The Secretariat shall process the application for financial incentives. The competent authority for sanction and the time frame within which it shall be sanctioned shall be prescribed in rules.

Chapter III: Miscellaneous

8. Self-certification:

- (1) Application for clearances and any accompanying document may be self-certified by the applicant or authorized person.
- (2) Clearances will be issued on the basis of self-certification, and verification, where necessary, shall be conducted after the issue of such clearances.
- (3) The State Government may also by a notification indicate those provisions under which where self-declaration shall be deemed to be a sufficient document for compliance.
- (4) If on verification, the self-certification is found to be incorrect, clearances issued on the basis of such self-certification shall be cancelled and the person/s responsible for false self-certification shall be liable for prosecution under Section 197 of the Indian Penal Code.

9. Exemption :

The State Government may, by a notification exempt any clearance from any of the provision of the Act.

10. Authorisation:

The State Government may, by a notification authorise the secretariat for grant of any clearance required for investment.

11. Penalty:

- (1) Any public authority who fails to comply with the directions of the State Board and the Secretariat within the prescribed time shall on conviction be punishable with a fine which may extend to ten thousand rupees for the first offence and for second or the subsequent offence may extend to fifty thousand rupees.
- (2) Where an offence under this Act is committed by a Public Authority, if the Commissioner is satisfied that the authority has failed to discharge the duties assigned to him under this Act, without assigning sufficient and reasonable cause, may recommend action against him under the service rules applicable to him.

12. Rights of the Investor:

Notwithstanding anything contained in section 3(2) of this act, every investor is free to apply directly to the relevant Statutory Authority for obtaining necessary clearances for establishing and commencing operation of their enterprises.

13. Integrated clearance system:

An online system of giving clearance and approval shall be developed. The Common Application Form and the supporting documents shall be received online and the clearance shall be communicated online.

14. Power to give directions:

The State Government may, from time to time, issue to the State Board, Secretariat and Public Authority such general or special directions related to the policy which is not inconsistent with the provisions of this act and is necessary or expedient for the purpose of carrying out the objects of this Act and the concerned Board, Secretariat and Public Authority shall be bound to follow and act upon such directions.

15. Protection of action taken in good faith:

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act or any rules made there under.

16. Power to make rules :


- (1) The State Government may by notification make rules for carrying out all or any of the purposes of this Act.
- (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, provisions may be prescribed in such rules for all or any of the following matters, namely:
 - (a) The process for approving investment proposals by the State Board;

- (b) The process of working of the Secretariat and the determination of staff strength, method of recruitment and service conditions including disciplinary and appeal powers of the commissioner;
 - (c) The form and mode of filing of the Common Application Form and its processing by the Secretariat;
 - (d) The responsibilities of the Secretariat and the time frame for delivery of services;
 - (e) The manner and periodicity of verification by inspecting agencies under various Statutes and the penalties to be imposed for false and inaccurate self-declaration; and
 - (f) Online monitoring system and issue of clearances/approvals.
- (3) Every rule made under this Act shall be laid before the State Legislature by the State Government.

17. Repeal and Saving:

- (1) The Bihar Single Window Clearance Act, 2006 (Bihar Act 9 of 2006) is hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken or purported to have done or taken under the said Act shall, be deemed to have been done or taken under this Act as if this Act was in force on such day on which such thing was done or such action was taken.

Bihar Industrial Investment Promotion Rule 2016



DEPARTMENT OF INDUSTRIES
Government of Bihar

Bihar Industrial Investment Promotion Rules - 2016

In exercise of the powers conferred by section 16 of The Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016 The State Government of Bihar is pleased to make the following Rules for carrying out all or any of the purposes of the Act:

1. Short title, extent and commencement:

- (1) These rules may be called "The Bihar Industrial Investment Promotion Rules, 2016."
- (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
- (3) It shall come into force on such date of its publication in the Bihar Official Gazette.

2. Definitions:

(1) In these rules, unless otherwise requires in the context:

- (a) "Act" means the Bihar Industrial Investment Promotion Act, 2016;
- (b) "Board" or "State Board" means State Investment Promotion Board as defined under Section 4 of the Act;
- (c) "Clearance" means grant or issue of no-objection certificate, allotments, consents, approvals, permissions, registrations, enrolments, licenses and the like, by any competent authority or authorities in connection with the setting up of an industrial undertaking in the State of Bihar and shall include all such clearances required till the industrial undertaking starts commercial production;
- (d) "Commissioner" means any person appointed by the State Government to act as Industrial Development Commissioner;
- (e) "Common Application Form" means combined application form for investment and clearances as notified by the State Government from time to time.
- (f) "Company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals;
- (g) "Competent authority" means any department or agency of the State Government, which is entrusted with the powers and responsibilities to grant or issue clearances, and shall include Gram Panchayats, Panchayat Samitis, Zila Parishads, Municipalities, Municipal Corporations and Development Authorities;
- (h) "Department" means the Department of Industries of the Government of Bihar;
- (i) "Enterprise" shall have the same meaning as in Section 2 (e) of The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 [No. 27 of 2006];
- (j) "Fee" and "Deposits" shall mean the amounts prescribed by Acts and Rules of the

respective competent authorities for according clearance/ approval/consent or any other type of statutory permission which are within the competence of that authority.

- (k) “Incentive” means such financial and non-financial benefits provided to the investor from time to time under the Policy;
 - (l) “Online” means connected by computer to one or more other computers or networks such as the Internet.
 - (m) “Policy” means the Bihar State Industrial Investment Promotion Policy (n) “Public Authority” shall mean any office responsible for implementation of the various acts and it includes all Competent Authorities defined in section 2(f) of the Act;
 - (o) “Rule” means The Bihar Industrial Investment Promotion Rules, 2016;
 - (p) “Secretariat” means Secretariat of State Investment Promotion Board as defined under Section 5 of the Act;
 - (q) “State Government” means the State Government of Bihar ;
 - (r) “Udyog Aadhar” means such registration of industrial units as are laid down by the Union Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises from time to time.
- (2) **All other words and expressions used herein but not defined shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.**

3. Constitution of State Investment Promotion Board:

- (1) The constitution of the State Investment Promotion Board shall be as per Section 4 of the Act.
- (2) The tenure of the nominated members shall be two years or as decided by the Government, whichever is earlier.

4. Procedure of the State Investment Promotion Board :

- (1) The Board shall meet every month on a fixed date to be announced by the Department at the previous meeting of the Board. In case the date so fixed falls on a holiday, the meeting shall be held on the next succeeding date without any further notice.
- (2) The State Board may hold more than one meeting in a month as decided by the Chairman of the State Board however it shall be mandatory to hold at least one meeting every month.
- (3) The meeting shall not be postponed due to the absence of any member including the Chairman. In the absence of the Chairman, the next senior most official member shall preside over the meeting.
- (4) Membership of the Board is by designation and substitution by another functionary

may be permitted only in extra ordinary circumstances with the permission of the Chairman.

- (5) There shall be a quorum of five members excluding the Chairman for the meeting of the Board. No decision on an item shall be deferred for want of representation by any Department or Agency.
- (6) Proposals placed for consideration before the Board shall be either approved or appropriate decision shall be taken. In case the Board decides to defer the matter for any clarifications, the reason shall be properly recorded in the proceedings.
- (7) The Board shall review the working of the Secretariat monthly, with particular reference to the adherence to time limits and the completeness of proposals placed before the Board.
- (8) The Board shall take a decision on the following:
 - (i) Review the list of clearances to be provided by the Secretariat
 - (ii) Review the list of clearances to be provided on the basis of self declaration
 - (iii) Approval of Common Application Form
 - (iv) Review the Fees and Deposits for application under SIPB
 - (v) Guide and advise the Department on issues and clarifications related to the Policy
- (9) The Board shall review the following issues as part of the Agenda in every meeting of the Board:
 - (i) Review the status of investment proposal and its approval status
 - (ii) Review the status of investment proposals approved by the Board and their implementation status
 - (iii) Review the status of clearances accorded to the approved investment proposal
 - (iv) Review the number of investment proposals where deemed approval had to be granted and reason for according such deemed approval
 - (v) Review the bottlenecks in obtaining clearances for approved proposals and undertaking necessary actions to resolve
 - (vi) Review the status of loan sanctioned and approved by banks/ Financial Institutions to the approved proposals
 - (vii) Review the implementation of the policy
 - (viii) Review the status of financial incentives processed and disbursed
 - (ix) Any other functions as assigned by the State Government from time to time.

- (10) The Board shall recommend action against the competent authority if the competent authority has not carried the prescribed responsibility under the act.

5. Secretariat of the State Investment Promotion Board:

- (1) The Secretariat shall have the members mentioned in Section 6(2) of the Act. The Secretariat shall be assisted by professionals to carry out the appraisal of the projects and support the activities defined in Section 6(3) of the Act and rule 5(2). The State Government shall decide the staff strength of the secretariat.
- (2) The Secretariat shall undertake all the functions laid down below:
 - (i) receive, process and make available all required clearance to all new investment proposals including modernization, up gradation and expansion of existing industrial units.
 - (ii) Plan, design and implement campaigns to promote Bihar as investment destination within and outside the country;
 - (iii) arrange to receive and process Common Application Forms and ensure that all clearances are given within the time limits to be prescribed under this rule;
 - (iv) collect prescribed fees and deposits on behalf of the competent authority for grant of clearance and transfer the fees and deposits to the respective accounts.
 - (v) convey such clearances to the applicant and where there are deficiencies in the application, convey such deficiencies to the applicant and get these rectified;
 - (vi) collate and furnish statistical information on investment by sectors, product and scale, collect all relevant statistical information and provide to Union and state authorities as and when required; and
 - (vii) prepare sector and product wise information for prospective investors and disseminate through web sites, print and visual media and other means as may be directed by the Department.
- (3) The Secretariat shall also be responsible to prepare reports on a monthly basis for various activities listed in rule 4(9) which shall be placed before the Board for appropriate decision.
- (4) The Secretariat shall also be responsible for efficient management of the Department's online initiatives like Udyog Mitra and Udyog Samwad.
- (5) The Secretariat shall be responsible to ensure that the procedure laid down in section 6(4) of the Act is followed and the timelines prescribed are adhered to. It shall be the duty of the Secretariat to bring to the attention of the Chairman of the State Board any deviation in the procedure. The Chairman may issue suitable instruction for the day-to-

day working of the Secretariat, not inconsistent with the procedure laid down in the Act.

6. Integrated Clearance System:

- (1) An online system will be used to provide clearance and approval to investment proposals as per provision made in Rule 6(3).
- (2) The clearances to the investment proposals will be provided online and in four stages as prescribed below:

- (i) **Stage I Clearance:** Stage I clearances refers to examining the feasibility of the project by the State Board and providing necessary approval to the investor. The Secretariat shall examine the investment proposal in the manner prescribed by the State Board and place the proposal before the State Board for a decision as per provisions made in Rule 4. Stage I clearance will allow investor to apply for subsequent stages of approval. The Stage I shall necessarily identify the broad sector, quantum of investment and location etc. of the proposed investment. The Board may prescribe a list of information that may be required to be furnished along with the proposal for Stage I Clearance.

- (ii) **Stage II Clearance:** Stage II clearance refers to clearances requested by an investor at the pre-establishment stage from the Secretariat before setting up of an industry. List of pre-establishment stage clearances will be notified by the Department from time to time. These clearances shall be provided as per the provisions made in Section 6(4) of the Act.

- (iii) **Stage III Clearance:** Stage III clearance refers to clearances requested by an investor at the pre-operation stage from the Secretariat before commencement of commercial production. List of pre-operation stage clearances will be notified by the State Government from time to time.

These clearances shall be provided as per the provisions made in Section 6(4) of the Act.

- (iv) **Financial Incentive clearance:** Financial Incentive clearance refers to the clearance requested/accorded to an investor for availing financial incentives. The quantum of incentives to be given shall be decided at this stage as per the Policy. This clearance may be granted anytime after Stage I approval by the designated Authority of the State Government after completion of the required prerequisites as decided by the Board. This shall be an automatic process and no fresh application shall be required from the investor. The proposals shall be placed before the State Board in its next meeting on fulfilling of the prerequisites for a decision. The State Board shall recommend the quantum of incentives

applicable to the investment proposal. The final approval of the Financial Incentives shall be given as per the provision of Rule 7. The actual disbursement of incentives shall be as per actual implementation of the investment proposal.

(3) Processing and Monitoring of Common Application Forms An integrated online system will accept and electronically transfer applications to respective Competent Authorities as well as track & monitor status of the application. Under this system,

- (i) The common application form along with prescribed attachments shall be submitted/ uploaded online.
- (ii) The competent authority may ask for additional information from the applicant only once, within first 7 days, through the online portal only.

The reply to the additional information shall only be submitted online by the applicant.

- (iii) In case the additional information is not sought for by the competent authority within the prescribed time limit from the date of receipt of application, it will be construed that no additional information is required and original time limit for clearance shall apply and the competent authority shall decide on the basis of the documents submitted by the applicant.
- (iv) In case the additional information is sought for by the competent authority within the prescribed time limit, the time limit prescribed in Section 5 and Section 6(4) of the Act shall be counted from the date on which the additional information is furnished by the applicant online.
- (v) The competent authority shall process the application and communicate the decision (approve/reject the request along with his comments) within the time limit prescribed in Section 5 and Section 6(4) of the Act to the applicant.
- (vi) Applicant will be allowed an option to file for all clearances at once or may choose to apply at various intervals. In case an application for clearance is rejected the applicant may be allowed to file application for the clearance afresh.
- (vii) Every approval/ certificate will be given a unique Single Window Clearance ID which can be used for third party verification of approvals in public domain.

(4) Special provisions and measures to simplify process & procedures: Spot approvals shall be given in case of clearances which require only a scrutiny of basic documents. A list of such clearances will be notified by the Department on the advise of the State Board from time to time.

(5) Fees for processing applications: Fees and deposits shall be collected from the

applicant during various stages of clearances by the secretariat. Application processing fees will be notified by the Department on the advise of the State Board from time to time.

- (6) Rationalization of the inspection for clearances: A joint inspection by all the competent authorities shall be encouraged for the clearances which require inspection.

7. Financial Incentives to eligible industrial units :

- (1) The proposals cleared under rule 6(2) (iv) shall be put up before the competent authority for a decision. All proposal approved in a meeting of the State Board shall be placed before the competent authority in one lot. Decisions shall be taken in the same sequence in which the State Board approves the proposals. In case a proposal has to be approved out of turn, sufficient reasons for such deviations shall be recorded and approved by the Commissioner.
- (2) The competent authority and the time limit to accord approval and decision of Financial Incentives shall be as follows:
- (i) The Commissioner within a time limit of 15 days shall take a decision on the proposals, which involve investment of Rs. 2.5 Crore and less. If the decision on the proposal is not taken within the prescribed timeline, the reason for delay shall be recorded.
- (ii) Proposals which involve investment of more than Rs. 2.5 Crore and up to a limit of Rs. 10 Crore shall be decided by the Minister, Department of Industries within a time limit of 15 days.
- (iii) Proposals which involve investment of more than Rs. 10 Crore and up to a limit of Rs. 20 Crore shall be decided jointly by the Minister, Department of Industries and Minister, Department of Finance. The Minister, Department shall decide within 15 days and subsequently the Finance Minister shall take a decision within the next 15 days.
- (iv) Proposals above Rs. 20 Crore shall be decided by the State Government.
- (3) The State Government shall revise the above mentioned time limits, financial limits and competent authority, from time to time, through notification.
- (4) Incentives, once sanctioned, shall be disbursed by the Secretariat without any further reference, to any authority in a time bound manner subject to any conditions which may be attached to the sanction.

- 8. Self-certification:** The Commissioner shall issue instruction for random verification of self-declaration under section 8 of the Act. Verification shall be conducted by the Secretariat or shall direct a public authority to conduct an enquiry, which shall submit its findings to the Chairman for necessary action.

9. Deemed Approval:

- (1) In case the competent authority fails to issue the clearance within the time limit as specified in Section 6(4) of the Act, the Secretariat shall communicate the deemed approval in the form prescribed by the concerned department with a copy to the concerned Department. The Secretariat shall designate officers for issuing all such deemed clearances.
- (2) The deemed approval shall take effect from the date on which the time limit for such clearance has expired.
- (3) In the eventuality of delay of clearances resulting in issue of deemed approval, the competent authority shall be liable for imposition of penalty as per extant rules.

10. Grievance/Appeal:

- (1) In the first instance, all grievances will be referred to the Commissioner. All grievances will be disposed within 30 days by the Commissioner.
- (2) The applicant can submit and track his/her grievance through an online system.
- (3) In order to effectively answer the investor queries regarding policies, approvals, incentives, application process, single window etc., a centralized helpline number will be notified by the State Government.

11. Power to give directions:

- (1) The State Government may, from time to time, issue to the State Board or the Secretariat such general or special directions of policy as may be deemed necessary or expedient for the purpose of promoting investment in the State.
- (2) The Commissioner shall have power to give direction to the Public Authority to carry out investigation, enquiry and seek a report on issues related to clearance under the various acts required for investment proposals within a prescribed time limit.

12. Penalty :


- (1) Any public authority who fails to comply with the directions of the State Board and the Secretariat within the prescribed time shall be liable to conviction / punishment as per Section 11(1) of the Act.
- (2) Further, designated official(s) of the concerned Public Authority not complying with the defined timelines for providing clearances, without sufficient and reasonable cause, shall be liable for action as per their respective service rules.

Provided that the designated officer(s) of the Competent Authority shall be given a reasonable opportunity of being heard before any penalty is imposed.

- (3) Any applicant who fails to comply with the declarations or undertaking given to the Secretariat or other concerned departments shall be liable to conviction / punishment as per instant legal provisions.

13. Miscellaneous: The Government may issue guidelines not inconsistent with the provisions of the Act and these Rules for smooth implementation of the provisions of these rules.


By order of Governor of Bihar


Principal Secretary to the Govt. of Bihar

No.: 3074/ Patna, Dated - 28.12.2017

File No.: 4Tech./IIP Rules, 2016/151/2016

Copy to: Superintendent, State Printing Press, Gulzarbagh, Patna to publish in the special edition of Bihar gazette. Request to print 1000 copies of the published gazette and make it available to the Department.



Principal Secretary

Department of Industries, Bihar, Patna.

No.: 3074/ Patna, Dated - 28.12.2017

File No.: 4Tech./IIP Rules, 2016/151/2016

Copy to: For information and necessary action - To all Department/ department Head/Commissioner, Commercial Taxes/Managing Director, all Corporations under Department of Industries/Bihar Industrial Area Development Authority/Chief Executive Officer, Bihar State Khadi and Village Industries Board, Patna/Chairman, Bihar State Electricity Board, Patna/ All Divisional Commissioner/All District Magistrates/All Deputy Development Commissioner/Director, Technical Development/Director Industries/Resident Commissioner, Bihar Bhawan, New Delhi, All General Manager, District Industries Centre/Director, Micro, Small and Medium Enterprises Development Institute, Patna/Muzaffarpur.


Principal Secretary

Department of Industries, Bihar, Patna.



BIHAR START-UP POLICY, 2017

Department Of Industries, Govt. Of Bihar



Govt. of Bihar

1. Preamble

- 1.1 Bihar is progressing fast on the track of development, with unrelenting efforts being made towards strengthening infrastructure and promoting industrial growth. Government of Bihar is committed to improve competitiveness of the state's economy and achieving inclusive growth. This can be realized by promoting innovation and creating an ecosystem that nurture startups from concept to commissioning.
- 1.2 Bihar has the advantage of a demographic dividend given the high proportion of youth in its population; there are limited employment opportunities for them to make productive economic contribution. Youth grow in a job-oriented society where entrepreneurship is not seen as a career option. Moreover, the current educational system is designed in a manner that places limited emphasis on entrepreneurship.
- 1.3 One of the most exciting features is the ability of these Startups to rapidly build scale and become global players. The chances of success are greatly increased when these businesses are supported with an appropriate eco system. Bihar has an opportunity to develop its own world class eco system, the talent; resources and ambition are most certainly present in the State. Startups are expected to play a vital role in the emergence of the Bihar economy. The development of this segment is most critical to meet the national imperatives of financial inclusion and generation of employment across urban, semi-urban and rural areas across the State. The new wave of Startups will act as a catalyst to bring about this socio-economic transformation.
- 1.4 In order to unlock the innovation potential of Bihar, a need of conducive and friendly Startup policy has been realized. With this policy framework along with private participation, the Government aims to enhance the depth and breadth of startup ecosystem in Bihar. Hence accelerating GSDP growth, contribute to the creation of thousands of jobs, counteract the process of brain drain and rejuvenating the next wave of economic growth in the State.
- 1.5 Government of Bihar formulated and notified Bihar Startup Policy, 2016 vide Resolution No. – 1849 dated 7th September, 2016. This is to create an independent and transparent eco system, where the State shall provide funding, promotion and policy support. The State has setup a Trust, with an initial corpus of INR 500 Cr., which acts as the nodal agency for implementation of this policy.
- 1.6 The State Government received very promising feedback including areas of improvement in implementation of the policy from various stakeholders. In order to address the feedback received and further strengthen the policy, Government of Bihar repeals the Bihar Startup Policy, 2016 and promulgates the Bihar Startup Policy 2017

2. Vision

2.1 The vision for the Bihar Startup Policy, 2017:

“To enable Bihar emerge as the most preferred destination for start-ups and entrepreneurs by leveraging the potential of local youth through a conducive startup ecosystem for inclusive growth in the State”

2.2 Bihar Startup Policy has been designed on following four pillars (YUVA)

YES to Start-ups (Awareness, Networking and Mentoring Campaign)

Unleash Regulatory Enablers for Supporting Start-ups

Vibrancy in Education System to encourage and facilitate Start-ups

Access to financing & incubation support

3. Policy Period

Bihar Start-Up Policy, 2017 will be effective from the date of Notification and will remain in operation for 5 years.

4. Objectives

4.1 Introduce, promote and encourage entrepreneurship education and career amongst the youth through various programs like “Udyami Bihar, Samridh Bihar Campaign”, Entrepreneurship Awards, Innovation Challenges and Business Plan Competitions etc.

4.2 Facilitate development of Entrepreneurship Development Centers in Divisional Towns and Nagar Nigam(s);and Entrepreneurship Facilitation Centers to increase awareness and promote entrepreneurship amongst the youth.

4.3 Create a sector-agnostic policy, enabling innovation in any and all possible sectors of development focusing upon: initiatives that leverage natural resources and human capital of the State, innovative and disruptive ideas with huge growth potential and initiatives in the areas which create multiplier impact.

4.4 Encourage Entrepreneurship through education by introducing learning modules in the university/ schools, MOOC (Massive Open Online Courses), Internships amongst others.

4.5 Facilitate development of new and support expansion of existing Incubators/common infrastructure spaces.

4.6 Provide a one stop comprehensive portal for startups to access financial support (SEBI

registered- Alternate investment funds, Empanelled Angel Investor, etc.), regulatory support, Network of mentors and Empanelled Project Management Consultants.

- 4.7 Enable hassle-free and time bound statutory clearances for startups.
- 4.8 Create a platform for accessing multiple avenues that provide financial support and encourage investors through incentives to invest in Bihar based startups.
- 4.9 Create an inclusive policy which embarks groups like SC/ ST, woman enterprise and differently-abled.
- 4.10 Provide appropriate institutional support to enable the nurturing of startups.

5. Definitions

- 5.1 **Angel Investor:** Angel Investor is (also known as business angel/informal investor) an individual or group of investors who invest in startups at an early commercialization stage in return of convertible debt/equity.
- 5.2 **Alternate Investment Funds:** Alternative investment funds (AIFs) are defined in Regulation 2(1) (b) of Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012. It refers to any privately pooled investment fund, (whether from Indian or foreign sources), in the form of a trust or a company or a body corporate or a Limited Liability Partnership (LLP) which are not presently covered by any Regulation of SEBI governing fund management (like, Regulations governing Mutual Fund or Collective Investment Scheme) nor coming under the direct regulation of any other sectoral regulators in India-IRDA, PFRDA, RBI.
- 5.3 **Category I Alternate Investment Funds:** Category I Alternate Investment Funds are defined in Regulation 3(4) (a) of Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012. It refers to AIFs which invest in start-up or early stage ventures or social ventures or SMEs or infrastructure or other sectors or areas which the government or regulators consider as socially or economically desirable and include venture capital funds, SME Funds, social venture funds, infrastructure funds and such other Alternative Investment Funds as may be specified;
- 5.4 **Commercialization Stage:** Commercialization Stage refers to an integral stage in lifecycle of startup wherein startups scale up their business and commercialize product/ services.
- 5.5 **Expert Committee:** An Expert Committee shall be constituted as per para 1.6
- 5.6 **Differently-abled:** As defined in “Person with disability (equal opportunities, protection of rights and full participation) Act, 1995 and any other statute enacted for the welfare of person with disability.
- 5.7 **Entity:** Entity refers to Private Limited Company (under The Companies Act, 2013) or a

- Registered Partnership Firm (under The Indian Partnership Act, 1932) or Limited Liability Partnership (under The Limited Liability Partnership Act, 2008).
- 5.8 **Family Business:** A family business is one in which the majority of the stake is held by the person who has established or acquired the company (or by his or her parents, spouse, child or child's direct heir) and at least one representative of the family is involved in the management (either directly or indirectly) administration of the business.
- 5.9 **Financial Management Company:** A Financial Management Company shall be created by the Trust as per para 11.3.
- 5.10 **Fund Manager:** Financial Management Company shall appoint one or more fund managers for managing the fund and also activities mentioned under this policy.
- 5.11 **Government:** Means Government of Bihar in this Policy unless otherwise specified.
- 5.12 **Idea Stage:** Idea Stage refers to an integral stage in lifecycle of startups wherein feasibility analysis of the idea is performed to evaluate the success/failure of the concept.
- 5.13 **Incubator:** Incubator means physical spaces which helps entrepreneurs to convert their ideas in becoming successful and profitable ventures by supporting them in business planning, mentoring, recruiting their top team, commercializing their technologies, developing their products, getting early seed funding, help in forging partnerships at the national and global level, advice on intellectual property, training and development and many other things. This could be a private agency or a government institution.
- 5.14 **Mentoring:** Mentoring is generally a pool of industry experts/ academicians that help startups by providing unbiased guidance, strategic support and thinking and help them build their network.
- 5.15 **Registered:** Registered refers to an entity registered with Registrar of Companies (RoC) Bihar.
- 5.16 **Seed Grant:** Seed Grant is a financial assistance provided to startups to develop a prototype product and generate sufficient investor interest for subsequent rounds of funding. Terms and conditions of the financial assistance are mentioned in para 10.5.1.
- 5.17 **Scheduled Caste (SC)/Scheduled Tribes (ST) Enterprise:** Enterprise fully owned by SC/ST. Partial shareholding of SC/ST in an enterprise shall not be treated as SC/ST enterprise.
- 5.18 **State Supported Incubators:** means incubator(s) supported by Government of Bihar and/or Government of India.
- 5.19 **TBI:** A Technology Business Incubator (TBI) as recognized by Department of Science and Technology, Government of India.

- 5.20 **Trust:** Trust means a nodal agency constituted by Department of Industries, Government of Bihar under The India Trusts Act, 1882 for the purpose of implementation of this Policy.
- 5.21 **Validation Stage:** Validation Stage refers to an integral stage in lifecycle of startups wherein the product/service is produced and delivered in a limited capacity which can be scaled up upon the success and requirement.
- 5.22 **Venture Capital:** Venture Capital is the fund invested in start-up at commercialization stage upon critical appraisal of the project undertaken by venture capital companies. The capital is generally invested in return of equity shareholding.
- 5.23 **Woman Enterprise:** An enterprise headed by woman where 100% stake is owned by woman. Partial shareholding of Woman in an enterprise shall not be treated as Woman enterprise.

6. What is Start-Up in Bihar?

- 6.1 Startup means an entity, incorporated or registered in Bihar not prior to five years with an annual turnover not exceeding INR 25 Cr. in any preceding financial year, working towards innovation, development, deployment or commercialization of new products, processes or services driven by technology or intellectual property.
- Provided also that an entity shall cease to avail further benefits under this policy if its turnover for the previous financial years has exceeded INR 25 Cr. and/ or it has completed 5 years from the date of incorporation/ registration unless the context otherwise stated;
 - Provided that such entity is not formed by splitting up, or reconstruction, of a business already in existence and should not have been formed by the demerger or reconstitution of a business already in existence;
 - Provided that such entity is not a holding company and it is not a subsidiary of any firm already in existence or except the subsidiary of any startup;
 - Provided further applicable taxes from the operations of the company are payable in Bihar.

6.2 Certification of Startups

All applications of potential startups received by the Trust shall undergo a preliminary examination by a committee set up by the Trust headed by the Principal Secretary/ Secretary, Industries Department. After preliminary examination a list of shortlisted applications shall be tagged to the concerned subject related incubators. The List of all such tagging (applicants with incubators) shall be approved by the Trust. The Incubators after the incubation process shall prepare a proposal on the following issues:

- a. The amount of funding assistance required at various stages
- b. Any requirement of common infrastructure or other infrastructure created under this policy.
- c. Any assistance as envisaged under this policy.
- d. Business Plan.

The list of such recommendations/proposals of the incubators shall be placed before the Expert Committee as mentioned in para 11.6. The Expert Committee shall examine these recommendations and recommend for certification of startups. The Trust on the recommendation of the Expert Committee shall certify Startups. It is only after this certification that the startups shall be eligible for financial incentives under this policy.

6.3 **Exit Conditions**

- a. If the company is found guilty on any charges of fraud or if the company is found to have made any false declarations to claim any benefits from or derived under this policy. Legal action shall be initiated to recover all financial assistance provided to such an entity.
- b. Once an entity ceases to be recognized as a start-up; the Government or entity through which the Government makes its investment will be eligible to exit its investment in the start-up and guidelines for exit will be framed by trust for channelizing investments into the start-up. When the Government or its representative entity exits its investment; the right to nominate a representative director on the board of the start-up will also be extinguished.

7. **Yes to Start-Up**

7.1 **Promoting Awareness “Udyami Bihar, Samridh Bihar Campaign” and Facilitating Networking Platform for Startups**

Bihar has the advantage of a demographic dividend given the high number of youth in its population and there are limited employment opportunities for them to make productive economic contribution. Youth in India grow in a job-oriented society where entrepreneurship is not seen as a career option. Moreover, educational system is designed in a manner that places limited emphasis on entrepreneurship. Government is committed to encourage entrepreneurship as an education and career both, for the youth across all economic and social segments of the population. It is essential to foster a culture that positively values entrepreneurs as a crucial factor to achieve inclusive economic growth. In order to reform the cultural perception of society towards entrepreneurship and inculcate entrepreneurial culture amongst youth, Government shall:

- a. Launch Startup outreach and awareness campaign “Udyami Bihar, Samridh Bihar ” at State level in collaboration with startup stakeholders
 - b. Recognize and promote achievements of successful local startups by organizing 'Entrepreneurship Awards'.
 - c. Organize state level challenges/business plan competitions
 - d. Support business networks (Industry Associations/Organizations promoting Startups) to organize startup awareness activities such as startup fairs
- 7.1.1 A proper networking amongst various stakeholders' viz. investors, academia, industry and other stakeholders is critical for an effective startup ecosystem. The startup community needs a platform to inter communicate at a national and international level to exchange and collaborate amongst each other.
- 7.1.2 Government for creating an effective startup ecosystem shall organize 'Bihar Startup Fest', a platform to amalgamate the startup ecosystem and provide visibility to State startups.
- 7.2 **Assistance for Idea Development**

Conducive startup ecosystem enables youth to convert their ideas into meaningful propositions. A proper guidance system is essential for youth to express and enhance their ideas. In order to spread awareness and provide guidance to potential entrepreneurs, State shall provide financial assistance to facilitate:

- a. Setting up Entrepreneurship Development Cells in Divisional towns and Nagar Nigam(s) in collaboration with Education Institutes, Bihar based industrial associations/organizations promoting startups.
 - b. Setting up Entrepreneurship Facilitation Centers at Educational & Professional Institutes.
- 7.2.1 These Cells/Centers shall:
- a. Organize various promotional events to disseminate awareness about entrepreneurship and promote startup culture in the state under “Udyami Bihar, Samridh Bihar Campaign”.
 - b. Provide assistance to students/potential entrepreneurs for presenting and enhancing their idea to various stakeholders of start-up ecosystem viz. Government, education institutes, incubators, industry experts, legal, tax and business consultants.
 - c. Support startups for preliminary mentoring and business plan support, company registration, market research support, business structuring advisory and management consultancy.

8. Unleash Regulatory Enablers for supporting Startups

8.1 Setting up comprehensive one stop portal for Startup- Ecosystem in Bihar

Statutory clearances from relevant regulatory authorities are pre-requisite for a start-up to commence operations. Limited awareness of the processes increases the turnaround time for registration, hence delays the commencement of operations for the Startups. A single window clearance system supported by interactive training manuals and checklist would enable Startups to register themselves in an easy and timely manner.

Start-up ecosystem needs a single platform for interaction and collaboration with each other. In order to establish a single platform for interaction and information sharing of various stakeholders, a Startup Bihar portal shall be launched. This portal shall provide instant accessibility to startups for:

- a. Accessing interactive tutorials for registration process and checklist for the various clearances required with specified timelines.
- b. Registering with relevant authority and filling various State Level compliances at State level through standardized forms.
- c. The portal shall also be integrated with other Government of India sponsored Startup Portals for connecting with various stakeholders of the ecosystem.
- d. Interacting and collaborating with various stakeholders viz. Registered network of mentors and professional experts, incubators, academia, empanelled Project Management Consultants and angel investors, SEBI-registered AIFs (Alternate Investment funds) and other stakeholders.
- e. Empanelled mentors of networks to startups having potential for growth and scalability.
- f. Accessing various State Government Schemes and Incentives available for Startups.

The portal shall also be made available in form of a mobile app and supported by a Toll free helpline to facilitate application/ assistance. Clearances for registration/ application shall be ensured in a time bound manner.

8.2 Optimizing Regulatory Framework- Enabling regulatory environment for Startup Ecosystem

Starting up a business involve getting various stages of departmental approval and clearances. Most of the startups are unaware of the complex policies and regulatory framework, which may hinder their regular operations. Therefore, it is imperative for Government to minimize the regulatory compliances, punitive actions and provide support /awareness to these propellers of next stage economic growth.

In line with above, Government shall enhance the ease of doing business by minimizing inspections and encouraging self-certifications:

- a. Startups shall be exempted from licensing/registration for operations under various State Acts for a period of 5 years. However, Statutory Licenses (such as Drug License, FSSAI, Building Plan, Fire Fighting) shall be required to be obtained by the startup if its nature of business/activity may lead to potential threat to life and safety, in such cases Government shall bear the cost of license(s).
- b. Startup shall be exempted from inspections by Government Regulatory Agencies for a period of five years unless there is threat to life and safety. In case a unit has to be inspected for certain reasons the permission of the District Magistrate shall be obtained.
- c. Self Declaration shall be submitted by Startups annually as per the format prescribed by State Government.
- d. State Government Departments/ PSUs shall be advised to give preference to Startups in procurement process for products/ services
- e. State Government shall allot 10% of spaces in forthcoming industrial parks, SME Clusters and Hub for Startups/Incubators/ Common Shared Infrastructure on preference.

9. Vibrancy in Education System

Education institutes provide an apt environment for introducing and educating entrepreneurship for promoting the culture of innovation. Government recognizes the importance of reforms in education for creating entrepreneurial spirit amongst students.

In order to promote startup culture and innovation in youth of Bihar, Government shall facilitate/recommend following interventions:

- a. Embed Entrepreneurship modules in high schools, university, skill training, and vocational training institutes' curriculums/ programs. Education institutes will be suggested to introduce Massive Open Online Courses (MOOCs) as electives and make internships/apprenticeship mandatory.
- b. Education / Professional Institutes shall be supported to formulate Entrepreneurship Facilitation Centre to guide and assist students to pursue entrepreneurship.
- c. Organize Business/Innovation Idea Competitions amongst students. Shortlisted ideas shall be provided support for prototyping and will be showcased in Start-up Fest organized by the State.
- d. Organize social innovation challenge through Entrepreneurship Development Cells to provide challenge grant to 20 social innovators to support their ideas.

10. Access to Funding and Incubation Support

10.1 Facilitating Incubation Centers for Startups

Incubation centers are crucial for nurturing promising Startups. They provide access to mentoring network, market network, shared physical infrastructure etc. Creation of Physical Infrastructure generally requires large capital investments. Considering this, following incentives/financial assistance shall be provided to startups:

- a. Financial assistance for setting up of new incubators and expanding State supported Incubators.
- b. Reimburse cost of incubating a startup maximum up to Rs 2 Lakhs per incubatee to Government recognized private / state supported incubators.
- c. Fiscal incentive to Incubators @2% of the investment received by its incubatee from SEBI registered AIFs (Alternate Investment Funds) into Bihar based startups.
- d. Fiscal Grant to State Supported Incubators @3% of the investment received by its incubatees from SEBI registered AIFs (Alternate Investment Funds) or Grant received from Government of India for promoting technology based (IPR) startups and @5% for startups in social sectors providing solutions to public service access problems in Bihar in areas like health, education and nutrition etc.
- e. The Government shall provide financial assistance to match the funding raised by Incubator(s) from Government of India and Multilateral donor agencies on 1:1 basis on same terms and conditions.

10.2 List of State Supported Host Institutes

Pilot Institutes (Phase-I)

- a) Indian Institute of Technology (IIT), Patna
- b) National Institute of Technology (NIT), Patna

Host Institutes (Phase-II)

- c) Rajendra Agricultural University, Pusa
- d) ICAR Research Complex for Eastern Region, Patna
- e) National Institute of Fashion Technology (NIFT), Patna
- f) Birla Institute of Technology, Patna
- g) Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET), Bihar
- h) UpendraMaharathi Institute, Patna
- i) Chandragupta Institute of Management, Patna
- j) Tool Room and Training Center, Patna

- k) Bihar Agricultural University, Sabour
- l) Apparel Training and Design Centre, Patna

The pilot institutes shall extend all possible handholding support to establish incubators in other State Supported Host Institutes in a phased manner. The State Government shall from time to time declare new institutions as State Sponsored institutions under this policy.

10.3 Common Infrastructure for Start-ups

Government shall facilitate creation of common infrastructure for Startups. The shared infrastructure shall include:

- a. Co-working spaces.
- b. Provide shared facilities like R&D labs, cubicles, conference rooms etc.
- c. Shared software and hardware like high-end printer, computers etc.
- d. Common testing labs and tool rooms.
- e. Shared services like legal, accounting, technology, patents, investment banking.
- f. Individual accommodation and hostel rooms
- g. Community events and promotional support for incubation and startups
- h. Common facilities Centers (warehouse, Storage, Quality Assurance labs)

Common infrastructure spaces shall be established either by Government or through PPP mode. This support shall be available on Free of Cost (FOC) basis to Startups for a period of 3 years.

- 10.4 Apart from the incubation centres, a “**Bihar Innovation Hub**” shall be developed preferably on PPP basis (viability to be assessed by trust) which shall provide all services of an incubator including shared work spaces, professional business advisory/consultancy; access to funding and also provide support at commercialization stage including networking and merger & acquisition, valuation advisory amongst others. This innovation hub shall be further expanded into virtual incubator to widespread its reach.

10.5 Funding Support to Start-ups

Funding support shall be provided to Startups in various stages of its business cycle.

Validation Stage:

10.5.1 Seed Funding Support

A Seed Grant upto Rs 10 Lakhs per start-up as interest free loan for 10 years shall be provided to startups. This financial assistance shall be released on achieving milestones/phases and performance parameters defined by Incubation Center and the trust. The financial assistance shall be provided to startups for validation of idea, prototype development, assistance towards travelling costs and carrying out field/ market research/ skill training/ marketing and initial activities to setup a startup etc. The actual amount of funding shall be based on the assessment made jointly by the incubation centre and the Expert Committee. The loan shall be returned after 10 years. An amount equal to 5% of the seed grant shall also be contributed by the Incubatee into the startup.

Commercialization Stage

10.5.2 Early Stage Funding Support

- a. Free of cost Valuation for Startups.
- b. Facilitate access to Angel Investors.
- c. A success fee @2% of investment shall be provided to startups for mobilizing investments from state registered angel investors towards early stage funding.
- d. A financial assistance equal to the amount invested in startup by the Angel Groups and Category I Alternate Investment Fund shall be given as loan to the Startup. The rate of interest and terms and conditions of the loan shall be notified by the Trust from time to time.

10.5.3 Scale-up Funding Support

- a. The Trust may participate in SEBI registered AIFs (Alternate Investment Funds) and Venture Capital Funds, upto 25% as Limited Partner. The Venture Capital Fund so created shall invest at least 50% (i.e. equal to twice the contribution made by trust in the VC Fund) in startups located in Bihar.
- b. The Trust shall facilitate listing and public issue of Startups in collaboration with National Level Stock Exchanges such as BSE/NSE.

Incentives/ provisions under Bihar Industrial Incentive Policy in force will be available to startups. However the incentive for the same component cannot be claimed from more than one scheme.

Efforts will be made to leverage relevant benefits available under various schemes of Government of India.

10.6 Zero Cost for filing patents – Domestic and Foreign

Intellectual Property (IP) is an invaluable business tool for startups, or entrepreneurs,

providing initial start to one's business. IP gives an exclusive right to the creator over the use of his/her' creation for a certain period of time. With increasing new avenues in businesses, “the Intellectual Capital” has become one of the key wealth drivers in present era. In today's competitive and dynamic environment, IP can be unique selling proposition (USP) of the product or service allowing high entry barrier for startups to grow faster than competitors. Investors weigh IPs heavily and create good value for venture.

In order to encourage the registration of IPRs (Intellectual Property Right) by Startups and provide facilitation support for protection and commercialization of IPRs, Government shall:

- a. Bear all costs associated towards filing domestic patents.
- b. Provide additional financial assistance in form of reimbursement for awarded foreign patents towards filing fees.

10.7 Additional incentives to SC/ST/Women/Differently-Abled

Incentives listed below shall solely be applicable to startups which are fully owned by any one person of this category or a group/mix of the person defined in this category only. Efforts shall be made to identify persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribe and promote entrepreneurship among them.

- 10.7.1 The Trust may set up Project Management Units to specifically handhold them in setting up their ventures.
- 10.7.2. Entrepreneurs under this category will avail additional grant / exemption / subsidy than the limit fixed under clause 10.5.1 and 10.5.2 of this policy
 - a) Woman Enterprise-additional 5%
 - b) SC/ST-additional 15%
 - c) Differently Abled- additional 15%
- 10.7.3 Additionally, 22% (20% SC/2%ST) of the total corpus for funding startups shall be reserved for SC/ST.
- 10.7.4 Based upon the requirement, Government shall relax the eligibility criteria, as stated in clause 6.1, for certifying startups belonging to SC/ST/ women and differently abled.

11. Institutional Framework

- 11.1 A Trust is an autonomous body constituted under the Chairmanship of a professional with an experience in investments in companies. The composition of Trust shall be:

Expert in area of investment or the Development Commissioner till such appointment is made by the Government	Chairperson
Principal Secretary/ Secretary, Industries	Member- Secretary
Principal Secretary, Finance	Member
Principal Secretary, Planning	Member
Principal Secretary, Science and Technology	Member
Two Principal Secretaries/ Secretaries to be nominated by the Government	2- Members
Director IIT Patna, Director NIT Patna, Director CIMP.	3- Members
Representatives of Associations, Organisations and Institutions promoting Entrepreneurship	3- Members
Special Invitee members (Subject/Sector experts)	2- Members
Representative of Financial Management Company	2- Members

11.2 **Single Window Clearance Committee**

All Statutory Licenses/Clearances required by startups (if not exempted otherwise under this policy) shall be facilitated on priority basis. This committee shall constitute of:

- Principal Secretary, Industries
- Representative for concerned departments

The committee shall ensure time bound clearances for all the matters as stated in the policy.

11.3 **Financial Management Company**

The Trust shall set up a Financial Management Company to carry out the financial operations of the Trust. The Financial Management Company shall disburse incentives, loans and other financial assistance to the Startups as decided by the Trust.

11.4 **Role of Trust**

As the nodal agency for this Policy, Trust shall be entrusted with the following roles and responsibilities:

- a. Management of awareness campaign for promotion of entrepreneurship amongst youth of Bihar
- b. Support Entrepreneurship Development Cells and Entrepreneurship Facilitation Centers
- c. Creating and managing common infrastructure for Startups
- d. Recommend reforms encouraging entrepreneurship in education.
- e. Creation of customized index to track the quality of Startup ecosystem by benchmarking national and international level
- f. Setting up, Operations and Management of Startup Bihar Portal
- g. Certification of Startups
- h. Conduct quarterly review meetings with committee for progress in the policy implementation
- i. Alignment of the Policy with other policies of State Government
- j. Amendment(s) and Modification(s), if any, required of the policy
- k. Liaison with other State Departments for effective implementation of the policy
- l. Liaison with Government Agencies and other agencies at national level like SEBI, etc to create optimal policies for funding assistance to startup
- m. Liaison with Multilateral Financial Institutions like World Bank, IFC for financial support to Startups.
- n. Resolution of any difficulty faced by startups during establishment and operations in Bihar
- o. Annual review of the Policy
- p. Overall Monitoring and Implementation of the Policy
- q. Identify and develop new markets for Startups in the State

11.5 **Role of Financial Management Company**

The Financial management Company setup by the trust shall carry out the following

activities:

- a. Asset Management of the trust
- b. Appointment of Fund Manager
- c. Facilitation of incentives in the policy such as cost of registration and licensing, zero-cost IPR and all other fiscal incentives stated in the policy
- d. Assistance for funding to Startups such as seed grant, early stage and scale-up funding and other funding support stated in the policy
- e. Financial assistance to set up Entrepreneurship Development Cells and Entrepreneurship Facilitation Centers
- f. Financial assistance in Creating and managing common infrastructure for Startups
- g. Investments in Startups as per this policy.
- h. Facilitate Investment related decisions under the policy in a time bound manner.
- i. Periodic assessment of policy and startup ecosystem
- j. Timely amendment and suggestion of the policy
- k. Keeping vigilant eye on policy implementation procedure
- l. Raise funds from Multilateral and Donor Agencies

11.6 **Startup Investment Advisory Committee (SIAC)**

The State Government shall set up an Expert Committee called the Startup Investment Advisory Committee consisting of eminent and experienced professionals. The SIAC shall carry out the following activities:

- a. Recommend the list of applicants under this policy to be certified as startups
- b. Assist the Trust in creating of a panel of Private Incubators
- c. Assist the Trust in creating a panel of Angel Groups and Category I Alternate Investment Funds
- d. Assist the Trust and the Financial Management Company to create a panel of Venture Capital Funds and aid in decision making of investments in Fund of Funds for Startups in Bihar.
- e. Advise the Trust on various issues related to the implementation of the Policy
- f. Advise the Trust and review the performance of the policy.

The Committee shall meet frequently for such matter(s) and gap between the two

consecutive meetings shall not be more than 90 days. The meeting of the committee can be conducted in person or virtually using technology such as video conferencing, conference calls whereby the members can hear and be heard by the other members of the committee.

11.7 Responsibility Matrix

S No.	Task	Responsibility
1.	Certification of Start-ups	Trust on the advise of the SIAC
2.	Awareness Campaign. State Level Challenge/ Competition & Bihar Startup Fest	Trust with assistance of Financial Management Company /any other agency(s)
3.	Financial Assistance for setting up of Entrepreneurship Development Cell/ Entrepreneurship Facilitation Centre	Trust with assistance of Financial Management Company
4.	Setting up One Stop Bihar Startup Portal	Trust with assistance of Financial Management Company/any other agency(s)
5.	Statutory License/ Registration under various Acts required for running a business	Single Window Clearance Committee
6.	Recommend Reforms in Education System	Trust with assistance of Technical Higher Education Institutes
7.	Funding/Incentive(s) appraisal	Financial Management Company
8.	Investments in Startups	Financial Management Company
9.	Incubation Support for Startups	Financial Management Company
10.	Common Infrastructure and Bihar Innovation Hub	Trust/ Financial Management Company
11.	Zero Cost IP Registration	Financial Management Company


12. Protection of action taken in good faith

- a. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against Trust, Financial Management Company, Startup Investment Advisory Committee or any official involved in the implementation of this policy in respect of anything which is done or intended to be done in good faith under this policy or in pursuance of any order, executive instruction or direction made or given thereunder.

- b. No suit or other legal proceeding shall lie against the Trust, Financial Management Company, Startup Investment Advisory Committee or any official involved in the implementation of this policy for a damage caused or likely to be caused by anything which is done or intended to be done in good faith under this policy or in pursuance of any order, executive instruction or direction made or given thereunder.

13. Bihar Startup Policy, 2016 has been repealed with effect from dated 17.03.2017.

By order of Governor of Bihar




(Dr. S. Siddharth)

Principal Secretary, Department of Industries
Bihar, Patna.

No.: 357/ Patna, Dated - 17.03.2017

Copy to :- State Printing Press, Gulzarbagh, Patna to publish in the special edition of Bihar Gazette.
Request to print 1000 copies of the published gazette and make it available to the Department.




(Dr. S. Siddharth)

Principal Secretary, Department of Industries
Bihar, Patna.

No.: 357/ Patna, Dated - 17.03.2017

Copy to :- For information and necessary action - To all Department/ department Head/Commissioner, Commercial Taxes/Managing Director, all Corporations under Department of Industries/Bihar Industrial Area Development Authority/Chief Executive Officer, Bihar State Khadi and Village Industries Board, Patna/Chairman, Bihar State Electricity Board, Patna/ All Divisional Commissioner/All District Magistrates/All Deputy Development Commissioner/Director, Technical Development/Director Industries/Resident Commissioner, Bihar Bhawan, New Delhi/All General Manager, DIC/Director, MSME Development Institute, Patna/Muzaffarpur.



(Dr. S. Siddharth)

Principal Secretary, Department of Industries
Bihar, Patna.

A series of 20 horizontal dashed lines, evenly spaced, spanning the width of the page. These lines are intended for writing or drawing.



श्याम रजक
मंत्री
उद्योग विभाग, बिहार

संदेश

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि उद्योग मित्र, उद्योग विभाग, बिहार द्वारा उद्यमियों/निवेशकों के सहायतार्थ राज्य के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016, उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र नीति-2016, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम (Rule) 2016, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम (Act) 2016 तथा स्टार्टअप नीति-2017 के हिन्दी एवं अंग्रेजी संस्करण को एक साथ समावेष्टित करते हुए एक कम्पेडियम का प्रकाशन कराया जा रहा है।

इस कम्पेडियम से उद्यमियों/निवेशकों को राज्य में उद्यम स्थापना करने के क्रम में सभी आवश्यक नीतियों/नियमों/अधिनियमों आदि की जानकारी एकीकृत रूप में प्राप्त हो पाएगी। यह कम्पेडियम राज्य के औद्योगिकरण की गति में तीव्रता लाने में सहयोगी साबित होगा।

मैं इस कम्पेडियम के सफल प्रकाशन एवं सम्यक इस्तेमाल की कामना करता हूँ।


(श्याम रजक)


विषय सूची

क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
क.	औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016	
1	परिचय	01
2	हमारी दृष्टि, मिशन एवं रणनीति	04
3	हमारी प्राथमिकता के प्रक्षेत्र	07
4	व्यवसाय को सुगम बनाने के उपाय	29
5	औद्योगिक निवेश हेतु आधारभूत संरचना का सुदृढीकरण	32
6	प्रोत्साहन हेतु सामान्य पैकेज	40
7	खरीद अधिमानता नीति	47
8	आने वाली नीति में रखने वाले प्रावधान के संबंध में	48
9	रूग्ण इकाईयों का पुनर्वास	49
10	नीति का क्रियान्वयन अनुश्रवण एवं तत्संबंधी शिकायत	51
11	परिशिष्ट – I परिभाषाएँ	53
12	परिशिष्ट – II उद्योगों की सूची	61
ख.	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016	
1	भूमिका	63
2	उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र	63
3	प्रोत्साहन पैकेज	69
4	सामान्य शर्तें	72
ग.	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016	77–83
घ.	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2016	85–93
च.	बिहार स्टार्ट अप नीति, 2017	
1	प्रस्तावना	95
2	संकल्पना (विजन)	96
3	नीति अवधि	96
4	उद्देश्य	96
5	परिभाषाएँ	97
6	बिहार का नवारंभ (स्टार्ट-अप)	99
7	स्टार्ट-अप को हॉ	100
8	स्टार्ट-अप सहायता के लिए विनियामक को उन्मुक्त करना	102
9	शिक्षा प्रणाली स्पंदन	103
10	स्टार्ट-अप के लिए इनक्यूबेशन केन्द्र को सुकर बनाना	104
11	सांस्थिक ढाँचा	108
12	सौहार्दपूर्ण वातावरण में की गई कार्रवाई से संरक्षण	111

बिहार

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति

2016



उद्योग विभाग, बिहार सरकार

संकल्प

विषय : राज्य में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016

बिहार सरकार राज्य के समावेशी आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है। यद्यपि यह राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है, परंतु राज्य के समावेशी आर्थिक विकास में द्वितीयक प्रक्षेत्र अर्थात् उद्योगों का योगदान समान रूप में महत्वपूर्ण है, अतः इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती हैं। राज्य में निवेश के वातावरण में अग्रेतर सुधार हेतु राज्य सरकार द्वारा अनेक पहल किए गए हैं तथा 15 प्रतिशत वार्षिक औद्योगिक विकास दर लक्षित किया गया है। इसका तात्पर्य है कि राष्ट्रीय उत्पादकता नीति एवं 'मेक इन इंडिया' पहल के अनुरूप राज्य के सकल घरेलु उत्पाद में द्वितीयक प्रक्षेत्र के योगदान को 25 प्रतिशत से अधिक किया जाना।

इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 का सूत्रण किया गया है। इस नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मुख्य रणनीति आधारभूत संरचना पर ध्यान केन्द्रित करना, प्रगतिशील तकनीक पर विशेष बल देते हुए भविष्य में विकास के मुख्य प्रक्षेत्रों को वरीयता प्रदान करना, कौशल विकास, एक संशोधित संरचित सहायता का पैकेज एवं संतुलित क्षेत्रीय विकास अर्थात् निवेश के लाभों को राज्य के सभी भौगोलिक क्षेत्रों तक पहुँचाना है। इसके अतिरिक्त इस नीति में समाज के वंचित समूहों के उत्थान एवं महिला उद्यमियों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए उनके लिए विशेष सहायता के पैकेज का प्रावधान किया गया है। नीति में इसके कारगर कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं उद्यमियों की शिकायतों को दूर किए जाने का सुपरिभाषित प्रावधान किया गया है। इस प्रकार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 राज्य के औद्योगिक विकास के लिए समेकित पहल है तथा इसमें बिहार आने वाले निवेशकों के लाभों के लिए विस्तृत प्रावधान है।

1. परिचय

बिहार भारत के सबसे तेजी से विकास कर रहे राज्यों में से एक है। वर्ष 2005-06 से 2014-15 तक की अवधि में बिहार के जी.एस.डी.पी. में वार्षिक 10.5 प्रतिशत की दर से निरंतर वृद्धि हुई है, जो कि महत्वपूर्ण भारतीय राज्यों में सर्वाधिक है। बिहार में पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक परिवर्तन की गति एवं पैमाने में वृद्धि देखी गयी है जो सरकार द्वारा शुरू की गई व्यापक घरेलु सुधार कार्यक्रम का परिणाम रहा है। इसमें सार्वजनिक वित्त के प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के निर्माण और सबसे महत्वपूर्ण बात कानून एवं व्यवस्था की मशीनरी में सुधार एवं सरकारी व्यय के साथ सार्वजनिक निवेश के सुधार में परिवर्तन रहा है। इन सभी परिवर्तनों ने राज्य में निजी निवेश एवं अधिक से अधिक उद्योग प्रतिबद्धता के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान की है।

बिहार के पूर्वी और उत्तरी भारत में, कोलकाता और हल्दिया के बंदरगाह के रूप में, कच्चे माल के स्रोतों और पड़ोसी राज्यों से खनिज भंडार के बंदरगाहों के उपयोग एवं विशाल बाजार की उपलब्धता की वजह से एक अनूठा स्थान है एवं इससे राज्य को विशेष लाभ प्राप्त है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है एवं यह सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत में फल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार बड़े पैमाने पर जल संसाधन में संपन्न है। जमीनी और सतह के पानी दोनों के रूप में राज्य में प्रत्येक वर्ष 1009 m.m.s औसत वर्षा होती है। राज्य की प्रमुख नदियों में गंगा मुख्य नदी है, जो हिमालय में अपने स्रोतों के साथ सहायक नदियों से जुड़ी हुई है। कुछ अन्य प्रमुख नदियों में से सरयू, गंडक, बुढ़ीगण्डक, बागमती, कमला और महानन्दा है। राज्य में प्रभावी औद्योगिक श्रम का एक बड़ा आधार है, जो राज्य के औद्योगिक विकास

एवं उद्योगों की विस्तृत श्रृंखला के रूप में राज्य को एक आदर्श स्थल बना रही है। खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी, विनिर्माण, स्वास्थ्य आदि राज्य में तेजी से बढ़ते उद्योगों में से कुछ हैं। राज्य में कृषि उपस्कर एवं छोटे मशीन विनिर्माण, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी और अक्षय उर्जा आदि क्षेत्रों के विकास के लिए पहल कर योजना भी बनाई गई है।

बिहार पूरे जोश के साथ प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास पर काम कर रहा है। पर्याप्त सड़कों के अभाव में कोई राज्य अपने आर्थिक विकास में वृद्धि के बारे में कैसे सोच सकते हैं। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार द्वारा राज्य में दूर-दराज के क्षेत्रों को पटना की राजधानी से जोड़ने के क्रम में यह संकल्प लिया है कि लोग एक स्थान से राज्य के किसी भी जगह अधिकतम समय छह घंटे में दुरी तय कर वे राजधानी तक पहुँच सकते हैं। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास भी किये हैं एवं परिणाम के रूप में सड़कों और पुलों का नेटवर्क तेजी से बढ़ा है। राज्य सरकार ने "बिहार सड़क संसाधन सुरक्षा नीति, 2013" को अपनाया है ताकि बढ़ती सड़क नेटवर्क के बेहतर रख रखाव को सुनिश्चित किया जा सकें।

बिहार राज्य में राज्य राजमार्ग (स्टेट हाईवे) की कुल लंबाई 4253 किमी है (2015 तक)। इसमें से लगभग 65 प्रतिशत हिस्सा डबल लेन सड़कों का है दूसरे तरफ राष्ट्रीय राज्यमार्ग का राज्य के आर्थिक विकास में सामरिक महत्व है। क्योंकि यह राज्य को पड़ोसी राज्यों से जोड़ता है। राज्य में राष्ट्रीय राज्यमार्ग की कुल लंबाई 4595 किमी है (2015 तक)। इसके नेटवर्क को और बढ़ाने के लिए तीव्र गति से प्रयास भी किए जा रहे हैं।

स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे जो कि बिहार के कुछ जिलों यथा—कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, गया एवं पटना से होकर गुजरती है। ये जिले शाखा सड़कों के माध्यम से इस हाईवे से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। जिससे राज्य के अंदर एवं दूसरे राज्यों यथा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के बाजार एवं मांग के आधार पर उत्पादों को भेजना सुलभ हो पाता है। यह भारत के प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केन्द्रों के लिए कनेक्टिविटी भी प्रदान करता है। कई राज्यों से होकर गुजरने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज हाईवे, जिसकी लंबाई 204 कि. मी. है, को और चौड़ा किया जा रहा है।

पूर्वी डेडीकेटेड फ्रेट कोरिडोर भी बिहार राज्य से होकर गुजरती है एवं बिहार को पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं पंजाब के साथ जोड़ती है, जो राज्य में उद्योगों के निवेश के लिए बेहतर है। इससे काफी कम परिवहन लागत के साथ कम समय में तैयार उत्पादों को बंगाल की खाड़ी में अवस्थित बंदरगाहों तक परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है।

राज्य सरकार ने उर्जा क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू किया है, जिसके तहत वर्ष 2016—17 तक 1330 मेगावाट, वर्ष 2017—18 तक 3310 मेगावाट तथा 2021—22 तक 7270 मेगावाट बिजली की कुल उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है, जो राज्य के लिए पर्याप्त होगी। इस क्रम में उर्जा विभाग द्वारा अपनी परिकल्पना को हकीकत में बदलने के लिए बिहार राज्य उर्जा उत्पादन निगम लि., (BSPGCL) द्वारा संयुक्त उपक्रम के तहत देश के प्रतिष्ठित कंपनियों यथा—नेशनल थर्मल पावर कॉ. (NTPC) एवं नेशनल हैट्रो पावर कॉ. (NHPC) के साथ इकरारनामा किया गया है। इसके तहत राज्य में अवस्थित बिजली क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं यथा नवीनगर स्टेज—1, बक्सर, भागलपुर एवं लखीसराय तथा बांका के विभिन्न चरणों को प्रारंभ किया जाना है। इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत राज्य की जरूरतों के मुताबिक सेंट्रल सेक्टर से उर्जा की आवश्यकता कम होगी एवं राज्य उर्जा की

आवश्यकताओं में पूर्ण करने में आत्मनिर्भर होगा।

राज्य के औद्योगिकरण के लिए भूमि की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। नतीजतन भूमि अधिग्रहण का महत्व काफी बढ़ जाता है। उद्योगों तथा अन्य संबद्ध क्षेत्रों में भूमि की बढ़ती मांग को पूरा किये जाने के क्रम में 1500 करोड़ रुपये के निधिकोष के माध्यम से लैंड बैंक की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया था। जिसे बढ़ाकर 2500 करोड़ रुपये किया गया। पिछले कुछ वर्षों में राज्य सरकार द्वारा भूमि बैंक एवं औद्योगिक क्षेत्रों का तेजी से निर्माण सुनिश्चित करने के लिए इस मद में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार को 1650 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है।

आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण औद्योगिक वातावरण में बड़े पैमाने पर परिवर्तन हुआ है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा कलस्टर आधारित दृष्टिकोण के तहत चमड़ा, छोटी मशीनरी, प्लास्टिक कपड़े, जूट एवं वस्त्र और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा दिये जाने एवं विशेष कलस्टर एवं MSME उद्यम को स्थापित करने की प्रक्रिया की जा रही है।

बिहार राज्य में निवेश की सुविधा के लिए एवं अनुकूल वातावरण बनाने के लिए कार्यप्रणाली/उद्यम को अपनाया जा रहा है जिससे राज्य तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। कुछ मुलभुत सुधार के उपाय किए गये हैं, यथा शिकायत निवारण के लिए उद्योग संवाद पोर्टल, एकल खिड़की प्रणाली का प्रभावी कार्यान्वयन विभिन्न श्रम कानुनों के तहत एकल एकीकृत प्रणाली, उद्योगों के जोखिम के आधार पर निरीक्षण अनुपालन प्रणाली, विभिन्न श्रम कानुनों/समकालीक संयुक्त निरीक्षण का प्रावधान।

वर्तमान औद्योगिक नीति के माध्यम से राज्य में उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल बनाने एवं महत्वपूर्ण क्षेत्र में अधिकतम निवेश करने के लिए लागू किया जा रहा है जिसमें विशेष रूप से निम्न क्षेत्रों में यानि खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन, छोटी मशीनरी उत्पादन, आईटी, आईटीईएस और इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण, वस्त्र, प्लास्टिक एवं रबर, अक्षय उर्जा, चमड़ा एवं तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र। इसका मुख्य उद्देश्य राज्य भर में उद्योगों की स्थापना के साथ राज्य के प्राकृतिक संसाधनों के महत्तम मूल्य संवर्धन एवं राजस्व पैदा करने तथा रोजगार सृजन करना है। इस नीति का मसौदा विभिन्न उद्योग संघों, उद्योगों के प्रतिनिधियों, निवेशक, विषय विशेषज्ञों के साथ गहन बातचीत एवं उनके विचार को समायोजित करने के उपरांत तैयार किया गया है। यह उम्मीद है कि इस नीति के कार्यान्वयन से राज्य का औद्योगिकरण के साथ रोजगार सृजन और समग्र विकास होगा।

2. हमारी दृष्टि, मिशन एवं रणनीति

2.1 हमारी दृष्टि

संतुलित क्षेत्रीय एवं सतत विकास की प्राप्ति हेतु राज्य के तुलनात्मक खूबियों को बढ़ाकर एवं नियोजन के अवसरों का अधिकतम लाभ उठाकर बिहार को सबसे अधिक अधिमानता वाला राज्य के रूप में स्थापित करना।

2.2 हमारा मिशन

- 15 प्रतिशत वार्षिक औद्योगिक विकास दर की प्राप्ति किया जाना।
- राष्ट्रीय उत्पादकता नीति एवं "मेक इन इंडिया" पहल के तहत राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीयक प्रक्षेत्र के योगदान को 25 प्रतिशत से अधिक किया जाना।
- सभी आर्थिक प्रक्षेत्रों में कुल मिलाकर 05 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित किया जाना।
- 15 हजार करोड़ रुपये का वास्तविक निवेश आकर्षित किया जाना।
- राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए उच्च स्तर का आधारभूत संरचना का निर्माण किया जाना।
- निवेश के लाभों को राज्य के सभी भौगोलिक क्षेत्रों तक समरूप कर क्षेत्रीय औद्योगिक असंतुलन को दूर किया जाना।
- समाज के उच्च प्राथमिकता वर्ग यथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, दिव्यांगों, युद्ध विधवाओं, एसिड हमले के पीड़ितों तथा तीसरे लिंग के उद्यमियों को अपेक्षाकृत अधिक आर्थिक लाभ प्रदान किया जाना।
- राज्य सरकार के "7 निश्चय" अन्तर्गत 1.50 करोड़ कुशल युवाओं के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उद्योगों द्वारा स्थानीय लोगों का कौशल विकास सुनिश्चित किया जाना।
- सुक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना एवं "जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट" उत्पादन कार्यशैली को अपनाया जाना।

2.3 हमारी रणनीति

हम वैसे निवेशकों के साथ काम करेंगे जो भविष्य में बिहार के गतिशील अर्थव्यवस्था की हमारी दृष्टि से सहमत हैं, जो सतत विकास के पथ पर आगे बढ़ने को उद्यत हैं। विशेषकर हमारी रणनीति निम्न प्रकारेण है:

- वैसे निवेशकों को प्रोत्साहित करना जो कृषि उत्पाद में मूल्यवृद्धि करते हैं तथा कृषकों की आमदनी को खाद्य फसलों के प्रसंस्करण एवं परिरक्षण द्वारा बढ़ोतरी करते हैं, विशेषकर फलों, सब्जियों एवं फसलों को।

- हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प के लिए बड़े बाजार की तलाश कर कारीगरों के परंपरागत कौशल का उपयोग किया जाना।
- बिहार को कुशल श्रम के श्रोत के रूप में अधिमानता दिलाने हेतु कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा में निवेश किया जाना, कुशल श्रम का देश के विभिन्न हिस्सों में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अत्यधिक कमी का पूर्वानुमान है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र के उपक्रमों को उनके सीमित भूमि की आवश्यकता तथा प्रति इकाई पूंजी एवं उर्जा, अधिक श्रम शक्ति की क्षमता के कारणवश अधिमानता प्रदान किया जाना।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम प्रक्षेत्र में कलस्टर विकास को प्रोत्साहित किया जाना।
- स्थानीय उत्पाद, स्थानीय कौशल एवं स्थानीय खपत आधारित उद्योगों पर जोर देना।
- कम उर्जा खपत एवं कम प्रदूषण वाले उद्योगों को अधिमान प्रदान करना।
- प्रस्तावित अमृतसर-कोलकाता-औद्योगिक कारिडोर (ए. के. आई. सी.) अन्तर्गत प्रस्तावित समेकित उत्पादन कलस्टर अन्तर्गत वृहद प्रक्षेत्र की इकाईयों को प्रोत्साहित किया जाना है। राज्य सरकार इकाईयों की स्थापना हेतु समुचित भूमि की तलाश में निवेशकों को सहायता प्रदान करेगी जबकि उनसे यह अपेक्षा होगी कि इन निरूपित क्षेत्रों के बाहर इकाईयाँ अपने स्तर से भूमि प्राप्त कर सकेंगे।
- हेरिटेज पर्यटन के विकास के लिए नए निवेश को प्रोत्साहित किया जाना जिसके लिए राज्य बड़े पैमाने पर अवसर प्रदान करता है।
- नई सुविधाओं के विकास और/अथवा विद्यमान सुविधाओं के सार्वजनिक निजी भागीदारी रूप में प्रबंधन में निवेश को प्रोत्साहित किया जाना।
- सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में आने वाले निवेशों में आपूर्ति के लिए आनुषंगिक इकाईयों का विकास करना।
- निवेशकों के लिए औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना में पेश आ रही समस्याओं/कठिनाईयों को मात्र एक मंच से दूर करने के लिए उद्योग संबाद पोर्टल की स्थापना किया जाना।

2.4 नीति का दायरा

नीति निम्न शर्तों के साथ राज्य में सभी नई इकाईयों के लिए लागू होगा:

- (क) किसी भी वस्तु का उत्पादन करने वाली इकाई जिसमें उत्पादन कार्य के परिणाम स्वरूप मूल्यवर्द्धन नहीं होता है, इस नीति अन्तर्गत विचारणीय नहीं होगा। इकाईयाँ जो मात्र व्यापारिक कार्यकलापों में संलग्न हैं, वे इस नीति के दायरे में नहीं आयेगी।
- (ख) व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों द्वारा प्रवर्तित इकाईयाँ जो सरकार (राज्य अथवा केन्द्र) द्वारा कभी काली सूची में डाली गई हो, वे इस नीति के लाभ प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

- (ग) व्यक्तियों/फर्मों/कंपनियों द्वारा प्रवर्तित इकाईयाँ जो पूर्व में कभी भी किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थानों द्वारा उनके द्वारा दिए गए ऋण के लिए डिफॉल्टर घोषित किया गया है तथा इनके विरुद्ध राज्य सरकार का कोई बकाया हो, वे इस नीति के लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
- (घ) इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन उन्हीं निवेशों के लिए अनुमान्य होंगे जो राज्य में किए गए हैं।
- (ङ) किसी प्राकृतिक आपदा अथवा व्यापार के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन का दावा नहीं किया जा सकता है।
- (च) यह नीति विदेशी निवेश सहित निजी निवेश के लिए मान्य है, परंतु केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा अकेले अथवा निजी भागीदारी में किए गए सार्वजनिक क्षेत्र निवेश के लिए अनुमान्य नहीं है।

3. हमारी प्राथमिकता के प्रक्षेत्र

बिहार में कुछ प्रक्षेत्रों यथा खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, पर्यटन, आदि में प्राकृतिक फायदे हैं और राज्य सरकार, अधिकतम रोजगार सृजन सुनिश्चित करने यथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने हेतु इन फायदों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहेंगी। प्राथमिक प्रक्षेत्रों का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण इस प्रकार है :

3.1 खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र

बुनियादी तौर पर एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारणवश बिहार में मानव उपयोग हेतु प्रसंस्कृत किये जाने वाले कच्चे सामग्रियों की पर्याप्त आपूर्ति प्रदान करने वाला बृहत कृषि एवं पशु उत्पादन आधार है। इन प्राकृतिक फायदों के बावजूद, खाद्य प्रसंस्करण का स्तर काफी निम्न है और एक टिकाउ उपभोक्ता बाजार प्रदान करते हुए राज्य की बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु खाद्य प्रसंस्करण स्तर को विकसित करने की भरपूर संभावना है। आगे, नगरों और ग्रामीण बिहार में बढ़ती हुई आय तथा परिवर्तित हो रहे जीवन-यापन व्यवस्था उपभोक्ता मांग को प्रसंस्कृत खाद्य की ओर खींच रहा है। अतएव, राज्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक टिकाउ अवसर प्रदान करता है और इस राज्य के औद्योगिकीकरण अभियान में अग्रणी भूमिका अदा करने की संभावना प्रदान करता है। प्रदान की जानेवाली प्रमुख उत्पाद के इन प्रक्षेत्रों में हमारी कुछ रणनीतिक फायदे इस प्रकार हैं।

प्रमुख कृषि उत्पादें	हमारी रणनीतिक फायदें
खाद्यान्न (अनाज एवं दालें) तथा तिलहन	<p>(क) विगत 5 वर्षों अर्थात् 2010-11 से 2014 के दौरान राज्य में अनाजों का उत्पादन स्तर वार्षिक तौर पर 5.65 प्रतिशत बढ़ा है। वर्ष 2014-15 में राज्य का अनाज उत्पादन 143.21 लाख टन था जो देश में सबसे अधिक है।</p> <p>(ख) हमारे कुछ महत्वपूर्ण उत्पाद हैं: चावल: 82.41 लाख टन, गेहूँ: 35.70 लाख टन, मक्का: 24.78 लाख टन, दाल: 4.28 लाख टन तथा तेलहन: 1.27 लाख टन।</p> <p>(ग) बिहार में मक्का की उत्पादकता देश के सभी राज्यों से अधिक है।</p>
फल (आम, अमरूद, लीची तथा केला) और सब्जी (आलू, बंदगोभी फूलगोभी, ओकरा) 2	<p>(क) सब्जियों के उत्पादन में देश में बिहार का स्थान पहला है।</p> <p>(ख) राज्य में उत्पादित कुछ महत्वपूर्ण सब्जियाँ हैं— आलू: 63.46 लाख टन, प्याज: 12.47 लाख टन, फूलगोभी— 10.03 लाख टन, टमाटर: 10.46 लाख टन। अन्य सब्जियाँ जैसे बंदगोभी, भिंडी, गाजर और मटर का भी उत्पादन होता है जो वाणिज्यिक प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त हो सकते हैं।</p> <p>(ग) राज्य में उत्पादित कुछ महत्वपूर्ण फल हैं: केला—15.27 लाख टन, आम—12.72 लाख टन, अमरूद—3.7 लाख टन एवं लीची 1.98 लाख टन।</p> <p>(घ) राज्य अपने लीची पैदावार हेतु भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विख्यात है और यहाँ पल्प, जूस, पल्प स्लैब, नेक्टर, जैम, जेली इत्यादि हेतु इकाई स्थापित करने की वृहद संभावना है।</p>

1. सभी आंकड़े वित्तीय वर्ष 2014-15 के वार्षिक उत्पादन के हैं।
2. सभी आंकड़े वित्तीय वर्ष 2014-15 के वार्षिक उत्पादन के हैं।

प्रमुख कृषि उत्पादें	हमारी रणनीतिक फायदें
मखाना	<p>(क) मखाना / गोरगॉन नट राज्य का एक विशेष उपज है जिसका उपयोग उच्च श्रेणी के खाद्य-पदार्थों में किया जा सकता है तथा इसका समुचित विपणन कर अच्छे दाम में बेचा जा सकता है।</p> <p>(ख) मखाना / गोरगॉन नट काफी पोषक एवं प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ है। इसकी तुलना मछली / मीट में उपलब्ध प्रोटीन से की जा सकती है। चीन में कच्चे मखाना बीज पाउडर को बच्चों के भोजन का एक अनिवार्य अंग माना जाता है।</p>
पशु उत्पादो (दूध, मांस मछली, अंडे शहद)	<p>(क) राज्य में कुल पशुधन जनसंख्या 329.38 लाख है और इसके काफी बढ़ने की उम्मीद है।</p> <p>(ख) कुल पशुधन की आबादी का लगभग 52 प्रतिशत दुधारु पशुओं की है जिसमें गाय 122.31 लाख, बकरी 121.53 लाख और भैंस 75.67 लाख है।</p> <p>(ग) 79.172 लाख टन प्रतिदिन की औसत उत्पादन के साथ दूध राज्य का सबसे महत्वपूर्ण भोजन उत्पादों में से एक है और इसके प्रसंस्करण के बहुत बड़े अवसर हैं।</p> <p>(घ) भैंस, बकरी और मुर्गी की बड़ी आबादी राज्य में मांस प्रसंस्करण के लिए एक महत्वपूर्ण बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है।</p> <p>(ङ) राज्य में 1071000 हेक्टेयर अथवा 2677000 एकड़ जलक्षेत्र है। इसमें तालाब (95,000 हेक्टेयर) आक्सबो लेक (9,000 हेक्टेयर), रिजम्वायर्स (26,000 हेक्टेयर) एवं वेट लैण्ड (9.41 लाख हेक्टेयर) है। राज्य में नदियों की कुल लंबाई 3,200 कि. मी. है। राज्य की विशाल जल संपदा ताजा मछली के प्रसंस्करण की सुविधाओं / इकाईयों के लिए लाभप्रद संभावना प्रदान करती हैं। वर्ष 2014-15 में राज्य में विभिन्न जल स्रोतों से औसत मछली उत्पादन 5 लाख टन वार्षिक था।</p> <p>(च) बिहार देश में शहद के 4 सबसे बड़े उत्पादकों में एक है और प्रतिवर्ष शहद का लगभग 6500 मे. टन उत्पादन करता है। शहद आधुनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण घटक होता जा रहा है और पौष्टिक भोजन की श्रेणी में रखा गया है। कम निवेश की आवश्यकता और अधिक राजस्व क्षमता की वजह से संभावित पहली पीढ़ी के उद्यमियों के बीच इसकी पहली पसंद होने की संभावना है।</p>

खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र :

इस नीति के तहत प्रोत्साहन राशि लेने के उद्देश्य हेतु नीचे विवरणित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को प्राथमिक प्रक्षेत्रों के अंतर्गत माना जायेगा।

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
खाद्यान्न (अनाज एवं दालें) तथा तिलहन प्रसंस्करण	<p>(क) स्टार्च एवं मवेशी तथा/या पॉल्ट्री फीड के उत्पादन हेतु इकाई सहित, 100 टी.पी.डी. से अधिक की स्थापित क्षमता की मक्का प्रसंस्करण की इकाईयाँ।</p> <p>(ख) 100 टी.पी.डी. से अधिक की स्थापित क्षमता की अन्य अनाज प्रसंस्करण/आटा/स्टार्च/डफ मिक्सैज, ब्रेकफास्ट फूड मैनुफैक्चरिंग इकाई।</p> <p>(ग) दाल प्रसंस्करण इकाई</p> <p>(घ) तेलहन प्रसंस्करण हेतु आधुनिक इकाई/बिहार से स्थानीय तौर पर प्राप्त किये गए कच्चे सामग्री से निष्कर्षण यानि चावल भूसी तथा वनस्पतियों यथा सोयाबीन, सैफफलावर/सनफलावर/सरसों/मूंगफली आदि। साथ ही बोविन/भेड़/बकरी/मछली/समुद्री पशुओं आदि से निष्कर्षित वसा एवं तेलों से वनस्पति ऑयल मैनुफैक्चरिंग। खाद्य तेलों, खाद्य तेल रिफाइनिंग आदि हेतु सौल्वेंट निष्कर्षण इकाई।</p> <p>नोट: बिना किसी सारगर्भित मूल्यवर्द्धन शॉर्टिंग, क्लिनिंग एवं पैकेजिंग में शुद्ध रूप से संलिप्त प्रसंस्करण इकाईयों को इस संवर्ग के अंतर्गत नहीं माना जायेगा।</p>
फल एवं वनस्पति (एफ. एण्ड वी.) प्रसंस्करण	<p>(क) सभी प्रकार के फूड एण्ड बिवरेज प्रसंस्करण इकाई (आई.क्यू.एफ./ब्लास्ट फ्रीजर/स्पाइरल फ्रीजर आदि का इस्तेमाल करते हुए डिहाइड्रेटेड एवं फ्रोजेन एफ एण्ड वी की मैनुफैक्चरिंग इकाईयों सहित)</p> <p>(ख) प्याज, मशरूम आदि जैसी वनस्पतियों का डिहाइड्रेशन एवं पाउडरिंग।</p> <p>(ग) लीची प्रसंस्करण की इकाई (उदाहरण के लिए लीची पल्प, जूस, पल्प स्लैब्स, जैम, जेली, बिवरेज, नेक्टार, कैंडीज, पाउडर आदि की मैनुफैक्चरिंग हेतु इकाईयाँ)</p> <p>(घ) स्थानीय प्रकार के आम का पल्प, जूस, पल्प स्लैब्स, जैम जेली, बिवरेज, नेक्टार, कैंडीज, पाउडर आदि में प्रसंस्करण की इकाई (अन्य राज्यों या देशों से आयात की गई आम गुद्दों का इस्तेमाल करने वाली इकाईयाँ प्राथमिकता के प्रक्षेत्र के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।)</p> <p>(ड.) केला प्रसंस्करण की इकाई (उदाहरण के लिए केला चिप्स, पल्प, पाउडर, शिशु खाद्य, जैम जेली, केला फूल सब्जियाँ, केला तना की सब्जियाँ एवं अचार आदि)</p> <p>(च) मखाना प्रसंस्करण की इकाई (मखाना पॉप्स, जायकेदार तथा/या भुना गया मखाना स्नैक्स, आर.टी.सी. खीर, बेबी फूड आदि बनाने हेतु इकाई)</p>

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
दूध प्रसंस्करण तथा डेयरी उत्पाद मैनुफैक्चरिंग	<p>(क) 50 हजार लीटर प्रति दिन से अधिक की स्थापित क्षमता वाली दूध प्रसंस्करण इकाई।</p> <p>(ख) पास्चराइज्ड दूध, दूध पाउडर (एस.एम.पी.), आईसक्रीम पाउडर, कंडेस्ड दूध, शिशु खाद्य, दूध क्रीम, मक्खन, मक्खन दूध, लस्सी, योगुर्ट, चीज, घी, खोआ, आईसक्रीम, कुल्फी, फ्लेवर्ड दूध तथा अन्य डेयरी उत्पादों की मैनुफैक्चरिंग हेतु इकाईयाँ।</p> <p>(ग) अन्य राज्यों या देशों से आयात की गई दूध पाउडर से उत्पादों का मैनुफैक्चरिंग करने वाली इकाईयाँ प्राथमिकता के प्रक्षेत्र के अंतर्गत पात्र नहीं होंगी। केवल राज्य के भीतर दूसरे इकाई द्वारा विनिर्मित दूध पाउडर से अथवा उनलोगों के द्वारा प्राप्त दूध से विनिर्मित उत्पादें इस संवर्ग के अंतर्गत रियायत हेतु पात्र हैं।</p> <p>नोट: प्राथमिकता प्रक्षेत्र में विचार हेतु इकाईयाँ को इन क्षेत्रों में दूध अधिग्रहण नहीं करना होगा जहाँ कॉम्पेड द्वारा दुग्ध सहकारी संचालित है।</p>
मधु प्रसंस्करण	प्राकृतिक मधु प्रसंस्करण इकाई
मांस, पॉल्ट्री तथा मत्स्य प्रसंस्करण	<p>(क) मांस, पॉल्ट्री तथा मत्स्य प्रसंस्करण इकाईयाँ (उहारण के लिए फ्रेश, चिल्ड एवं फ्रोजन मछली, फिश फिलेट्स एण्ड पीसेज, फिश क्यूर्ड अथवा स्मोकड, मानव उपयोग हेतु योग्य फिश मील, भेड़ या बकरी जैसे घरेलु दूधारू पशुओं का फ्रेश एवं चिल्ड मांस, पॉल्ट्री मीट का मांस एवं खाने योग्य पोल्ट्री मीट के ओफल, सूखे अंडे इत्यादि।)</p> <p>(ख) आधुनिक बूचड़खाना तथा वध-स्थल</p>
मसाला एवं जड़ी बूटी प्रसंस्करण	<p>(क) मसालों के लिए आधुनिक प्रसंस्करण इकाई (उदाहरण के लिए मसालों का एक्सट्रैक्ट्स एसेंस एवं कंसंट्रेट्स, पाउडर तथा पेस्ट मैनुफैक्चरिंग आदि)</p> <p>(ख) फूड फ्लेवर, कलर्स, ओलियोरेजिन्स की निष्कर्षण इकाई</p> <p>(ग) जड़ी बूटी द्वारा निर्मित स्वास्थ्य और कल्याण के भोजन की खुराक</p>
चाय प्रसंस्करण	चाय प्रसंस्करण की आधुनिक इकाईयाँ
अन्य खाने योग्य तैयार व्यंजन	<p>(क) बिस्किट्स/कूकीज आदि के निर्माण करने हेतु आधुनिक इकाई।</p> <p>(ख) आधुनिक बेकरी इकाई (यथा ब्रेड, पैस्ट्रीज एवं केक्स निर्माण)</p> <p>(ग) आईसक्रीम उत्पादन हेतु आधुनिक इकाई</p> <p>(घ) चॉकलेट एवं गैर-चॉकलेट आधारित कन्फेक्शनरी उत्पादों के लिए आधुनिक इकाई।</p> <p>(ड.) फ्रोजेन या नन-फ्रोजेन तथा खाने हेतु तैयार (आर.टी.इ.) पैक किये गए मिल्स एण्ड स्नैक्स, पकाने हेतु तैयार (आर.टी.सी.) खाद्य, पाउडर्ड इनर्जी कन्संट्रेट, इंस्टैंट ड्रिंक कन्संट्रेट इत्यादि के उत्पादन करने हेतु इकाई।</p>

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
ईख प्रसंस्करण	(क) चीनी उत्पादन । (ख) इथनॉल उत्पादन ।
वेयरहाउसिंग	(क) फल पकाने वाला कक्ष । (ख) कन्ट्रोल्ड एटमोस्फियर (सी.ए.)/मोडिफाइड एटमोस्फियर (एम.ए.) चैम्बर्स, कोल्ड रूम्स/डीप फ्रीजर्स / प्रि-कूलिंग चैम्बर्स (ग) बहुआयामी शीत भंडारण सुविधा/आधारभूत संरचना के साथ-साथ प्रि-कूलिंग चैम्बर्स, राइपनिंग चैम्बर्स, सी.ए./एम.ए. चैम्बर्स, कोल्ड रूम, डीप फ्रीजर, बल्क चिलर्स इत्यादि, साथ ही शीत श्रृंखला लॉजिस्टिक व्यवस्था । (घ) आधुनिक अनाज साइलो/भंडारण ।
सामान्य/व्यवसाय विकास सेवाएं	(क) खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र से संबंधित शोध एवं विकास सुविधा, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला/जाँच प्रयोगशाला, प्रशिक्षण केन्द्र/उद्भवन केन्द्र/कौशल विकास केन्द्र, इत्यादि । (ख) खाद्य संयंत्र निर्माण (ग) प्रदीपन इकाई

नोट :

1. इकाईयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अन्तर्गत समय-समय पर उपयुक्त तरीके से संशोधन कर सकती है।
2. दूसरे राज्यों या देशों से आयातित खाद्य सामग्रियों को पैकेजिंग/रि-पैकेजिंग के उद्देश्य से स्थापित इकाईयाँ/उद्यमों को प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत विचार नहीं किया जायेगा।
3. अगर एक इकाई/उद्यम एकीकृत तरीके से कैपटीव उपयोग के उद्देश्य से दो या अधिक तरह की सुविधायें स्थापित करती है, तो इन सुविधाओं को एक एकल परियोजना माना जायेगा और सुविधाओं में हुए संयुक्त व्यय को अनुदान गणना के लिए विचार किया जायेगा। प्राथमिकता अथवा अप्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत इकाईयों/उद्यमों का वर्गीकरण मुख्य/मूल सुविधा के प्रकृति के अनुसार होगा। यथा- कोर सुविधा।
4. अगर कोई इकाई क्षमता विस्तार/सुविधा परिवर्धन इत्यादि के माध्यम से गैर प्राथमिकता क्षेत्र से प्राथमिकता क्षेत्र में विस्थापित होती है तो यह प्राथमिकता क्षेत्र के अनुसार प्रोत्साहन का उपभोग प्राथमिकता वाले भाग के हिस्से तक करेगी।
5. मनुष्यों/जानवरों के उपयोग योग्य खाद्य पदार्थ की विनिर्माण करने वाली इकाईयों जिसमें मुख्य घटक के रूप में कोई अनाज,फल एवं सब्जी अथवा कोई प्रसंस्कृत/संरक्षित वस्तु (पल्प सारकृत द्रव्य इत्यादि) नहीं हो जो अनाज/फल एवं सब्जी से बने हों उन्हें गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्र में विचार किया जायेगा।

6. मुख्य खाद्य प्रसंस्करण सुविधा के उप उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु स्थापित होने वाले इकाईयों को अनुदान के लिए गैर प्राथमिकता वाले प्रक्षेत्र अन्तर्गत माना जायेगा अगर उप उत्पाद के प्रसंस्करण से बने अन्तिम उत्पाद मनुष्यों/जानवरों के उपभोग हेतु योग्य खाद्य पदार्थ न हो। अगर अन्तिम उत्पाद मनुष्यों/जानवरों के उपभोज्य योग्य हो तो उसे उपर्युक्त सूची के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जायेगा।

3.2 पर्यटन प्रक्षेत्र

अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक और ऐतिहासिक स्मारकों को देखते हुए बिहार में पर्यटन क्षेत्र में प्रचुर संभावनाएँ हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से बिहार की बड़ी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति इसके प्राचीन और वर्तमान जीवित सभ्यता, जो कि संसार के दो महान धर्मों बौद्ध धर्म और जैन धर्म को जन्म दिया है। बिहार हिन्दु, बौद्ध, जैन, सिख और इस्लाम की धार्मिक गतिविधियों का केन्द्र रहा है। बिहार में एक समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत के साथ सम्पन्न विशाल शक्तिशाली मगध साम्राज्य की शक्ति का एक आधार थी। यह नालन्दा और विक्रमशीला, प्राचीन विश्वविद्यालयों की भूमि है। जहाँ से संसार के विभिन्न देशों से विद्यार्थियों के माध्यम से सुदूर और विस्तृत क्षेत्र में ज्ञान का प्रसार हुआ है। इन दो प्राचीन विश्वविद्यालयों के अवशेष, प्राचीन वस्तुएँ और कलाकृतियाँ बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। राज्य भर में अलग-अलग परिदृश्य और संस्कृति विरासत, प्रकृति वन्य जीवन, कल्याण एवं अन्य अद्वितीय उत्पादों की अपनी ताकत भर में विभिन्न उत्पाद के पेशकश की धनी/चित्रय वनिका है। यात्रियों को आकर्षित करने के लिए राज्य द्वारा की गई मुख्य उत्पादों की पेशकश निम्नवत है-

पर्यटन प्रक्षेत्र	हमारे सामरिक लाभ
अध्यात्मिकता	<p>बिहार में पर्यटन के लिए पारंपरिक रूप से अध्यात्मिक रूचि के स्थानों पर जाकर यात्रियों के भ्रमण के अच्छे आसार हैं। इस पहलु पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कुछ चिन्हित पर्यटन सर्किट निम्न प्रकार हैं—</p> <p>(क) बुद्धसर्किट: बोधगया (गया), राजगीर (नालन्दा), नालन्दा, वैशाली, लौरिया नंदनगढ़ (पूर्वी चम्पारण), लौरिया अरेराज (पूर्वी चम्पारण), केशरिया (पूर्वी चम्पारण), विक्रमशीला (भागलपुर), जहानाबाद</p> <p>(ख) सूफ़ी सर्किट: मनेरशरीफ (पटना), खानकाह मुजीविया (पटना), मित्तन घाट (पटना), हाजीपुर करबला (वैशाली), हसनपुर (नालन्दा), बीबी कमाल साहिब (जहानाबाद), बड़ी दरगाह (नालन्दा), छोटी दरगाह (नालन्दा)</p> <p>(ग) जैन सर्किट: वैशाली, राजगीर (नालन्दा), पावापुरी (नालन्दा), नाथनगर (भागलपुर), मन्दार हिल (बाँका), चम्पानगर (भागलपुर), कुन्दलग्राम (नालन्दा), समोसारण (नालन्दा) एवं लछौर (जमुई)</p> <p>(घ) रामायण सर्किट: बाल्मिकीनगर (प. चम्पारण), प्रेतशीला (गया), अहिल्या स्थान (दरभंगा), सीतामढ़ी, काको (जहानाबाद), सीताकुण्ड (सीतामढ़ी), सिंहेश्वर (सहरसा), रामशीला (गया), बक्सर, गिद्धेश्वर (जमुई),</p> <p>(ङ) शक्ति सर्किट: मुण्डेश्वरी स्थान (कैमूर), चण्डी स्थान (मुंगेर), उग्रतारा स्थान (महिषी, सहरसा), आमि (सारण), थावे (गोपालगंज), ताराचण्डी स्थान (रोहतास), बखोरापुर (भोजपुर), श्यामाकली (दरभंगा), भगवती स्थान (नयानगर, मधेपुरा), बड़ी पटनदेवी (पटना), छोटी पटनदेवी (पटना), मतस्यगंधा रक्तकाली टेम्पल (सहरसा), उच्चैठ (मधुबनी)</p> <p>(च) सिख सर्किट: पटना साहिब (पटना सिटी, पटना), बाललीला साहब (पटना), गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा (गायधाट, पटना), गुरुनानक कुण्ड (राजगीर, नालन्दा), आरा, कटिहार, गया एवं सासाराम, भागलपुर, गुरु का बाग (पटना सिटी, पटना), गुरुद्वारा पक्की संगत (मुंगेर), गुरुद्वारा हंदी साहेब (दानापुर, पटना)</p> <p>(छ) गाँधी सर्किट: मोतिहारी (पूर्वी चम्पारण), बेतिया (पश्चिमी चम्पारण), भितिहरवा आश्रम (पश्चिमी चम्पारण), वृन्दावन (पश्चिमी चम्पारण), सदाकत आश्रम (पटना), गाँधी संग्रहालय (पटना)</p> <p>(ज) शिव सर्किट: गुप्ताधाम (कैमूर), बैजूधाम (गया), कोटेश्वर धाम (गया), सिंघेश्वर धाम (मधेपुरा), कुशेश्वर स्थान (दरभंगा), सिंहेश्वर स्थान (जहानाबाद), अजगैबीनाथ (सुल्तानगंज, भागलपुर), अशोक धाम (लखीसराय), गरीबनाथ (मुजफ्फरपुर), महेन्द्रनाथ (सारण), ब्रह्मेश्वरनाथ (बक्सर)</p> <p>(झ) मण्डार एवं अंग सर्किट: मुंगेर, भागलपुर एवं बाँका</p> <p>(ञ) कांवरिया रूट: सुल्तानगंज (भागलपुर) से बाँका</p>

पर्यटन प्रक्षेत्र	हमारे सामरिक लाभ
संस्कृति और विरासत	<ul style="list-style-type: none"> • बिहार में विस्तृत संरक्षित स्मारकों की सरणी है। विश्व विरासत स्थल और अनेक अन्य स्थल जैसे नालन्दा के भग्नावशेष एवं विक्रमशीला (संसार के प्राचीनतम विश्वविद्यालय) जो विश्व विरासत स्थलों की क्षमता रखते हैं। • संरचनाओं की मौलिकता को बनाये रखते हुए ऐतिहासिक इमारतों को परिवर्तित इमारतों के साथ विशेष विरासत जोन के रूप में विकसित किया जा सकता है। • हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आर्किजलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया और दूसरे राज्य सरकारों के समन्वय से संग्रहालयों का उन्नयन और विकास, नव उद्घाटित बिहार संग्रहालय एक महत्वपूर्ण आकर्षण है। • बिहार के हस्तकरघा और हस्तशिल्प के विकास के उद्देश्य से शिल्पग्राम (क्राफ्ट भिलेज) और हस्तशिल्प बाजार पर्यटक स्थलों के नजदीक प्रोत्साहित किया जा रहा है।
ग्रामीण / गाँव	<p>ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन के सामाजिक, आर्थिक लाभ को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कला तथा शिल्प के चारों ओर ग्रामीण पर्यटन को विकसित करना एवं बढ़ावा देना। उदाहरण स्वरूप टेहटा (जहानाबाद), नेपुरा (नालंदा), रंती एवं जितवरपुर (मधुबनी), पत्थरकट्टी (गया), नाथनगर (भागलपुर) इत्यादि कार्यरत गांव ग्रामीण पर्यटन के विकास के रूप में लक्षित किया जा सकता है।</p>
कल्याण	<p>योगा और राजगीर तथा मुँगेर के सल्फर जल, गर्म जल के झरनों को एकवाथेरापी आधारित कल्याण पर्यटन के रूप में विकसित किया जा सकता है। यह बिहार का अधिकतम अनोखा पर्यटन संभावना हो सकता है। यह बिहार की सबसे अनोखी पर्यटन मानसिक एवं आध्यात्मिक शारीरिक हर आयाम से समग्र चिकित्सा और व्यक्ति के कायाकल्प की पेशकश उत्पाद हो सकती है।</p>
पारिस्थितिकी और वन्य जीवन	<p>संभावना योग्य पर्यटन स्थल प्रस्तावित करने हेतु वन्यजीव अभ्यारण्य को एकीकृत कर परिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा सकता है। चिन्हित पर्यटन स्थलों में से कुछ हैं— राजगीर (नालंदा), भीमबांध अभ्यारण्य (मुँगेर), कैमूर अभ्यारण्य (कैमूर), गौतमबुद्ध अभ्यारण्य (गया), नकटीधाम (जमुई), गोगाविल अभ्यारण्य (भागलपुर), कांवर झील (बेगुसराय), घोड़ाकटोरा झील (नालंदा), काकोलत झरना (नवादा), तेलहार झरना (रोहतास), गैन्टोटिक डाल्फिन अभ्यारण्य (भागलपुर) एवं वाल्मिकी नेशनल पार्क (पश्चिमी चम्पारण)</p>
गंगा आधारित	<ul style="list-style-type: none"> • पटना ,भागलपुर इत्यादि के किनारे ऐतिहासिक स्थलों को जल मार्ग के सहारे विकसित करने के लिए गंगा एक अद्वितीय पर्यटक उत्पाद हो सकती है। • डोल्फिन को देखना राज्य के लिए एक दूसरा अद्वितीय पर्यटक उत्पाद है जिसे सुदृढ़ किया जा सकता है।

पर्यटन प्रक्षेत्र	हमारे सामरिक लाभ
साहसिक	विभिन्न प्रकार के जलीय खेल जैसे रीवर राफिंग, पारासेलिंग इत्यादि को अधिक आर्थिक अवसर के रूप में विकसित किया जा सकता है।
मेला एवं महोत्सव	बिहार के पास अद्वितीय घटनाओं— मेला और महोत्सव हैं, जैसे सोनपुर मेला, छठ पर्व, सौराठ सभा, राजगीर महोत्सव और बौद्ध महोत्सव समुचित सुविधा के विकास के उपरांत घरेलू के साथ—साथ अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता रखते हैं।
सिनेमा	बिहार के पर्यटन स्थलों पर फिल्म सूटिंग को सिंगल विन्डो क्लियरेंस के माध्यम से आवश्यक प्रोत्साहन के साथ प्रासंगिक सरकारी अधिसूचना के तहत बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
व्यंजन आधारित	<ul style="list-style-type: none"> राज्य के अमीर पाक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए बिहार के व्यंजन पाक को बढ़ावा दिया जा सकता है। फूड फेस्टिवल के आयोजन के माध्यम से राज्य की अद्वितीय व्यंजन जैसे—खाजा, लाई, बेलग्रामी, तिलकुट, लिट्टी—चोखा, सत्तु और मखाना के उत्पाद आर्थिक अवसर उत्पन्न करने की संभावना रखते हैं।

वर्तमान में ये चिन्हित उत्पाद एवं सर्किट विभिन्न प्रकार के आधारभूत संरचना एवं सेवा सम्बन्धित निवेश के लिए अछूते पड़े हैं। इन चिन्हित सर्किट के अतिरिक्त राज्य में बहुत से भौगोलिक क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यटन के दृष्टिकोण से भविष्य में विकसित किया जा सकता है। पर्यटन उद्योग के विभिन्न प्रक्षेत्रों में वर्तमान एवं संभावित निवेश संभावना तथा भविष्य में अवसर एवं बहुत संख्या में रोजगार के अवसर को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा अपने निवेश प्रोत्साहन नीति में इस क्षेत्र के विकास एवं बढ़ावा देने के दृष्टिकोण से उसे थ्रस्ट क्षेत्र के रूप में विचार किया गया है। इसलिए नीति में इस प्रक्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ावा देने एवं प्रोत्साहित करने के लिए प्रबन्ध किये गये हैं।

पर्यटन प्रक्षेत्र के प्राथमिकता क्षेत्र:

पर्यटन प्रक्षेत्र के निवेश प्रोत्साहन हेतु प्राथमिकता क्षेत्र निम्नवत हैं—

क्षेत्र	निवेश के अवसर
परिवहन	<ul style="list-style-type: none"> पर्यटन स्थल पर टैक्सी परिचालन । कैब परिचालन / पर्यटन स्थल पर रेडियो टैक्सी टूरिस्ट सर्किट पर लकजरी कार एवं कोच बस का परिचालन टूरिस्ट सर्किट पर एयर टैक्सी एवं हेलीकॉप्टर सेवा विशेष पर्यटन ट्रेन, नौका एवं स्टीमर इत्यादि ।
आवासन	<ul style="list-style-type: none"> होटल, मोटल, रिसोर्ट, गेस्ट हाउस, होम स्टे इत्यादि (चिन्हित पर्यटन स्थल से 10. कि.मी. क्षेत्र के अन्तर्गत) । सराय / एकत्रित होने के लिए सुविधा / टेन्टेड आवासन हेरिटेज होम्स इत्यादि
परिभ्रमण तथा यात्रा	पर्यटक स्थल पर ट्रेमल एजेन्सीज, टूर ऑपरेटर्स, टूरिस्ट टैक्सी इत्यादि ।
एम.आई.सी.ई. सुविधा	पर्यटक स्थल पर मिटिंग हॉल, सभा स्थल, इभेन्ट आयोजक इत्यादि ।
मानव संसाधन संस्थान	होटल प्रबन्धन संस्थान, फूड क्राफ्ट संस्थान, ट्रेमल एण्ड ट्रेड संस्थान, मानव प्रशिक्षण संस्थान, टूरिस्ट गाईड, प्रशिक्षण केन्द्र, पर्यटन प्रक्षेत्र के शिक्षा एवं प्रशिक्षण से सम्बन्धित प्रबन्धन संस्थान ।
यादगार वस्तुओं की दुकान	पर्यटक स्थल पर हस्तशिल्प दुकान, यादगार वस्तुओं की दुकान, संजातिय बूटिक, परम्परागत आभूषण दूकान इत्यादि ।
राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं राज्य राजमार्गों के किनारे सुविधाएँ	पर्यटक स्थल पर सड़क किनारे सामान्य सुविधा केन्द्र, रेस्तराँ, जलपान केन्द्र, ढाबा, पे एण्ड यूज शौचालय, उपयोगी वस्त्रों की दुकानें, वाहन पड़ाव स्थल और राज्य में निर्मित हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पाद की दुकानें ।
कल्याण केन्द्र	पर्यटक स्थल पर आयुर्वेद केन्द्र, कल्याण स्पा, उपचार केन्द्र, योगा विश्वविद्यालय इत्यादि ।
नदी आकर्षण	क्रूज, फ्लोटिंग रेस्तराँ, फ्लोटिंग कॉटेज, जलीय क्रीड़ा, रीवर राफ्टिंग, पैरा सेलिंग, मनोरंजन की सुविधा जैसे मछली पकड़ना / डोल्फिन दर्शन इत्यादि ।
मनोरंजन	पर्यटन स्थल पर मनो विनोद पार्क, वाटर पार्क, प्रकरण पार्क, शिल्पग्राम, रज्जू मार्ग, विज्ञान केन्द्र, संग्रहालय, तारामंडल इत्यादि ।
सिनेमा	फिल्मसिटी

- नोट :**
1. इस नीति अन्तर्गत पर्यटक स्थल से तात्पर्य है जैसे स्थान (जिला या प्रखण्ड या गाँव) जैसा कि उपर्युक्त सारणी में उल्लेखित है, जो विभिन्न “पर्यटन खण्ड” एवं “हमारे सामरिक लाभ” की सूची में हों के राजधानी क्षेत्र में हो उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र के लाभ से अलग रखा जायेगा।
 2. इकाईयों / उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार समय-समय पर प्राथमिकता क्षेत्र की सूची को उपयुक्त ढंग से संशोधित कर सकती है।

3.3 लघु यंत्र विनिर्माण प्रक्षेत्र

बिहार की अर्थ व्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यद्यपि कृषि की उच्च लागत और फसलों की उत्पादकता यानि कृषि लागत एवं उत्पादन के बीच के सम्बन्ध देश के एवं अन्य राज्यों / विश्व औसत की तुलना में एक सतत समस्या रही है। सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने, साथ-साथ उच्च उपज देने वाली बीज का उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग, उर्वरक एवं खेती के बेहतर तकनीक का उपयोग, आधुनिक कृषि संयंत्र कृषि उत्पादन की उत्पादकता बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार सर्वोत्तम स्तर के यांत्रिकीकरण के लिए बिहार में कम लागत पर कृषि का माहौल बनाना अनिवार्य है।

हाल में बिहार के खेतों में आधुनिक कृषि औजार का उपयोग काफी बढ़ा है। बिहार के कृषि रोड मैप के तहत कृषि यांत्रिकीकरण एक अभिन्न हिस्सा है। राज्य सरकार पावर टीलर्स, ट्रैक्टर, स्पेयर्स, ओसावन मशीन, पावर वीडर, पावर थ्रेसर पर केन्द्र संपोषित योजनान्तर्गत प्रोत्साहन के अतिरिक्त प्रोत्साहन देती है। जीरो टीलेज यंत्रों जो छोटे और सीमांत किसानों के भूमि जोत लिए अधिक उपयुक्त है, उसे ध्यान दिया जाना है। आसानी से प्रोत्साहन उपलब्ध होना, किसानों का विकासात्मक दृष्टिकोण, आधुनिक उपकरणों का उपयोग राज्य में सामान्य सा हो रहा है। विद्युतीकरण में हुई वृद्धि के फलस्वरूप विद्युत आधारित कृषि यंत्र, पम्प के उपयोग में वृद्धि हुई है। राज्य में कृषि यंत्र का बाजार उच्च विकास को दर्शाता है जिसमें भविष्य में भी अधिक वृद्धि की संभावना है। सदा बढ़ते हुए घरेलू उपयोग बाजार और राज्य में इस क्षेत्र में अबतक नगण्य निवेश को ध्यान में रखते हुए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में बिहार सरकार द्वारा कृषि से जुड़े लघु संयंत्र विनिर्माण को प्राथमिकता क्षेत्र में रखा गया है।

लघु संयंत्र विनिर्माण क्षेत्र के प्राथमिकता क्षेत्र:

लघु संयंत्र विनिर्माण के मूल्य संवर्धन हेतु निवेश के लिए प्राथमिकता क्षेत्र निम्नवत है:—

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
भूमि/बीज शैया की तैयारी	ट्रैक्टर, पावर टीलर्स, लेवलर्स—हल, हैरो, रोटेवेटर, कल्टीभेटर, रीजर, डोजर, स्क्वेपर्स।
बीजारोपण/पौधारोपण/बुआई	ड्रील, सीडर, प्लान्टर, डीबलर, ट्रांस प्लान्टर, सीड कम फर्टीलाइजर ड्रील्स, जीरो टिलेज मशीन।
स्प्रेडिंग और डस्टिंग उपकरण	वीडर्स, कोनोवीडर्स, टीलर्स, स्प्रेयर्स, डस्टर्स, मिस्ट ब्लोअर्स।
फसल कटाई	हार्वेस्टर/कम्बाइन हार्वेस्टर, थ्रेसर, पाटेटो डीगर्स, रीपर, सेलर सिक्ल/स्ट्रौरीपर्स
पोस्ट हार्वेष्ट उपकरण	बीज निष्कर्षक/डीहस्कर/हॉलर/डी हॉलर, क्लीनर, ग्रेडर, ड्रायर वीनोअर्स, ट्रेलर्स, ग्रेन बीन्स।
सिंचाई	डीजल पम्प, विद्युत पम्पसेट, सोलर पम्पसेट, स्प्रिंकलर्स, ड्रिप इरीगेशन, उपकरण, एच.डी.पी.ई. सिंचाई पाईप इत्यादि।
लघु संयंत्र और पार्ट पूर्ण	ऑटोमोबाइल तथा ऑटोमोबाइल पार्ट पूर्णों की अनुषंगी इकाई, डीजल एवं विद्युत मोटर संयंत्रों की अनुषंगी इकाई, साईकिल निर्माण।
सामान्य/व्यवसाय विकास सेवाएं	अनुसंधान एवं विकास सुविधा/कोटि नियंत्रण प्रयोगशाला/जाँच प्रयोगशाला, डीजाइन स्टूडियो/प्रोटोटाइप फैसिलिटी, प्रशिक्षण केन्द्र/इनक्यूबेशन सेन्टर/स्कील डेवलॉपमेंट सेन्टर

नोट:

1. इकाईयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार समय-समय पर प्राथमिकता क्षेत्र की सूची में उपयुक्त तरीके से संशोधन कर सकती है।
2. पार्ट/पूर्णा निर्माण करने वाली इकाई जिसका सीधा उपयोग अन्य लघु संयंत्र बनाने वाली इकाईयों में सीधे तौर पर होती है वैसी इकाईयों को भी प्राथमिकता क्षेत्र में विचार किया जायेगा।
- 3.4 **सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाएँ तथा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण प्रक्षेत्र**

ग्लोबली सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा उद्योग हार्डवेयर क्षेत्र सहित संसार में सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ने वाली उद्योग है। इसे वर्ष 2020 तक लगभग 2.4 ट्रिलियन यू.एस.डी. तक पहुँचने की उम्मीद है। केवल भारतीय बाजारों में वर्ष 2020 तक इसकी माँग 400 विलियन यू.एस.डी. से अधिक पहुँचने की सम्भावना है। सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं का महत्व केवल अपने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सभी उद्योगों का अभिन्न अंग हो गया है। यह रोजमर्रा के जीवन में सभी क्षेत्रों में सार्थक पैठ रखता है। अतः यह स्थापित हो गया है कि सूचना प्रौद्योगिक/सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें के क्षेत्र में वृद्धि कृषि, शिक्षा, चिकित्सा सेवा, ऊर्जा, दूरसंचार, ग्रामीण

विकास/पर्यटन, टेक्सटाइल क्षेत्र में भी वृद्धि को प्रोत्साहित करेगा। यह प्रक्षेत्र अभी भी उपर उठने की स्थिति में है और बांछित दिशा में बढ़ने की स्थिति में है। यह अनेक उद्यमों तथा स्टार्ट अप के लिए असीम संभावना रखता है। राज्य में शिक्षित युवा, सस्ते कामगार की उपलब्धता इस क्षेत्र में निवेश के लिए स्पष्ट रूप से लाभप्रद है। राज्य सरकार द्वारा भी बिहटा (पटना) तथा राजगीर में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना हेतु अधिसूचित किया गया है।

सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें इलेक्ट्रिकल तथा इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर विनिर्माण प्रक्षेत्र के प्राथमिकता क्षेत्र

राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्षेत्र में चिन्हित निवेश के लिए प्राथमिकता के क्षेत्र निम्नवत है:

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवायें	<ul style="list-style-type: none"> सूचना प्रौद्योगिकी उत्पाद, सॉफ्टवेयर तथा सेवायें। सूचना प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर तथा सेवाएँ। सूचना प्रौद्योगिकी, आधारित सेवायें, बैंक ऑफिस, ऑपरेशन/बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिंग(बीपी.ओ.)/नॉलेज प्रोसेस आउट सोर्सिंग(के.पी.ओ.), कॉल सेन्टर, डिजीटल कंटेन्ट डेवलॉपमेंट एनीमेशन इत्यादि।
इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर विनिर्माण	<ul style="list-style-type: none"> कम्प्युटर्स कम्प्यूटर बाह्य तथा अन्य ऑफिस उपकरण सर्वर और स्टोरेज डिवाइस नेट वर्किंग ऑटोमोटीव इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीयल इलेक्ट्रॉनिक्स
अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण	<ul style="list-style-type: none"> मोबाईल, डी.टी.एच. टेलीवीजन, रेडियो एवं कंजूमर इलेक्ट्रॉनिक्स
विद्युत उपकरण	<ul style="list-style-type: none"> मोटर्स, पम्प, फैन उपभोक्ता वस्तुएँ यू.पी.एस. इत्यादि

नोट:

इकाईयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार समय-समय पर प्राथमिकता क्षेत्र की सूची में उपयुक्त तरीके से संशोधन कर सकती है।

3.5 टेक्सटाइल प्रक्षेत्र

टेक्सटाइल प्रक्षेत्र जी.डी.पी. में महत्वपूर्ण योगदान, विनिर्माण आउट-पुट, रोजगार सृजन तथा निर्यात आय के सहारे भारतीय अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका अदा करता है। इस प्रक्षेत्र का योगदान औद्योगिक उत्पादन में 14% भारतीय जी.डी.पी. में 4% तथा देश के निर्यात आय में 13% है। टेक्सटाइल प्रक्षेत्र भारत वर्ष में रोजगार सृजन का सबसे बड़े श्रोतों में से एक है। यह सीधे तौर पर 4.5 करोड़ लोगों को रोजगार देता है।

बिहार में घरेलू वस्त्र उद्योग और दूसरे मूल्य संवर्धन क्रिया-कलाप के लिए प्रचुर सम्भावनायें हैं। बिहार में वस्त्र उद्योग में सिल्क एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। सिल्क उत्पादन में बिहार प्रसिद्ध रहा है।

बिहार का भागलपुर जिला सिल्क धागों के विनिर्माण का केन्द्र रहा है। भागलपुर का तसर सिल्क बिहार का एक विशिष्ट उत्पाद है, जिसमें लाभकारी मूल्य प्रदायता की सम्भावना है। वर्ष 2014-15 में बिहार में लगभग 60 टन सिल्क का उत्पादन हुआ है। राज्य में जूट दूसरा फाइबर उत्पाद है। वर्ष 2014-15 में बिहार में लगभग 1420 हजार टन जूट का उत्पादन हुआ है। निबन्धित एस.पी.भी. सर्वश्री पुनरासर जूट पार्क लि. के माध्यम से रु. 42.36 करोड़ की निवेश से मरंगा पूर्णिया में एक जूट पार्क की स्थापना की जा रही है। पी.पी.पी. मोड में राज्य सरकार द्वारा 44.30 एकड़ भूमि अंशदान के रूप में तथा रु. 2.00 (दो) करोड़ अनुदान स्वरूप दिया गया है। इस जूट पार्क में वर्तमान में दो इकाई सर्वश्री तिरुपति कोमोडिटीज प्रा.लि. तथा सर्वश्री पुनरासर जूट पार्क प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है और कार्यरत है। वे जूट यार्न, जूट ट्वाइन, जूट के कपड़े और अन्य जूट उत्पाद का उत्पादन कर रहे हैं। बिहार में 14000 पावरलूम हैं, जो मुख्य रूप से भागलपुर, गया और बांका जिले में अवस्थित हैं। उनके मुख्य उत्पाद सूती चादर, बेड सीट, फर्नीशिंग क्लौथ इत्यादि हैं। वस्त्र मंत्रालय द्वारा संचालित एक प्रशिक्षण केन्द्र नाथनगर, भागलपुर में है, जहाँ प्रत्येक वर्ष 120 पावर लूम बुनकरों को प्रशिक्षण दिया जाता है। वस्त्र उद्योग एक उच्च श्रम घनिष्ठ उद्योग है। बिहार में करीब एक लाख बुनकर हैं जिनकी जीविका का साधन धागों एवं वस्त्र निर्माण से जुड़ा हुआ है। बुनकर समुदाय को पाया जाना वस्त्र उद्योग के लिए कुशल और अर्द्धकुशल कारीगर की उपलब्धता के रूप में एक महत्वपूर्ण सम्पदा है। सतत जुड़े बुनकर समुदाय के अतिरिक्त बड़ी संख्या में युवा भी (विशेषकर युवतियाँ) इस प्रकार की उत्पादक रोजगार के अवसर की प्रतीक्षा में उपलब्ध हैं जैसा कि वस्त्र निर्माण उद्योग उन्हें सिलाई, कटाई और अन्य दूसरे तरह के टेलरिंग कार्य का अवसर प्रदान करते हैं।

टेक्सटाइल प्रक्षेत्र के प्राथमिकता क्षेत्र

राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्षेत्र में निवेश के लिए प्राथमिकता क्षेत्र का निर्धारण निम्नवत किया गया है

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
रेशा उत्पादन / स्पिनिंग / बुनाई / निटिंग / प्रसंस्करण	(a) सूती / जूट / सिल्क / केला एवं अन्य प्राकृतिक रेशा उत्पादन (b) मानव निर्मित धागों एवं फिलामेंट का उत्पादन (c) यार्न स्पिनिंग (d) पावरलूम एवं बुनाई (e) यार्न एवं कपड़ा प्रसंस्करण
पोशाक एवं घरेलू टेक्सटाइल का उत्पादन	(a) बुने हुए पोशाक का निर्माण (b) होजियरी आइटम का निर्माण (c) साड़ी (d) दरी एवं अन्य घरेलू टेक्सटाइल

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
टेकनीकल टेक्सटाईल का निर्माण	<p>निम्नांकित कोटि में से कोई आइटम का निर्माण</p> <p>(a) एगरोटेक(कृषि, उद्यान एवं वानिकी इत्यादि)</p> <p>(b) बिल्डटेक (भवन एवं निर्माण इत्यादि)</p> <p>(c) क्लोथटेक (जूते एवं वस्त्र की तकनीकी वस्तुएँ इत्यादि)</p> <p>(d) जियोटेक (जियो टेक्सटाइल एवं सिविल इन्जीनियरिंग इत्यादि)</p> <p>(e) होमटेक (कम्पोनेन्ट ऑफ फर्नीचर, हाउस होल्ड टेक्सटाईल तथा फ्लोर कोभरिंग इत्यादि)</p> <p>(f) इन्डटेक (फिल्ट्रेशन, क्लिनिंग तथा अन्य औद्योगिक उपयोग इत्यादि)</p> <p>(g) मेडीटेक (हाइजिन तथा मेडिकल इत्यादि)</p> <p>(h) मोबाईलटेक (आटोमोबाईल, सिपिंग, रेलवे तथा एरो स्पेस इत्यादि)</p> <p>(i) औयकोटेक (वातावरण सुरक्षा इत्यादि)</p> <p>(j) पैकटेक (पैकेजिंग इत्यादि)</p> <p>(k) प्रोटेक (व्यक्तिगत तथा सम्पत्ति सुरक्षा इत्यादि)</p> <p>(l) स्पोर्टटेक (स्पोर्ट एण्ड लीजर इत्यादि)</p>
पोस्ट प्रोसेसिंग ऑफ हस्तकरघा तथा खादी टेक्सटाईल प्रोडक्ट	हस्तकरघा एवं खादी के उत्पादों हेतु पोस्ट प्रोडक्शन सुविधा ।

नोट: इकाईयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत समय-समय पर उपयुक्त तरीके से संशोधन कर सकती है।

3.6 प्लास्टिक एवं रबर प्रक्षेत्र

प्लास्टिक एवं रबर एक बहु उपयोगी उत्पाद है, जिसका उपयोग सभी प्रकार के दूसरे उत्पाद के पैकेजिंग, हॉस्पिटलों में जीवन रक्षक उपकरणों के पैकेजिंग में किया जाता है। त्वरित वैश्वीकरण, प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रहे परिवर्तन तथा बढ़ते हुए उपभोक्ता के कारण अत्यधिक बदलाव आया है तथा घरेलू तौर पर प्लास्टिक उद्योग को बढ़ने के लिए प्रचुर अवसर मिला है। बिहार की अधिकांश आबादी कृषि कार्य में लगी है। यद्यपि भूमि काफी उपजाऊ है, फिर भी किसान अत्यधिक रूप से मानसून पर निर्भर रहने के कारण कम उत्पादकता और लागत पर कम आय की समस्या से ग्रसित रहते हैं। प्लास्टिक उद्योग उनके लिए उत्पादकता में सुधार तथा मानसून पर निर्भरता को कम करने का उपाय दिया है। विद्युत आपूर्ति में बढ़ोतरी से विद्युत पम्प तथा सिंचाई प्रणाली का उपयोग बढ़ा है। इन विद्युत जल पम्पों के लिए संवितरण पाइप के कारण प्लास्टिक पाइप का मांग बढ़ा है। इसके अतिरिक्त प्लास्टिक उद्योग से बहुत से लाभ जैसे

उत्पादकता में वृद्धि, पानी की हानि में कमी, मिट्टी के कम संसर्ग के कारण साफ सुथरे उत्पाद मिले हैं। औद्योगिक आकलन के अनुसार 35–40% भारत में उत्पादित खाद्य उत्पाद आधारभूत संरचना में कमी तथा खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता में कमी के कारण बर्बाद होते हैं। प्लास्टिक का उपयोग पैकेजिंग में होता है जिससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, जीवन काल में सुरक्षा होती है। यह प्रक्षेत्र प्लास्टिक की मांग में वृद्धि के कारण अग्रणी वृद्धि के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। प्रत्येक घर को जल आपूर्ति से जोड़ने से सम्बन्धी राज्य सरकार के कार्यक्रम में जलापूर्ति के वितरण हेतु प्लास्टिक पाईप की आवश्यकता होगी। इस प्रकार राज्य में प्लास्टिक एवं रबर उद्योग के विकास की प्रचुर संभावना है।

प्लास्टिक एवं रबर प्रक्षेत्र के प्राथमिकता के क्षेत्र

राज्य सरकार द्वारा इस प्रक्षेत्र में निवेश हेतु प्राथमिकता के क्षेत्र निम्नवत चिन्हित किये गये हैं:

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
सिंचाई हेतु उत्पाद	आई.एस.आई. मानक के पी.भी.सी. पाईप का निर्माण, निकास पाईप, ड्रीपर्स इमीटर्स, भाल्व, फीटिंग नोजल, यूभी फिल्म, पौधों की सुरक्षा हेतु जाल, क्रेट्स, नली इत्यादि
पैकेजिंग तथा खाद्य पदार्थ के भण्डारण हेतु उत्पाद	पैकेजिंग / खाद्य पदार्थ के लिए टेट्रा पैक, कन्टेनर्स, बैग इत्यादि
जलआपूर्ति हेतु उत्पाद	आई.एस.आई. मानक पी.भी.सी. / सी.पी.भी.सी. पाईप निर्माण
विद्युत फीटिंग	पी.भी.सी. पाइप एवं इलेक्ट्रिकल फीटिंग
ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स	ऑटोमोबाइल के प्लास्टिक के पार्ट-पूर्जे
चिकित्सा आपूर्ति	डिसपोजेबुल सिरिज, ग्लब्स, ब्लड संग्रहण हेतु पाउच, कैथैटर / पाइप इत्यादि। चिकित्सा के क्षेत्र में प्लास्टिक के उपयोग।
भवन निर्माण	भवन निर्माण के लिए प्लास्टिक एवं रबर के सामान।
स्पोर्ट्स एवं अवकाश	स्पोर्ट्स एवं अवकाश के लिए रबर एवं प्लास्टिक विनिर्माण
प्लास्टिक टेस्टिंग	प्लास्टिक टेस्टिंग प्रयोगशाला आइ.एस.ओ. / आइ.इ.सी. 17025 मानक द्वारा प्रमाणित।

नोट: इकाईयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत समय-समय पर उपयुक्त तरीके से संशोधन कर सकती है।

3.7 अक्षय ऊर्जा प्रक्षेत्र

बिहार जिसकी विद्युत प्रक्षेत्र में शिखर घाटा 669 मेगावाट है, जो अब तक मुख्य रूप से केन्द्रीय जेनेरेशन स्टेशनों पर निर्भर है। वर्तमान में राज्य मुख्यतः विद्युत जेनेरेशन के लिए परम्परागत ऊर्जा श्रोत पर निर्भर है। विद्युत की कमी जो भविष्य के विकास / औद्योगिक विकास के लिए सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है।

राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत खपत 203 किलोवाट आवर है जो राष्ट्रीय औसत से अभी भी कम है और भविष्य में मांग और भी बढ़ेगी। राज्य के सर्वांगीण आर्थिक विकास को देखते हुए विद्युत के महत्व को महसूस करती है और इस खाई को कम करने के लिए बड़े पावर प्रोजेक्ट को स्थापित करने हेतु कदम उठाये गये हैं, जो मुख्य रूप से परम्परागत श्रोत पर निर्भर हैं। अभी वे स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं। ये बड़े पावर प्रोजेक्ट को चालू होने में लम्बा सगर्भता समय है, जबकि मांग लगातार बढ़ेगा जिससे राज्य में आवश्यकता पूर्ति हेतु अनोखा अवसर नवीनीकरण ऊर्जा के प्रमापीय प्रणाली स्थापित करने के लिए प्रदान करेगा। बिहार में ग्रामीण ऊर्जा की संभावना 12.559 गीगावाट (सोलर 11.2 गीगावाट, बायोमास गैसीफायर/कोजेनेरेशन 619 मेगावाट, बगासे कोजेनेरेशन 300 मेगावाट, विन्डपावर 144 मेगावाट, अनुपयोगी वस्तु से ऊर्जा 73 मेगावाट इत्यादि) की सम्भावना है जो अभी भी बढ़ने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त सोलर ऑफ ग्रीड उपयोग के लिए भी बहुत बड़ी सम्भावना है जैसे एस.पी.भी. पम्प, सोलर वाटर हीटर, सोलर स्ट्रीट लाइट इत्यादि। यह अक्षय ऊर्जा मोड्यूलर प्रोडक्ट उत्पादन के लिए आरई प्रोजेक्ट के लिए असीम संभावना दर्शाती है।

अक्षय ऊर्जा प्रक्षेत्र के प्राथमिकता के क्षेत्र

निम्न प्रकार की सुविधायें/इकाईयों प्राथमिकता क्षेत्र में विचार किये जायेंगे।

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
सोलर पावर	सोलर-फोटोभोल्टाईज और सोलर थर्मल पावर जेनेरेशन, सोलर हाइब्रीड सिस्टम और घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में सोलर का उपयोग।
बायोमास	बायोमास और बायोगैस प्रोजेक्ट, बायोमास हाइब्रीड सिस्टम और घरेलू और औद्योगिक क्षेत्र में बायोमास का उपयोग।
हाइडेल पावर	छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स (25 मेगावाट तक)
अन्य	सुगर एवं अन्य उद्योगों में कोजेनेरेशन बेस्ड आधारित ऊर्जा उत्पादन परियोजना नगरपालिका और औद्योगिक वेस्ट सहित / विन्ड पावर परियोजना। = ग्रामीण ऊर्जा मोड्यूलर प्रोडक्ट विनिर्माण।

नोट: इकाईयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र सांकेतिक है। राज्य सरकार प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत समय-समय पर उपयुक्त तरीके से संशोधन कर सकती है।

3.8 हेल्थकेयर प्रक्षेत्र

बिहार 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाला भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। राज्य के प्रमुख स्वास्थ्य तथा जनसंख्या संकेतांक जैसे शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.) 42, मातृ मृत्यु दर(एम.एम.आर.) 219, कुल प्रजनन दर (टी.एफ.आर.) 3.5 इत्यादि जो राष्ट्रीय स्तर से काफी अधिक हैं और यह राज्य के निम्न स्वास्थ्य स्तर को दर्शाता है। लोक स्वास्थ्य सुविधा के साधन पर पहले से ही अत्याधिक बोझ है जो आधारभूत संरचना और आवयश्यक स्वास्थ्य आवश्यकताओं यथा मानव संसाधन, उपकरण, दवाईयाँ और अन्य उपभोग्य वस्तुओं के सुदृढीकरण की दिशा में है और इस प्रकार वे वर्तमान में अकेले पूरे जनसंख्या को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं हैं।

4 In 2014-15

5 In 2014-15

6 MNRE Annual Report, 2015-16

इस प्रकार से सुविधायें समुचित नहीं हैं जो वर्तमान समय में पूरी जनसंख्या को हेल्थ केयर की आवश्यकता को पूरी कर सके। हेल्थ केयर के समीक्षोपरांत इस प्रक्षेत्र में आधारभूत संरचना में कमी को निम्नवत दर्शाया गया है:

प्रकरण	आवश्यकता	वर्तमान स्थिति (कार्यरत)	कमी
मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल	40	09	31
जिला अस्पताल	38	36	02
अनुमंडलीय अस्पताल	212	44	168
रेफरल हॉस्पिटल	70	57	13
सामुदायिक हेल्थ सेन्टर	838	0	838
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3,314	533	2,781
अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	2,787	1,350	1,437
उप स्वास्थ्य केन्द्र	20,997	9,729	11,268

इसके अतिरिक्त राज्य में बहुत कम प्राईवेट हॉस्पिटल हैं। अधिकांश व्यवस्थित प्राईवेट हेल्थकेयर संस्थान पटना राजधानी शहर में ही सीमित है। सेकेन्डरी तथा टर्सियरी हेल्थकेयर सेवा लेने के लिए रोगी को पटना आना पड़ता है। राज्य की अधिकांश हेल्थकेयर आवश्यकता व्यक्तिगत निजी प्रैक्टिसनर्स द्वारा संचालित नर्सिंग होम द्वारा पूरी की जाती है, जो सामान्य हेल्थ केयर की आवश्यकता को पूरी करता है। इनमें से बहुत कम विशेष सेवाओं को प्रदान करता है। इसलिए राज्य में हेल्थकेयर उद्योग के लिए निजी क्षेत्र के हस्तक्षेप की अत्याधिक आवश्यकता एवं प्रचुर संभावना है।

स्वास्थ्य प्रक्षेत्र की प्राथमिकतायें

राज्य सरकार के प्राथमिकताओं को सुदृढ़ करने के मद्देनजर सस्ती, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में सुधार लाने, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित घटक की पहचान की गयी है:

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
रोगी स्वास्थ्य देखभाल सुविधायें	स्पेशिलिटी अस्पताल, सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल, मल्टी स्पेशिलिटी अस्पताल, अति आधुनिक ट्रामा सेन्टर
आपातकालीन चिकित्सा सेवा	मोबाईल मेडिकल युनिट, बल्ड बैंक
मानव संसाधन विकास / कौशल विकास सेवा	मानव संसाधन विकास / कौशल विकास केन्द्र (अस्पताल सेवाओं, जैव चिकित्सा रख-रखाव आदि)
विनिर्माण इकाईयाँ	दवाएं

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
विनिर्माण इकाईयों के उपकरण और आपूर्ति	चिकित्सा उपकरण, रोगी मॉनिटर, अनेस्थेसिया मशीन, सर्जिकल माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रो-सर्जिकल उपकरण आदि, सेवा उपकरण यथा रक्त संग्रह ट्यूब, दस्ताने, कैथेटर, मूत्रविज्ञान डिस्पोजेबल उत्पाद, एंडोस्कोप (माउथ पीस)
अस्पताल अपशिष्ट प्रबंधन सेवायें	जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन इकाई
शिक्षण संस्थान	ग्रेड-A नर्सिंग कॉलेज

नोट: उपर्युक्त सूची में इकाईयों/उद्यम सांकेतिक रूप में दी गयी हैं एवं राज्य सरकार समय-समय पर प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्रवार सूची में उपयुक्त पुनरीक्षण कर सकती है।

3.9. चमड़ा प्रक्षेत्र

चमड़ा प्रक्षेत्र में रोजगार, उत्पादन में वृद्धि और निर्यात की अपार सम्भावनाएँ हैं। भारत इस प्रक्षेत्र के माध्यम से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भी अर्जित करता है। बिहार में चमड़ा प्रक्षेत्र में निवेश की विशाल सम्भावनाएँ हैं। बहुतायत में कच्चे माल (राज्य में उत्पादित पशुचर्म और खाल के संदर्भ में) के साथ सस्ते एवं कुशल/अर्द्धकुशल श्रमसंसाधन की उपलब्धता और उत्पादित सामाग्रियों के खपत के लिये राज्य एक विशाल घरेलू बाजार के रूप में भी है, यह संभावित निवेशकों को तुलनात्मक और प्रतिस्पर्धा दोनों को लाभ का अवसर प्रदान करता है। इस क्षेत्र में उत्पादन के रणनीतिक लाभ के कारक इस प्रकार हैं:

प्रमुख घटक	हमारे रणनीतिक लाभ
कच्चे खाल एवं खाल की उपलब्धता	(क) बिहार में देश के कुल गोजातीय जनसंख्या का लगभग 8 प्रतिशत है। 2012 के पशुधन की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल पशुधन की जनसंख्या 329.38 लाख थी। जनगणना के अनुसार गाय की जनसंख्या 122.31 लाख भैंस की जनसंख्या 75.67 लाख बकरी की जनसंख्या 121.53 लाख बिहार देश के कुल बकरी की आवादी में तीसरे स्थान पर है, जो लगभग 12 प्रतिशत है। 2017 की जनगणना में बिहार के आकड़ों की स्थिति में काफी सुधार होगा। (ख) केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, चेन्नई (सी.एल.आर.आई.) द्वारा किये गये हाल के सर्वेक्षण के आधार पर बिहार सालाना 2.64 मिलियन गोजातीय कच्चे खाल तथा 5.09 मिलियन गोजातीय खाल पैदा करता है। राज्य अच्छी गुणवत्ता की बकरी की खाल, गाय खाल और भैंस के बछड़े की खाल के लिये जाना जाता है। बकरी का खाल छोटे आकार का होने के कारण बच्चों की अच्छी गुणवत्ता वाली चमड़ों के उत्पाद बनाने हेतु सबसे उत्तम कच्चा माल है। इन उत्पादों को ज्यादातर निर्यात किया जाता है।

प्रमुख घटक	हमारे रणनीतिक लाभ
	(ग) एक अनुमान के मुताबिक प्रतिदिन मुजफ्फरपुर जिले से 3 ट्रकों में भरकर लगभग 7-8 हजार अदद बकरी की खाल एवं 2-3 हजार अदद गौ खाल अन्य स्थानों को भेजा जाता है। राज्य में अवस्थित चमड़ों की इकाईयों द्वारा अधिकतर कच्चा माल कोलकाता, कानपुर और चेन्नई भेजा जाता है, जिससे बिहार लाभ से वंचित रह जाता है।
श्रम की उपलब्धता	(क) चमड़ा उद्योग एक अत्यधिक श्रम आधारित उद्योग है। इस उद्योग के कुल उत्पादन का 75 प्रतिशत से अधिक लघु, कुटीर और कारीगर क्षेत्रों के माध्यम से उत्पादन किया जाता है, इनमें से अधिकांशतः असंगठित क्षेत्र के हैं। इस असंगठित लघु, कुटीर इकाईयों की मुख्य ताकत समाज के कमजोर वर्गों से सस्ते मानव संसाधन की उपलब्धता की बजह से है। इस प्रक्षेत्र में प्रमुख रूप से महिलाओं के रोजगार की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत है। (ख) बिहार की बड़ी आबादी एवं बढ़ती जनसंख्या ही देश का सबसे बड़ा श्रम आधार भी है। (ग) वर्तमान में राज्य के पटना, गया, नालंदा/बिहारशरीफ, मुजफ्फरपुर आदि जिलों, जहाँ कारीगरों द्वारा चमड़ों के जूते निर्माण का कार्य किया जाता है। इस प्रकार उपलब्ध कुशल श्रम को आसानी से चमड़ों की इकाईयों में नियोजित किया जा सकता है।
घरेलू बाजार की उपलब्धता	चमड़ा प्रक्षेत्र अन्तर्गत उत्पादित लगभग सभी वस्तुएँ दैनिक उपयोग की वस्तुएँ होती हैं। इस प्रकार इन उत्पादों की खपत की दर बहुत अधिक है। बिहार राज्य की शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मध्यम वर्ग की बड़ी आबादी इस तरह के उत्पादों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थानीय बाजार/मांग पैदा करते हैं। बड़े बाजार के आस-पास स्थित चमड़े की इकाई तत्काल दोनों पैमाने और लागत में कमी का लाभ ले सकते हैं।

चमड़ा प्रक्षेत्र की प्राथमिकतायें

चमड़ा उद्योग के अन्तर्गत मुख्य रूप से वैसी इकाईयों आती हैं, जो अर्द्धनिर्मित चमड़े और चमड़े की विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण एवं उत्पादन में शामिल होती हैं। राज्य सरकार द्वारा कच्चे माल के प्रसंस्करण से तैयार सामान के निर्माण से संबंधित श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिये काफी ध्यान दिया गया है। इकाईयों को थ्रस्ट श्रेणी के तहत निम्न रूप से सुविधाओं का प्रस्ताव है :

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
चमड़े के उत्पादों के निर्माण	(क) चमड़े के जूते, चमड़े के चप्पल और अन्य चमड़े के जूतों वस्तुओं के निर्माण (ख) चमड़ों के जूते के घटकों का निर्माण (ग) चमड़े के कपड़ों का निर्माण (घ) असबाब के लिए चमड़ा (ङ) चमड़े की वस्तुओं के निर्माण (जैसे लेबल, टैग, बेल्ट, बैंक, पर्स, हाथ के दस्ताने और अन्य समान और फैशन आइटम के लिए) (च) ऑटोमोबाइल (कार आदि) और फर्नीचर के असबाब का निर्माण (छ) घोड़े के काठी एवं साज-सज्जा उत्पादन
भंडारण	आधुनिक नियंत्रित / गैर नियंत्रण तापमान वाली भंडारण व्यवस्था एवं कच्ची खाल एवं त्वचा तथा अन्य चमड़ों के सामान हेतु प्रशीतन व्यवस्था, भंडारण के लिए गोदामों की व्यवस्था।
व्यवसाय विकास सेवाएँ	शोध एवं अनुसंधान सुविधा, डिजाइन स्टूडियो / प्रोटोटाइप, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला की सुविधा

नोट: इकाईयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र प्रतीकात्मक है तथा राज्य सरकार प्राथमिक प्रक्षेत्र की सूची में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकती है।

इन सभी के अतिरिक्त, बिहार सरकार सी. एस.आई.आर./सी.एल.आर.आई. के द्वारा विकसित ग्रामीण प्रौद्योगिकी के प्रोत्साहन के लिए प्रयास करेगी। इन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाली इकाईयों/गतिविधियों को प्रोत्साहन के उद्देश्य से थ्रस्ट एरिया के रूप में समझा जायेगा।

सी.एस.आई.आर./सी.एल.आर.आई. द्वारा विकसित महत्वपूर्ण ग्रामीण प्रौद्योगिकी की सूची निम्नलिखित है:

- लेदर मोजरी/जूती फूटवियर
- लेदर कोल्हापूरी फूटवियर
- सामान्य फूटवियर (जूते)
- लेदर फूटवियर (सैंडल/चप्पल)
- लेदर पपेट निर्माण
- लेदर सामग्री
- लेदर बोर्ड
- पशु शव (Caracass) का संग्रहण एवं इसका उपयोग।

नोट: इकाईयों की उपर्युक्त सूची मात्र प्रतीकात्मक है तथा राज्य सरकार किसी अन्य प्रकार के प्रौद्योगिकी को सूची में शामिल करने के संबंध में आवश्यकतानुसार निर्णय ले सकती है।

3.10 तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र

वर्तमान में बिहार में 13 विश्वविद्यालय के साथ 262 सरकारी महाविद्यालय और 231 स्थानीय निकाय के महाविद्यालय बिहार सरकार से संबद्धता प्राप्त हैं। यद्यपि तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों की संख्या सीमित है और मात्र 10 अभियंत्रण एवं तकनीकी शिक्षण संस्थान हैं। बिहार में उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की कमी के कारण राज्य के हजारों छात्र महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालयीय शिक्षा जारी रखने के लिए दूसरे राज्यों यथा दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और राजस्थान पलायन करते हैं। यह राज्य को उच्च शिक्षा के केन्द्र (HUB) के रूप में विकसित करने के अवसर से विमुख करता है। राज्य के 38 जिलों में से 25 जिले शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं।

भारत सरकार ने वर्ष 2017 तक GER का लक्ष्य 30 प्रतिशत उच्चतर शिक्षा के लिए निर्धारित किया है। इस प्रक्षेत्र में यह बहुत बड़े पैमाने पर निवेश (Investment) को आकृष्ट करेगा। वर्तमान में बिहार का GER 13 प्रतिशत है। एक गणना (इस्टीमेट) के अनुसार राज्य को उच्चतर शिक्षा में नामांकन के राष्ट्रीय स्तर को प्राप्त करने के लिए राज्य में 373 सामान्य महाविद्यालय (कला, विज्ञान, वाणिज्य), 236 अभियंत्रण महाविद्यालय, 139 चिकित्सा महाविद्यालय, 253 शिक्षण महाविद्यालय, और 163 बहुप्रावैधिकी (पॉलिटेक्निक) संस्थानों की आवश्यकता है। अतएव इससे यह स्पष्ट है कि राज्य में नए उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की अपार संभावना है। बिहार में गरीबी रेखा के उच्च दर के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश परिवार भी अपने बच्चों को बिहार से बाहर उच्चतर शिक्षा हेतु भेजते हैं और राज्य से बाहर जाने एवं आवासीय व्यवस्था के कारण अतिरिक्त वित्तीय बोझ का वहन करना पड़ता है। इसलिए यदि राज्य में अधिक शिक्षण संस्थान स्थापित होते हैं तो संस्थानों की अधिक आवश्यकता के कारण उनके फलने-फूलने के पर्याप्त अवसर हैं। शिक्षा प्रक्षेत्र राज्य में रोजगार सृजन में भी मदद करेगा क्योंकि अधिकतर उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना से शैक्षणिक टाउनशीप का विकास होगा, जिससे उसमें रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। अतएव छोटे व्यापारियों एवं युवा उद्यमियों के लिए अनेक प्रकार के रोजगार के अवसरों का निर्माण होगा।

शिक्षा प्रक्षेत्र के प्राथमिक प्रक्षेत्र : तकनीकी शिक्षा प्रक्षेत्र में निम्नांकित सुविधाओं/इकाईयों को प्राथमिक प्रक्षेत्र में रखा जायेगा :

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
तकनीकी शिक्षा	अभियंत्रण महाविद्यालय और पोलिटेनिक संस्थान (ए.आई.सी.टी.ई. एक्ट के तहत निबंधित)
कौशल विकास	उच्च गुणवत्तायुक्त उपकरण के साथ प्रशिक्षण प्रदान करने वाला तकनीकी कौशल विकास केन्द्र (बी.एस.डी.एम. या उद्योग विभाग से सूचीबद्ध)

नोट: इकाईयों/उद्यमों की उपर्युक्त सूची मात्र प्रतीकात्मक है तथा राज्य सरकार प्राथमिक प्रक्षेत्र की सूची में समय-समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन कर सकती है।

4. व्यवसाय को सुगम बनाने के उपाय (Ease of Doing Business Reform)

4.1 भूमिका:

राज्य सरकार राज्य में निवेश को आकर्षित करने एवं अत्यधिक नौकरियों के अवसर तैयार करने के क्रम में निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य में व्यवसाय के सरलीकरण में सुधार के लिए एवं राज्य भर में औद्योगिक इकाइयों को राज्य में परेशानी मुक्त प्रवेश एवं संचालन के लिए मौजूदा नियमों/प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत एवं सरलीकृत करने पर जोर देने के लिए उपायों की एक श्रृंखला तैयार की गई है। व्यवसाय के सरलीकरण के अंतर्गत किए गए सुधारों का एक संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

4.1.1 सूचनाओं की उपलब्धता:

- उद्योग संवाद पोर्टल (www.udog.bihar.gov.in): “निवेशकों के लिए एकल मंच”, जो राज्य के सभी संबंधित विभागों द्वारा प्रकाशित अधिनियमों/नियमों/नीतियों, परिपत्रों/सूचनाओं/अधिसूचनाओं की जानकारी प्रदान करता है।
- निवेशकों को विभिन्न अनुमोदन/अनापत्ति प्रमाण पत्र/स्वीकृति हेतु आवेदन में सुविधा के लिए संबंधित विभागों की वेबसाइट पर विस्तृत प्रक्रिया/निर्देशपुस्तिका जिसमें आवेदन समर्पित किए जाने से आवेदन के अनुमोदन तक सभी लागू कदमों का समावेश किया गया है, का प्रकाशन किया गया है।
- सभी आवश्यक कागजातों की व्यापक जाँच सूची जिसे आवेदन के भाग के रूप में समर्पित किए जाने की आवश्यकता है, उन्हें भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है।

4.1.2 औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करने के लिए संस्थागत सुदृढीकरण:

- उद्योग संवाद पोर्टल (www.udog.bihar.gov.in): निवेशकों के शिकायत निवारण के लिए एकल मंच। यह मंच सीधे प्रधान सचिव, उद्योग विभाग से सम्पर्क करने का विकल्प प्रदान करता है।
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में तीव्र गति से परियोजना मूल्यांकन एवं स्वीकृति की सुविधा के लिए पैनलबद्ध परियोजना प्रबंधन एजेंसियाँ (PMAs)
- बिहार लोक सेवा अधिनियम के अधीन सेवाओं के गैर-अनुपालन पर नियमानुकूल दंडात्मक कार्रवाई।
- सरलीकृत आवेदन प्रक्रिया, अभिलेखों की आवश्यकता एवं विभिन्न मंजूरीयों यथा बिजली कनेक्शन, वैंट पंजीकरण, व्यवसाय कर पंजीकरण आदि की क्लियरेंस की समयसीमा को कम करना।

4.1.3 श्रम संबंधित सुधार:

राज्य सरकार द्वारा श्रम संबंधी सुधार हेतु उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार हैं:

- फैक्ट्री अधिनियम एवं अन्य श्रम कानूनों के अंतर्गत पंजीकरण एवं लाइसेंस (नवीकरण सहित) के लिए ऑनलाईन आवेदन।

- (b) आवेदन ट्रेकिंग की सुविधा एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा लाइसेंस निर्गत करने हेतु स्पष्ट समयसीमा को अनिवार्य करने के साथ ही पंजीकरण प्रमाण पत्र और अन्य लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा।
- (c) विभिन्न प्रकार के श्रम कानूनों के लिए एकल संयुक्त निरीक्षण और एकल वार्षिक रिटर्न की सुविधा।
- (d) पंजीकृत एवं लाइसेंस प्राप्त इकाइयों के ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा।
- (e) सुस्पष्ट परिभाषित निरीक्षण प्रक्रिया, निबंधित इकाइयों का जोखिम आधारित ऑनलाइन निरीक्षण अनुपालन जिसमें निरीक्षकों का आवंटन स्वतः शामिल होगा, इत्यादि।

4.1.4 कर संबंधी सुधार:

कर से सम्बन्धित सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम निम्न प्रकार हैं:

- (a) मूल्यवर्धित कर, पेशेवर टैक्स, इन्ट्री टैक्स, मनोरंजन कर एवं विलासिता कर निबंधन की ऑनलाइन आवेदन की सुविधा।
- (b) आवेदन ट्रेकिंग की सुविधा एवं पंजीकरण प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सुस्पष्ट समयसीमा को अनिवार्य किया जाना।
- (c) पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करने की ऑनलाइन सुविधा।
- (d) निबंधित तथा अस्वीकृत विक्रेता (डीलर) के ऑनलाइन सत्यापन की सुविधा।
- (e) 60 दिनों के अंदर विक्रेता (डीलर) के खाते में वैट की वापसी।
- (f) ऑडिट कार्य हेतु विक्रेताओं (डीलर्स) को कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा चिन्हित करना (सार्वजनिक प्रकाशित जोखिम मानकों पर आधारित)

4.1.5 पर्यावरण संबंधी सुधार:

राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित सुधार हेतु उठाए गए कुछ मुख्य सुधारात्मक कदम निम्न प्रकार हैं:

- (a) वायु एवं जल अधिनियम के तहत Consent to establish (CTE) स्थापित करने के लिए सहमति एवं Consent to operate (CTO) संचालित करने के लिए सहमति के लिए ऑनलाइन सहमति प्रबंधन प्रणाली, Hazardous Waste Rules के तहत प्राधिकरण।
- (b) आवेदन ट्रेकिंग की सुविधा एवं CTE/ CTO/ प्राधिकरण प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सुस्पष्ट समयसीमा को अनिवार्य करने के साथ प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन प्राप्त करने की सुविधा।
- (c) Green Category के उद्योगों को CTO एवं CTE प्रमाण पत्र प्राप्त करने से छूट।
- (d) CTO की वैधता 3 साल से बढ़ाकर 5 साल किया जाना।
- (e) अनुपालन निरीक्षण की आवश्यकता को कम करना— Green: 5 वर्षों में 1 बार, Orange: 3 वर्षों में 1 बार; एवं Red: प्रत्येक वर्ष में 1 बार।

4.2. भावी दिशाएँ (Way Forward):

निर्धारित समय-सीमा में एवं पारदर्शी तरीके से निवेशकों को आवश्यक वैधानिक अनापत्ति और स्वीकृति उपलब्ध कराने के लिए विभागों के बीच सुगम प्रक्रिया निर्धारित करने हेतु सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। बिहार में व्यवसाय को सुगम तरीके से चलाने के लिए निम्नांकित कदम उठाए जाएंगे:

- **एकल खिड़की शोधन प्रणाली:** वैधानिक संरचना में आवश्यक परिवर्तन करके एक नई एवं सरल एकल खिड़की शोधन प्रणाली (Single Window Clearance System) लाई जाएगी। ऑन लाईन तंत्र के माध्यम से अनुदान के ऑन लाईन आवेदन, समायोजन एवं प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी।
- **समान आवेदन पत्र (Common Application Form) की व्यवस्था:** अनापत्ति निर्गत करने वाले सभी अभिकरणों के साथ समन्वय बनाने के लिए एक समान आवेदन पत्र (Common Application Form) को लाया जाएगा। समान आवेदन पत्र वेब आधारित होगा और धीरे-धीरे इसे भारत सरकार E-biz Portal (www.ebiz.gov.in) के साथ संबद्ध किया जाएगा ताकि संभावित निवेशक एक ही स्रोत से सभी प्रकार के अनापत्ति प्राप्त कर सकें।
- **प्रोग्राम मैनेजमेंट एजेंसी का प्रावधान:** उद्योग विभाग पी.एम.ए. को सूचीबद्ध करेगी जो सक्षम समिति को निवेश प्रस्तावों की स्वीकृति पर निर्णय लेने के साथ-साथ निगरानी और प्रगति से अवगत कराने हेतु तकनीकी सहायता के साथ सचिवीय सेवा उपलब्ध करायेगा। निवेशकों के निवेश प्रस्तावों का सरकार के साथ समन्वय स्थापित करने हेतु पी.एम.ए. एकल सम्पर्क बिन्दु होगा।
- **बियाडा अधिनियम में संशोधन:** बिहार सरकार वर्तमान बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 1974 की समीक्षा करेगी तथा औद्योगिक क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास हेतु इसके विधिक ढाँचे को और सुदृढ़ करने हेतु इसमें संशोधन करेगी।
- **बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम, 2011 (RTPS ACT-2011) के अंतर्गत उद्योग से संबंधित सेवाओं का आच्छादन:** अनुरोध का समयबद्ध निष्पादन हेतु जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निवेशक से सम्बन्धित अतिरिक्त सेवाओं को बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 की परिधि में लाया जाएगा।
- **स्वप्रमाणन की व्यवस्था:** नए एकल खिड़की प्रणाली में स्वप्रमाणन का प्रावधान किया जाएगा, जिसकी इकाई के उत्पादन प्रारंभ करने के बाद अधिकृत प्राधिकार औचक जाँच कर सकते हैं।
- **कानून एवं प्रावधान का युक्तिकरण:** राज्य में श्रम कानून के अनुपालन को ज्यादा व्यवहारिक बनाया गया है। फिर भी इसके अनुपालन को यथासंभव सरल बनाने के लिए औद्योगिक प्रतिनिधियों के साथ परामर्श कर समीक्षा की जाएगी।
- **अनुश्रवण एवं परिवाद समाधान प्रणाली:** इस नीति में लोक शिकायत से संबंधित विषय को बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 की परिधि में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त उद्योग विभाग वर्तमान में वेब आधारित प्रणाली www.udyog.bihar.gov.in को सुदृढ़ करेगी जहाँ सुझाव और शिकायतों को सीधे औद्योगिक विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग को सम्बोधित करते हुए भेजा जा सकता है।

5. औद्योगिक निवेश हेतु आधारभूत संरचना का सुदृढीकरण

5.1 परिचय

विकसित औद्योगिक भूखण्ड, गुणवत्तायुक्त बिजली, दक्ष परिवहन प्रणाली, आदि सहित उच्चस्तरीय गुणवत्ता के आधारभूत संरचना की सुविधा प्रदान करना इस नीति के प्रमुख केन्द्र बिन्दु हैं। राज्य में व्यवसाय और उद्योग के विकास के लिए ये आधारभूत सुविधाएँ कुंजी हैं। राज्य में वर्तमान में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार हैं—

मद	उपलब्ध आधारभूत संरचना का विवरण
औद्योगिक भूमि	<p>(क) भूक्षेत्र के हिसाब से बिहार देश के बड़े राज्यों में से एक है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग 93.60 लाख हेक्टेयर है। यहाँ भूमि की स्थलाकृति प्रकृति के कारण भारतवर्ष के अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ पर कुल भूमि का अनुपात कृषि उपयोग हेतु अधिक है। राज्य के संपूर्ण भूक्षेत्र का लगभग 57 प्रतिशत भूक्षेत्र का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। यहाँ की जीविका का मुख्य श्रोत कृषि है और राज्य की आबादी को आवास एवं अन्य उपयोग हेतु भूखण्ड की आवश्यकता को देखते हुए औद्योगिक उपयोग हेतु भूमि की व्यवस्था करना या खुली भूमि को औद्योगिक भूमि में परिवर्तित करना सरकार के लिए चुनौती है।</p> <p>(ख) बिहार में इकाईयों को भूमि/औद्योगिक भूखण्ड आवंटित कराने के लिए बियाडा प्रमुख अभिकरण है। बियाडा के क्षेत्रीय कार्यालय पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में हैं। वर्तमान समय में 50 औद्योगिक क्षेत्र / औद्योगिक भू-सम्पदा / वृहत औद्योगिक भूखण्ड / विकास केन्द्र / मेगा औद्योगिक पार्क बियाडा के अधीन हैं।</p> <p>(ग) दिसम्बर, 2015 तक बियाडा ने कुल 5851 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है जिसमें से 3324 एकड़ भूमि विभिन्न निवेशकों को आवंटित किए गए हैं। आधारभूत संरचना आदि के लिए भूमि को स्वीकृत किए जाने के बाद 182 एकड़ भूमि विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में रिक्त हैं। बियाडा द्वारा विशेषतः विनिर्माण इकाईयों हेतु भू-खण्ड आवंटित किये जाते हैं।</p> <p>(घ) बियाडा औद्योगिक क्षेत्र में आवश्यक आधारभूत संरचनाओं यथा—सड़क, बिजली, पानी एवं नाली आदि की व्यवस्था को विकसित कर भूखण्ड का आवंटन करती है। दिसम्बर, 2015 तक विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 1544 इकाईयों कार्यरत अवस्था में हैं।</p> <p>(ङ) राज्य सरकार के द्वारा राज्य में निम्नांकित पार्क की स्वीकृति दी गई है जहाँ पर विकसित भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध हैं:</p> <p>(क) प्रिस्टाइन मेगा फूड पार्क: यह पार्क खगड़िया जिला में स्थापित हो रहा है। यह 98 एकड़ में फैला हुआ है। इस वित्तीय वर्ष के अंत तक यह पार्क चालू हो जाने की संभावना है।</p>

मद	उपलब्ध आधारभूत संरचना का विवरण
	<p>(ख) पुनरासर जूट पार्क: यह देश का एकमात्र जूट पार्क है। यह पूर्णिया जिला में अवस्थित है। यह 44.30 एकड़ में फैला हुआ है। वर्तमान में यह पार्क चालू है।</p> <p>(ग) आई.टी., आईटीज एवं इलेक्ट्रॉनिक निर्माण पार्क: राज्य सरकार के द्वारा राजगीर में 100 एकड़ और बिहटा (पटना) में 25 एकड़ जमीन आई.टी., आईटीज एवं इलेक्ट्रॉनिक निर्माण पार्क के लिए कर्णांकित किया गया है।</p> <p>(घ) लेदर क्लस्टर: 11 एकड़ भूखण्ड में विस्तृत यह मुजफ्फरपुर में अवस्थित है।</p> <p>(ङ) गार्मेन्ट निर्माण पार्क: 25 एकड़ भूखण्ड में विस्तृत यह बिहटा (पटना) में अवस्थित है।</p> <p>इन सभी पार्कों में औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु पूर्ण विकसित आधारभूत संरचना उपलब्ध है।</p>
ऊर्जा	<p>(क) मार्च, 2015 में बिहार में स्थापित विद्युत क्षमता 3704.63 मेगावाट थी। इसमें से 83.5 प्रतिशत कोयला आधारित थर्मल पावर से, 14.12 प्रतिशत हाइड्रो पावर से और शेष 2.3 प्रतिशत गैर पारंपारिक ऊर्जा स्रोत से है।</p> <p>(ख) स्वामित्व के हिसाब से केन्द्रीय प्रक्षेत्र का हिस्सा 77.9 प्रतिशत, निजी क्षेत्र/IPP का 14.7 प्रतिशत और राज्य प्रक्षेत्र का 7.4 प्रतिशत हिस्सा है।</p> <p>(ग) राज्य सरकार ने लघु अवधि, मध्यम अवधि और लंबी अवधि हेतु उर्जा क्रय का करार किया है ताकि राज्य में ऊर्जा की उपलब्धता एक समस्या के रूप में नहीं रहे। उर्जा की उपलब्धता में वृद्धि के फलस्वरूप बिहार में प्रति व्यक्ति उर्जा की खपत बढ़कर वर्ष 2012-13 में 145 KWH से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 203 KWH हो गया है। यह दो वर्षों में लगभग 40 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है जो देश के सभी राज्यों से अधिकतम है।</p> <p>(घ) राज्य में 13 लघु जलीय विद्युत परियोजनाएँ वर्तमान में चालू हैं जिनकी कुल क्षमता 54.3 मेगावाट है। वर्तमान में बिहार स्टेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन राज्य में और अधिक लघु जलीय परियोजना की संभावना की तलाश में जुटा है। 17 योजनाओं में संभावना तलाशी का कार्य प्रगति पर है।</p> <p>(ङ) बिहार सरकार ने राज्य में उर्जा क्रय हेतु ओपेन एसेस की अनुमति प्रदान की है। ग्रीड से संबद्ध सोलर रूफटॉप, फोटोभोलटाईक प्रणाली से नेट मीटरिंग व्यवस्था की अनुमति दी गयी है और इसके लिए नियम बनाए गए हैं। कैप्टिभ उपयोग, ग्रुप कैप्टिभ उपयोग और तृतीय पक्ष को बिक्री हेतु सोलर उर्जा के संग्रहण के प्रावधान के लिए भी अधिसूचना जारी किया गया है।</p>

मद	उपलब्ध आधारभूत संरचना का विवरण
सड़क	<p>(क) वर्तमान में बिहार में लगभग 2.26 लाख कि.मी. सड़क की लंबाई है इसमें से राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 4595 कि.मी. है। राष्ट्रीय उच्चपथ का लगभग 68 प्रतिशत दोहरीकरण और बहुपथ के हैं जबकि 32 प्रतिशत एकल एवं इन्टरमीडिएट लेन सड़क हैं।</p> <p>(ख) बिहार में राजमार्ग की लंबाई लगभग 4253 कि.मी. है। इसमें से लगभग 65 प्रतिशत डबल लेन, 20 प्रतिशत सिंगल लेन और 15 प्रतिशत इन्टरमीडिएट लेन वाले सड़क है।</p> <p>(ग) राज्य में जिला स्तरीय सड़क का बड़ा जाल है। प्रधान जिला सड़क की लंबाई लगभग 10,634 कि.मी. है जिसका अधिकांश हिस्सा लगभग (54 प्रतिशत) की चौड़ाई 3.75 मी. है। प्रधान जिला सड़कों में से 4897 कि.मी. को इन्टरमीडिएट या 02 लेन की चौड़ाई वाले सड़क में तब्दील कर दिया गया है। वैसे सड़क जिन्हें चौड़ीकरण की जानी है उसमें सतह समतलीकरण और मरम्मत का कार्य चल रहा है। राज्य सरकार प्रधान जिला सड़क के 5175 कि.मी. को इन्टरमीडिएट लेन के लिए न्यूनतम मापदण्ड 5.50 मी. की चौड़ाई वाले सड़क में उन्नयन के लिए कृत संकल्पित है।</p> <p>(घ) वर्तमान में राज्य में लगभग 2.07 लाख कि.मी. ग्रामीण सड़क है। सभी ग्रामीण सड़कों को धीरे-धीरे विभिन्न योजनाओं यथा मु. मं. ग्राम संपर्क योजना, प्र. मं. ग्राम सड़क योजना एवं ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना के अंतर्गत पक्की सड़क में उन्नयन का कार्य किया जा रहा है।</p>
रेलवे	<p>(क) बिहार में रेलवे का 3,638.73 कि.मी. का सघन तंत्र है। राज्य के सभी जिले रेल तंत्र से अच्छी तरह से जुड़े हैं। राज्य के अधिकांश जिले देश के मुख्य शहरों से रेल तंत्र के माध्यम से जुड़े हुए हैं।</p> <p>(ख) राज्य के अंदर दो मुख्य रेल पथ गुजरते हैं: I- दिल्ली-गौहाटी रेल पथ वाया छपरा-बरौनी-कटिहार II- दिल्ली-कोलकाता रेल पथ वाया आरा, बक्सर, पटना, ग्रैण्ड कॉर्ड पथ वाया गया सहित।</p> <p>(ग) बिहार में हाजीपुर पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है जो बिहार, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश और मध्यप्रदेश राज्यों में फैले 5230 ट्रैक किलोमीटर तथा 3624 रूट किलोमीटर के विस्तृत तंत्र पर नियंत्रण करता है।</p> <p>(घ) अभी हाल फिलहाल में रु. 7000 करोड़ की लागत वाली रेल-सह-सड़क पुल की 3 बड़ी परियोजनाएँ चालू हुई है। ये रेल-सह-सड़क पुल राज्य के अंदर परिवहन सुविधाओं में काफी सहयोगी साबित होंगी।</p> <p>(ङ) राज्य में पटना मेट्रो रेल परियोजना का भी क्रियान्वयन गति पर है। राज्य सरकार द्वारा मेट्रो रेल परियोजना के लिये विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार की गई है एवं इस पर सैद्धान्तिक सहमति भी प्रदान कर दी गयी है।</p>

मद	उपलब्ध आधारभूत संरचना का विवरण
हवाई मार्ग	(क) बिहार के पटना में एक घरेलू हवाई अड्डा और बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। पटना से दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, बंगलुरु, हैदराबाद और राँची के लिए कई घरेलू हवाई उड़ान हैं। (ख) बिहार में हवाई उड़ान की संख्या बढ़ाकर 2014-15 में 11054 हो गई है। विगत दो वर्ष में हवाई यात्रियों की संख्या बढ़कर 10.5 लाख से 12 लाख हो गई है और माल ढुलाई भी 4849 टन से 5198 टन तक बढ़े हैं।

5.2. नीति के प्रभावी अवधि में आधारभूत संरचना हेतु सहायता उपलब्ध कराने के उपाय-

राज्य में उपलब्ध आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए नीति के प्रभावी अवधि में सरकार के द्वारा निम्नांकित उपाय प्रस्तावित हैं-

5.2.1 प्राथमिकता वाले क्षेत्र की परियोजना के लिए रिक्त औद्योगिक भूखण्ड का आवंटन-

नीति के प्रभावी अवधि में बियाडा भविष्य में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में उपलब्ध रिक्त भूखण्ड (लगभग 182 एकड़) को अर्हता प्राप्त परियोजनाओं को आवंटित करना सुनिश्चित करेगा। इस संबंध में समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार बियाडा की प्रोजेक्ट क्लियरेंस समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। उक्त रिक्त भू-खण्ड विनिर्माण करने वाली इकाइयों को आवंटित किया जायेगा। सरकार भी औद्योगिक पार्कों में उत्पादन करने वाली इकाइयों को भू-खण्ड का आवंटन करने में सहायता प्रदान करेगी।

5.2.2 बियाडा द्वारा नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना और विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार:

- (क) बियाडा राज्य के विभिन्न जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने तथा विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ऐसा अनुमान है कि कुल 5000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण और उसका विकास बियाडा द्वारा इस नीति की प्रभावी अवधि में आगामी 3 से 5 साल में किया जाएगा। इसके लिए भूमि बैंक से सरकारी भूमि को बियाडा को सम्बद्ध और हस्तांतरित किया जाएगा। नए औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए पर्याप्त बजट का उपबंध किया जाएगा। इसके बाद बियाडा उक्त भूखण्ड को उत्पादन करने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए उपयोगी बनाने हेतु विकसित करेगी तथा अंतिम दर अधिसूचित किया जाएगा जिसके आधार पर औद्योगिक इकाइयों को भू-खण्ड उपलब्ध होगा।
- (ख) नीति निर्धारण के तहत बियाडा द्वारा नियंत्रणाधीन औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन करने वाली इकाइयों को ही भूमि आवंटित की जायेगी। बियाडा के द्वारा भूमि के आवंटन के उद्देश्य और प्रक्रिया को अधिसूचित किया गया है तथा औद्योगिक इकाइयों के प्रकार एवं प्रदूषण स्तर के आधार पर औद्योगिक क्षेत्रों का कर्णाकन संबंधी अधिसूचना भी निर्गत किया जायेगा। राज्य सरकार समय समय पर बियाडा के नियंत्रणाधीन औद्योगिक क्षेत्र में भू-खण्ड आवंटित किये जाने वाले उद्योगों के प्रकार संबंधी अधिसूचना जारी कर सकेगी।
- (ग) नीति निर्धारण के तहत बियाडा के द्वारा स्थापित नए औद्योगिक क्षेत्र में 25 प्रतिशत भूखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों को आवंटित किया जाएगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई के लिए आवंटित 25 प्रतिशत

भूखण्ड में से 75 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों के लिए तथा 25 प्रतिशत मध्यम इकाईयों की स्थापना के लिए होंगे।

5.2.3 रूग्ण एवं बंद इकाईयों से भूमि की वापसी:

जहाँ कहीं भी संभव होगा सरकार वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों में से रूग्ण एवं बंद इकाईयों से भूमि को वापस लेने का पूरा प्रयास करेगी। बियाडा इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए “एक मुश्त भुगतान” की प्रक्रिया लागू कर सकती है।

5.2.4 भूमि की उपलब्धता बढ़ाने के लिए निजी भागीदारी को बढ़ावा: “आओ बिहार” योजना

(क) राज्य में औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए भूमि हेतु निजी क्रेता एवं विक्रेता की सुविधा के लिए राज्य सरकार की “आओ बिहार” एक महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना वर्ष 2011 में प्रारंभ की गई थी।

(ख) इस योजना के अंतर्गत कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, जिनके पास 2 एकड़ या अधिक भूमि का स्वामित्व है और अपनी भूमि को उद्योग या संस्थान की स्थापना के लिए बिक्री करना चाहता है, अपनी भूमि का विवरण “आओ बिहार” पोर्टल पर सूचीबद्ध करा सकता है। इच्छुक क्रेताओं को सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। भूमि क्रय के इच्छुक उद्यमी पोर्टल पर भूमि को खोज सकते हैं। राज्य सरकार अपने तंत्र के माध्यम से उद्यमी को भूमि के स्वामित्व के सत्यापन में सहायता करेगी ताकि क्रेता भूमि क्रय कर सकें।

(ग) राज्य सरकार का दायित्व मात्र सहायक के रूप में होगा। भूमि के दर निर्धारण और भूखण्ड के आवंटन में सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी।

5.2.5 एयर कारगो कॉम्प्लेक्स की स्थापना:

निर्यात आधारित औद्योगिक इकाईयों के उत्पाद एवं नष्ट होने वाली कृषि उत्पाद के राज्य से बाहर भेजने हेतु परिवहन के लिए पटना एवं गया में एयर कारगो कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार इस नीति की अवधि में इसे स्थापित करने के लिए प्रयास करेगी।

5.2.6 कन्टेनर फ्रेट टर्मिनल:

राज्य में दो स्थानों फतुहा एवं बिहटा में कन्टेनर फ्रेट टर्मिनल है। बिहार सरकार इन टर्मिनलों में उपलब्ध सुविधाओं के उन्नयन के लिए प्रयास करेगी।

5.2.7 अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कौरिडोर एवं आई.एम.सी. को बढ़ावा:

भारत सरकार के द्वारा इस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कौरिडोर के साथ अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कौरिडोर का विकास प्रस्तावित है। प्रस्तावित अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कौरिडोर राज्य के तीन जिले यथा गया, जमुई और बांका होकर गुजरेगी। बिहार सरकार इस क्षेत्र को औद्योगिक हब के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास करेगी। इसके लिए बिहार सरकार प्रस्तावित क्षेत्र में आधारभूत संरचना की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करेगी और जरूरी इन्टरमेंशन प्लान करेगी। अबतक बिहार सरकार के द्वारा डोभी, गया जिला को आई.एम.सी. के लिए चिन्हित किया गया है।

5.2.8 गुणवत्तायुक्त विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता में वृद्धि :

(क) वर्तमान में बिहार में निम्नांकित चार नए विद्युत उत्पादन इकाईयों का कार्य प्रगति पर है। इन योजनाओं के पूर्ण होने पर बिहार का केन्द्रीय क्षेत्र पर विद्युत की निर्भरता में कमी आएगी।

- i. **नवीनगर स्टेज 1 प्लांट:** यह परियोजना बिहार के औरंगाबाद जिला में अवस्थित है। इस विद्युत परियोजना के लिए प्रति ईकाई 660 मेगावाट क्षमता वाली 03 इकाईयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- ii. **बक्सर, भागलपुर एवं लखीसराय की विद्युत परियोजनाएँ:** चौसा (बक्सर) में प्रति इकाई 660 मेगावाट क्षमता की दो इकाईयों वाली विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए सतलज हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन के साथ एकरारनामा हस्ताक्षरित किया गया है। इसके अलावा एन.एच.पी.सी. और एन.टी.पी.सी. के साथ भी प्रति इकाई 660 मेगावाट वाली 02 थर्मल पावर प्लांट के निर्माण के लिए एकरारनामा सम्पन्न किया गया है। पीरपैती (भागलपुर) की ईकाई का निर्माण एन.एच.पी.सी. द्वारा जबकि कजरा (लखीसराय) का निर्माण एन.टी.पी.सी. द्वारा किया जाएगा।
- iii. **अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (बांका):** बांका में लगभग 4000 मेगावाट क्षमता वाली विद्युत परियोजना की स्थापना का प्रस्ताव भेजा गया है जिसके लिए 2500 एकड़ भूमि चिन्हित किया गया है।
- iv. **मथौली हाइडल पावर प्रोजेक्ट (पश्चिमी चंपारण):** इस विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने पर है। इसकी क्षमता 800 किलोवाट है।

(ख) राज्य सरकार के औद्योगिक क्षेत्रों में 24 घंटे निर्वाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किया जायेगा। सभी उद्योग जो 132/220 के.बी.ए. फीडर से विद्युत आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं, को बिजली की कटौती से मुक्त किया जाएगा जबतक कि ग्रीड की सुरक्षा के लिए वैसा करना आवश्यक न हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्पादन एवं वितरण प्रणाली का समुचित उन्नयन किया जाएगा।

(ग) 33/11 के.बी.ए. सब स्टेशनों के सभी फीडर जिनके उपर 75 (पचहत्तर) प्रतिशत से अधिक विद्युत भार है, औद्योगिक फीडर के रूप में जाने जायेंगे तथा विद्युत कटौती से विमुक्त होंगे। यदि अन्य श्रेणी के उपभोक्ता इन फीडरों से सम्बद्ध हैं तो उन्हें इससे अलग करने हेतु कदम उठाये जायेंगे।

(घ) ओपन एक्सेस पॉलिसी—राज्य सरकार के विद्युत अधिनियम 2003 के तहत ओपन एक्सेस पॉलिसी के अंतर्गत विद्युत उपभोग की अनुमति होगी। यह बड़े विद्युत उपभोक्ताओं, जिनका 01 मेगावाट या अधिक विद्युत लोड है, को खुले बाजार से सस्ते दर पर बिजली खरीदने की अनुमति प्रदान करेगी। यह उद्योगों को प्रतिस्पर्द्धात्मक दर पर विद्युत खरीदने और बाजार में प्रतिस्पर्द्धी बने रहने में सहायक होगा।

5.2.9 गैस पाईप लाईन तंत्र की स्थापना :

औद्योगिक विकास हेतु स्वच्छ उर्जा के रूप में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य में एक गैस ग्रीड विकसित किया जायेगा। राज्य में औद्योगिक और घरेलू मांग के अनुसार प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाये जायेंगे।

राज्य सरकार गेल एवं अन्य तेल कंपनियों, जो देश के पूर्वी समुद्री तटबंध से प्रस्तावित प्राकृतिक गैस लाइन का तंत्र बिछाने से संबद्ध है, के साथ समन्वय स्थापित करेगी। पाइपलाईन के माध्यम से अधिकांश क्षेत्रों, विशेषकर औद्योगिक स्थानों वाले क्षेत्र में गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। राज्य में गैस पाइपलाईन तंत्र की स्थापना हेतु बिहार सरकार एवं आई.ओ.सी. तथा बिहार सरकार एवं गेल के बीच समझौता ज्ञापन (MOU) भी हस्ताक्षरित हुए हैं। गेल का प्रमुख गैस पाइपलाईन गया, औरंगाबाद, रोहतास एवं कैमूर जिला होकर गुजरेगी।

5.2.10 एम.एस.एम.ई. क्लस्टर को प्रोत्साहन-सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना:

(क) वर्तमान औद्योगिक नीति एम.एस.एम.ई. क्लस्टरों के विकास के महत्व को पूरा देती है और इसलिए इसके सर्वांगीण प्रोत्साहन के लिए सचेष्ट है। राज्य में अनेक कार्यरत एवं संभावनायुक्त एम.एस.एम.ई. क्लस्टर विद्यमान हैं, उदाहरणस्वरूप:

- i. ब्रास और ब्रोन्ज मेटल यूटेन्सील उद्योग क्लस्टर, परेब, जिला-पटना।
- ii. सी.एफ.एल. और लीड बल्ब, पटनासिटी, जिला-पटना।
- iii. लेदर फुटवीयर, पटनासिटी, जिला-पटना।
- iv. मखाना, चार जिलों में (दरभंगा मुख्य केन्द्र) / दरभंगा।
- v. चर्म उत्पाद क्लस्टर, जिला-सारण (छपरा)।
- vi. अगरबत्ती निर्माण क्लस्टर, जिला-गया।
- vii. लहठी (लाह) क्लस्टर, जिला-मुजफ्फरपुर।
- viii. लेदर जूता और चप्पल क्लस्टर, जिला-मुजफ्फरपुर।
- ix. ब्रास और जर्मन सिल्वर यूटेन्सील क्लस्टर, जिला-पश्चिमी चंपारण।
- x. चावल मिलिंग क्लस्टर, जिला-पूर्वी चंपारण।
- xi. चावल मिलिंग क्लस्टर, जिला-लखीसराय।
- xii. पीतल ब्रास एल्वाय यूटेन्सील क्लस्टर, जिला-वैशाली।
- xiii. लेदर जूता और चप्पल क्लस्टर, जिला-नालंदा।
- xiv. रेडिमेड परिधान क्लस्टर, पटनासिटी, जिला-पटना।
- xv. सिलाव का खाजा क्लस्टर, जिला-नालंदा।
- xvi. मीठा और नमकीन खाजा क्लस्टर, जिला-मधेपुरा।
- xvii. बाँस आधारित सामग्रियों का निर्माण क्लस्टर, जिला-मधेपुरा।

- xviii. हस्तकरघा और खादी (पोस्ट प्रोसेसिंग) क्लस्टर ।
- xix. हस्तशिल्प क्लस्टर ।
- xx. लघु संयंत्र एवं मशीनरी निर्माण क्लस्टर औरंगाबाद, रक्सौल (पूर्वी चम्पारण) ।
- (ख) कार्यरत, नये या सम्भावना युक्त क्लस्टरों, इनमें से किसी में भी पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। खासकर सामान्य सुविधा केन्द्र के रूप में। क्लस्टर एक्टर तकनीकी दृष्टि से भी कमजोर हैं तथा इन क्लस्टरों में तकनीकी और कौशल उन्नयन की नितान्त आवश्यकता है।
- (ग) बिहार सरकार ने क्लस्टरों के विकास के लिए मुख्यमंत्री सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्लस्टर विकास योजना नाम की एक विशेष योजना वर्ष-2013 में प्रारम्भ की है। सरकार वर्तमान नीति काल में इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रयास करेगी।
- (घ) केन्द्र सरकार के प्रासंगिक योजना के अंतर्गत उद्योग क्लस्टर जैसे- एम.एस.एम.ई. मंत्रालय की लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) और डी.आई.पी.पी. की आई.आई.यू.एस. योजना जैसी उद्योग क्लस्टरों को भी राज्य सरकार आवश्यक सहायता देगी।

5.2.11 निजी औद्योगिक पार्क को प्रोत्साहन :

- (क) वर्तमान नीति, राज्य में औद्योगिक भूखण्ड/भूमि और अन्य आधारभूत संरचना संबंधित सुविधाओं के विकास के लिए निजी सहभागिता की भूमिका को पूर्णरूपेण स्वीकार करती है।
- (ख) बिहार सरकार ने निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 2013 में “निजी औद्योगिक पार्क की नीति” लागू किया है। यह नीति वर्तमान औद्योगिक नीति के अभिन्न हिस्सा के रूप में होगी और सरकार कुछ संशोधनों/परिवर्तनों के साथ वर्तमान नीति अवधि में इसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रयासरत रहेगी। विशिष्ट प्रक्षेत्र के पार्कों की स्थापना को भी सरकार प्रोत्साहित करेगी, विशेष रूप से प्राथमिक प्रक्षेत्रों को (उदाहरणस्वरूप- फूड पार्क, लेदर पार्क, आई.टी. पार्क, टेक्सटाइल पार्क, इत्यादि)।
- (ग) इस नीति के तहत बिहार सरकार निजी औद्योगिक पार्कों के प्रवर्तकों (Promoters) को प्रोत्साहन देगी। निजी औद्योगिक पार्क को प्राप्त होने वाले प्रोत्साहनों से संबंधित विस्तृत दिशानिर्देश एवं शर्तों का उल्लेख अध्याय 6 (अनुच्छेद 6.7) में किया गया है।

6. प्रोत्साहन हेतु सामान्य पैकेज

बिहार सरकार राज्य में परिचालित उद्योगों में प्रतिस्पर्धा में सुधार लाने हेतु राजकीय प्रोत्साहन की आवश्यकता को समझती है। तदनुसार बिहार सरकार ने राजकीय प्रोत्साहन पैकेज सूत्रवद्ध किया है जो राज्य के तुलनात्मक लाभों की जानकारी देता है एवं यह प्रोत्साहन राज्य के आगामी औद्योगिक विकास में त्वरित गति प्रदान करेगा।

6.1 मार्गदर्शक सिद्धान्त/सामान्य प्रावधान :

- (i) इस नीति के तहत सभी इकाईयों पर सामान्य प्रावधान लागू होंगे।
- (ii) प्रभावी तिथि का मतलब वो तिथि जब से इस नीति के प्रावधानों को लागू किया जायेगा। यह नीति प्रभावी तिथि से पाँच वर्षों के लिये प्रभावी रहेगी।
- (iii) राज्य सभी भावी उद्यमियों/प्रवर्तकों को बैंक से सावधि ऋण की सुविधा प्राप्त करने हेतु एवं निवेश पर अनुदान प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करेगा।
- (iv) वैसी इकाईयाँ जो प्रोत्साहन हेतु आवेदन करती हैं वो विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के साथ अनुसूचित बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक या सेबी से मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान, जो इकाई को सावधि ऋण प्रदान करेंगे, के मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेंगे। बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार एप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर प्रोत्साहन हेतु परियोजना लागत की गणना की जायेगी।
- (v) इस नीति के तहत प्रोत्साहन की गणना हेतु स्वीकृत परियोजना लागत का अर्थ समय-समय पर उद्योग विभाग द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकार के द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत होगा। स्वीकृत परियोजना लागत ही प्रोत्साहन की राशि के निर्धारण का आधार होगा।
- (vi) इस नीति के तहत प्रोत्साहन की गणना हेतु स्वीकृत परियोजना लागत में जमीन का मुल्य कुल प्रस्तावित निवेश के 10% से अधिक नहीं होगा। अतः स्वीकृत परियोजना लागत में या तो बैंक/वित्तीय संस्थानों के द्वारा परियोजना लागत में उल्लेखित जमीन का वास्तविक लागत या जमीन को छोड़कर कुल प्रस्तावित निवेश का 10% दोनों में से जो कम हो, विचार किया जायेगा। यह सिद्धान्त इस नीति के अन्तर्गत सभी निवेशों के परीक्षण/जाँच पर लागू होगा।
- (vii) इस नीति के तहत सभी प्रोत्साहन राशि इकाई के उत्पादन प्रारम्भ होने के बाद यथा व्यवसायिक उत्पादन की तिथि के बाद वितरित होंगे।
- (viii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों हेतु सभी प्रकार के प्रोत्साहनों की अधिकतम सीमा (जमीन के अलावे) सभी श्रेणियों के उद्योगों (यथा सुक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहत उद्यम) में अतिरिक्त 15% तक बढ़ जायेगी। विस्तृत विवरणी सेक्शन-6.4 में उद्धृत है।
- (ix) महिलाओं, विभिन्न दिव्यांगों, युद्ध विधवाओं, एसिड अटैक प्रभावित, थर्ड जेन्डर इत्यादि उद्यमियों हेतु प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा सभी उद्योगों के श्रेणियों में (जमीन को छोड़कर) 15% अतिरिक्त तक बढ़ा दी जायेगी। विस्तृत विवरणी सेक्शन-6.5 में उद्धृत है।

- (x) कोई भी इकाई व्यवसायिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से 5 वर्षों के बाद या वर्तमान नीति की निर्धारित तिथि के 5 वर्ष समाप्त होने के बाद, जो भी पहले हो, प्रोत्साहन राशि नहीं प्राप्त कर सकेगी।
- (xi) प्रोत्साहन या तो लागू आवश्यक परिमाण या उपयुक्त अवधि के समाप्त होने पर, जो भी पहले हो, समाप्त हो जाएगा। अनुमान्यता अवधि की समाप्ति के उपरान्त अव्यवहृत प्रोत्साहन समाप्त हो जाएगा।
- (xii) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किसी अन्य नीति के तहत कोई और प्रोत्साहन किसी इकाई द्वारा प्राप्त करने पर उस इकाई के लिये कुल उपार्जित प्रोत्साहन की गणना के लिये विचारार्थ नहीं होगा।
- (xiii) इकाई के स्वामित्व या प्रबंधन में किसी भी बदलाव की स्थिति में इकाई द्वारा समय-समय पर उद्योग विभाग द्वारा परिभाषित सक्षम पदाधिकारी को सूचित करना होगा। आवश्यकता होने पर बचे हुये प्रोत्साहन राशि हेतु इकाई को (नये स्वामी के नाम पर) एक संशोधित पत्र या पात्रता प्रमाण पत्र जारी की जायेगी। किसी भी परिस्थिति में पात्रता अवधि का विस्तार नहीं होगा तथा यह मूल उत्पादन तिथि से ही लागू होगा।
- (xiv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, महिला, दिव्यांग, युद्ध विधवा, एसिड अटैक के शिकार तथा थर्ड जेन्डर के उद्यमी द्वारा स्थापित इकाई के शेयरहोल्डिंग के स्वरूप में इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से पाँच वर्षों के अन्दर किसी प्रकार के परिवर्तन की स्थिति में नये शेयरहोल्डर उसी वर्ग के होने चाहिए। नये शेयरहोल्डर उस वर्ग के नहीं होने के स्थिति में दी गई प्रोत्साहन राशि देय तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज के साथ वसूल की जायेगी।
- (xv) अगर प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने हेतु कोई झूठी घोषणा दी जाती है या वैसी इकाई जो प्रोत्साहन राशि हेतु उपयुक्त नहीं है एवं प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर लेती है तो दी गई प्रोत्साहन की राशि, देय तिथि से 18% वार्षिक चक्रवृद्धि व्याज के साथ वसूल की जायेगी। निर्धारित तिथि तक ऐसी राशि के भुगतान नहीं करने की स्थिति में राशि को सूद सहित भूमि राजस्व के बकाये की तरह वसूल की जायेगी।
- (xvi) बिना किसी पर्याप्त परिचालन कारण के सिर्फ प्रोत्साहन की अधिक राशि प्राप्त करने हेतु इकाई को तोड़ने का प्रयास, विभाजन या विलय, तथ्यों की गलत बयानी सक्षम पदाधिकारियों के द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर दण्डनीय कार्रवाई का भागी होगा।
- (xvii) पालिसी अवधि के दौरान कोई मौजूदा इकाई या नई इकाई अगर क्षमता का विस्तार, विशाखन अथवा आधुनिकीकरण करती है तो वैसी इकाई को नई इकाई हेतु प्रोत्साहन का जो लाभ है, वह उनके अनुमोदित इन्फ्रीमेन्टल परियोजना लागत पर देय होगा। परन्तु इस लाभ को प्राप्त करने के लिए इकाई के विद्यमान क्षमता का 50 प्रतिशत क्षमता विस्तार/आधुनिकीकरण होना अनिवार्य है।
- (xviii) इस प्रोत्साहन पॉलिसी के अंतर्गत वैसी इकाईयाँ जो प्रोत्साहन के योग्य नहीं हैं, से सम्बन्धित वंचित सूची परिशिष्ट-2 पर परिलक्षित हैं। जैसे उद्योग/क्षेत्र GST व्यवस्था के तहत भी किसी भी प्रोत्साहन के लिए योग्य नहीं होंगे।
- (xix) सभी तथ्यों की व्याख्या या विवाद का निर्णय औद्योगिक विकास आयुक्त/प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा किया जाएगा और वह निर्णय अंतिम होगा।

6.2 राज्य सरकार उद्यमियों को औद्योगिक प्रोत्साहन हेतु एक अनुकूल वातावरण एवं आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज देने हेतु प्रतिबद्ध है।

उद्यमियों को प्रोत्साहन के निम्न पैकेज प्रदान किये जाएंगे:

प्रोत्साहन के प्रकार	मुख्य विशेषताएँ
प्रतिपूर्ति स्टाम्प शुल्क / पंजीकरण	<p>(क) सरकार द्वारा IDA/BIADA को भूमि आवंटन में कोई स्टाम्प ड्यूटी देय नहीं होगा।</p> <p>(ख) वैसी सभी नई इकाईयाँ जो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के क्षेत्राधिकार अथवा इसके बाहर स्थापित होती हैं, को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात् औद्योगिक भूमि/शेड की लीज/बिक्री/हस्तांतरण पर लगने वाले स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति देय होगी। पंजीकरण शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी की प्रतिपूर्ति केवल पहली बार के लिए स्वीकृत की जाएगी। लीज/पट्टा/बिक्री/हस्तांतरण के बाद के चरणों में यह सुविधा लागू नहीं होगी। यह प्रोत्साहन केवल नई इकाईयों के लिए अनुमान्य होगा।</p> <p>(ग) इकाई द्वारा वांछित भूमि का पूर्ण विवरण DPR में तथा वैसे बैंक या वित्तीय संस्थान, जो इकाई को सावधि ऋण प्रदान करेंगे, के द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन में वर्णित होगा।</p>
भूमि सम्पत्तिवर्तन शुल्क	<p>(क) कृषि भूमि को औद्योगिक श्रेणी की भूमि में सम्पत्तिवर्तन के लिए लगाए गए भूमि सम्पत्तिवर्तन शुल्क/भूमि उपयोग में परिवर्तन हेतु लगाए गए शुल्क को इकाई के व्यवसायिक उत्पादन में आने के पश्चात् शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति अनुमान्य होगा।</p>
ब्याज अनुदान	<p>(क) वैसी सारी उपयुक्त इकाईयाँ, जिसे किसी बैंक के द्वारा या RBI/सेबी के पंजीकृत वित्तीय संस्थान से सावधि ऋण प्राप्त है, को राज्य सरकार द्वारा ब्याज अनुदान देय होगा।</p> <p>(ख) ब्याज अनुदान हेतु ब्याज दर 10 प्रतिशत या सावधि ऋण के वास्तविक ब्याज का दर, जो भी कम हो, होगा। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को 12 प्रतिशत का ब्याज दर अनुदान अनुमान्य होगा।</p> <p>(ग) प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अनुदान की समस्त सीमा स्वीकृत परियोजना लागत का 30% होगा। अप्राथमिकता वाले क्षेत्र में इस अनुदान की सीमा स्वीकृत परियोजना लागत का 15% होगा। इस अनुदान की अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपये होगी।</p> <p>(घ) इस अनुदान राशि की विमुक्ति किशतों में की जाएगी। विमुक्ति की किशत सम्बन्धित बैंक या वित्तीय संस्थान, जिसके द्वारा इकाई को अवधि ऋण प्रदान की गई है, के द्वारा पुनः भुगतान के किशतों से जुड़ा होगा। इकाई</p>

प्रोत्साहन के प्रकार	मुख्य विशेषताएँ
	<p>के प्रवर्तकों के द्वारा किसी भी प्रकार के अंशदान पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।</p> <p>(ड.) अगर प्रवर्तक इकाई के लिए कोई सावधि ऋण नहीं लेते हैं तो वे अनुदान की राशि के पात्र नहीं होंगे।</p>
कर से सम्बन्धित अनुदान	<p>(क) सभी नई इकाइयाँ कर सम्बन्धी लाभ की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार से प्राप्त कर सकती हैं:</p> <p>(i) अप्राथमिक क्षेत्र: स्वीकृत परियोजना लागत का 70%</p> <p>(ii) प्राथमिकता क्षेत्र: स्वीकृत परियोजना लागत का 100%</p> <p>(ख) सभी नई सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को स्वीकृत परियोजना लागत का 30% अतिरिक्त कर में छूट दी जाएगी।</p> <p>(ग) वैसी सभी इकाइयाँ जो सौर और अक्षय उर्जा के वाणिज्यिक उत्पादन हेतु कार्यरत हैं, को स्वीकृत परियोजना लागत का अतिरिक्त 30% कर का लाभ दी जाएगी।</p> <p>(घ) सभी नई इकाइयाँ द्वारा राज्य सरकार के खाते में दी गई VAT/CST / प्रवेश कर का व्यवसायिक उत्पादन में आने की तिथि से पाँच वर्ष तक 80% प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे (इकाई द्वारा व्यापार से सम्बन्धित करों को छोड़कर)। VAT/CST / प्रवेश कर की प्रतिपूर्ति सिर्फ उत्पादन देयता कर के विरुद्ध Input Tax Credit के समायोजन के बाद शुद्ध देय कर पर लागू होगा।</p> <p>(ड.) भारत सरकार पूरे देश में समरूप माल एवं सेवा कर (GST) लागू करने की प्रक्रिया में है, अगर ऐसा होता है तो इस नीति के तहत VAT/CST में स्वीकृत प्रोत्साहन के लाभ को राज्य सरकार द्वारा GST व्यवस्था के अनुरूप संशोधित किया जाएगा।</p> <p>(च) सभी नई इकाइयाँ व्यवसायिक उत्पादन शुरू करने के पाँच वर्ष तक स्व कार्य हेतु विद्युत उत्पादन या BSPHCL को आपूर्ति उर्जा पर देय विद्युत शुल्क पर शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति का पात्र होंगी। विद्युत शुल्क में छूट उन इकाइयों पर लागू नहीं होगा जो उत्पादित बिजली को BSPHCL के अलावे किसी दूसरी इकाई को आपूर्ति करती है।</p>

6.3 केन्द्र सरकार की नीतियों और योजनाओं के साथ समन्वय :

इस प्रोत्साहन की योजना को केन्द्र सरकार की योजना में समन्वय करने की स्वीकृति दी जा सकती है वशर्त कि एक ही परिसम्पत्ति राज्य एवं केन्द्र सरकार के अनुदान की राशि के अंतर्गत आच्छादित नहीं हो। अतः किसी भी उद्यमी के द्वारा भारत सरकार की योजना के अंतर्गत किसी इकाई की परिसम्पत्तियों पर स्वीकृत राशि के विरुद्ध अनुदान प्राप्त करता है तो राज्य सरकार की नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन की राशि की गणना परिसम्पत्तियों के मूल्य को घटाकर की जाएगी।

6.4 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज :

6.4.1 अ.जा. एवं अ.ज.जा. के बीच उद्यमिता विकास हेतु प्रयत्न किया जायेगा।

6.4.2 अ.जा. एवं अ.ज.जा. उद्यमी किसी नई इकाई की स्थापना करते हैं तो ब्याज दर के लिये 11.5 प्रतिशत ब्याज अनुदान या सावधि ऋण का वास्तविक ब्याज दर में से जो भी कम होगा, वह अनुमान्य होगा (सूक्ष्म और लघु उद्यम को छोड़कर)। सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के मामले में अगर अ.जा. एवं अ.ज.जा. उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाती है, ब्याज अनुदान की दर 13.8 प्रतिशत अथवा वास्तविक ब्याज दर जो भी कम होगा, वहीं अनुमान्य होगा।

6.4.3 ब्याज अनुदान की कुल रकम अनुमोदित परियोजना लागत की 34.5 प्रतिशत (प्राथमिक क्षेत्र) तथा 17.25 प्रतिशत (गैर प्राथमिक क्षेत्र) होगी। ब्याज अनुदान की अधिकतम सीमा 11.50 करोड़ रुपया होगी।

6.4.4 नई इकाई अ.जा./अ.ज.जा. के द्वारा स्थापित की जा रही है तो उद्यमी द्वारा राज्य सरकार के खाते में जमा VAT/CST/प्रवेश कर का 92 प्रतिशत प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे (उद्यमी द्वारा भुगतान किये गये किसी भी व्यापारिक कर को छोड़कर) जिसकी अधिकतम सीमा निम्नप्रकार होगी:

(I) गैर प्राथमिक क्षेत्र: स्वीकृत परियोजना लागत का 80.5 प्रतिशत

(II) प्राथमिक क्षेत्र: स्वीकृत परियोजना लागत का 115 प्रतिशत

6.4.5 राज्य सरकार द्वारा अ.जा./अ.ज.जा. उद्यमियों के लिये प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट कन्सलटेन्सी की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी जो इकाई की स्थापना एवं संचालन में सहायता देगी।

6.4.6 ऐसे उद्यमियों के लिए सामान्य सुविधा के साथ विशेष कलस्टर विकसित किये जायेंगे।

6.5 महिलाओं, दिव्यांग, वार विडो, एसिड अटैक के शिकार तथा थर्ड जेन्डर उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज :

6.5.1 महिलाओं, दिव्यांग, वार विडो, एसिड अटैक के शिकार तथा थर्ड जेन्डर के बीच उद्यमिता विकास हेतु प्रयत्न किया जाएगा।

6.5.2 यदि महिलाओं, दिव्यांग, वार-विण्डो, एसिड अटैक के शिकार तथा थर्ड जेन्डर के उद्यमी द्वारा नई इकाई की स्थापना की जाती है तो ब्याज अनुदान हेतु ब्याज का दर 11.5 प्रतिशत या सावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जो कम होगा, वह अनुमान्य होगा (सूक्ष्म और लघु उद्यम को छोड़कर)। यदि महिलाओं, दिव्यांग, वार-विण्डो, एसिड अटैक के शिकार तथा थर्ड जेन्डर उद्यमी सूक्ष्म एवं लघु इकाई की स्थापना करते हैं तो

उन्हें ब्याज दर का 13.8 प्रतिशत अथवा सावधि ऋण के वास्तविक ब्याज दर में से जो भी कम हो ब्याज अनुदान देय होगा।

6.5.3 छूट की अधिकतम सीमा स्वीकृत परियोजना लागत का 34.5 प्रतिशत (प्राथमिक क्षेत्र के लिए) जो स्वीकृत परियोजना लागत का 17.25 प्रतिशत (गैर प्राथमिक क्षेत्र)। छूट की अधिकतम सीमा 11.50 करोड़ रुपये होगी।

6.5.4 यदि उन उद्यमियों द्वारा नई इकाई स्थापित की जाती है तो उद्यमी द्वारा राज्य सरकार के खाते में जमा किए गए स्वीकृत VAT/CST/प्रवेश कर का 92 प्रतिशत प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी (व्यापार संबंधी जमा कर को छोड़कर) जिसकी अधिकतम सीमा निम्न प्रकार होगी।

(I) गैर प्राथमिक क्षेत्र: स्वीकृत परियोजना लागत का 80.5 प्रतिशत

(II) प्राथमिक क्षेत्र: स्वीकृत परियोजना लागत का 115 प्रतिशत

6.6 एम.एस.एम.ई. कलस्टर डेवलॉपमेन्ट सेन्टर के लिए राज्य सरकार की योजनाओं के साथ डोभ टेलिंग:

मुख्यमंत्री कलस्टर विकास योजनान्तर्गत सी.एफ.सी. की स्थापना के लिए प्रोत्साहनों के डोभ टेलिंग की अनुमति होगी। इसके साथ यह शर्त होगी की एक ही एसेट औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति एवं उक्त योजना द्वारा आच्छादित नहीं होंगे। इस प्रकार इस योजना के तहत सी.एफ.सी. के किसी विशेष परिसम्पत्ति पर लिये गये/लिये जाने वाले अनुदान की स्थिति उस परिसम्पत्ति को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत अनुदान की गणना के लिए स्वीकृत परियोजना लागत में नहीं जोड़ा जायेगा।

6.7 निजी औद्योगिक पार्क हेतु प्रोत्साहन:

निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु प्रोत्साहन दिये जाएंगे। वर्तमान पॉलिसी अवधि के दौरान इस योजना के लिए प्रभावी अंशदान निम्नप्रकार के हैं:

(क) किसी भी व्यक्ति/पार्टनरशिप फर्म/एल.एल.पी./कम्पनी एक्ट या सोसाइटी एक्ट के तहत पंजीकृत संस्था निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना कर सकती है।

(ख) पार्क के प्रवर्तक को भूमि की व्यवस्था करनी होगी। पार्क के लिए भूमि की व्यवस्था में राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी।

(ग) प्रस्तावित निजी औद्योगिक पार्क का न्यूनतम क्षेत्रफल 25 एकड़ होगा (आई.टी.पार्क के लिए 3 एकड़)।

(घ) पार्क हेतु प्रस्तावित भूमि प्रवर्तक के पूर्ण रूपेण स्वामित्व में होगा और किसी भी तरह के ऋण भार से मुक्त होगा। यह प्रवर्तक के द्वारा लीज पर नहीं लिया जाना चाहिए।

(ङ) भूमि का 20 प्रतिशत क्षेत्र सामान्य प्रयोग/आधारभूत संरचना के विकास/हरित क्षेत्र एवं भविष्य की आवश्यकताओं के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए।

(च) औद्योगिक पार्क में कम से कम 5 स्वतंत्र उत्पादन इकाई होनी चाहिए।

(छ) प्रवर्तक भूमि/प्लॉट्स को स्वतंत्र इकाई के आवंटन हेतु उत्तरदायी होंगे। राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी।

- (ज) प्रवर्तक इस औद्योगिक पार्क में आवासीय इकाई निर्मित नहीं करेंगे तथा औद्योगिक पार्क को रीयल एस्टेट परियोजना में परिवर्तित नहीं करेंगे। औद्योगिक पार्क का उपयोग सिर्फ औद्योगिक उपयोग के लिए होगा। सभी निजी औद्योगिक पार्क औद्योगिक भूमि के रूप में अधिसूचित किये जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में निजी औद्योगिक पार्क को औद्योगिक उपयोग के अलावे किसी दूसरे कार्य में नहीं लिया जा सकता है।
- (झ) निजी औद्योगिक पार्क में औद्योगिक भूखण्ड का दर प्रवर्तक निर्धारित करेंगे। राज्य सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी।
- (ञ) पार्क के आधारभूत संरचना के विकास हेतु प्रवर्तक एक निधि की व्यवस्था करेंगे जिसे विकास रिजर्व फण्ड के रूप में जाना जाएगा। प्रवर्तक भूखण्ड के आवंटन में प्राप्त राशि में 05 प्रतिशत एवं प्रति वर्ष शुद्ध लाभ से 10 प्रतिशत इस विकास रिजर्व फण्ड में योगदान देंगे। यह विकास सुरक्षित निधि सावधि जमा के रूप में रखा जाएगा। इसके संचालन हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में प्रवर्तक या प्रवर्तक के प्रतिनिधि तथा पार्क में सक्रिय इकाई के प्रतिनिधि होंगे। किसी भी समय डी.आर.एफ. का अधिकतम 33 प्रतिशत आधारभूत संरचना के विकास हेतु उपयोग किया जा सकता है। प्रवर्तक पार्क में स्थापित सक्रिय इकाइयों से रख-रखाव हेतु शुल्क ले सकते हैं। उपर्युक्त समिति ही रख-रखाव के माध्यम से एकत्रित किये गए राशि के संचालन के लिये भी उत्तरदायी होगी।
- (ट) निजी औद्योगिक पार्क 10 प्रतिशत अथवा सावधि ऋण पर वास्तविक ब्याज दर, जो भी कम हो, की दर से स्वीकृत परियोजना के 30 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान के पात्र होंगे जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ होगी। प्राथमिक क्षेत्र की इकाइयों के लिए विशेष निजी औद्योगिक पार्क, (यथा फूड पार्क, लेदर पार्क, टेक्सटाइल पार्क, आई.टी.पार्क इत्यादि) को स्वीकृत परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तक ब्याज अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा 50 करोड़ होगी तक दी जा सकती है। निजी औद्योगिक पार्क के प्रमोटर पार्क के पूरा होने के उपरान्त ब्याज प्रोत्साहन के हकदार होंगे।
- (ठ) उपरोक्त के अलावा निजी पार्क अन्य प्रोत्साहन जिसका विवरण 6.2 में दिया गया है, के पात्र होंगे। ब्याज अनुदान उपर्युक्त कंडिका-(ट) के अनुसार देय होगा।
- (ड) निजी औद्योगिक पार्क में स्थापित सभी औद्योगिक इकाइयों को योग्यता के अनुरूप औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत प्रोत्साहन देय होगा।

7. खरीद अधिमानता नीति:

- (क) खरीद अधिमानता नीति उन एम.एस.एम.ई. फर्म/इकाईयों पर लागू होगी जिनकी विनिर्माण कार्य कलाप द्वारा मूल्य संवर्द्धन किया गया हो। व्यापार और पैकेजिंग इकाईयाँ मूल्य अधिमानता के पात्र नहीं होंगी।
- (ख) राज्य में एम.एस.एम.ई. इकाई द्वारा कोटिंग मूल्य 15 प्रतिशत के अन्दर अन्य बिडरों के न्यूनतम बिडिंग मूल्य की तुलना में हो, तो मूल्य अधिमानता के पात्र होंगे। ऐसी परिस्थिति में एम.एस.एम.ई. इकाई को कुल क्रयादेश का 15 प्रतिशत न्यूनतम दर पर ऑर्डर दिया जायेगा। टाई के मामले में राज्य आधारित सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग इकाईयों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- (ग) यदि ऐसा होता है कि दो या अधिक राज्य आधारित सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग इकाईयाँ न्यूनतम मूल्य (L1) + 15 प्रतिशत सीमा के भीतर है तो ऐसे सभी सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग को समान रूप से न्यूनतम मूल्य (L1) कीमत मूल्य आदेश को स्वीकार करने का अवसर दिया जाएगा और 15 प्रतिशत अधिमानता वाले इकाई को आर्डर सामान रूप से एम.एस.एम.ई. इकाई में वितरित किया जाएगा।
- (घ) खरीद अधिमानता नीति कन्ट्रैक्टर्स एवं सब कन्ट्रैक्टर्स के लिए भी मान्य होगा अगर कम से कम कुल उत्पाद का 15 प्रतिशत स्थानीय एम.एस.एम.ई. से अधिप्राप्त हो अगर उत्पाद राज्य में विनिर्मित हो।
- (ङ.) कारोबार या फर्म के उम्र तथा टर्न ओवर के प्रतिबंध में बिहार के एम.एस.एम.ई. के लिए 50 प्रतिशत की छूट होगी, बशर्ते वे उत्पादों की तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करते हैं।
- (च) उत्पादों की सूची जिसे बिहार के सूक्ष्म एवं लघु, मध्यम उद्योग क्षेत्र से प्राप्त किया जाएगा को राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। बिहार के एम.एस.एम.ई. इकाईयों के बीच संबंधित उत्पाद के क्रय के लिए सीमित निविदा आमंत्रित किया जायेगा।

8. आने वाली नीति में रखने वाले प्रावधान के संबंध में:

निम्नलिखित प्रावधान विद्यमान पॉलिसी के अंतर्गत आयेंगे:

- (क) सभी प्रकार की परियोजनाएं, जो सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित है (उद्योग विभाग, बिहार सरकार के संकल्प सं.-128, दिनांक 16.01.2006 द्वारा परिभाषित किया गया है) लेकिन जो नई नीति के प्रभावी तिथि तक वाणिज्यिक उत्पादन में नहीं आयी हैं, उन्हें यह विकल्प दिया जायेगा कि नई नीति या विद्यमान औद्योगिक नीति से आच्छादित होना चाहते हैं। इन इकाईयों को विकल्प के साथ अलग से आवेदन देना होगा अन्यथा ये इकाईयों औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 के तहत अच्छादित होगी। वैसी इकाई जो औद्योगिक नीति, 2011 के अंदर आच्छादित होना चाहती है, उन्हें 31 मार्च, 2017 तक वाणिज्यिक उत्पादन में आना होगा या उनके अनुमोदित डी.पी.आर. में जो समय सीमा निर्धारित किया गया है (जिनका समय सीमा 31 मार्च, 2017 के बाद का है) वे अपना अनुदान का दावा औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2011 के तहत करेंगे। जो इकाई निर्धारित समय सीमा के अंदर वाणिज्यिक उत्पादन में नहीं आती है, वे औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के लिए योग्य नहीं मानी जायेगी, उन्हें नई नीति के तहत पुनः आवेदन करना होगा। इकाईयाँ जो नई नीति के तहत अच्छादित होना चाहती है उन्हें राज्य द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार के समक्ष आवेदन करना होगा।
- (ख) विद्यमान इकाईयाँ औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/दरों के अनुसार अनुदान प्राप्त करने के लिए योग्य होगी, जबतक इकाई की समय-सीमा एवं/अथवा सीमा समाप्त न हो गई हो। जो इकाई पूर्व के प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत किसी प्रकार का प्रोत्साहन प्राप्त की हैं, वे इस नीति का लाभ लेने के लिए योग्य नहीं होंगी, जैसा कि ऊपर के प्रावधान में उल्लेख किया गया है।

9. रूग्ण इकाईयों का पुनर्वास:

औद्योगिक रूग्णता औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया का एक अंग है। इसके फलस्वरूप बेरोजगारी, पूँजी निवेश का अवरुद्ध होना, राजस्व की हानि एवं परिसम्पत्तियों का उपयोग नहीं हो पाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि उपयुक्त कदम उठाए जायें, जिससे कि रूग्ण इकाईयों का पुनर्वास हो सके। सरकार इस संबंध में चिन्तित है तथा रूग्णता को रोकने एवं रूग्ण इकाईयों का पुनर्वास करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जायेंगे। साथ ही प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप रूग्ण हुई इकाईयों के पुनर्वास हेतु भी कदम उठाए जायेंगे।

9.1 औद्योगिक पुनर्वास निधि (कॉरपस निधि):

रूग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकार, उद्योग संघों एवं अन्य के सहयोग से एक कॉरपस निधि (Corpus Fund) की स्थापना की जायेगी। यह कॉरपस निधि रूग्ण लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों, जिनका पुनर्वास पैकेज अनुमोदित किया गया हो, को संभावित कम-से-कम समय में वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

9.2 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई (MSME) में रूग्णता:

9.2.1 राज्य स्तरीय कमिटी:

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के पुनर्वास हेतु उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति (शीर्षस्थ संस्था) द्वारा सभी प्रकार के निर्णय लिये जायेंगे।

9.2.2 रूग्ण उद्योगों के पुनर्वास हेतु राज्य स्तरीय शीर्षस्थ संस्था को पर्याप्त वैधानिक शक्तियाँ प्रदत्त की जायेगी। यह समिति पुनर्वास पैकेज को तैयार करने हेतु एजेन्सी का चयन करेगी, जिससे की प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जा सके।

9.2.3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया/सिडवी के दिशा निर्देशों के अनुसार रूग्ण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयों की पहचान की जायेगी तथा पुनर्वास पैकेज तैयार करने हेतु एजेन्सी का चयन करने में सहयोग करेगी, ताकि उपर वर्णित पुनर्वास पैकेज अनुमोदित हो सके।

9.2.4 पुनर्वासित हो रहे रूग्ण इकाईयों को प्रतिवर्ष रूग्णता प्रमाण-पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी, अपितु पुनर्जीवित पैकेज रूग्ण इकाई के पुनर्जीवन की अवधि विनिर्दिष्ट करेगा।

9.2.5 राज्य स्तरीय समिति द्वारा घोषित रूग्ण उद्योग ही पुनर्वास हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गदर्शन के अनुरूप बैंक एवं वित्तीय संस्थान से मिलने वाली छूट एवं रियायत के पात्र होंगे। सभी प्रकार के छूट एवं रियायत एक निश्चित समय-सीमा के अन्दर दिया जायेगा।

9.2.6 रूग्णता की पहचान कर तीन माह की समय-सीमा के अन्दर पुनर्वास पैकेज तैयार किया जायेगा तथा राज्य स्तरीय संस्थानों द्वारा रूग्ण इकाईयों के पुनर्वास प्रक्रिया का अनुश्रवण किया जायेगा।

9.2.7 वैसी रूग्ण इकाईयाँ जिसने पूर्व में किसी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत लाभ उठाया हो, पुनः दुसरी बार इस नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर सकेगा। यदि कोई रूग्ण इकाई दूसरी बार औद्योगिक नीति का लाभ प्राप्त

करना चाहती है तो उसे पूर्व में रूग्ण इकाई के रूप में प्राप्त सुविधाओं की राशि एवं नई नीति के अनुसार प्रस्तावित देय राशि की अन्तर राशि ही देय होगी, परन्तु इस प्रकार की पुनर्वास सुविधा राज्य सरकार के स्तर से गठित संबंधित समिति की अनुशंसा के आलोक में ही देय होगी। इस प्रकार की सुविधा इकाई को अधिकतम दो बार ही मिल सकती है।

9.2.8 पुनर्वास पैकेज में जो तिथि होगी, उसे ही कट-ऑफ-डेट मानते हुए सुविधा का निर्धारण किया जा सकेगा।

9.3 वृहत्त उद्योगों में रूग्णता:

9.3.1 प्रधान सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी जो वृहत्त प्रक्षेत्र में पुनर्जीवन की संभावना रखने वाले गैर बी.आई.एफ.आर. रूग्ण औद्योगिक इकाईयों एवं लोक उपक्रमों के लिए उपयुक्त उपाय करेगी। इकाईयों के पुनर्जीवन हेतु यथा आवश्यक एवं नीतिगत वक्तव्य में वर्णित बिन्दुओं समेत रियायतों एवं सुविधाओं की अनुशंसा यह समिति करेगी एवं अनुशंसाएँ अंतिम निर्णय हेतु राज्य सरकार के समक्ष मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पहले से गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के समक्ष रखी जायेगी।

9.3.2 बी.आई.एफ.आर. अथवा इस हेतु निर्मित सृजित वैधानिक संस्था यथा बिहार राज्य साख एवं विनियोग निगम (बिसिको), बिहार राज्य वित्त निगम (बी.एस.एफ.सी.) तथा बैंक की अन्तर सांस्थिक समिति द्वारा तैयार की गई पुनर्वास योजना के अन्तर्गत चुनी गई रियायतें एवं सुविधाएँ प्रधान सचिव, उद्योग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष विचारार्थ एवं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में पूर्व से गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के माध्यम से सरकार की अनुशंसा हेतु रखी जायेगी।

9.3.3 एक रूग्ण इकाई का अर्थ ऐसी इकाई से है, जो औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण पर्षद् (बी.आई.एफ.आर.) से निबंधित हो। यद्यपि ऐसी इकाई को सुविधाएँ एवं रियायतें बी.आई.एफ.आर. द्वारा प्रचारित डी.आर.एस. (Draft Rehabilitation Scheme) में अंकित कट-ऑफ-डेट से देय होगा।

9.3.4 रूग्ण इकाईयाँ, जिन्होंने पूर्व में औद्योगिक नीति का लाभ उठाया है, को पुनः दूसरी बार भी इस नीति के अन्तर्गत लाभ देय होगा। अगर कोई रूग्ण इकाई दूसरी बार औद्योगिक नीति का लाभ प्राप्त करना चाहती है तो उसे पूर्व में रूग्ण इकाई के रूप में प्राप्त सुविधाओं की राशि एवं नई नीति के अन्तर्गत प्रस्तावित देय राशि की अन्तर राशि ही देय होगी, परन्तु इस प्रकार की पुनर्वास सुविधा राज्य सरकार के स्तर से गठित संबंधित समिति की अनुशंसा के आलोक में ही देय होगी। इस प्रकार की सुविधा इकाई को अधिकतम दो बार ही मिल सकती है।

10. नीति का क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं तत्संबंधी शिकायतें:

10.1 नीति का क्रियान्वयन:

- 10.1.1 एक उच्च स्तरीय औद्योगिक सलाहकार पर्षद् का गठन किया जायेगा। इस पर्षद् में माननीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्य सचिव, संबंधित विभागों के प्रधान सचिव, संबंधित सरकारी एजेंसियों के प्रमुख, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के व्यवसायों के प्रतिनिधि, पब्लिक एवं प्राईवेट बैंकों के राज्य प्रधान, अग्रणी व्यवसायी / राज्य के उद्यमी / परामर्शी संस्थाएँ आदि शामिल होंगे। पर्षद् की बैठक वर्ष में दो बार आहूत की जायेगी।
- 10.1.2 नये व्यवसाय की स्थापना से संबंधित अनुमोदन तथा क्लीयरेंस हेतु एक राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् गठित की जायेगी। निवेश संबंधी आवेदन को पारित करने हेतु संबंधित विभागों के सक्षम पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जायेगा। निवेशकों को नीति अन्तर्गत वांछित प्रोत्साहन दावों के लिए राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् का सचिवालय एक मात्र कॉन्टेक्ट प्वाइंट के रूप में कार्य करेगा।
- 10.1.3 नीति के क्रियान्वयन एवं प्रोत्साहन दावा के निस्तारण हेतु उद्योग विभाग मार्ग-दर्शन के साथ नीति के कार्यान्वयन हेतु एक फ्रेमवर्क जारी करेगा। इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहनों सहित सभी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु संयुक्त आवेदन प्रपत्र (सी.ए.एफ.) का प्रयोग किया जायेगा।
- 10.1.4 नीति के दिन-प्रतिदिन क्रियान्वयन की देख-रेख राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् के सचिवालय द्वारा किया जायेगा। निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग निदेशक, निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण एवं निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बियाडा इत्यादि से सम्पर्क स्थापित कर विभाग द्वारा नीति अन्तर्गत उपलब्धि से संबंधित त्रैमासिक प्रतिवेदन का प्रकाशन किया जायेगा।

10.2 नीति का अनुश्रवण एवं शिकायत निवारण:

- 10.2.1 नीति के क्रियान्वयन से संबंधी अनुश्रवण तथा अवरोध के उपयुक्त परिवेदना निवारण की पहचान हेतु एक नीति अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा।
- 10.2.2 आवश्यकतानुसार वांछित सहायता एवं मध्यवर्ती सुधार को ध्यान में रखते हुए नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा नियमित अन्तराल पर की जायेगी।
- 10.2.3 निवेशकों एवं राज्य सरकार के बीच प्रत्येक स्तर पर पारस्परिक संवाद हेतु नवीनतम तकनीकी से पूर्ण "Centralized Helpdesk Call Centre" का परिचालन किया जायेगा।
- 10.2.4 नीति के क्रियान्वयन के क्रम में किसी प्रकार के मतभेद अथवा किसी शब्द की व्याख्या / विवाद के सभी मामलों का निर्णय औद्योगिक विकास आयुक्त / प्रधान सचिव, उद्योग विभाग द्वारा लिया जायेगा। यह निर्णय सभी संबंधितों के लिए अंतिम और वाध्यकारी होगा।

10.3 सामान्य शर्तें:

इस नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु निम्नांकित सामान्य शर्तें लागू होंगी:

प्रोत्साहन प्राप्त करने हेतु अगर कोई गलत सूचना दी जाती है अथवा ऐसी इकाई के लिए प्रोत्साहन प्राप्त किया जाता है जो योग्य नहीं थे, अथवा इस नीति के किसी शर्त के उल्लंघन करने पर प्रोत्साहन राशि के

साथ ही 18 प्रतिशत वार्षिक दर से कम्पाउन्ड इन्टरेस्ट के साथ वसूली की जायेगी। विदित समय में भुगतान नहीं करने पर राज्य सरकार भू-राजस्व की भांति सूद सहित बकाये की वसूली करेगी।

11. अनुसूची-I में दिए गए परिभाषाएँ इस नीति के अंग माने जायेंगे।
12. अनुसूची-II में वर्णित बंचित उद्योगों की सूची में शामिल उद्योग किसी प्रकार के प्रोत्साहन/अनुदान के योग्य नहीं होंगे।
13. यह नीति निर्गत की तिथि से पाँच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी।
14. यह नीति अंग्रेजी संस्करण का हिन्दी अनुवाद है। इन दोनों के बीच कोई विवाद होता है तो अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा. एस. सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:1822 / पटना, दिनांक: 01.09.2016

प्रतिलिपि: राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 1000 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:1822 / पटना, दिनांक:01.09.2016

प्रतिलिपि : सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग / प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के अधीन सभी निगम / बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / निदेशक, तकनीकी विकास / निदेशक, उद्योग निदेशालय / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / निदेशक, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, पटना / मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

परिशिष्ट – I परिभाषाएँ

A. सामान्य परिभाषा :

1. औद्योगिक इकाई :

औद्योगिक इकाई/प्रतिष्ठान से अभिप्राय ऐसी इकाई से है जो निम्नांकित श्रेणी में आने वाले विनिर्माण/प्रसंस्करण/सेवा उद्योग में संलग्न हो अथवा संलग्न होने वाला हो।

(a) समय-समय पर यथा संशोधित उद्योग (विकास एवं विनिमय) अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची में सूचीकृत उद्योग।

(b) निम्नांकित बोर्डों/अभिकरणों के दायरे में पड़ने वाले उद्योग (i) लघु उद्योग बोर्ड (ii) क्वायर् बोर्ड (iii) रेशम बोर्ड (iv) अखिल भारतीय हस्तकरघा एवं हस्तशिल्प बोर्ड (v) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (vi) औद्योगिक विकास हेतु केन्द्रीय सरकार अथवा बिहार सरकार द्वारा गठित कोई अन्य अभिकरण।

(c) अन्य श्रेणियाँ :

(1) खनन अथवा खनिज विकास।

(2) किसी भी प्रकार की मशीनरी अथवा वाहन अथवा नौका अथवा मोटरवोट अथवा ट्रेलर अथवा ट्रैक्टर के रख-रखाव, मरम्मत, जाँच सर्विसिंग।

(3) औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक प्रांगण, समेकित आधारभूत संरचना विकास की सुविधा, निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क, निर्यात प्रोत्साहन जोन अथवा ग्रोथ सेन्टर की स्थापना अथवा विकास।

(4) औद्योगिक विकास की अभिवृद्धि हेतु विशिष्ट अथवा तकनीकी ज्ञान अथवा अन्य सेवाएँ उपलब्ध कराना।

(5) उद्योग के लिए इंजीनियरिंग, तकनीकी, वित्तीय, प्रबन्धकीय, विपणन अथवा अन्य सेवाएँ या सुविधाएँ प्रदान करना।

(6) सूचना प्रौद्योगिकी (IT), दूरसंचार अथवा इलेक्ट्रॉनिक्स (सेटेलाइट लिंकेज सहित) तथा दृश्य एवं श्रव्य केबल संचार सहित से संबंधित सेवा प्रदान करना।

(7) पर्यटन।

(8) स्वास्थ्य सेवा।

(9) इस नीति के "प्राथमिकता के प्रक्षेत्र" के तहत परिभाषित कोई कार्य।

2. औद्योगिक इकाई की श्रेणी :

वित्तीय प्रोत्साहन पर नियंत्रण के उद्देश्य हेतु परियोजना को निम्नरूपेण वर्गीकृत किया जा सकता है –

(a) **सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इन्टरप्राइजेज (एम.एस.एम.ई.):** भारत सरकार के स्तर से घोषित एम.एस.एम.ई. अधिनियम 2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इन्टरप्राइजेज की परिभाषा को ही बिहार सरकार अनुसरण करती है।

(b) **वृहत्त औद्योगिक इकाई:** एम.एस.एम.ई. अधिनियम 2006 अन्तर्गत मशीन एवं संयंत्र के मद में मध्यम इकाई से संदर्भित निवेश राशि से अधिक परन्तु रु. 100 करोड़ से कम निवेश वाली इकाई वृहत्त उद्योग की श्रेणी में आते हैं।

(c) **मेगा औद्योगिक इकाई:** रु. 100 करोड़ एवं इससे अधिक के पूँजी निवेश की परियोजना मेगा उद्योग की श्रेणी में आते हैं।

3. नई औद्योगिक इकाई:

नई औद्योगिक इकाई से अभिप्राय ऐसी औद्योगिक इकाई से है, जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन कार्य इस नीति के लागू होने की तिथि से पाँच वर्षों के बीच आरंभ हुआ हो।

4. विद्यमान औद्योगिक इकाई:

विद्यमान औद्योगिक इकाई से अभिप्राय ऐसी इकाई से है जिसमें वाणिज्यिक उत्पादन कार्य इस नीति के लागू होने से पूर्व प्रारंभ हो गई हो। विद्यमान इकाई के द्वारा उसी परिसर में स्थापित इकाई को ही वित्तीय प्रोत्साहन के संदर्भ में नई इकाई माना जायेगा, जो अलग भवन/ढाँचा में अवस्थित हो, लेखा-जोखा अलग से संधारित करता हो तथा जिसके द्वारा भविष्य निधि सहित किसी राज्य अधिनियम के तहत निर्धारित कर एवं ड्यूटी अलग से जमा किया जाता हो। विद्यमान इकाई के नये उत्पाद के समावेश की प्रक्रिया को नई इकाई के रूप में मान्यता नहीं होगी।

5. अनुमोदित परियोजना लागत:

नीति अन्तर्गत अनुदान की गणना के उद्देश्य से अनुमोदित परियोजना लागत का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित परियोजना लागत से है। अनुदान की स्वीकृति के निर्धारण हेतु अनुमोदित परियोजना लागत ही आधार होगा।

6. विस्तार/आधुनिकीकरण/विशाखन:

(a) **विस्तार परियोजना:** विस्तार प्रारंभ करने वाली परियोजनाओं को निम्नांकित शर्तें पूर्ण करना होगा – प्रारंभिक संस्थापित उत्पादन क्षमता में कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य होगा।

(b) **विशाखन परियोजना:** विशाखन प्रारंभ करने वाली परियोजनाओं को निम्नांकित शर्तें पूर्ण करना होगा— बिना अवमूल्यन अनुमोदित परियोजना लागत में कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि तथा इकाई द्वारा नये उत्पाद दिशा की स्थापना आवश्यक होगा।

(c) **आधुनिकीकरण परियोजना:** आधुनिकीकरण प्रारंभ करने वाली परियोजनाओं को निम्नांकित शर्तें पूर्ण करना होगा: आधुनिकीकरण के फलाफल के रूप में स्थापित उत्पादन क्षमता में कम से कम 50 प्रतिशत की वृद्धि अनिवार्य होगा।

7. उत्पादन की तिथि:

किसी औद्योगिक इकाई में उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि का तात्पर्य उस तिथि से होगा, जबसे इकाई द्वारा वास्तव में उस सामग्री का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया हो, जिसके लिए वह निर्बंधित की गई हो।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाईयों के संबंध में संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र अथवा प्रबंध निदेशक, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होगा। वृहत्त उद्योगों के संबंध में निदेशक, तकनीकी विकास द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होगा। उत्पादन के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में प्रधान सचिव, उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

8. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमी से तात्पर्य है ऐसे उद्यमी जिसके द्वारा पूर्णतः स्वत्वाधिकारी के रूप में इकाई की स्थापना की गई हो अथवा साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी के मामले में 100 प्रतिशत स्थिर रूप से अंशदान हो।

9. महिला उद्यमी:

महिला उद्यमी से तात्पर्य राज्य के महिला निवासी से है जो प्रथम पीढ़ी के उद्यमी हो तथा जिन्होंने पूर्ण स्वत्वाधिकारी में इकाई की स्थापना की हो अथवा साझेदारी/प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी की स्थिति में जिनका स्थिर रूप से अंशदान 100 प्रतिशत हो।

10. निःशक्तजन उद्यमी:

निःशक्तजन से तात्पर्य राज्य के ऐसे निवासी से है जो भारत सरकार के स्तर से घोषित Right of equal opportunity, Protection and full participation Act 1995 के अनुरूप विकलांग हो तथा जिसे सक्षम प्राधिकार के स्तर से इस हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र प्राप्त हो। निःशक्तजन उद्यमी से तात्पर्य है ऐसे उद्यमी जिसके द्वारा पूर्णतः स्वत्वाधिकारी के रूप में इकाई स्थापित की गई हो अथवा साझेदारी, प्राइवेट लि. कम्पनी के मामले में 100 प्रतिशत स्थिर रूप से अंशदान हो।

11. टर्म लोन:

टर्म लोन से तात्पर्य है बैंक अथवा वित्तीय संस्थान के स्तर से वित्तीय सहायता के रूप में स्वीकृत एवं भुगतान किये गये ऋण।

12. राज्य के निवासी:

राज्य के निवासी से तात्पर्य है, राज्य सरकार के स्तर से समय-समय पर पारिभाषित राज्य के मूल निवासी, जिन्हें इस उद्देश्य के लिए सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र प्राप्त हो।

13. बंद औद्योगिक इकाई:

1. उद्योग विभाग के स्तर से दिये गये अनुदान, छूट एवं रियायत के परिपेक्ष्य में बंद इकाई से तात्पर्य है, वैसी इकाई जो स्थापित एवं उद्योग विभाग के सक्षम प्राधिकार के स्तर से वाणिज्यिक उत्पादन हेतु निर्गत प्रमाण-पत्र धारी हो तथा स्थापना के पश्चात् 6 महीने की अधिक अवधि से महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को उपयुक्त एवं मान्य सूचना दिये बगैर बंद हो।

2. "रूग्ण इकाई" से तात्पर्य है वैसी औद्योगिक इकाई जो Sick Industries companies (Special Provision) Act 1985/National Company Law Tribunal (NCLT) के तहत औद्योगिक एवं पुनर्निर्माण पर्वद् (बी.आई.एफ.आर.)

के स्तर से अथवा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए उद्योग निदेशक की अध्यक्षता में गठित राज्य शीर्षस्थ समिति अथवा वृहत्त प्रक्षेत्र हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय प्राधिकृत समिति के स्तर से रूग्ण घोषित हो।

14. स्थायी नियोजन :

स्थायी नियोजन से तात्पर्य है स्थापित निबंधित उद्योगों के स्तर से प्रबंधकीय/कुशल कारीगर/अकुशल कारीगर की श्रेणी में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मचारियों/मजदूरों को सीधे तौर पर वेतन/मजदूरी का भुगतान किया जाना। इसका तात्पर्य है ठेकेदार के स्तर से मुहैया किये गये नियोजन सन्निहित नहीं है।

15. लैंड बैंक :

लैंड बैंक से तात्पर्य है विनिर्माण हेतु औद्योगिक क्षेत्र के बाहर अवस्थित प्राईवेट अथवा सरकारी जमीन का अधिग्रहण।

16. प्रभावी तिथि :

प्रभावी तिथि से अभिप्राय वह तिथि है जबसे इस नीति के प्रावधान प्रभाव में आये। यह नीति लागू की गई तिथि से अगले 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा।

B. परिभाषा – पर्यटन प्रक्षेत्र :

1. पर्यटक स्थल :

नीति के चैप्टर-3 की धारा-3.2 में उद्धृत स्थल (जिला अथवा प्रखण्ड अथवा ग्राम) जो “पर्यटन प्रक्षेत्र” और “हमारे सामरिक लाभ” में उल्लेखित है, इस नीति के तहत पर्यटक स्थल कहलायेंगे।

2. टूरिज्म सर्विस प्रोभाईडर :

नियमानुसार निबंधित कोई साझेदारी फार्म अथवा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अथवा निगम जो ट्रेवल एजेन्ट्स, ट्रान्सपोर्ट ऑपरेटर्स, टिकटिंग एजेन्ट्स, टूरिस्ट गाईड सर्विस प्रोभाईडर्स तथा होम-स्टे-ऑनर सहित यात्रा एवं पर्यटन संबंधी कोई सेवा प्रदान करता हो।

3. होटल :

होटल परियोजना से अभिप्राय है, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से निर्धारित दिशा-निर्देश के आलोक में सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत कैटेगरी सर्टिफिकेशन प्राप्त जैसे होटल जिसमें एक सितारा से पाँच सितारा श्रेणी की स्थापना के अनुरूप अपेक्षित सुविधाएँ हो।

4. हेरिटेज होटल

एक हेरिटेज होटल से तात्पर्य है, एक होटल जो किला, महल, हवेली, गढ़, हंटिंग लॉज में कार्यरत हो अथवा जनवरी 1950 के पूर्व निर्मित धरोहर के रूप में निवास स्थल हो तथा पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त हो। इस प्रकार के होटल को सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत कैटेगरी सर्टिफिकेशन भी प्राप्त होना चाहिए।

5. **मोटल:**

मोटल परियोजना अन्तर्गत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मोटल हेतु प्रचलित दिशा-निर्देश के अनुरूप सभी सुविधाएँ होनी चाहिए। ऐसे मोटल को सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत आवश्यक कैटेगरी सर्टिफिकेशन भी प्राप्त होना चाहिए।

6. **एम.आई.सी.ई./कन्वेंशन सेन्टर:**

एक कन्वेंशन सेन्टर अन्तर्गत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कन्वेंशन सेन्टर हेतु प्रचलित दिशा-निर्देश के अनुरूप सारी सुविधाएँ होनी चाहिए। ऐसे कन्वेंशन सेन्टर को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत कैटेगरी सर्टिफिकेशन भी प्राप्त होनी चाहिए।

7. **रिसोर्ट:**

रिसोर्ट परियोजना पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर से प्रचलित दिशा-निर्देश के आलोक में तीन सितारा या उससे अधिक श्रेणी के अनुरूप सुविधायुक्त होना चाहिए। ऐसे रिसोर्ट को सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत कैटेगरी सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए।

8. **टेंटेड एकोमोडेशन:**

एक टेंटेड एकोमोडेशन परियोजना अन्तर्गत पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा टेंटेड एकोमोडेशन हेतु प्रचलित दिशा-निर्देश के अनुरूप सारी सुविधाएँ होनी चाहिए। टेंटेड एकोमोडेशन हेतु सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत कैटेगरी सर्टिफिकेशन भी प्राप्त होना चाहिए।

9. **टूरिज्म एण्ड हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट:**

संस्थान द्वारा पर्यटन/हॉस्पिटैलिटी पाठ्यक्रम जो नियामक प्राधिकार के स्तर से मान्यता प्राप्त/प्रमाणित हो, मुहैया कराना आवश्यक है।

10. **मेगा टूरिज्म यूनिट:**

वैसी परियोजना मेगा टूरिज्म यूनिट के रूप में अनुमानित मानी जायेगी जहाँ 150 व्यक्तियों से अधिक को नया नियोजन सृजन की क्षमता तथा जिसमें भूमि लागत छोड़कर नया पूँजीनिवेश रु. 75 करोड़ या अधिक हो। वैसी इकाई ही इस श्रेणी अन्तर्गत सक्षम मानी जायेगी, जो नीति की प्रभावी अवधि के दौरान स्थापित हो तथा वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करती हो। होटल तथा रिसोर्ट, मल्टीप्लेक्सेस तथा मॉल्स मेगा टूरिज्म इकाई की परिभाषा से बाहर माने जायेगें।

11. **एम्प्लूजमेन्ट पार्क:**

एम्प्लूजमेन्ट पार्क कम से कम 40,000 वर्ग मीटर (लगभग 10 एकड़) क्षेत्र में स्थापित होना चाहिए तथा मनोरंजन सुविधा के रूप में सवारी, खेलकूद इत्यादि की व्यवस्था हो। स्टेंडलोन कॉमर्शियल मल्टीप्लेक्सेस एम्प्लूजमेन्ट पार्क के रूप में मान्य नहीं होगा।

12. **वाटर पार्क:**

वाटर पार्क कम से कम 20,000 वर्गमीटर (लगभग 5 एकड़) क्षेत्र में निर्मित हो जिसमें न्यूनतम तीन वाटर स्लाईड्स हो तथा कम से कम एक साथ 100 स्लाईड्स को संभालने की क्षमता हो।

13. थीम पार्क :

थीम पार्क एकल अथवा थीम श्रृंखला पर आधारित है जो कम से कम 10,000 वर्गमीटर (लगभग 2.5 एकड़) क्षेत्र में अवस्थित हो। इसके अन्तर्गत एम्यूजमेन्ट राईड्स, वाटर स्लाईड्स, रहने की व्यवस्था (कम से कम 10 लिटेवल कमरा), रेस्टोरेन्ट, थियेटर, शॉपिंग क्षेत्र, एक्टीभिटी क्षेत्र एवं थीम क्षेत्र हो। यद्यपि उपरोक्त सभी सुविधा एम्यूजमेंट पार्क के लिए होना अनिवार्य नहीं है।

14. एडभेंचर स्पोर्ट्स (जल क्रीड़ा सहित):

एडभेंचर स्पोर्ट्स के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधा, संयंत्र, प्रशिक्षित कर्मी के साथ-साथ माकूल सुरक्षा सुविधा एवं बचाव की व्यवस्था होना आवश्यक है जो पर्यटक को पर्वतारोहण, नौकायन आदि मुनासिब साहसिक कार्य-कलाप के लिए अवसर प्रदान करेगा। इसके पूर्व अलग-अलग सक्षम प्राधिकार से सभी प्रकार की आवश्यक अनुमति के साथ-साथ विस्तृत बीमा आच्छादन प्राप्त करना होगा।

15. वे-साईड एमेनिटिज :

वे-साईड एमेनिटिज अन्तर्गत राष्ट्रीय/राज्य उच्च पथ तथा अन्य जिला सड़क पर कम्प्लेक्स के रूप सभी प्रकार की सुविधाएँ यथा विश्राम क्षेत्र, शौचालय, कैफेटेरिया, दुकान, प्राथमिक उपचार की सुविधाएँ, पार्किंग, यादगार (Souvenir) बुथ इत्यादि का होना आवश्यक होगा। यद्यपि उपरोक्त सभी सुविधाओं का होना अनिवार्य नहीं है।

16. रोप-वे:

वर्तमान अधिनियम/नियम अन्तर्गत स्थापित रोप-वे।

17. टूरिस्ट लकजरी कोच :

एक टूरिस्ट लकजरी कोच का आशय ऐसे वातानुकूलित कोच से है, जिसमें बैठने की क्षमता कम से कम 13 सीट वाली हो तथा सीट को पीछे खिसकाया जा सके एवं जो सामान्य परिवहन की तरह विभिन्न पर्यटन स्थल के अवलोकन हेतु पर्यटकों को गन्तव्य स्थल तक ले जा सके। इसका संचालन वैध ऑल इंडिया परमिट होल्डर टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा हो जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूरिस्ट ऑपरेटर्स (आई. ए.टी.ओ.) से मान्यता प्राप्त तथा बिहार सरकार द्वारा निबंधित हो।

18. कार वैन :

कम से कम 4 विस्तर वाली विशेष रूप से निर्मित वाहन जो किसी राज्य पर्यटन विभाग से निबंधित हो एवं जिसका उपयोग सामूहिक तौर पर अवकाश यात्रा में प्रयोग होता हो।

19. स्वास्थ्य एवं तंदरुस्ती केन्द्र :

स्पा सेवा यथा मालिश, योग, समाधि तथा शारीरिक युवापन के लिए संबंधित चिकित्सा हेतु अल्प समय के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना ही स्वास्थ्य एवं तंदरुस्ती केन्द्र (हेल्थ एण्ड वेलनेश स्पा) का तात्पर्य है।

20. क्रूज बोट्स:

कोई नाव/याच्ट जिसके बैठने की क्षमता 4 सीट हो, जो परिवहन विभाग, बिहार सरकार से निबंधित हो तथा भुगतान एवं व्यवहार सुविधा के तहत किसी झील/नदी में परिचालन की क्षमता रखता हो। लेकिन किसी होटल द्वारा अपने मेहमान के मनोरंजन अथवा सामान/कच्चा माल को ढोने हेतु व्यवहृत नाव/याच्ट इस परिभाषा की परिधि में नहीं है।

21. साईंस सेंटर, तारा घर, संग्रहालय:

एक भवन जहाँ ऐतिहासिक, विज्ञान से संबंधित, कलाकृति एवं सांस्कृतिक संबंधित वस्तु रखी एवं प्रदर्शित की जाती हो तथा टिकट के साथ/बिना टिकट आम नागरिकों के लिये खुला हो।

C. स्वास्थ्य सेवा प्रक्षेत्र:

1. विशिष्ट अस्पताल (Speciality Hospitals):

विशिष्ट अस्पताल के अन्तर्गत वैसे अस्पताल आते हैं जहाँ कम से कम 60 बेड (विस्तर) हों, जिसमें से कम से कम 30 विस्तर विशेष रूप से विशिष्ट सेवा के लिए हो तथा 30 विस्तर सामान्य विस्तर हो। कुछ श्रेणियों के उदाहरण निम्नांकित हैं –

- कॉर्डियोलॉजी, कॉर्डियोभेसकुलर तथा कॉर्डियोथोरेसिक सर्जरी।
- डायलाईसिस तथा लिथोट्रिप्सी सहित यूरोलॉजी।
- ऑर्थो स्कोपिक सर्जरी तथा ज्वाइंट रिप्लेसमेन्ट सहित ऑर्थोपेडिक्स सर्जरी।
- इमरजेन्सी केयर फॉर ट्रॉमा।
- इंडोस्कोपिक सर्जरी।
- न्यूरो सर्जरी।
- ऑकोलॉजी/ऑकों सर्जरी।
- ऑपथेल्मोलॉजी।
- आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनेकोलॉजी।
- ई.एन.टी.।
- CGHS/MCI/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कोई विशेष श्रेणी
- सी.जी.एच.एस. के प्रावधान के आलोक में मेट्रो शहर में 50 विस्तर तथा नॉन मेट्रो शहर में 30 विस्तर।

2. अति विशिष्ट अस्पताल (Super Speciality Hospitals):

अति विशिष्ट अस्पताल से तात्पर्य वैसे अस्पताल से है जहाँ निम्नांकित में से कम से कम तीन अति विशिष्ट की चिकित्सा सुविधा के अलावे कार्डियोलॉजी तथा कार्डियोथोरेसिक सर्जरी तथा ज्वाइंट रिप्लेसमेन्ट सर्जरी सहित स्पेसियलाईज्ड ऑर्थोपेडिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे अस्पताल में कम से कम 210 विस्तर होना चाहिए। जिसमें से कम से कम 30 विस्तर प्रत्येक अति विशिष्ट के लिये तथा 30 विस्तर सामान्य के लिये होना चाहिए। श्रेणियों के उदाहरण हैं—

1. कॉर्डियोलॉजी
2. गेस्ट्रो इंटेरोलॉजी
3. इंडो क्राईनोलॉजी
4. नियोनेटोलॉजी
5. मेडिकल ऑकॉलॉजी
6. न्यूरोलॉजी
7. नेफ्रोलॉजी
8. पल्मोनरी मेडिसीन
9. न्यूरो रेडियोलॉजी
10. कार्डियो थोरेसिक सर्जरी
11. रियोमेटोलॉजी
12. न्यूरो सर्जरी
13. पैडियाट्रिक सर्जरी
14. ऑकॉलॉजी
15. सर्जिकल गेस्ट्रो इंटेरोलॉजी
16. प्लास्टिक सर्जरी
17. यूरोलॉजी
18. सर्जिकल ऑकॉलॉजी

3. **बहु विशिष्ट अस्पताल (Multi Speciality Hospitals):**

बहु विशिष्ट अस्पताल का तात्पर्य वैसे अस्पताल है जो निम्नांकित में से एक से अधिक विशिष्टता प्रदान करता हो तथा जहाँ 90 विस्तर हो, जिसमें से कम से कम 30 विस्तर प्रत्येक विशिष्टता के लिये तथा 30 विस्तर सामान्य के लिये हो। विशिष्ट सेवाओं के उदाहरण हैं –

- कार्डियोलॉजी, कार्डियो वैस्कुलर तथा कार्डियो थोरेसिक सर्जरी
- डायलाईसिस तथा लिथोट्रिप्सी सहित यूरोलॉजी
- ऑर्थोस्कोपिक सर्जरी तथा ज्वाईंट रिप्लेसमेन्ट सहित ऑर्थोपेडिक सर्जरी
- ट्रोमा हेतु इमरजेन्सी केयर
- इंडोस्कोपिक सर्जरी
- न्यूरो सर्जरी
- ऑकॉलॉजी/ऑकों सर्जरी
- ऑपथेल्मोलॉजी
- आब्स्टेट्रिक्स तथा गायनेकोलॉजी
- ई.एन.टी.

परिशिष्ट – II वंचित उद्योगों की सूची

1. निम्नलिखित इकाईयाँ इस नीति के अन्तर्गत किसी भी सहायत के पात्र (योग्य) नहीं होंगे:

- (a) मादक दवाएँ बनाने वाली इकाईयाँ ।
- (b) एल्कोहलिक पेय बनाने वाली इकाईयाँ ।
- (c) तम्बाकू आधारित उद्योग ।
- (d) एसबेस्ट्स निर्माण करने वाली इकाईयाँ ।

उपरोक्त सूची इस नीति के अन्तर्गत वंचित सूची कही जायेगी ।

2. कोई भी इकाई नकारात्मक सूची अन्तर्गत आती है या नहीं, पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार का होगा तथा तदनुसार उपरोक्त सूची को परिवर्तित किया जा सकता है ।
3. व्यापक सिद्धान्त के तौर पर वातावरण पर विपरीत प्रभाव डालने वाले उद्योग को राज्य सरकार पूँजीनिवेश के लिए हतोत्साहित करेगी तथा उपर वर्णित नकारात्मक सूची में डाल दी जायेगी ।

उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016

(सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.), सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आई.टी.ई.एस.),
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) प्रक्षेत्र,
खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र, कपड़ा, पोशाक तथा चमड़ा प्रक्षेत्र)



उद्योग विभाग, बिहार सरकार

उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016

(सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.), सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (आई.टी.ई.एस.), इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाईन एवं विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.) प्रक्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र, कपड़ा, पोशाक तथा चमड़ा प्रक्षेत्र)

1. भूमिका

बिहार को राज्य के तुलनात्मक लाभ तथा एक संतुलित क्षेत्रीय एवं स्थायी विकास की प्राप्ति के लिए नियोजन के अवसरों को अधिकाधिक करके अत्यधिक प्राथमिकता प्राप्त निवेश के लक्ष्य के रूप में स्थापित करने के लिए बिहार सरकार बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 अधिसूचना संख्या-1822 दिनांक-01.09.2016 द्वारा घोषित कर चुकी है और साथ ही बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 भी, राज्य में निवेश को सुगम करने के लिए, बनाये गए हैं।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 पिछले एक वर्ष से परिचालन में है। तथापि उनके आर्थिक तथा नियोजन सृजन के महत्व के निर्धारण के आधार पर यह महसूस किया गया है कि तीन व्यापक प्रक्षेत्रों पर परिवर्द्धित फोकस अपेक्षित है, यथा-

(क) आई.टी., आई.टी. समर्थित सेवाएं तथा ई.एस.डी.एम. प्रक्षेत्र,

(ख) खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र तथा

(ग) कपड़ा, पोशाक तथा चमड़ा प्रक्षेत्र।

ये प्रक्षेत्र कुशल मानवशक्ति की प्रबलकारी आवश्यकता वाले प्रक्षेत्र हैं और राज्य में विविध कृषि सामग्रियों के लिए बड़े उत्पादन की संभावना पर आधारित है। इन तीनों प्रक्षेत्रों में गतिशील निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 को उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के लिए संशोधित किया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के अधीन उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों का ब्यौरा तथा प्रोत्साहन पैकेज, उच्च प्राथमिकता के लिए, निम्नवत हैं:

2. उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र

2.1 उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों, प्राथमिकता प्रक्षेत्रों तथा गैर प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के अधीन औद्योगिक इकाई की परिभाषा:

औद्योगिक इकाईयों का वर्गीकरण निम्नलिखित श्रेणियों में किया जा सकता है:

कोटि	विशेषताएँ
उच्च प्राथमिकता	<p>ई.एस.डी.एम., कपड़ा एवं चमड़ा प्रक्षेत्र के लिए; ऐसी ईकाई जिसमें (i) अचल संपत्ति तथा प्लांट एवं मशीनरी (भूमि को छोड़कर) में निवेश 05 करोड़ रुपये से अधिक हो, तथा (ii) कम से कम 50 मूल कर्मी (सहायक कर्मी जैसे चालक, गार्ड इत्यादि को छोड़कर) का नियोजन हो।</p> <p>सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा प्रक्षेत्र के लिए; ऐसी ईकाई जिसमें (i) अचल संपत्ति तथा प्लांट एवं मशीनरी (भूमि को छोड़कर) में निवेश 05 करोड़ रुपये से अधिक हो, तथा (ii) कम से कम 50 मूल कर्मी (सहायक कर्मी जैसे चालक, गार्ड इत्यादि को छोड़कर) का नियोजन हो।</p> <p>खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र के लिए; ऐसी ईकाई जिसमें (i) अचल संपत्ति तथा प्लांट एवं मशीनरी (भूमि को छोड़कर) में निवेश 05 करोड़ रुपये से अधिक हो।</p>
प्राथमिकता	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में यथा परिभाषित।
गैर प्राथमिकता	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में यथा परिभाषित।

2.2 आई.टी., आई.टी. समर्थित सेवायें और ई.एस.डी.एम. सेक्टर में उच्च प्राथमिकता:

ऐसे समय में जब भारत अपना बाजार खोलने, नियामक बाधाओं को कम करने तथा विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आई.टी., आई.टी. आधारित सेवायें तथा ई.एस.डी.एम. सेक्टर में अधिक सीधा विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु परिवर्तनकारी अभियान विकसित करने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए, कठिन प्रयास कर रहा है, बिहार सरकार लक्षित पहल के माध्यम से देश के एक बड़े आई.टी., आई.टी. आधारित सेवायें तथा ई.एस.डी.एम. हब के रूप में राज्य को विकसित करने हेतु प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार का राज्य में इस सेक्टर को विकसित करने के लिए विजन निम्नलिखित के इर्द-गिर्द है:

- (क) राज्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के संवर्द्धन को प्रेरित करना,
- (ख) शहरी और ग्रामीण बिहार के बीच डिजिटल विभाजन को पाटना,
- (ग) आई.टी./आई.टी. आधारित सेवाओं एवं सम्बद्ध उद्योगों के लिए अगले निवेश लक्ष्य के रूप में बिहार को विकसित करना,
- (घ) राज्य में प्रौद्योगिकी समर्थित सुधारों के साथ अच्छे प्रशासन को लागू करना।

विभिन्न नागरिक केन्द्रीकृत प्रशासन पहलों के क्रियान्वयन तथा स्टेट ऑफ दी आर्ट आई.टी. के आधारभूत संरचना यथा-आई.टी. सिटी, आई.टी. टावर तथा आई.टी. पार्क स्थापित करने हेतु योजना की तैयारी के साथ आई.टी., आई.टी. समर्थित सेवाएं तथा ई.एस.डी.एम. के विकास पर राज्य पहले ही पहल कर चुका है। इनके अतिरिक्त बिहार राज्य में उद्योग समर्थित विकास को प्रोन्नत करने हेतु मूल सुधार तथा रणनीतिक प्रोत्साहन, जो राज्य को इस सेक्टर में विकास योजना को गतिशील करने में राज्य की सहायता करेगा, के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में भी है।

आई.टी., आई.टी. समर्थित सेवाएं तथा ई.एस.डी.एम. में सामरिक पहल नीचे सूचीबद्ध प्रक्षेत्र के मूल निवेश अवसर की ओर लक्षित है:

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
आई.टी. तथा आई.टी. समर्थित सेवाएं (आई.टी.ई.एस.)	<ul style="list-style-type: none"> आई.टी. उत्पाद, साफ्टवेयर तथा सेवाएं नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग (के.पी.ओ.) कॉल सेन्टर साफ्टवेयर विकास सेन्टर डिजिटल कंटेन्ट विकास स्मार्ट टेक्नॉलॉजीज इन्टरनेट ऑफ थिंग्स (आई.ओ.टी.) डाटा सेन्टर्स बिग डाटा एण्ड एनालिटिक्स पी.सी. गेमिंग, कॉन्सोल गेमिंग, ऑनलाइन/मल्टी प्लेयर गेमिंग, मोबाईल गेमिंग, विडियो गेम्स कॉमिक्स एण्ड ऐनिमेटेड कार्टून सिरीज, फूली ऐनिमेटेड फीचर फिल्मस् दृश्य प्रभाव अथवा भी.एफ.एक्स वेब डिजाईनिंग ई. लर्निंग और ई.-एजुकेशन
इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ई.एस.डी.एम.)	<ul style="list-style-type: none"> कम्प्यूटर पेरिफेरल्स एण्ड अदर ऑफिस इक्यूपमेन्ट्स चिप विनिर्माण एवं डिजाइन सेमि कन्डक्टर्स सर्वर एण्ड स्टोरेज डिजाइन कम्प्यूनिकेशन एण्ड नेटवर्किंग डिवाइसेज ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन्डस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक्स

प्रक्षेत्र	निवेश के अवसर
	<ul style="list-style-type: none"> स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड डिवाइसेज इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवाएँ सोलर फोटो वोल्टाईक, थिन फिल्म पोलिसिलिकन सेल्स सहित इलेक्ट्रॉनिक कन्ज्यूमर प्रोडक्ट्स एल.ई.डी. इम्बेडेड सॉफ्टवेयर डिफेन्स इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सूचना एवं प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

नोट : इस नीति के अंतर्गत स्टेज-1 की स्वीकृति के पूर्व सिग्नल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त की जाएगी। इकाईयों एवं उद्यमों की उपर्युक्त सूची केवल सांकेतिक है और राज्य सरकार उच्च प्राथमिकता सेक्टर के अधीन सूची का, समय-समय पर उपयुक्त रूप से पुनरीक्षण कर सकेगी।

2.3 खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर में उच्च प्राथमिकता :

निम्नलिखित खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को उच्च प्राथमिकता सेक्टर के अन्तर्गत इस नीति के अधीन प्रोत्साहन प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ विचार किया जाएगा:

सेक्टर	निवेश के अवसर
मकई प्रसंस्करण	<p>(क) मकई आधारित फीड इकाई (कैटल फीड, फिश मिल, पॉल्ट्री फीड)</p> <p>(ख) मकई आधारित खाद्य उत्पाद</p> <p>(ग) स्टार्च विनिर्माण इकाई तथा मकई से संबंधित अन्य उत्पाद (प्राथमिक प्रसंस्करण यथा- ग्रेडिंग, सॉर्टिंग इत्यादि को छोड़कर)</p>
फल एवं सब्जी प्रसंस्करण	<p>(क) सभी प्रकार की फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाई (डिहाईड्रेटेड एवं फ्रोजेन फल एवं सब्जी के लिए आई.क्यू.एफ./ब्लास्ट फ्रीजर/स्पाइरल फ्रीजर इत्यादि का उपयोग करते हुए विनिर्माण हेतु इकाई सहित);</p> <p>(ख) प्याज, मशरूम इत्यादि जैसी सब्जियों का डिहाईड्रेशन और पाउडरिंग;</p> <p>(ग) लीची प्रसंस्करण के लिए इकाई (लीची पल्प, जूस पल्प, जैम, जेली, विवरेज, नेक्टर, कैंडिज, पाउडर इत्यादि के लिए उत्पादनार्थ इकाई)</p> <p>(घ) पल्प, पल्प स्लैब, जैम, जेली, विवरेज, नेक्टर, कैंडिज, पाउडर इत्यादि में आमों के स्थानीय किस्म (बिहार के किस्म) प्रसंस्करण के</p>

सेक्टर	निवेश के अवसर
	<p>लिए इकाई; (अन्य राज्यों एवं देशों से आयातित मैन्गो पल्प का उपयोग करने वाली इकाईयां प्राथमिक प्रक्षेत्र के अन्तर्गत विचारणीय नहीं होंगी)</p> <p>(ड) केला प्रसंस्करण के लिए इकाई उदाहरणार्थ—केला (बनाना) चिप्स, पल्प, पाउडर, बेबी फूड, जैम, जेली, केला फूल सब्जी, केला थम (ट्रंक) सब्जियाँ एवं अचार आदि;</p> <p>(च) मखाना प्रसंस्करण इकाई (उदाहरणार्थ—मखाना पॉप उत्पाद, फ्लेवर तथा रोस्टेड मखाना स्नैक, आर.टी.सी. खीर, बेबी फूड इत्यादि तैयार करने के लिए इकाई;</p> <p>(छ) प्राकृतिक मधु प्रसंस्करण;</p> <p>(ज) बिहार में उत्पादित मसाले एवं जड़ी-बूटियों का प्रसंस्करण एवं मूल्यवर्द्धन।</p> <p>नोट : कृषि उत्पादों में पर्याप्त मूल्यवर्द्धन होना चाहिए। वैसी इकाईयों पर जो केवल वाशिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, क्लिनिंग, ग्राइडिंग तथा पैकेजिंग जैसी क्रियाकलाप करती हैं, इस सेक्टर के अधीन विचार नहीं किया जाएगा। तदनुसार सभी ऐसी इकाईयों को एकीकृत प्रसंस्करण/मूल्यवर्द्धन तथा पैकेजिंग सुविधा यथा कैंनिंग/टिनिंग, बल्क पैकेजिंग, कोडिंग तथा लेबलिंग इत्यादि, भी रखनी चाहिए।</p>
<p>पॉल्ट्री तथा फिश प्रसंस्करण</p>	<p>(क) पॉल्ट्री तथा फिश प्रसंस्करण इकाई (उदाहरणार्थ— मानव उपभोग के लिए उपयुक्त फ्रेश, चिल्ड तथा फ्रोजेन फिश, फिश फिलेट्स तथा पिसेज, फिश क्यूर्ड अथवा स्मोकड फिस मील, खाद्य योग्य पॉल्ट्री ऑफल, सूखे अंडे, इत्यादि)।</p> <p>नोट: ऐसी इकाईयों के लिए अंतिम उत्पाद उपभोग/विक्रय के लिए खुदरा बाजार अथवा थोक विक्रय के लिए तैयार रहना चाहिए। इकाई द्वारा विनिर्माण उत्पाद, जो मध्यवर्ती प्रकृति के हैं, इस कोटि में स्थान प्राप्त नहीं करेंगे। तदनुसार सभी ऐसी इकाईयों को कैंनिंग/टिनिंग, कोडिंग तथा लेबलिंग जैसी एकीकृत पैकेजिंग सुविधाएँ रखनी चाहिए।</p>

नोट :

- (क) इकाईयों द्वारा प्रयुक्त कृषि कच्चे मालों का उत्पादन प्राथमिक रूप से बिहार में किया जाना चाहिए।
- (ख) शुद्ध रूप से वाशिंग, सॉर्टिंग, क्लिनिंग तथा पैकेजिंग में लगी इकाईयां, जो कोई तात्विक मूल्यवर्द्धन नहीं करती हैं, उन पर उच्च प्राथमिकता सेक्टर के अधीन विचार नहीं किया जाएगा।

- (ग) बाहर के राज्यों अथवा देशों से आयातित खाद्य सामग्रियों के पैकेजिंग / रिपैकेजिंग के प्रयोजनार्थ स्थापित इकाईयाँ / उद्यमों पर उच्च प्राथमिकता सेक्टर के अधीन विचार नहीं किया जाएगा।
- (घ) यदि कोई इकाई / उद्यम कैप्टिव उपयोग के प्रयोजनार्थ किसी एकीकृत रीति से दो या अधिक प्रकार की सुविधाएँ स्थापित करती हैं तो उसे सिंगल प्रोजेक्ट माना जाएगा और सुविधाओं को संयुक्त खर्च पर अनुदान गणना के प्रयोजनार्थ विचार किया जाएगा। प्राथमिकता अथवा अप्राथमिकता में इकाईयाँ एवं उद्यमों का वर्गीकरण मुख्य / मदर अथवा कोर सुविधा की प्रकृति के अनुसार किया जाएगा।
- (ङ) यदि कोई इकाई गैर प्राथमिकता प्रक्षेत्र से प्राथमिकता प्रक्षेत्र अथवा प्राथमिकता प्रक्षेत्र से उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में क्षमता विस्तार के माध्यम से अथवा और सुविधावर्द्धन द्वारा आव्रजन करती है, तो उस भाग के लिए, जो उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अधीन आता है, उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अनुसार प्रोत्साहन की सुविधा प्राप्त करेंगी।
- (च) मानव / पशु उपभोग के लिए उपयुक्त किसी खाद्य सामग्री के निर्माण के लिए इकाई को जिसमें कोई फल एवं सब्जी अथवा कोई प्रसंस्कृत / परिरक्षित सामग्री (जैसे-पल्प कंसन्ट्रेट, एक्सट्रैक्ट आदि) शामिल न हो और फल एवं सब्जी से इसके मुख्य तत्व बनी न हो, गैर प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अधीन विचार किया जाएगा।
- (छ) इकाईयाँ एवं उद्यमों की उपर्युक्त सूची केवल सूचक है और राज्य सरकार उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के अधीन सूची को, समय-समय पर, उपयुक्त रूप से पुनरीक्षित कर सकेगी।

2.4 टेक्सटाईल, अपैरेल एवं चमड़ा सेक्टर में उच्च प्राथमिकता सेक्टर:

राज्य सरकार द्वारा टेक्सटाईल, अपैरेल एवं लेदर प्रक्षेत्र में निवेश के लिए उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र की पहचान की गई सूची निम्नवत है:

सेक्टर	निवेश के अवसर
वीभिग / नीटिंग / स्टीचींग	(क) पावरलूम और नीटिंग; (ख) रेडिमेड गारमेन्ट्स का उत्पादन;
अपैरेल तथा होम टेक्सटाईल का उत्पादन	(क) वुभेन एण्ड नीटेड अपैरेल विनिर्माण (ख) होजियरी उत्पाद विनिर्माण (ग) कारपेट एवं अन्य होम टेक्सटाईल;
केला फाइबर / जूट फाइबर	(क) केला फाइबर प्रसंस्करण तथा केला फाइबर का उपयोग करते हुए उत्पादों जैसे वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं के विनिर्माण के लिए एकीकृत इकाईयाँ, (ख) जूट फाइबर्स प्रसंस्करण तथा जूट फाइबर्स का उपयोग करते हुए वस्त्र एवं अन्य सामग्रियों के विनिर्माण के लिए एकीकृत इकाईयाँ;

सेक्टर	निवेश के अवसर
चमड़ा तथा कृत्रिम चमड़ा तथा चमड़ा प्रतिस्थानी वस्तुएँ	(क) गारमेन्ट / जूता / स्लिपर / फूटवियर का विनिर्माण; (ख) शोफासाजी फर्निचर, ऑटोमोबाइल (कार आदि) के लिए शोफासाजी का विनिर्माण। (ग) चमड़ा-माल (उदाहरणार्थ-लेबल, टैग, बेल्ट, बैग, पर्स, दस्ताना तथा अन्य साज सज्जा के समान तथा फैशन की वस्तुएँ;)

नोट :

- (क) ऐसी इकाईयों के लिए अंतिम उत्पाद खुदरा बाजार में उपयोग / बिक्री की हद तक तैयार रहनी चाहिए। ऐसी उत्पाद करने वाली इकाईयों जो मध्यवर्ती प्रकृति की हैं, इस कोटि के अधीन अर्हता प्राप्त नहीं होगी। तदनुसार सभी ऐसी इकाईयों को भी कोडिंग तथा लेबलिंग इत्यादि सहित एकीकृत पैकेजिंग सुविधाएँ होनी चाहिए।
- (ख) इकाईयों एवं उद्यमों की उपर्युक्त सूची केवल सांकेतिक हैं और राज्य सरकार समय-समय पर उच्च प्राथमिकता सेक्टर के अधीन सूची उपयुक्त रूप से पुनरीक्षित कर सकेगी।

3. प्रोत्साहन पैकेज :

राज्य सरकार उद्यमियों के लिए एक उद्यम मित्रवत् शासन प्रणाली के आश्वासन तथा आकर्षक प्रोत्साहन पैकेज द्वारा औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए कटिबद्ध है। औद्योगिक इकाईयों की उच्च प्राथमिकता कोटि में निम्नलिखित प्रोत्साहन पैकेज उपलब्ध होंगे:

3.1 उत्पादन पूर्व प्रोत्साहन

कंडिका	प्रोत्साहन के प्रकार	मुख्य विशेषताएँ
3.1.1	स्टाम्प शुल्क / पंजीकरण शुल्क में छूट	(क) आई.डी.ए. / बियाडा को सरकार द्वारा आवंटित भूमि के संबंध में कोई स्टाम्प शुल्क देय नहीं होगा। (ख) औद्योगिक भूमि / शेड की लीज / बिक्री / अंतरण पर उद्गृहित स्टाम्प शुल्क / रजिस्ट्रीकरण फीस पर 100 प्रतिशत छूट दी जायेगी। औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार के क्षेत्राधिकार के बाहर की नई इकाईयों को भी यह सुविधा दी जाएगी। यह छूट केवल पहली बार दी जाएगी और लीज / बिक्री / अंतरण के पश्चात्वर्ती चरणों में यह लागू नहीं होगी। नई इकाईयों को ही यह सुविधा देय होगी।

कंडिका	प्रोत्साहन के प्रकार	मुख्य विशेषताएँ
		(ग) इकाई द्वारा अपेक्षित भूमि के क्षेत्र का पूर्ण विवरण डी.पी.आर. और इकाई को टर्म लोन देने वाली बैंक अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा तैयार बैंक अपरेजल प्रतिवेदन में उल्लेखित होगा।
3.1.2	भूमि संपरिवर्तन फीस	कृषि भूमि के संपरिवर्तन के लिए उदगृहीत होने वाली भूमि संपरिवर्तन फीस/भूमि उपयोग में परिवर्तन फीस की 100 प्रतिशत छूट।

3.2 उत्पादन पश्चात प्रोत्साहन

कंडिका	प्रोत्साहन के प्रकार	मुख्य विशेषताएँ
3.2.1	ब्याज आर्थिक सहायता	<p>(क) राज्य बैंक/आर.बी.आई. अथवा सेवी से रजिस्ट्रीकृत संस्था से इकाई द्वारा प्राप्त टर्म लोन पर पात्र इकाईयों को आर्थिक सहायता देगी।</p> <p>(ख) ब्याज आर्थिक सहायता के लिए ब्याज दर 10 प्रतिशत अथवा टर्म लोन पर ब्याज की वास्तविक दर, जो भी कम हो, होगी।</p> <p>(ग) उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के लिए इस आर्थिक सहायता की कुल सीमा अनुमोदित परियोजना लागत का 50 प्रतिशत होगी। इस आर्थिक सहायता की ऊपरी सीमा बीस करोड़ रुपये होगी।</p> <p>(घ) आर्थिक सहायता राशि का व्ययन संबंधित बैंक/इकाई को टर्मलोन देने वाली वित्तीय संस्था द्वारा नियत टर्मलोन पुनर्भुगतान अनुसूची से जुड़ी किस्तों में होगी। इकाई में किसी भी रूप में प्रोत्साहक के अंशदान पर ब्याज नहीं दिया जाएगा।</p> <p>(ड.) यदि प्रोत्साहक इकाई के लिए कोई टर्मलोन नहीं प्राप्त करते हैं तो वे इस प्रोत्साहन के पात्र नहीं होंगे।</p>

कंडिका	प्रोत्साहन के प्रकार	मुख्य विशेषताएँ
3.2.2	कर संबंधी प्रोत्साहन	<p>(क) सभी नई इकाईयाँ, वाणिज्यिक उत्पादन के आरंभ की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्य सरकार (पूर्ण रूप से व्यापार के कारोबार करने से उत्पन्न उनके द्वारा देय किसी कर को छोड़कर) के खाते में जमा स्वीकृत SGST के विरुद्ध 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होंगी।</p> <p>SGST प्रतिपूर्ति आउटपुट कर दायित्व के विरुद्ध इनपुट कर साख समायोजन के बाद केवल नेट भुगतये कर पर लागू होगा। इसकी अधिकतम सीमा अनुमोदित परियोजना लागत का 100 प्रतिशत तक होगी।</p>
3.2.3	नियोजन खर्च सहायता	<p>(क) IT तथा ITES सेक्टर, ESDM, लेदर एण्ड टेक्सटाईल सेक्टर तथा खाद्य प्रसंस्करण के लिए, पुरुष कर्मकार की दशा में उन नई इकाईयों के लिए 5 वर्ष की अवधि के लिए ESI तथा EPF स्कीम में अंशदान संबंधी खर्च का 50 प्रतिशत तथा महिला कर्मकार की दशा में 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति जैसे कर्मियों के लिए जो बिहार के निवासी है पुरुष कर्मियों के लिए अधिकतम 500 रु० तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिला कर्मियों के लिए अधिकतम 1000 रु० प्रति माह तक।</p>
3.2.4	कौशल विकास सहायता	<p>(क) राज्य सरकार प्रतिकर्मी 20,000/- रु० अथवा बिहार कौशल विकास मिशन की दर, जो भी कम हो, से कौशल विकास अनुदान उपलब्ध करायेगी। यह जैसे कर्मियों/स्टाफ के प्रशिक्षण के लिए लागू होगा जो बिहार के निवासी हों।</p> <p>(ख) सभी पात्र इकाईयों को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षित कोर कर्मी/स्टाफ को नियोजित करना होगा।</p>

3.3 राज्य सरकार उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र की इकाईयों को PMU समर्थन भी देगी। राज्य सरकार निवेशक सरलीकरण के लिए एक निवेशक सरलीकरण सेल-सह-प्रोजेक्ट प्रबंधन इकाई (PMU) स्थापित करेगी। IT, ITeS तथा ESDM सेक्टर के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार द्वारा सेल स्थापित किया जाएगा जबकि अन्य दो सेक्टर के लिए यह उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा स्थापित किया जाएगा। सेल/ PMU नीचे उल्लिखित क्रियाकलापों के लिए उत्तरदायी होंगे:

- (i) निवेश प्रस्ताव के सरलीकरण तथा राज्य में अपनी इकाईयों को स्थापित करने में उद्यमियों एवं निवेशकों की मदद करना;
- (ii) निवेशकों की पृच्छाओं का पूछताछ निवारण, शिकायत निवारण तथा कानूनी बाध्यताओं की संपूर्ण प्रक्रियाओं को पूरा करने में उद्यमियों को "हैन्ड होल्डिंग" सहायता प्रदान करना;
- (iii) उद्योगों की संभावनाओं, निवेश योग्य प्रोजेक्ट के विवरण तथा ईकाई आदि को स्थापित करने के लिए कानूनी अपेक्षाओं को पूरा करने संबंधी सूचना मास मिडिया के माध्यम से प्रसार करना;
- (iv) उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु किसी मेले, प्रदर्शनी, समारोह अथवा कैम्पेन को संगठित, संपोषित, संबद्ध करना अथवा उसमें भाग लेना;
- (v) स्थापित इकाईयों, नियोजित व्यक्तियों की संख्या की गई निवेश राशि तथा उत्पादन के मूल्य के रूप में सेक्टरों में राज्य की उपलब्धि का पुनर्विलोकन तथा मूल्यांकन करना;
- (vi) राज्य में निवेशक संबंध बनाए रखने के लिए समर्पित संबद्ध अधिकारियों को नियुक्त करना।

4. सामान्य शर्तें:

उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्र के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 का अखंड भाग होगी। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली, 2016 तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में उल्लिखित सभी प्रावधान तथा निर्वहन एवं शर्तें यथावत रहेंगी।


इस नीति के अधीन प्रोत्साहन पाने के लिए निम्नलिखित सामान्य शर्तें लागू होंगी:

- (i) केन्द्र सरकार की योजनाओं के साथ प्रोत्साहनों का Dovetailing अनुमान्य होगा।
- (ii) इस नीति के अधीन वैसी इकाईयाँ जो इस नीति का लाभ प्राप्त कर चुकी हैं, राज्य की किसी अन्य नीति के अधीन उसी परिसम्पति के लिए लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगी।

- (iii) राज्य सरकार अथवा इसकी कोई अन्डरटेकिंग तथा एजेन्सी की परियोजना के लिए पहचान किए गए कर्मियों पर प्रोत्साहन प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ इस नीति के अधीन इकाई की नियोजन गणना के लिए विचार नहीं किया जा सकता। अगर कंपनी द्वारा सरकार की किसी परियोजना के कार्यान्वयन में कर्मियों को नियोजित किया जाता है तो ऐसे नियोजित कर्मियों के लिए प्रोत्साहन अनुमान्य नहीं होंगे। प्रोत्साहन प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ कर्मियों की गणना में किसी द्विरावृत्ति करने पर धारा 4 (v) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार दण्ड के भागी होंगे। सरकार अथवा इसकी कोई अन्डरटेकिंग अथवा एजेन्सी से संबंधित किसी परियोजना के लिए कर संबंधी प्रोत्साहन अनुमान्य नहीं होंगे।
- (iv) इस नीति के अधीन प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए इकाईयों को विलयरेंस के प्रथम चरण के 3 (Three) वर्षों के भीतर अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करना होगा। इकाईयों के प्रोत्साहन के भुगतान की अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन में होना होगा। आगे, इकाई को इस नीति के अधीन इसके लिए पात्र सभी प्रोत्साहन के अंतिम भुगतान की तिथि से कम से कम अगले 5 वर्षों के लिए वाणिज्यिक उत्पादन में बना रहना होगा।
- (v) प्रोत्साहन प्राप्ति के प्रयोजनार्थ यदि कोई मिथ्या घोषणा पत्र दिया जाता है अथवा प्रोत्साहन यदि उस इकाई के लिए प्राप्त किया जाता है जो पात्र नहीं थी अथवा इस नीति की शर्तों में से किसी के उल्लंघन करने पर प्रोत्साहन की राशि के साथ 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज के साथ-साथ उस प्रोत्साहन प्राप्ति की तिथि से वसूल किया जायेगा। समय सीमा के भीतर भुगतान न होने की दशा में, राज्य सरकार भू-राजस्व के बकाए के रूप में ब्याज सहित वह राशि वसूल कर सकेगी।
- (vi) इस नीति के प्रयोजनार्थ:
- (क) “कर्मों” से अभिप्रेत है जैसे कर्मों जो कंपनी के नियमित रोल पर हों। दैनिक मजदूरी कर्मों अथवा मौसमी कर्मों इस रियायत के हकदार नहीं होंगे। कर्मों बल की गणना परियोजना के कोर क्रिया कलापों में लगे कर्मियों के आधार पर की जाएगी। प्रोत्साहन के लिए दावे के समर्थन के रूप में कंपनी के कानूनी वैधानिक लेखा परीक्षक द्वारा यह प्रमाणित किया जाएगा। कोर क्रिया-कलाप की परिभाषा ऐसे क्रिया-कलाप के रूप में होगी जो उत्पादन प्रक्रिया का अंग हो। समर्थक कर्मों की गणना कर्मों बल में नहीं की जाएगी।
- (ख) ‘बिहार राज्य का निवासी’ से अभिप्रेत वह व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, बिहार के मूल निवासी के रूप में परिभाषित किया जा चुका हो और जो सक्षम प्राधिकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्गत प्रमाण पत्र धारित करता हो।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 इस हद तक संशोधित होगी। नीति में ये संशोधन इस अधिसूचना के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे तथा बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 की प्रभावी अवधि तक बने रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


1301A2
27/12/2017

(डॉ. एस. सिद्धार्थ)


प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 1937 / पटना, दिनांक: 27.12.2017

सं.सं.: 4तक. / नीति संशोधन / 181 / 2017

प्रतिलिपि: राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 1000 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।


1301A2
27/12/2017

(डॉ. एस. सिद्धार्थ)


प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 1937 / पटना, दिनांक: 27.12.2017

सं.सं.: 4तक. / नीति संशोधन / 181 / 2017

प्रतिलिपि: सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग / प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के अधीन सभी निगम / बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / निदेशक, तकनीकी विकास / निदेशक, उद्योग निदेशालय / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / निदेशक, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विकास निगम, पटना / मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई.टी. प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।



1301A2
27/12/2017

(डॉ. एस. सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम 2016



बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016

बिहार में निवेश के विकास एवं प्रोत्साहन को सहज बनाने तथा उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

चूँकि राज्य में उपलब्ध विपुल मात्रा में प्राकृतिक एवं मानव संसाधनों के उचित उपयोग कर नए उद्यमों की स्थापना से राज्य में रोजगार सृजन करने और राज्य की जनता के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु बढ़ावा मिलेगा;

और, चूँकि, राज्य में उद्योग, सेवा और कारोबारी इकाइयों की स्थापना एवं परिचालन के लिए तथा राज्य को एक आकर्षक निवेश स्थल बनाने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाना आवश्यक है;

भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

अध्याय-I: प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:

- (1) यह अधिनियम बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह उस तिथि को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ:

इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो :

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016;
- (ख) "क्लियरेन्स" से अभिप्रेत है अनापत्ति प्रमाण पत्र, आवंटन, सहमति, स्वीकृति, अनुमति, पंजीकरण, नामांकन, अनुज्ञप्ति एवं इस प्रकार किसी सक्षम प्राधिकार या प्राधिकारों, जो कि औद्योगिक उपक्रम बिहार राज्य में स्थापित किये जाने के लिए आवश्यक हो, द्वारा प्रदान किया जाना या निर्गत किया जाना एवं इसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने या परियोजना के प्रारंभ होने तक वैसे सभी क्लियरेन्स, जो भी आवश्यक हों, शामिल होंगे;
- (ग) "आयुक्त" से अभिप्रेत है औद्योगिक विकास आयुक्त के रूप में कार्य करनेवाला राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति;
- (घ) "सामान्य आवेदन पत्र" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन यथाविहित ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र, जो सभी प्रकार के क्लियरेन्स हेतु व्यक्तिगत आवेदन प्रपत्रों को संयुक्त करता हो;
- (ङ.) "कंपनी" से अभिप्रेत है निगमित निकाय और इसमें फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है;
- (च) "सक्षम प्राधिकार" से अभिप्रेत है सरकार का कोई विभाग या एजेंसी जिसे क्लियरेन्स देने या निर्गत

करने का अधिकार और जिम्मेवारी सौंपी गयी हो, और इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, नगर पालिका, नगर निगम और विकास प्राधिकारों शामिल होगी;

- (छ) "विभाग" से अभिप्रेत है सरकार का उद्योग विभाग;
- (ज) "उद्यम" से वही अभिप्रेत है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 की संख्या 27) की धारा-2(ई) में है;
- (झ) "प्रोत्साहन" से अभिप्रेत है नीति के अधीन, समय-समय पर, निवेशकर्ताओं को उपलब्ध की जाने वाली वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभ;
- (ञ) "नीति" से अभिप्रेत है बिहार राज्य औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति;
- (ट) "लोक प्राधिकार" से अभिप्रेत है विभिन्न अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकार और इस अधिनियम की धारा-2(ई) में परिभाषित सभी सक्षम प्राधिकार शामिल होंगे;
- (ठ) "सचिवालय" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-5 के अधीन यथा गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् का सचिवालय;
- (ड) "राज्य पर्षद्" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-4 के अधीन यथा गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद्;
- (ढ) "राज्य-सरकार" से अभिप्रेत है बिहार-सरकार;
- (ण) "उद्योग आधार" से अभिप्रेत है औद्योगिक इकाइयों का ऐसा पंजीकरण जैसा कि भारत-सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर, अधिकथित किया गया हो।

अध्याय-II

औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण और राज्य प्रोत्साहन पर्षद् का गठन, कार्य और शक्तियाँ विकास आयुक्त और राज्य पर्षद् का सचिवालय।

3. औद्योगिक इकाइयों का पंजीकरण:

- (1) किसी भी औद्योगिक इकाई का पंजीकरण उनको छोड़कर स्वैच्छिक होगा, जिन्हें उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक विनिर्माण मर्दों के लिए अनुज्ञप्ति अनिवार्य है।
- (2) यद्यपि, ऐसी इकाई जिन्हें केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा उपबंधित क्लियरेंस/सहायता की आवश्यकता हो, वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 'सामान्य आवेदन प्रपत्र' (सीएएफ) दाखिल करेंगी।
- (3) उत्पादन आरम्भ होने के बाद सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाई भी उद्योग आधार ज्ञापन ऑनलाइन दाखिल करेंगी।

4. राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् का गठन:

- (1) विकास आयुक्त की अध्यक्षता में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद् का गठन किया जाएगा जिसमें उद्योग,

वित्त, वाणिज्य कर, पर्यावरण एवं वन, ऊर्जा, श्रम संसाधन, नगर विकास एवं आवास तथा राजस्व एवं भूमि सुधार के प्रधान सचिव सदस्य के रूप में होंगे। प्रधान सचिव, उद्योग विभाग पर्वद के सदस्य—सचिव होंगे। राज्य सरकार इस पर्वद में पाँच सदस्य नामित करेगी जिसमें दो सदस्य उद्योग के प्रतिनिधि होंगे।

(2) राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद के कार्य और शक्तियाँ निम्नलिखित होंगी :

- (क) राज्य निवेश पर्वद के सचिवालय द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्ताव को इसके द्वारा अनुमोदित किये जायेंगे या प्रस्ताव पर उचित निर्णय लिये जायेंगे;
- (ख) राज्य पर्वद माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी;
- (ग) यह बिहार राज्य औद्योगिक निवेश नीति पर विभाग को मार्गदर्शन और सलाह देगी;
- (घ) राज्य पर्वद, प्रत्येक बैठक में, निवेश प्रोत्साहन के लिए राज्य पर्वद के सचिवालय के कार्य प्रगति की समीक्षा भी करेगी और निवेश प्रस्तावों पर तीव्र गति से कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए समुचित मार्गदर्शन देगी;
- (ङ) यदि सक्षम प्राधिकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन विहित उत्तरदायित्व का वहन नहीं किया गया है, तो राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद सक्षम प्राधिकार के विरुद्ध कार्रवाई हेतु अनुशंसा करेगी।

5. राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद के सचिवालय :

राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद के लिए एक सचिवालय होगा, जो पर्वद के अध्यक्ष एवं सदस्यों को, प्राप्त निवेश प्रस्तावों के जाँच एवं मूल्यांकन करने में, सहयोग करेगी। सचिवालय को प्राप्त निवेश-प्रस्तावों को, प्राप्ति तिथि के 30 (तीस) दिनों के भीतर राज्य पर्वद के समक्ष रखना बाध्यकारी होगा। सचिवालय की संरचना एवं प्रोत्साहन तथा निवेश, प्रोत्साहन एवं सरलीकरण, पारिश्रमिक एवं आनुषंगिक विषय वही होंगे, जो नियमावली में अधिकथित किये जायेंगे।

6. राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद के सचिवालय का गठन :

- (1) **औद्योगिक विकास आयुक्त:** एक औद्योगिक विकास आयुक्त होंगे जो सचिवालय के प्रधान होंगे। बिहार सरकार के उद्योग विभाग के प्रधान सचिव ही साधारणतया औद्योगिक विकास आयुक्त होंगे जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता है।
- (2) **गठन:** राज्य पर्वद के सचिवालय का गठन निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा :
 - (क) वित्त विभाग का संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी;
 - (ख) बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद का पर्यावरण अभियंता से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी;
 - (ग) नगर विकास एवं आवास विभाग का नगर योजनाकार/वास्तुविद्/शहरी योजनाकार से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी;
 - (घ) श्रम संसाधन विभाग का संयुक्त श्रमायुक्त से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी;

- (ड.) वाणिज्य कर विभाग का उपायुक्त से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी;
- (च) बिहार राज्य पावर होल्डिंग कंपनी लि. का अधीक्षण अभियंता से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी;
- (छ) राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रतिनियुक्त होने वाला उप सचिव से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी;
- (ज) श्रम संसाधन विभाग का उप मुख्य कारखाना निरीक्षक से अन्यून पंक्ति का एक अधिकारी;
- (झ) सचिवालय में राज्य सरकार द्वारा या तो प्रतिनियुक्त या संविदा पर नियुक्त होने वाले सचिवालय द्वारा यथापेक्षित अधिकारी एवं कर्मचारी।

(3) सचिवालय के कृत्य।

सचिवालय के निम्नलिखित कृत्य होंगे :

- (क) विद्यमान इकाइयों का आधुनिकीकरण, उन्नयन एवं विस्तारीकरण सहित सभी नए निवेश प्रस्तावों को प्राप्त करना, प्रक्रिया करना तथा यथापेक्षित सभी क्लियरेंस देना;
 - (ख) बिहार को देश के भीतर एवं बाहर निवेश स्थल के रूप में प्रचार की योजना तैयार करना, इसकी रूपरेखा बनाना एवं इसको बढ़ावा देना;
 - (ग) सामान्य आवेदन प्रपत्र की प्राप्ति एवं उसकी व्यवस्था करना और यह भी सुनिश्चित करना कि नियमावली के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर सभी क्लियरेंस दे दिए गए हैं;
 - (घ) क्लियरेंस देने हेतु सक्षम प्राधिकार की ओर से विहित फीस संग्रह एवं जमा करना और संबंधित खाते में फीस एवं जमा अंतरित करना;
 - (ड.) आवेदकों को क्लियरेंस के संबंध में जानकारी देना और जहाँ आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो इन त्रुटियों की जानकारी आवेदक को देना और उनका सुधार करवाना;
 - (च) निवेश संबंधी सेक्टर, उत्पाद एवं पैमाना पर सभी सुसंगत सांख्यिकी जानकारी संग्रह करना और संघ एवं राज्य प्राधिकारों को जब अपेक्षा हो उपलब्ध कराना;
 - (छ) संभावित निवेशकर्ताओं के लिए सेक्टर एवं उत्पाद वार सूचना एकत्र करना और विभाग द्वारा यथानिदेशित वेबसाईट्स, प्रिंट और दृश्य माध्यम और अन्य उपायों से इसका प्रसार करना।
- (4) सचिवालय के सदस्य आवेदनों की जाँच करेंगे और संबंधित क्लियरेंस के लिये ऑनलाइन अनुशंसा संबंधित सक्षम प्राधिकार को करेंगे। संबंधित सक्षम प्राधिकार ऐसी अनुशंसा-प्राप्ति के 30 दिनों या संबंधित अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाई गई नियमावली में विहित समय-सीमा के भीतर जिसके अधीन क्लियरेंस दिया जाना हो, निर्णय लेने के लिए बाध्य होंगे। क्लियरेंस की सूचना ऑन-लाइन नियत समय के भीतर सचिवालय को दी जायेगी जिसे निवेशक को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि संबंधित विभाग क्लियरेंस देने में या निर्णय लेने में असफल रहता है तो क्लियरेंस दिया गया समझा जायेगा एवं राज्य वर्ष का सचिवालय इससे संबंधित डीमड क्लियरेंस निर्गत**

करेगा। संबंधित सक्षम प्राधिकार उक्त क्लियरेंस जो सचिवालय द्वारा निर्गत किया गया है, का अनुपालन करेगा एवं इस सचिवालय के निर्णय पर पुनर्विचार करने की शक्ति सक्षम प्राधिकार को नहीं होगी। जब भी निवेशक से सामान्य आवेदन प्रपत्र के माध्यम से क्लियरेंस के लिए अनुरोध प्राप्त होगा तब क्लियरेंस देने की उपर्युक्त रीति लागू होंगी।

- (5) आयुक्त को किसी भी लोक प्राधिकार के अन्वेषण या जाँच क्रियान्वित करने के लिए आदेश देने एवं विभिन्न अधिनियमों के अधीन समय-सीमा के भीतर क्लियरेंस संबंधी मुद्दों पर प्रतिवेदन मांग करने की शक्ति होगी। आयुक्त को किसी भी लोक प्राधिकार को, विहित समय-सीमा के भीतर, निर्णय लेने के लिये निदेश देने की शक्ति होगी।

7. योग्य इकाइयों को वित्तीय प्रोत्साहन :

सचिवालय पात्र इकाइयों को, समय-समय पर, यथा अधिसूचित नीति के अनुरूप ससमय वित्तीय प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं विमुक्ति सुनिश्चित करेगी। निवेशक सभी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन के लिये सामान्य आवेदन पत्र में सचिवालय को आवेदन देंगे। सचिवालय, वित्तीय प्रोत्साहन के लिये प्राप्त आवेदन पर, कार्रवाई करेगा। स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार एवं स्वीकृति की समय-सीमा नियमावली में विहित की जायेगी।

अध्याय-III विविध

8. स्व-प्रमाणन :

- (1) आवेदक या अधिकृत व्यक्ति द्वारा क्लियरेंस हेतु आवेदन-पत्र एवं संबंधित दस्तावेजों का स्व-प्रमाणन किया जा सकेगा।
- (2) स्व-प्रमाणन एवं जांच के आधार पर क्लियरेंस निर्गत किया जाएगा और जहाँ आवश्यक हो, क्लियरेंस निर्गत करने के बाद, जांच किया जाएगा।
- (3) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उन प्रावधानों को इंगित भी कर सकेगी जिनके अधीन अनुपालन के लिये स्व-घोषणा पर्याप्त दस्तावेज समझा जायेगा।
- (4) यदि सत्यापन होने पर यह पाया जाता है कि कोई भी स्व-प्रमाणन असत्य है, तो स्व-प्रमाणन के आधार पर निर्गत क्लियरेंस रद्द कर दिया जाएगा और असत्य स्व-प्रमाणन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा-197 के अधीन मिथ्या स्व-प्रमाणन के लिए अभियोजन का दायी होगा।

9. छूट :

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी क्लियरेंस को अधिनियम के किसी प्रावधान का छूट दे सकेगी।

10. प्राधिकार देना :

राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, सचिवालय को निवेश के लिये अपेक्षित क्लियरेंस देने हेतु प्राधिकृत कर सकेगी।

11. **शास्ति :**

- (1) कोई लोक प्राधिकार राज्य पर्वद एवं सचिवालय के निदेशों का अनुपालन विहित समय—सीमा के भीतर करने में विफल रहता है, दोषसिद्ध होने पर, ऐसी शास्ति से, जिसे पहले अपराध के लिये रु. 10,000.00 (दस हजार) और द्वितीय या इसके बाद के अपराध के लिए रु. 50,000.00 (पचास हजार) तक बढ़ाया जा सकेगा, दंडनीय होगा।
- (2) जहाँ अधिनियम के अधीन किसी लोक प्राधिकार द्वारा अपराध किया गया हो वहाँ, यदि आयुक्त का यह समाधान हो जाए कि इस अधिनियम के अधीन सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने में प्राधिकार, पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारणों को समनुदेशित किए, बिना असफल हुआ है तो उस पर लागू सेवा नियमावली के अधीन उसके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई की अनुशंसा कर सकेगा।

12. **निवेशक का अधिकार :**

इस अधिनियम की धारा—3 (2) में किसी बात के अंतर्विष्ट होने पर भी, प्रत्येक निवेशकर्ता अपने उद्यमों की स्थापना एवं प्रचालन आरंभ करने के लिए क्लियरेंस प्राप्त करने हेतु सुसंगत वैधानिक प्राधिकारों के समक्ष सीधे आवेदन देने के लिए स्वतंत्र होगा।

13. **एकीकृत क्लियरेंस प्रणाली :**

क्लियरेंस एवं अनुमोदन देने के लिए ऑनलाइन प्रणाली विकसित की जाएगी। सामान्य आवेदन प्रपत्र एवं इसके समर्थन में दिए जाने वाले दस्तावेजों को ऑनलाइन प्राप्त किया जायेगा एवं क्लियरेंस ऑनलाइन संसूचित किया जायेगा।

14. **निदेश देने की शक्ति :**

राज्य सरकार, समय—समय पर राज्य पर्वद, राज्य पर्वद सचिवालय, लोक प्राधिकार को नीति का ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और इस अधिनियम के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के प्रायोजनार्थ आवश्यक एवं समिचीन हो जारी कर सकेगी और संबंधित पर्वद, सचिवालय और लोक प्राधिकार ऐसे निदेशों का पालन करने और उस पर कार्रवाई करने हेतु बाध्य होंगे।

15. **सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण :**

इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाई गई किसी नियमावली के अधीन, सद्भाव पूर्वक किए गए अथवा किए जाने के आशय से किए गए किसी भी कार्य के लिए किसी भी व्यक्ति या प्राधिकार के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन अथवा अन्य विधिक कार्यवाही सुनिश्चित नहीं होगी।

16. **नियमावली बनाने की शक्ति :**


- (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी अथवा किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए नियमावली बना सकेगी।
- (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित में से सभी अथवा किसी एक विषय के लिए, ऐसी नियमावली में प्रावधान किए जा सकेंगे।

- (क) राज्य पर्वद् द्वारा प्रस्तावों को स्वीकृत करने की प्रक्रिया;
 - (ख) राज्य पर्वद् सचिवालय की कार्य-प्रक्रिया और स्टाफ बल का अवधारण, भर्ती, पद्धति और सेवा-शर्तें जिसमें आयुक्त की अनुशासनिक और अपीलीय शक्तियाँ भी शामिल हैं;
 - (ग) सामान्य आवेदन प्रपत्र को दखिल करने का तरीका एवं प्रपत्र और राज्य पर्वद् सचिवालय द्वारा इसकी प्रक्रिया;
 - (घ) राज्य पर्वद् सचिवालय की जिम्मेवारी और सेवा देने के लिए समय-सीमा;
 - (ङ.) विभिन्न कानूनों के अधीन निरीक्षक एजेन्सियों द्वारा सत्यापन की अवधि एवं रीति तथा मिथ्या और अयथार्थ स्व-घोषणा के लिए अधिरोपित किए जाने वाले दंड की अवधि एवं रीति; और
 - (च) ऑनलाईन अनुश्रवण प्रणाली और क्लियरन्स / अनुमोदन निर्गत करना ।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियमों को राज्य सरकार द्वारा राज्य विधान मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

17. निरसन और व्यावृत्ति:

- (1) बिहार सिंगल विण्डो क्लीयेरन्स अधिनियम, 2006 (बिहार अधिनियम 9, 2006) का एतद् द्वारा निरसित किया जाता है ।
- (2) ऐसे निरसन के होने पर भी उक्त अधिनियम के अधीन किया गया या किए जाने के आशय से किया गया कुछ भी या की गई कार्रवाई, इस अधिनियम के अधीन किया गया या की गई मानी जाएगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन कोई कार्य किया गया था अथवा कोई कार्रवाई की गई थी ।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम 2016



उद्योग विभाग, बिहार सरकार

बिहार सरकार

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली- 2016

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार एतद् द्वारा अधिनियम के सभी या किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:

- (1) यह नियमवाली बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियामवली, 2016 कही जा सकेगी।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
- (3) यह बिहार राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ:

(1) इस नियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित नहीं हो:

- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016;
- (ख) "पर्षद" अथवा "राज्य पर्षद" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-4 के अधीन यथा गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद;
- (ग) "क्लियररेन्स" से अभिप्रेत है, अनापत्ति प्रमाण-पत्र, आवंटन, सहमति, स्वीकृति, अनुमति, पंजीकरण, नामांकन, अनुज्ञप्ति एवं इस प्रकार किसी सक्षम प्राधिकार या प्राधिकारों, जो कि औद्योगिक उपक्रम बिहार राज्य में स्थापित किये जाने के लिए आवश्यक हो, द्वारा प्रदान किया जाना या निर्गत किया जाना एवं इसमें औद्योगिक प्रतिष्ठानों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किये जाने या परियोजना के प्रारंभ होने तक वैसे सभी क्लियररेन्स, जो भी आवश्यक हों, शामिल होंगे;
- (घ) "आयुक्त" से अभिप्रेत है औद्योगिक विकास आयुक्त के रूप में कार्य करने वाला राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति;
- (ङ) "सामान्य आवेदन पत्र" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन यथाविहित ऐसे इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र, जो सभी प्रकार के क्लियररेन्स हेतु व्यक्तिगत आवेदन प्रपत्रों को संयुक्त करता हो;
- (च) "कंपनी" से अभिप्रेत है निगमित निकाय और इसमें फर्म अथवा व्यक्तियों का अन्य संघ शामिल है;
- (छ) "सक्षम प्राधिकार" से अभिप्रेत है सरकार का कोई विभाग या एजेंसी जिसे क्लियररेन्स देने या निर्गत करने का अधिकार और जिम्मेवारी सौंपी गयी हो, और इसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, नगर पालिका, नगर निगम और विकास प्राधिकार शामिल होंगे;
- (ज) "विभाग" से अभिप्रेत है सरकार का उद्योग विभाग;
- (झ) "उद्यम" से वही अभिप्रेत है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 की संख्या 27) की धारा-2(ई) में है;

- (ज) “फीस” और “जमा” से अभिप्रेत होगा क्लियरेंस/अनुमोदन सहमति अथवा किसी अन्य प्रकार के कानूनी अनुमति, जो उस प्राधिकार की सक्षमता के अधीन हो, देने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारों के अधिनियम और नियमावली द्वारा विहित राशि;
- (ट) “प्रोत्साहन” से वही अभिप्रेत है नीति के अधीन, समय-समय पर, निवेशकर्ताओं को उपलब्ध की जाने वाली वित्तीय एवं गैर वित्तीय लाभ;
- (ठ) “ऑनलाइन” से अभिप्रेत है किसी कम्प्यूटर का एक या अधिक कम्प्यूटरों से अथवा इंटरनेट जैसे नेटवर्क से जुड़ा हुआ होना;
- (ड) “नीति” से अभिप्रेत है बिहार राज्य औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति;
- (ढ) “लोक प्राधिकार” से अभिप्रेत है विभिन्न अधिनियमों के कार्यान्वयन के लिए सक्षम प्राधिकार और इस अधिनियम की धारा-2(एफ) में परिभाषित सभी सक्षम प्राधिकार शामिल होंगे;
- (ण) “नियमावली से अभिप्रेत है बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नियमावली, 2016;
- (त) “सचिवालय” से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा-5 के अधीन यथा गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद का सचिवालय;
- (थ) “राज्य-सरकार” से अभिप्रेत है बिहार-सरकार;
- (द) “उद्योग आधार” से अभिप्रेत है औद्योगिक इकाईयों का ऐसा पंजीकरण जैसा कि भारत-सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा, समय-समय पर, अधिकथित किया गया हो;
2. इसमें प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके प्रति क्रमशः समनुदेशित किए गए हों।
3. **राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन।**
- (1) राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किया जाएगा।
- (2) मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्षों का अथवा सरकार द्वारा यथानिर्णित, इसमें जो भी पहले हो, का होगा।
4. **राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की प्रक्रिया।**
- (1) बोर्ड की पूर्व बैठक में विभाग द्वारा घोषित की जाने वाले नियत तिथि को बोर्ड की बैठक प्रत्येक माह होगी। वैसी नियत तिथि को अवकाश का दिन होने की दशा में, वह बैठक, बिना किसी अगली सूचना के, अगली पश्चात्वर्ती तिथि को होगी।
- (2) राज्य बोर्ड, राज्य बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा यथा विनिश्चत एक माह में एक से अधिक बैठकें आयोजित कर सकेगा फिर भी प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक आयोजित करना आज्ञापक होगा।
- (3) पर्षद की बैठक अध्यक्ष सहित किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण स्थगित नहीं की जाएगी।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, बाद वाले वरीष्ठ सरकारी सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

- (4) पर्षद की सदस्यता पदनाम से है और अन्य कृत्यकारी द्वारा प्रतिस्थापन, अध्यक्ष की अनुमति से, केवल असाधारण परिस्थितियों में अनुज्ञात किया जा सकेगा।
- (5) पर्षद की बैठक के लिए अध्यक्ष के अतिरिक्त पाँच सदस्यों की गणपूर्ति (कोरम) होगी। किसी मद पर कोई निर्णय किसी विभाग या किसी एजेंसी के प्रतिनिधित्व के अभाव में रोका नहीं जाएगा।
- (6) पर्षद के समक्ष विचारण के लिए रखे गए प्रस्ताव या तो अनुमोदित किए जाएंगे या उन पर समुचित निर्णय लिया जाएगा। अगर पर्षद द्वारा किसी मामले को स्पष्टीकरण के प्रयोजन से स्थगित किया जाता है तो इसके कारण समुचित रीति से कार्यवाही में संशोधित किया जायेगा।
- (7) पर्षद समय-सीमा के भीतर बोर्ड के समक्ष रखे जाने तथा प्रस्ताव की पूर्णता को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट निर्देश से सचिवालय के कार्यों का माहवारी पुनर्विलोकन करेगा।
- (8) पर्षद निम्नलिखित पर निर्णय लेगा :**
 - (i) सचिवालय द्वारा उपलब्ध किए गए क्लियरेंस की सूची का पुनर्विलोकन;
 - (ii) स्वघोषणा के आधार पर उपलब्ध की गई क्लियरेंस सूची का पुनर्विलोकन;
 - (iii) सामान्य आवेदन पत्र का अनुमोदन;
 - (iv) एस0 आई0 पी0 बी0 के अधीन आवेदन के लिए फीस और जमा का पुनर्विलोकन;
 - (v) नीति से संबंधित मुद्दे पर और स्पष्टीकरण के संबंध में विभाग को मार्गदर्शित करना एवं सलाह देना।
- (9) पर्षद की प्रत्येक बैठक में एजेंडा के भाग के रूप में निम्नलिखित मुद्दों का पुनर्विलोकन पर्षद करेगा :**
 - (i) निवेश-प्रस्ताव की प्रास्थिति तथा उसके अनुमोदन की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन;
 - (ii) पर्षद द्वारा अनुमोदित निवेश प्रस्तावों की प्रास्थिति और उनके क्रियान्वयन की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन;
 - (iii) अनुमोदित निवेश-प्रस्ताव को दिए गए क्लियरेंस की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन;
 - (iv) निवेश-प्रस्तावों की संख्या जहाँ डिम्ड अनुमोदन दिया जानेवाला था और ऐसे डिम्ड अनुमोदन दिए जाने के लिए कारणों का पुनर्विलोकन;
 - (v) अनुमोदित प्रस्तावों के लिए क्लियरेंस प्राप्त करने और निपटारे की आवश्यक कार्रवाई करने में पाई जाने वाली बाधाओं का पुनर्विलोकन;
 - (vi) अनुमोदित प्रस्तावों से संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा मंजूर और अनुमोदित ऋण की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन;

- (vii) नीति के क्रियान्वयन का पुनर्विलोकन;
 - (viii) प्रक्रियागत और व्ययनित वित्तीय प्रोत्साहनों की प्रास्थिति का पुनर्विलोकन;
 - (ix) राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, यथा समनुदेशित कोई अन्य कार्य।
- (10) यदि किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा अधिनियम के अधीन विहित उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया गया हो तो पर्वद सक्षम प्राधिकार के विरुद्ध कार्रवाई अनुशासित करेगा।

5. राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्वद का सचिवालय।

- (1) अधिनियम की धारा 6(2) में उल्लिखित सदस्य सचिवालय में होंगे। सचिवालय की सहायता, योजनाओं के मूल्यांकन तथा अधिनियम की धारा 6(3) और नियम 5(2) में परिभाषित क्रियाकलापों के समर्थन को क्रियान्वित करने हेतु, पेशेवर व्यक्तियों द्वारा की जाएगी। राज्य सरकार सचिवालय के स्टाफ बल विनिश्चित करेगी।
- (2) सचिवालय निम्नलिखित सभी कृत्यों का जिम्मा लेगा:
- (i) विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के आधुनिकीकरण, उत्क्रमण और विस्तारण सहित सभी नए निवेश प्रस्तावों को प्राप्त करना, प्रक्रियागत करना और अपेक्षित क्लियरेंस उपलब्ध करना;
 - (ii) देश के भीतर और बाहर बिहार को निवेश के लक्ष्य के रूप में प्रोन्नत करने हेतु योजना बनाना, डिजाइन करना और अभियान क्रियान्वित करना;
 - (iii) सामान्य आवेदन पत्र प्राप्त करने और प्रक्रियागत करने का प्रबंध करना तथा यह सुनिश्चित करना कि सभी क्लियरेंस इस नियमावली के अधीन विहित समय-सीमा के भीतर दे दिए गए हैं;
 - (iv) सक्षम प्राधिकार की ओर से क्लियरेंस देने के लिए विहित फीस और जमा संग्रह करना तथा संबंधित लेखा में फीस और जमा को अंतरित करना;
 - (v) आवेदक को ऐसे क्लियरेंस की सूचना देना और जहाँ आवेदन में त्रुटियाँ हों, आवेदक को उन त्रुटियों की सूचना देना और उनका सुधार करवाना;
 - (vi) सेक्टर, उत्पाद और पैमाना (स्केल) वार निवेश पर सांख्यिकी जानकारी इकट्ठा करना और संघ और राज्य प्राधिकारों को, जब भी आवश्यकता हो, उपलब्ध करना;
 - (vii) भावी निवेशकों के लिए सेक्टर तथा उत्पादवार जानकारी तैयार करना और वेबसाइट, प्रिंट और दृश्य मिडिया तथा विभाग द्वारा यथानिदेशित अन्य साधनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना।
- (3) सचिवालय नियम 4(1) में सूचीबद्ध विभिन्न क्रियाकलापों के लिए माहवारी आधार पर प्रतिवेदन तैयार करने के लिए भी जिम्मेवार होगा जिसे पर्वद के समक्ष समुचित निर्णय के लिए रखा जाएगा।
- (4) सचिवालय उद्योग मित्र तथा उद्योग संवाद जैसे विभाग के ऑनलाइन प्रोत्साहन के सक्षम प्रबंधन के

लिए भी जिम्मेवार होगा।

- (5) सचिवालय यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेवार होगा कि अधिनियम की धारा 6(4) में दी गई प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाता है और विहित समय-सीमा का अनुपालन होता है। प्रक्रिया में किसी विचलन को राज्य निवेश पर्षद के अध्यक्ष के ध्यान में लाना सचिवालय का कर्तव्य होगा। अध्यक्ष सचिवालय के दिन प्रतिदिन कार्यों के लिए उपयुक्त अनुदेश, जो अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया से असंगत न हो, जारी कर सकेंगे।

6. समेकित क्लियरेंस प्रणाली।

- (1) नियम 6(3) में किए गए प्रावधान के अनुसार क्लियरेंस उपलब्ध करने तथा निवेश प्रस्तावों के अनुमोदन में एक ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।
- (2) निवेश प्रस्तावों के लिए क्लियरेंस ऑनलाइन उपलब्ध किया जाएगा तथा यह यथाविहित निम्नलिखित चार चरणों में होगा:
- (क) **चरण-I क्लियरेंस:** चरण-I क्लियरेंस राज्य पर्षद द्वारा योजना की संभाव्यता की जाँच करने तथा निवेशक को आवश्यक अनुमोदन उपलब्ध करने के प्रति निर्देश करता है। सचिवालय राज्य पर्षद द्वारा विहित रीति से निवेश प्रस्ताव की जाँच करेगा तथा नियम-4 में किए गए प्रावधान के अनुसार निर्णय के लिए राज्य पर्षद के समक्ष प्रस्ताव को रखेगा। चरण-I क्लियरेंस आवेदक को, अनुमोदन के पश्चात्पूर्वी चरणों के लिए आवेदन करने हेतु अनुमति देगा। चरण-I आवश्यक रूप से ब्रॉड सेक्टर, निवेश की मात्रा और प्रस्तावित निवेश के स्थान आदि की पहचान करेगा। पर्षद जानकारी की सूची विहित कर सकेगा जिसकी अपेक्षा चरण-I क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव के साथ भेजे जाने की हो।
- (ख) **चरण-II क्लियरेंस:** चरण-II क्लियरेंस कोई उद्योग स्थापित करने के पूर्व सचिवालय से पूर्व स्थापना चरण में किसी निवेशक द्वारा अनुरोध किए गए क्लियरेंस के प्रति निर्देश करता है। पूर्व स्थापना चरण क्लियरेंस की सूची विभाग द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित की जाएगी। ये क्लियरेंस अधिनियम 6(4) में किए गए प्रावधान के अनुसार उपलब्ध किए जाएंगे।
- (ग) **चरण-III क्लियरेंस:** चरण-III क्लियरेंस वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ के पूर्व सचिवालय से पूर्वप्रचालन चरण में किसी निवेशक द्वारा अनुरोध किए गए क्लियरेंस के प्रति निर्देश करता है। पूर्वप्रचालन चरण क्लियरेंस की सूची राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित की जाएगी। ये क्लियरेंस अधिनियम की धारा 6(4) में किए गए प्रावधान के अनुसार उपलब्ध किए जाएंगे।
- (घ) **वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस:** वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए किसी निवेशक को, अनुरोध किए गए/दिए गए क्लियरेंस के प्रति निर्देश करता है। इस चरण में दिए जाने वाले प्रोत्साहन की मात्रा, नीति के अनुसार, विनिश्चित की जाएगी। यह क्लियरेंस राज्य सरकार के पदाभिहित प्राधिकार द्वारा अनुमोदन, पर्षद द्वारा यथा निर्णीत अपेक्षित पूर्व अपेक्षाओं के पूरा होने के बाद, चरण-I बाद, किसी भी समय दिया जा सकेगा। यह स्वचालित प्रक्रिया होगी और आवेदक से किसी नए आवेदन की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

प्रस्ताव राज्य पर्वद के समक्ष अगली बैठक में, निर्णय के लिए, पूर्व अपेक्षाओं के पूरा होने पर, रखे जाएंगे। राज्य पर्वद निवेश-प्रस्ताव पर लागू प्रोत्साहन की मात्रा की अनुशंसा करेगा। वित्तीय प्रोत्साहन का अंतिम अनुमोदन नियम-7 के प्रावधान के अनुसार दिए जाएंगे। प्रोत्साहन का वास्तविक व्ययन निवेश प्रस्ताव के वास्तविक क्रियान्वयन के अनुसार होगा।

- (3) **सामान्य आवेदन पत्रों की प्रक्रिया तथा मॉनिटरिंग करना:** एक समेकित ऑनलाइन प्रणाली आवेदनों को प्राप्त करेगी और संबंधित सक्षम प्राधिकारों को अंतरित करने के साथ आवेदन को लीक (ट्रैक) पर लाएगी और प्रारिथिति की मॉनिटर करेगी।

इस प्रणाली के अधीन:

- (क) विहित अनुलग्नकों के साथ सामान्य आवेदन-पत्र दिए/अपलोड किए जाएंगे।
- (ख) सक्षम प्राधिकारी आवेदक से केवल एक बार अतिरिक्त जानकारी की मांग, 7 दिनों के भीतर, केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कर सकेंगे। अतिरिक्त जानकारी का उत्तर आवेदक द्वारा केवल ऑनलाइन भेजा जाएगा।
- (ग) आवेदन की प्राप्ति की तिथि से विहित समय-सीमा के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अतिरिक्त जानकारी नहीं मांगे जाने की दशा में, यह समझा जाएगा कि किसी अतिरिक्त जानकारी की अपेक्षा नहीं है और क्लियरेंस के लिए मौलिक समय-सीमा लागू होगी और सक्षम प्राधिकारी आवेदक द्वारा दिए गए दस्तावेजों के आधार पर निर्णय करेगा।
- (घ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित समय-सीमा के भीतर अतिरिक्त जानकारी मांगे जाने की दशा में, अधिनियम की धारा 5 और धारा 6(4) में विहित समय-सीमा की गणना उस तिथि से की जाएगी जिस तिथि को आवेदक द्वारा ऑनलाइन अतिरिक्त जानकारी भेजी गई है।
- (ङ) सक्षम प्राधिकार आवेदन को प्रक्रियागत करेगा और अधिनियम की धारा 5 और धारा 6(4) में विहित समय-सीमा के भीतर निर्णय (अपनी टिप्पणी) के साथ अनुरोध के अनुमोदन/नामंजूरी की सूचना आवेदक को देगा।
- (च) आवेदक को सभी क्लियरेंस के लिए तुरंत विकल्प दाखिल करने की स्वीकृति दी जाएगी अथवा वह विभिन्न अंतरालों पर आवेदन करने का चयन कर सकेगा। क्लियरेंस के लिए आवेदन नामंजूर होने की दशा में, आवेदक को नए क्लियरेंस के लिए आवेदन दाखिल करने की स्वीकृति दी जा सकेगी।
- (छ) प्रत्येक अनुमोदन/प्रमाण पत्र के लिए एक यूनिक सिंगल विंडो क्लियरेंस आई. डी. दिया जाएगा जिसका उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र में अनुमोदन त्रिपक्षीय सत्यापन के लिए किया जा सकता है।
- (4) **प्रक्रिया और कार्यवाही की सरलीकरण के लिए विशेष प्रावधान और उपाय:** वैसे क्लियरेंस की दशा में जिसमें केवल मौलिक दस्तावेजों की समीक्षा की आवश्यकता हो, स्थल अनुमोदन दिया जाएगा। ऐसे क्लियरेंस की सूची, राज्य पर्वद की सलाह पर, विभाग द्वारा समय-समय पर, अधिसूचित की जाएगी।

- (5) **आवेदनों को प्रक्रियागत करने की फीस:** सचिवालय द्वारा क्लियरेंस विभिन्न चरणों के दौरान आवेदक से फीस और जमा प्राप्त किया जाएगा। आवेदन प्रक्रियागत करने की फीस, राज्य पर्षद की सलाह पर, विभाग द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित की जाएगी।
- (6) **क्लियरेंस के लिए निरीक्षण का विवेकपूर्ण किया जाना:** वैसे क्लियरेंस के लिए जिसमें निरीक्षण की आवश्यकता हो, सभी सक्षम प्राधिकारी द्वारा संयुक्त निरीक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा।

7. पात्र औद्योगिक इकाइयों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन:

- (1) नियम-6(2)(iv) के अधीन क्लियर किए गए प्रस्ताव निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकार के समक्ष रखे जाएंगे। राज्य पर्षद की बैठक में अनुमोदित सभी प्रस्ताव एक साथ सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखे जाएंगे। निर्णय उसी क्रम में लिए जाएंगे जिस क्रम में राज्य पर्षद से प्रस्ताव अनुमोदित हो। बारी से बाहर प्रस्ताव अनुमोदित किए जाने की दशा में, ऐसी विचलन के लिए पर्याप्त कारणों को अभिलिखित किया जाएगा और आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- (2) सक्षम प्राधिकार और अनुमोदन दिए जाने और वित्तीय प्रोत्साहन का निर्णय दिए जाने हेतु समय-सीमा निम्नवत् होगी:
 - (i) वैसे प्रस्तावों पर, जिनमें रूपये 2.5 करोड़ और उससे कम का निवेश अंतर्ग्रस्त हो, आयुक्त 15 दिनों की समय-सीमा के भीतर निर्णय लेंगे। यदि विहित समय के भीतर प्रस्ताव पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है तो विलंब का कारण अभिलिखित किया जाएगा।
 - (ii) वैसे प्रस्तावों पर जिनमें रूपये 2.5 करोड़ से अधिक और रूपये 10 करोड़ की सीमा तक निवेश अंतर्ग्रस्त हो, मंत्री, उद्योग विभाग द्वारा 15 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाएगा।
 - (iii) वैसे प्रस्तावों पर, जिनमें रूपये 10 करोड़ से अधिक और रूपये 20 करोड़ तक की सीमा तक निवेश अंतर्ग्रस्त हो मंत्री, उद्योग विभाग और और मंत्री, वित्त विभाग द्वारा संयुक्त रूप से निर्णय लिया जाएगा। विभागीय मंत्री 15 दिनों के भीतर निर्णय लेंगे और तत्पश्चात वित्त मंत्री अगले 15 दिनों में निर्णय लेंगे।
 - (iv) रूपये 20 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाएगा।
- (3) राज्य सरकार उपरोक्तिलिखित समय-सीमा, वित्तीय सीमा और सक्षम प्राधिकार का, समय-समय पर अधिसूचना के माध्यम से पुनरीक्षण करेगी।
- (4) एकबार मंजूर प्रोत्साहन, आगे किसी प्राधिकार को बिना किसी निर्देश के, वैसे किसी शर्त के अधीन रहते हुए जो मंजूरी से जुड़ी हो, समयबद्ध रीति से सचिवालय द्वारा व्ययनित किए जाएंगे।

8. स्वप्रमाणन: आयुक्त अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्व:घोषणा के सहज सत्यापन के लिए अनुदेश जारी करेंगे।

सत्यापन सचिवालय द्वारा संचालित किया जाएगा अथवा किसी लोक प्राधिकार को जांच-पड़ताल निदेशित की जाएगी जो अपना निष्कर्ष अध्यक्ष को, आवश्यक कार्रवाई के लिए, देगा।

9. डिम्ड अनुमोदन :

- (1) अधिनियम की धारा 6(4) में यथा विनिर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर क्लियरेंस जारी करने में सक्षम प्राधिकार के असफल होने की दशा में, सचिवालय, एक प्रति के साथ, संबंधित विभाग द्वारा विहित प्रारूप में डिम्ड अनुमोदन संसूचित कर संबंधित विभाग को सूचित करेगा। सचिवालय सभी ऐसे डिम्ड क्लियरेंस जारी करने हेतु अधिकारियों को पदाभिहित करेगा।
- (2) डिम्ड अनुमोदन उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को ऐसे क्लियरेंस के लिए समय—सीमा समाप्त हो गई हो।
- (3) क्लियरेंस के विलंब के फलस्वरूप डिम्ड अनुमोदन निर्गत करने पर सक्षम प्राधिकार तत्काल नियमों के अनुसार शास्ति अधिरोपण के लिए दायी होगा।

10. शिकायत/अपील :

- (1) पहली बार सभी शिकायतों को आयुक्त के पास निर्देशित कर दिया जाएगा। सभी शिकायतों का निपटारा आयुक्त द्वारा 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।
- (2) आवेदक अपनी शिकायत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से भेज सकते हैं और लीक (ट्रैक) पर ला सकते हैं।
- (3) नीतियों, अनुमोदनों, प्रोत्साहनों, आवेदन—प्रक्रिया, सिंगल विंडो इत्यादि से संबंधित निवेशकों की पूछताछ का प्रभावकारी रूप से उत्तर देने के लिए एक केन्द्रीयकृत हेल्पलाइन नम्बर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

11. निदेश देने की शक्ति :

- (1) राज्य सरकार, समय—समय पर, राज्य पर्वद या सचिवालय को नीति के ऐसे सामान्य या विशेष निदेश दे सकेगी जिसे राज्य में निवेश बढ़ाने के प्रयोजनार्थ आवश्यक या समीचीन समझा जाय।
- (2) आयुक्त को अनुसंधान, जाँच—पड़ताल करने और विभिन्न अधिनियमों के अधीन विहित समय—सीमा के भीतर निवेश प्रस्तावों के लिए अपेक्षित क्लियरेंस से संबंधित मुद्दों पर प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु, लोक प्राधिकार को निदेश देने की शक्ति होगी।

12. शास्ति :


- (1) कोई लोक प्राधिकार, जो राज्य पर्वद और सचिवालय के निदेशों का अनुपालन विहित समय के भीतर करने में विफल होता है तो अधिनियम की धारा 11(1) के अनुसार अभिजोन / सजा का दायी होगा।
- (2) आगे, संबंधित लोक प्राधिकार के, बिना पर्याप्त एवं युक्तियुक्त कारण के, क्लियरेंस उपलब्ध करने के लिए परिभाषित समय का अनुपालन न करने वाले पदाभिहित पदधारी अपने संबंधित सेवा—नियमों के अनुसार कार्रवाई के लिए दायी होंगे:

परंतु लोक प्राधिकार के पदाभिहित पदधारियों को, कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

(3) कोई भी आवेदक, जो सचिवालय अथवा अन्य संबंधित विभाग को दिए गए घोषणाओं/वचनबंध का अनुपालन करने में विफल रहता है, तत्काल विधिक प्रावधानों के अनुसार अभियोजन/सजा का दायी होगा।


13. प्रकीर्ण 1- सरकार इस नियमावली के प्रावधानों के त्वरित क्रियान्वयन के लिए ऐसा मार्गदर्शन जारी कर सकेगी जो अधिनियम और इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हों।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


(डा. एस. सिद्धार्थ)
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक: 3074/पटना, दिनांक: 28.12.2016


प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।


प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 3074/पटना, दिनांक: 28.12.2016

प्रतिलिपि : सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग/प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के अधीन सभी निगम/बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, उद्योग निदेशालय/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र/निदेशक, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विकास निगम, पटना/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।



बिहार स्टार्ट-अप नीति-2017

उद्योग विभाग, बिहार सरकार



Govt. of Bihar

1. प्रस्तावना :

- 1.1 बिहार आधारभूत संरचना को मजबूत एवं औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने की दिशा में निरंतर प्रयास करते हुए विकास के पथ पर तीव्र गति से प्रगति कर रहा है। बिहार सरकार राज्य के आर्थिक प्रतिस्पर्धा में सुधार एवं समावेशी विकास के लिए वचनबद्ध है। नवीकरण के प्रोत्साहन एवं पारिस्थितिक तंत्र (इको सिस्टम) के सृजन द्वारा स्टार्ट-अप से अधिकार देने तक यह क्रियान्वित किया जा सके।
- 1.2 बिहार को अपनी जनसंख्या में युवा के उच्च अनुपात में दिए गए जनसंख्याकीय लाभांश का लाभ प्राप्त है; उनके लिए उत्पादक आर्थिक अंशदान हेतु नियोजन के अवसर सीमित हैं। युवा रोजगारोन्मुख समाज में प्रगति करता है जहाँ उद्यमिता को एक जीवनवृत्ति को विकल्प के रूप में देखा जाता है। इसके अलावे वर्तमान शैक्षणिक तंत्र की रूपरेखा इस रीति से तैयार की गई है जिसमें उद्यमिता पर महत्व सीमित होता है।
- 1.3 इस स्टार्ट-अप की अति उत्तेजक विशेषताओं में एक विशेषता तीव्र गति से पैमाना बनाने और विश्वस्तरीय भागीदार बनने की योग्यता है। सफलता के मौके अत्यधिक बढ़ जाते हैं जब व्यवसाय परिस्थितिक तंत्र से समर्थित होते हैं। बिहार को स्वयं विश्व स्तर के पारिस्थितिक तंत्र एवं प्रतिभा विकसित करने का अवसर प्राप्त है। संसाधन और महत्वाकांक्षा राज्य में निश्चित रूप उपलब्ध हैं। बिहार में अर्थव्यवस्था के आविर्भाव में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की संभावना स्टार्ट-अप से है। इस परिच्छेद का विकास, संपूर्ण राज्य शहरी, अर्द्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, वित्तीय समावेशन तथा नियोजन सृजन की राष्ट्रीय अनिवार्यताओं को पूरा करने में, अति संकटापन्न स्थिति में है। स्टार्ट-अप की नई लहर इस सामाजिक-आर्थिक कायापलट को पूरा करने में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी।
- 1.4 बिहार में नवीकरण की महत्ता को जागृत करने के लिए प्रेरक एवं अनुकूल स्टार्ट-अप की आवश्यकता महसूस की गई है। सरकार का उद्देश्य इस नीति-संरचना के साथ-साथ निजी भागीदारी से, बिहार में स्टार्ट-अप पारिस्थितिक तंत्र का सर्वत्र विस्तार करना है। अतः बिहार राज्य में जी0एस0डी0पी0 उत्पादन को तेज करते हुए, हजारो-हजार रोजगार सृजन करने, बुद्धि अपक्षय की प्रक्रिया का प्रतिकार करने और आर्थिक प्रगति की अगली लहर को पुनर्जीवित करने में योगदान देना है।
- 1.5 बिहार सरकार द्वारा बिहार स्टार्ट-अप नीति-2016 का सूत्रण कर संकल्प संख्या-1849 दिनांक-07.09.2016 द्वारा अधिसूचित किया गया है। यह एक स्वतंत्र और पारदर्शी पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किये जाने हेतु है जहाँ राज्य द्वारा वित्त पोषण, प्रोत्साहन एवं नीतिगत समर्थन दिया जाना है। राज्य द्वारा रु0 500 करोड़ की प्रारंभिक कोष के साथ एक न्यास का स्थापना किया गया है जो इस नीति के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रहा है।
- 1.6 राज्य सरकार द्वारा नीति के कार्यान्वयन में सुधार हेतु, नीति को और अधिक सहज बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर बिहार सरकार द्वारा बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2016 को निरसित करते हुए बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 को लागू करने का निर्णय लिया गया है।

2. संकल्पना (विजन):

2.1 बिहार स्टार्ट-अप नीति-2017 की संकल्पना:

राज्य में सम्मिलित प्रगति के लिए साधक पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से संभावी स्थानीय युवाओं को लाभान्वित कर स्टार्ट-अप और उद्यमिता के लिए अति प्राथमिकता प्राप्त लक्ष्य के रूप में बिहार को प्रकट होने में समर्थ करना;

2.2 बिहार स्टार्ट-अप नीति की रूपरेखा निम्नलिखित चार स्तम्भों पर तैयार की गई है:

हाँ – से आरंभ (जागरूकता, नेटवर्किंग तथा अनुकूल अभियान)।

छोड़ना – स्टार्ट-अप सहायक विनियामक समर्थकों को छोड़ देना।

स्पंदमान – स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित एवं सुकर करने हेतु शिक्षातंत्र में स्पंदन।

पहँच – वित्त और उद्भवन सहायता तक पहुँच।

3. नीति अवधि:

बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2017 अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा और 5 (पाँच) साल के लिए लागू रहेगा।

4. उद्देश्य:

4.1 विभिन्न कार्यक्रम यथा- “उद्यमी बिहार, बिहार अभियान उद्यमिता अवार्ड, चुनौतियाँ और व्यवसाय योजना प्रतिस्पर्धा इत्यादि के नवीकरण के माध्यम से युवाओं के मध्य उद्यमिता शिक्षा तथा जीवनवृत्ति को उपस्थापित करना, बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहित करना।

4.2 प्रमंडलीय शहरों तथा नगर निगमों में उद्यमिता विकास केन्द्रों के विकास को और युवाओं के मध्य जागरूकता बढ़ाने और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु उद्यमिता सरलीकरण केन्द्रों को सुकर बनाना।

4.3 एक सेक्टर- अगनोस्टिक का सृजन, सभी अथवा किसी संभावित विकास के सेक्टर में, ऐसे पहल पर जो राज्य के प्राकृतिक संसाधन और मानव पूँजी को बढ़ावा देने में सहायक हों, तथा उन क्षेत्रों में, जिनका गुणक प्रभाव सृजित हों, बड़ी मात्रा में संभावी प्रगति और पहल के साथ नवीकरणीय तथा विनाशक विचारों पर फोकस करते हुए, नवीकरण को समर्थ करना।

4.4 विश्व विद्यालय/विद्यालयों, एम0ओ0सी0 (मैसिव ओपेन ऑनलाइन कोर्स) अन्य के मध्य इटर्नशीप में सीखने वाले मॉडलों के उपस्थापन द्वारा शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करना।

- 4.5 विद्यमान इन्क्यूबेटरों/सामान्य आधारभूत स्थलों के नए तथा सहायक विस्तारीकरण के विकास को सुकर बनाना।
- 4.6 वित्तीय सहायता (सेबी रजिस्ट्रीकृत-परिवर्तनकारी निवेश निधि पैनलकृत देवदूत निवेशक इत्यादि) विनियामक सहायता, सलाहकार तथा पैनलकृत प्रोजेक्ट प्रबंधक परामर्शदाताओं के नेटवर्क तक स्टार्ट-अप की पहुँच के लिए उच्च स्तर पर एक व्यापक मुख्य द्वार (पोर्टल) उपलब्ध करना।
- 4.7 स्टार्ट-अप के लिए हास्ले-फ्री तथा समयबद्ध कानूनी क्लियरेंस।
- 4.8 बहुबिभागी रास्तों तक पहुँच के लिए एक मंच का सृजन, जो बिहार में स्टार्ट-अप आधारित निवेश हेतु, प्रोत्साहनों के माध्यम से, वित्तीय सहायता तथा निवेशकों को प्रोत्साहन उपलब्ध कर सके।
- 4.9 एक साधक नीति का सृजन करना जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों महिला उद्यम तथा भिन्न रूप से योग्य जैसे समूह को किसी व्यापार में लगा सके।
- 4.10 स्टार्ट-अप के प्रशिक्षण को समर्थ बनाने हेतु समुचित सांस्थिक सहायता उपलब्ध करना।

5. परिभाषाएँ:

- 5.1 **देवदूत निवेशक:** देवदूत निवेशक (व्यापारिक देवदूत के रूप में जाना जाने वाला भी निवेशक) का अभिप्रेत है कोई व्यक्ति अथवा निवेशकों का समूह जो नवारंभों के आरंभिक दिनों में व्यावसायीकरण के लिए निवेश करता है जो परिवर्तनीय ऋण के रूप में होता है।
- 5.2 **वैकल्पिक निवेश निधि:** सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) नियंत्रण अधिनियम, 2012 की धारा-2(1) (बी) में वैकल्पिक निवेश निधि (एआईएफएस) को परिभाषित किया गया है। यह किसी निजी रूप से इकट्ठा की गई निवेश निधि (चाहे वह भारतीय अथवा विदेशी से हो) ट्रस्ट अथवा कंपनी अथवा निकाय निगम अथवा सीमित दायित्व सहकारिता (एलएलपी) जो वर्तमान में सेबी प्रशासनिक निधि प्रबंधन (यथा म्युचुअल फंड अथवा सामूहिक निवेश स्कीम के नियमों से आच्छादित नहीं हो) और न तो भारत में आईआरडीए, पीएफआरडीए, आरबीआई में किसी अन्य सेक्टरल विनियामकों के सीधे विनियम के अधीन आता हो, के प्रति निर्देशित करता है।
- 5.3 **प्रथम श्रेणी वैकल्पिक निवेश निधि:** भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड विनियमन, 2012 की कंडिका-3(4)(a) में प्रथम श्रेणी वैकल्पिक निधि को परिभाषित किया गया है। यह निधि प्रारंभिक चरण के निवेशित स्टार्ट अप या प्रारंभिक चरण वेन्चर्स या सामाजिक वेन्चर्स या लघु, मध्यम उद्यम या आधारभूत या अन्य प्रक्षेत्रों या क्षेत्रों जिसमें सरकार के नियामकों द्वारा सामाजिक या आर्थिक रूप से वांछनिय एवं शामिल किये गये वेन्चर कैपिटल फंड, एस.एम.ई. फंड, सामाजिक वेन्चर फंड, बुनियादी ढांचे से संबंधित फंड या इस तरह के वैकल्पिक निवेश निधि के माध्यम से निवेश किया गया हो।
- 5.4 **वाणिज्यीकरण चरण:** वाणिज्यीकरण चरण स्टार्ट-अप के जीवन चक्र में एक अभिन्न चरण को निर्देशित करता है जिसमें व्यापारिक उत्पाद/सेवा को वाणिज्यीकरण को गति प्रदान किया जाता है।
- 5.5 **विशेषज्ञ समिति:** बिहार स्टार्ट अप नीति, 2017 की कंडिका-11.6 के आलोक में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जायेगा।

- 5.6 **दिव्यांग:** इसकी परिभाषा वही होगी जो निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 में अथवा निःशक्त व्यक्ति के कल्याण के लिए अधिनियमित किसी अन्य कानून में परिभाषित की गई है।
- 5.7 **अस्तित्व:** अस्तित्व प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (कंपनीज अधिनियम, 2013) अथवा (भारतीय सहकारिता अधिनियम, 1932 के अधीन) अथवा परिसीमित दायित्व सहकारिता (परिसीमित दायित्व सहकारिता एक्ट, 2008) के अधीन निबंधित एक निबंधित सहकारिता संस्था निदेशित करता है।
- 5.8 **पारिवारिक व्यवसाय:** पारिवारिक व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जिसमें अधिकांश हिस्से का धारक वह व्यक्ति होता है जिसने कंपनी स्वयं अथवा अपने पिता, पत्नी, बच्चे अथवा उनके बच्चों के सीधा उत्तराधिकार) से स्थापित अथवा अर्जित की हो और उस परिवार का कम से कम एक प्रतिनिधि (प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से) व्यापारिक प्रशासन-प्रबंधन में लगा हुआ हो।
- 5.9 **वित्तीय प्रबंधन कंपनी:** बिहार स्टार्ट अप फंड ट्रस्ट की कंडिका-11.3 के क्रम में एक वित्तीय प्रबंधन कंपनी का गठन किया जायेगा।
- 5.10 **निधि प्रबंधक:** वित्तीय प्रबंधन कंपनी द्वारा एक या एक से अधिक निधि प्रबंधकों की नियुक्ति की जायेगी जो निधि और इस नीति के अधीन उल्लिखित कार्यकलापों के प्रबंधन के लिए, कार्य करेगा।
- 5.11 **सरकार:** सरकार से अभिप्रेत है बिहार सरकार, जब तक कि इस नीति में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए।
- 5.12 **विचार-चरण:** विचार चरण स्टार्ट-अप के जीवन चक्र में समग्र चरणों को निर्देशित करता है जिसमें विचारों की सफलता/असफलता के मूल्यांकन हेतु विचारों का व्यवहारिक विश्लेषण किया जाता हो।
- 5.13 **इनक्यूबेटर:** इनक्यूबेटर से अभिप्रेत है ऐसी भौतिक जगह जो लाभकारी एवं जोखिम लेकर व्यापारिक योजना बनाने, मॉनिटर करने, अपना उच्च स्तरीय दल बनाने, अपने प्रौद्योगिकी का वाणिज्यीकरण करने, अपने उत्पाद का विकास करने, आरंभिक बीज निधि को प्राप्त करने, राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर सहभागिता में सहायता करने प्रतिभावन संपदा के विषय में परामर्श देने, प्रशिक्षण और विकास एवं अन्य विषयों पर सफल होने में उद्यमियों के विचारों को बदलने में सहायता करें। यह एक निजी एंजेंसी अथवा एक सरकारी संस्थान भी हो सकता है।
- 5.14 **मेन्टरिंग:** मेन्टरिंग सामान्य रूप से एक औद्योगिक विशेषज्ञों/अकादमिक सदस्यों का संघ है जो स्टार्ट-अप को, बिना पूर्वाग्रह के, मार्गदर्शन, अनुकूल सहायता और अपने नेटवर्क बनाने में, सोच और सहायता द्वारा, उनको मदद करेगा।
- 5.15 **निबंधित:** "निबंधित" से अभिप्रेत है कंपनी रजिस्ट्रार से निबंधित अस्तित्व।
- 5.16 **बीज अनुदान:** "बीज अनुदान" से अभिप्रेत है आदिरूप उत्पाद के विकास एवं पश्चात्पूर्ति पूर्ण निधि के लिए पर्याप्त निवेशकों की अभिरुचि उत्पन्न करने हेतु स्टार्ट-अप को दिया गया वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता की नियम एवं शर्तें कंडिका-10.5.1 के अनुरूप रहेगी।
- 5.17 **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यम:** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमसे अभिप्रेत है अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के पूर्ण स्वामित्व वाला उद्यम और अनुसूचित

जातियों/अनुसूचित जनजातियों की आंशिक भागीदारी को अनुसूचित जाति/जनजाति का उद्यम नहीं माना जाएगा।

- 5.18 **राज्य संपोषित इक्यूबेटर:** “राज्य संपोषित इक्यूबेटर” से अभिप्रेत है बिहार सरकार या भारत सरकार द्वारा संपोषित इनक्यूबेटर।
- 5.19 **टीबीआई:** “प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर” से अभिप्रेत है भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा मान्यता प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर।
- 5.20 **न्यास (ट्रस्ट):** “न्यास” से अभिप्रेत है भारत ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अधीन उद्योग विभाग, बिहार सरकार द्वारा इस नीति के क्रियान्वयन के लिए गठित कोई नोडल एजेंसी;
- 5.21 **विधिमान्यकरण चरण:** “विधिमान्यकरण चरण” से अभिप्रेत है स्टार्ट-अप के जीवनचक्र में कोई समाकलित चरण जिसमें उत्पाद/सेवा का उत्पादन होता है और सीमित क्षमता में परिदत्त किया जाता है और जो सफलता और आवश्यकता के पैमाने के अनुसार बदलता है;
- 5.22 **जोखिम पूँजी:** जोखिम पूँजी से अभिप्रेत है वाणिज्यीकरण चरण में जोखिम पूँजी कंपनी द्वारा ली गई परियोजना के संकटापन्न मूल्यांकन पर स्टार्ट-अप में निवेशित निधि। यह पूँजी सामान्य रूप से संपत्ति मूल्य पर हिस्सेदारी की वापसी में निवेशित की जाती है;
- 5.23 **महिला उद्यम:** “महिला उद्यम” से अभिप्रेत है ऐसा उद्यम जिसका प्रमुख महिला हो और जहाँ 100 प्रतिशत जोखिम महिला की हो। किसी उद्यम में महिलाओं की आंशिक भागीदारी महिला उद्यम नहीं माना जाएगा।

6. बिहार का नवारंभ (स्टार्ट-अप):

- 6.1 स्टार्ट-अप से अभिप्रेत है बिहार में समावेशित और निबंधित कोई अस्तित्व, जिसका वार्षिक लेन-देन पाँच वर्ष पूर्व की अवधि में किसी भी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में 25 करोड़ रुपया से अधिक नहीं हो और जो प्रौद्योगिकी अथवा बौद्धिक संपत्ति द्वारा नवीकरण अथवा विकास या नए उत्पादों के वाणिज्यीकरण प्रक्रिया अथवा सेवा का कार्य कर रहा हो;
- (क) परंतु यह अस्तित्व इस नीति के अधीन आगे लाभ प्राप्त करेगी यदि किसी भी वित्तीय वर्ष में इसका वार्षिक लेन-देन 25 करोड़ से अधिक नहीं हुआ हो और जब तक अन्यथा उल्लेखित न हो, यह समावेशन/निबंधन की तिथि से 5 वर्ष पूरा न कर लिया हो;
- (ख) परंतु और कि ऐसे अस्तित्व का गठन पहले से विद्यमान व्यवसाय अथवा पुनर्संरचना द्वारा, नहीं हुआ हो और यह पहले से विद्यमान व्यवसायक के सम्मिलन अथवा पुनर्गठन द्वारा गठित नहीं होना चाहिए;
- (ग) परंतु और भी कि ऐसा अस्तित्व होल्डिंग न हो और यह पहले से विद्यमान किसी फर्म का, किसी स्टार्ट-अप के सहायक को छोड़कर, सहायक न हो;
- (घ) परंतु और भी कि कंपनी के प्रचालन के लिए लागू कर बिहार में भुगतये हों।

6.2 स्टार्ट-अप का प्रमाणीकरण :

न्यास द्वारा प्राप्त संभावित स्टार्ट-अप के सभी आवेदनों की प्रारम्भिक समीक्षा प्रधान सचिव / सचिव उद्योग विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से की जायेगी। यह समिति ट्रस्ट द्वारा गठित की जायेगी। प्रारम्भिक समीक्षा के उपरान्त चयनित आवेदनों को सूचीबद्ध किया जायेगा एवं संबंधित विषय के इन्क्यूबेटर के साथ उसे संबद्ध किया जायेगा। चयन एवं सूचीबद्ध किये गये आवेदन एवं संबद्ध किये गये इन्क्यूबेटर की सूची ट्रस्ट द्वारा अनुमोदित की जायेगी। इक्विबेशन प्रक्रिया के उपरान्त इन्क्यूबेटर द्वारा निम्न बिन्दुओं पर एक प्रस्ताव तैयार किया जायेगा।

- क) विभिन्न चरणों में वित्त पोषण सहायता राशि की आवश्यकता।
- ख) इस नीति के तहत आम बुनियादी ढाँचे या अन्य बुनियादी ढाँचे के तहत आवश्यकता।
- ग) इस नीति के अन्तर्गत परिकल्पना की गई किसी भी सहायता।
- घ) व्यापार योजना।

इस प्रकार इन्क्यूबेटर द्वारा अनुशंसित / प्रस्तावित सूची को कंडिका 11.6 में उल्लिखित विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जायेगा। विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसाओं की जाँच करेगी एवं स्टार्ट-अप के प्रमाणन हेतु अपनी अनुशंसा करेगी। ट्रस्ट द्वारा विशेषज्ञ समिति की अनुशंसा के आधार पर स्टार्ट-अप को प्रमाणित करेगी। प्रमाणन के उपरान्त नीति के अन्तर्गत स्टार्ट-अप वित्तीय प्रोत्साहन के प्रात्र होंगे।

6.3 बहिर्गमन की शर्तें :

- (क) धोखाधड़ी के किसी आरोप में यदि कंपनी दोषी पाई जाती है अथवा कंपनी इस नीति के अधीन लाभ पाने के लिए किसी तरह की गई मिथ्या घोषणाएँ पाई जाती हैं तो उस अस्तित्व की उपलब्ध की गई सभी वित्तीय सहायता की वसूली के लिए कार्रवाई आरंभ की जाएगी।
- (ख) यदि स्टार्ट-अप के रूप में होने वाली मान्यता एक बार समाप्त हो जाती है, तो सरकार या अस्तित्व जिसके माध्यम से सरकार अपनी पूँजी / निवेश करती है, स्टार्ट-अप से अपनी पूँजी बहिर्गमन न्यास द्वारा स्टार्ट-अप में करने हेतु पात्र होगा और चैनल बनाकर निवेश के लिए बहिर्गमन हेतु मार्गदर्शन का निर्माण किया जाएगा। जब सरकार या उनके प्रतिनिधि अस्तित्व का अपना निवेश विद्यमान हों तो स्टार्ट-अप के निदेशक मंडल में अपने प्रतिनिधि को नामित करने का अधिकार भी समाप्त हो जाएगा।

7. स्टार्ट-अप को हॉं :

- 7.1 उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार अभियान के माध्यम से जागरूकता फैलाना और स्टार्ट-अप के लिए नेटवर्किंग को सुकर करना।

बिहार को जनसांख्यिकीय लाभांश के रूप में उच्च संख्या में युवा वर्ग प्राप्त है और उत्पादक आर्थिक योगदान करने हेतु उनके लिए रोजगार के अवसर सीमित हैं। भारत में युवाओं का विकास व्यवसायोन्मुखी समाज में होता है जहाँ जीवन वृत्ति के विकल्प के रूप में उद्यमिता को नहीं देखा जाता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान शिक्षा तंत्र की रूपरेखा इस प्रकार तैयार की गई है जिसमें उद्यमिता पर सीमित जोर दिया जाता

है। सरकार उद्यमिता को जनसंख्या के सभी आर्थिक एवं सामाजिक खंड के युवा के लिए, शिक्षा एवं रोजगार के रूप में प्रोत्साहित करने हेतु कृतसंकल्पित है। इसके लिए आवश्यक है कि समाज में ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जाए जिससे उद्यमिता का सकारात्मक पक्ष उजागर होता हो ताकि समाज के समावेशी आर्थिक विकास की प्राप्ति में यह महत्वपूर्ण कारक बने। उद्यमशीलता के प्रति समाज की सांस्कृतिक अनुभूति और युवाओं में उद्यमशीलता संस्कृति का सुधार करने के लिए, सरकार निम्नलिखित कार्य करेगी:

- (क) स्टार्ट-अप शेरधारकों की सहभागिता से राज्य स्तर पर उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार जागरूकता अभियान चलाएगी;
- (ख) सफल स्थानीय स्टार्ट-अप को मान्यता देगी और उसे प्रोत्साहित करेगी;
- (ग) राज्य स्तर पर चुनौती / व्यवसायिक योजना प्रतियोगिता का आयोजित करेगी;
- (घ) स्टार्ट-अप मेला जैसे स्टार्ट-अप जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने हेतु व्यवसायिक नेटवर्क (औद्योगिक संघ स्टार्ट-अप को प्रोत्साहित करने वाले संगठन) को सहायता देगी;

7.1.1 विभिन्न जोखिम उठाने वालों, जैसे निवेशक, शिक्षविद, उद्यमी एवं अन्य जोखिम उठाने वालों के बीच उचित नेटवर्क बनाना होगा। स्टार्ट-अप समुदाय को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय एवं सहयोग देने के लिए प्रवेश करने एवं संसूचित करने हेतु एक मंच की आवश्यकता है।

7.1.2 सरकार प्रभावी पारिस्थितिकी तंत्र के सृजन के लिए बिहार स्टार्ट-अप उत्सव का एक मंच आयोजित करेगी जो स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को समायोजित करेगा और राज्य स्टार्ट-अप को सक्षमता देगा।

7.2 विचार विकास हेतु सहायता :

उत्प्रेकर स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र युवाओं को अपने विचारों को अर्थपूर्ण साध्य में परिवर्तित करने हेतु समर्थ बनाती है। युवाओं को एक समुचित मार्गदर्शन प्रणाली की आवश्यकता है ताकि वे अपने विचारों को विकसित एवं अभिव्यक्त कर सकें। संभावित उद्यमियों के बीच जागरूकता फैलाने और मार्गदर्शन उपलब्ध करने के लिए राज्य सरकार वित्तीय सहायता सुकर बनाने हेतु प्रावधान करेगी।

(क) प्रमंडलीय शहरों एवं नगर निगम क्षेत्रों में, शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्ट-अप प्रोत्साहित करने वाले बिहार आधारित औद्योगिक संघों/संगठनों की सहायता से, स्टार्ट-अप उद्यमिता विकास कोषांगों की स्थापना करना;

(ख) शैक्षणिक और पेशेवर संस्थानों में उद्यमिता सहायता केन्द्र की स्थापना करना।

7.2.1 ये कोषांग निम्नलिखित करेंगे:

(क) उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार अभियान के अधीन राज्य में उद्यमशीलता के बारे में जागरूकता और स्टार्ट-अप संस्कृति फैलाने हेतु विभिन्न तरह के प्रोत्साहक कार्यक्रम आयोजित करना;

(ख) स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जोखिम उठाने वालों यथा, सरकार शैक्षणिक संस्थाएं, इनक्यूबेटर उद्योग विशेषज्ञ, विधिक, कर एवं व्यवसाय सलाहकारों के समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करने और बढ़ाने के लिए छात्रों/संभावित उद्यमियों को सहायता उपलब्ध करना;

- (ग) आरंभिक अनुकूलता एवं व्यवसाय योजना सहायता कंपनी-निबंधन बाजार शोध सहायता, व्यवसाय संरचनात्मक परामर्श एवं प्रबंधन संबंधी परामर्श के लिए स्टार्ट-अप को सहायता करना।

8. स्टार्ट-अप सहायता के लिए विनियामक को उन्मुक्त करना :

8.1 बिहार में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के लिये व्यापक एकल पोर्टल की स्थापना

स्टार्ट-अप के प्रचालन आरंभ करने के लिए सुसंगत विनियामक प्राधिकारों से कानूनी क्लियरेंस आवश्यक है। प्रक्रियाओं की सीमित जागरूकता निबंधन एवं अन्य औपचारिक कार्यों के लिए, समय में वृद्धि करती है, अतएव स्टार्ट-अप के लिए प्रचालन के आरंभ में विलंब होता है। परस्पर क्रिया प्रशिक्षण हस्तक और चेकलिस्ट द्वारा समर्थित सिंगल विंडोक्लियरेंस प्रणाली स्टार्ट-अप को ससमय आसान रीति से निबंधित करने में, समर्थ करेगी।

स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को परस्पर क्रिया और सहयोग के लिए एक एकल मंच की आवश्यकता है। विभिन्न जोखिम उठानेवालों की परस्पर क्रिया एवं सूचना आदान-प्रदान करने हेतु एवं एकल मंच स्थापित करने के लिए एक स्टार्ट-अप बिहार मुख्य द्वार आरंभ किया जाएगा। यह मुख्य द्वार तत्क्षण निम्नलिखित के लिए सुगमता उपलब्ध करेगा:

- (क) विनिर्दिष्ट समय-सीमा में अपेक्षित विभिन्न क्लियरेंस के लिए निबंधन प्रक्रिया और चेक लिस्ट के लिए परस्पर क्रिया-उपशिक्षणों की सुगमता;
- (ख) सुसंगत प्राधिकार से निबंधन कराना एवं मानक प्ररूपों के माध्यम से राज्य स्तरीय विभिन्न अनुपालन को दाखिल करना;
- (ग) पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जोखिम उठाने वालों से जोड़ने के लिए इस मुख्य द्वार को भारत सरकार द्वारा अनुदानित अन्य स्टार्ट-अप मुख्य द्वार से जोड़ा जायेगा;
- (घ) जोखिम उठाने वालों, यथा-निबंधित बुद्धिमान परामर्शदाताओं, नेटवर्क, पेशागत विशेषज्ञ, इनक्यूबेटर, शिक्षा जगत नामिका में परियोजना प्रबंधन परामर्शी, देवदूत निवेशक सेबी में निबंधित एआईएफएस (वैकल्पिक निवेश निधि) एवं अन्य जोखिम उठाने वालो से परस्पर क्रिया करना और सहयोग देना;
- (ङ.) विकास एवं मापक्रमणीयता की संभावना वाले स्टार्ट-अप्स के लिए सूचीबद्ध नेटवर्क्स के अनुभवी परामर्शदाता;
- (च) स्टार्ट-अप के लिए उपलब्ध राज्य सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं और प्रोत्साहनों तक पहुँच बनाना;

यह मुख्य द्वार मोबाईल एप के रूप में उपलब्ध होगा और टोल-फ्री सहायता एवं आवेदन/सहायता को सुकर बनाने हेतु उपलब्ध होगी। निबंधन आवेदन का क्लियरेंस समयवद्ध रीति से सुनिश्चित किया जायेगा।

8.2 विनियामकीय ढाँचा का आशावादी होना- स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र के लिए विनियामक वातावरण समर्थ करना

एक व्यवसाय आरंभ करने के पूर्व विभागीय अनुमोदन एवं क्लियरेंस के विभिन्न चरण होते हैं। अधिकतर स्टार्ट-अप इन जटिल नीतियों और विनियामक ढाँचे से अनभिज्ञ रहते हैं जिसके कारण उनके नियमित प्रचालन में बाधा हो सकती है। इसलिए सरकार के लिए यह अनिवार्य है कि विनियामक अनुपालनों की दण्डात्मक कार्रवाइयों को कम करे और अगले चरण की आर्थिक वृद्धि में इन नोदकों से संबंधित जागरूकता/सहायता उपलब्ध करें। उपर्युक्त के साथ-साथ सरकार निरीक्षण कम करके एवं स्व-प्रमाणन को बढ़ावा देकर व्यवसाय करने की सहूलियत में वृद्धि करें।

- (क) स्टार्ट-अप को पाँच वर्षों की अवधि के लिए विभिन्न राज्य अधिनियमों के अधीन प्रचालन अनुज्ञप्ति/निबंधन से छूट होगी। हालाँकि, यदि स्टार्ट-अप द्वारा यदि ऐसा व्यवसाय/कार्य किया जाता है जिसमें जीवन के खतरा अथवा सुरक्षा का भय हो, तो उसे कानूनी अनुज्ञप्ति (यथा दवा अनुज्ञा पत्र, एफएसएसआई, भवन योजना, अग्निशमन) लेने की अनिवार्यता होगी और ऐसी स्थिति में अनुज्ञप्ति पर आनेवाले खर्च का वहन सरकार करेगी।
- (ख) पाँच वर्षों की अवधि के लिए सरकारी विनियामक ऐजेंसियों द्वारा निरीक्षण से स्टार्ट-अप को तबतक छूट होगी जब तक जीवन और सुरक्षा पर खतरा का भय न हो। कतिपय कारणों से किसी इकाई का निरीक्षण करना हो तो जिला पदाधिकारी की अनुमति प्राप्त की जाएगी।
- (ग) राज्य द्वारा विहित प्रपत्रों के अनुसार स्टार्ट-अप द्वारा स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाएगी।
- (घ) उत्पाद/सेवा उत्पादित प्रक्रिया में स्टार्ट-अप के अधिमानता देने हेतु राज्य सरकार के विभागों पब्लिक सेक्टर उपक्रम को सलाह दी जाएगी।
- (ङ) राज्य सरकार आगामी औद्योगिक पार्क एस0एम0ई0 क्लस्टर और हब के स्थलों में से 10 प्रतिशत, स्टार्ट-अप, इनक्यूबेटर और कॉमन आधारभूत संरचना को प्राथमिकता के आधार पर आवंटित करेगी।

9. शिक्षा प्रणाली स्पंदन :

शिक्षा संस्थान नवीकरण संस्कृति को बढ़ाव देने के लिए उद्यमशीलता का परिचय कराने एवं शिक्षा देने हेतु एक उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करेगा जिसे सरकार छात्रों के बीच उद्यमिता की भावना सृजित करने के लिए शिक्षा में सुधार को मान्यता देती है।

बिहार के युवाओं में स्टार्ट-अप संस्कृति विकसित करने के लिए सरकार निम्नलिखित हस्तक्षेप के सुकर बनाएगी एवं अनुशंसा करेगी:

- (क) उच्च विद्यालय, विश्वविद्यालय, कौशल प्रशिक्षण और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में उद्यमिता मॉड्यूल अंतः स्थापित करना। शैक्षणिक संस्थानों को मैसिव ओपन ऑनलाईन कोर्स (एमओओसी)

को वैकल्पिक विषय के रूप में परिचय कराने की सलाह दी जाएगी। इटर्नशीप और अप्रेन्टशीप अनिवार्य करना।

- (ख) छात्रों को उद्यमिता में लगने हेतु मार्गदर्शन और सहायता करने के लिए शिक्षा/पेशवर संस्थानों को उद्यमिता सहायता केन्द्र बनाने में मदद की जाएगी।
- (ग) छात्रों के बीच व्यवसाय नवीकरण विचार प्रतियोगिता का आयोजन करना। इन विचारों में से चिन्हित विचारों को आदिप्ररूप के लिए सहायता की जाएगी और इन विचारों को राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले उत्सव में प्रसारित भी किया जाएगा।
- (घ) उद्यमिता विकास कोषांग (सेल) के माध्यम से 20 सामाजिक नव प्रवर्तकों को उनके विचारों के समर्थन में, चुनौती अनुदान दिया जाएगा।

10. स्टार्ट-अप के लिए इनक्यूबेशन केन्द्र को सुकर बनाना:

10.1 स्टार्ट-अप के लिए इनक्यूबेशन सेन्टर की व्यवस्था:

आशाजनक स्टार्ट-अप के पोषण के लिए इक्यूबेशन केन्द्र होना आवश्यक है। इनसे सुगमता, परामर्शदाता नेटवर्क बाजार, नेटवर्क, भौतिक आधारभूत संरचना आदि तक सुगमता होती है। भौतिक आधारभूत संरचना के सृजन के लिए सामान्यतया बड़ी मात्रा में पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है। इस पर विचार करते हुए स्टार्ट-अप को निम्नलिखित प्रोत्साहन/वित्तीय सहायता उपलब्ध की जाएगी:

- (क) नए इक्यूबेटर्स के स्थापन के लिए वित्तीय सहायता तथा राज्य समर्थित इनक्यूबेटर का विस्तार करना;
- (ख) सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी/राज्य समर्थित स्टार्ट-अप को इनक्यूबेट करने हेतु अधिकतम 2 लाख रुपये प्रति इनक्यूबेटी की दर से व्यय की प्रतिपूर्ति।
- (ग) सेबी निबंधित एआईएफएस (वैकल्पिक निवेश निधि) से बिहार आधारित स्टार्ट-अप में प्राप्त निवेश का 2 प्रतिशत की दर से इनक्यूबेटर्स को सरकारी प्रोत्साहन;
- (घ) सेबी निबंधित एआईएफएस (वैकल्पिक निवेश निधि) से राज्य समर्थित इनक्यूबेटी को प्राप्त निवेश अथवा प्रौद्योगिकी आधारित (आइपीआर) प्रोत्साहन के लिए स्टार्ट-अप को भारत सरकार से प्राप्त अनुदान का 3 प्रतिशत और स्वास्थ्य शिक्षा पोषण आदि जैसे बिहार में सार्वजनिक सेवा-सुगमता की समस्याओं का समाधान उपलब्ध करने हेतु सामाजिक क्षेत्र के स्टार्ट-अप के लिए स्टार्ट को पाँच प्रतिशत की दर से सरकारी अनुदान;
- (ङ) सरकार भारत सरकार और बहुपक्षीय दानदाता एजेंसियों से उगाही की गई निधि पर 1:1 आधारित अनुदान उन्ही नियमों एवं शर्तों पर उपलब्ध करायेगी।

10.2 राज्य समर्थित मेजबान संस्थाओं की सूची:

पायलट संस्थाएँ (चरण-1)

- (क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), पटना
- (ख) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), पटना

मेजबान संस्थाएँ (चरण-2)

- (ग) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
- (घ) पूर्वी क्षेत्र अनुसंधान केन्द्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, पटना
- (ङ) नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नॉलाजी (एनआआईएफटी), पटना
- (च) बिड़ला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, पटना
- (छ) सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलॉजी (सीपेट), बिहार
- (ज) उपेन्द्र महारथी इंस्टिट्यूट, पटना
- (झ) चन्द्रगुप्त इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, पटना
- (ट) टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर, पटना
- (ठ) बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सबौर
- (ड) एपैरेल ट्रेनिंग एंड डिजाईन सेंटर, पटना

पायलट संस्थाएँ अन्य राज्य समर्थित मेजबान में इनक्यूबेटरों को स्थापित करने में सभी संभव हैंडहोल्डिंग समर्थन का विस्तार चरणबद्ध रीति से करेगी। राज्य सरकार, समय-समय पर, इस नीति के अधीन नई संस्थाओं को राज्य समर्थित संस्था घोषित करेगी।

10.3 स्टार्ट-अप के लिए कॉमन आधारभूत संरचना

स्टार्ट-अप के लिए कॉमन आधारभूत संरचना का सृजन सुकर बनाएगी। इसमें निम्नलिखित साझा आधारभूत संरचना शामिल होगी:

- (क) साथ-साथ काम करने के लिए जगह;
- (ख) शोध एवं विकास प्रयोगशाला, घन कोष्ठिका, सभागार आदि जैसी साझी सुविधाओं को उपलब्ध करना;
- (ग) उच्चगति क्षमता वाला प्रिंटर, कम्प्यूटर इत्यादि जैसे साझा सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर;
- (घ) कॉमन जाँच प्रयोगशाला और औजार कक्ष
- (ङ) कानूनी, खाता-बही, तकनीकी, पेटेंट, निवेश बैंकिंग आदि जैसी साझी सेवाएँ;
- (च) व्यक्तिगत उपयोग हेतु कक्ष एवं छात्रावास;
- (छ) इनक्यूबेशन और स्टार्ट-अप के लिए सामुदायिक आयोजन एवं प्रोत्साहन समर्थन

(ज) कॉमन सुविधा केन्द्र (माल गोदाम, भंडारगृह, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला);

सरकार द्वारा अथवा पी0पी0 मोड के माध्यम से संयुक्त आधारभूत संरचना स्थल का निर्माण किया जाएगा। यह स्टार्ट-अप का तीन वर्षों की अवधि के लिए मुफ्त उपलब्ध होगी।

10.4 इनक्यूबेशन केन्द्र के अतिरिक्त “**बिहार इनक्यूबेशन हब**” का विकास, अधिमान रूप से पी0पी0पी0 ट्रस्ट द्वारा निर्धारित की जाने वाली जीवन क्षमता के आधार पर किया जाएगा जो की सभी सेवाएँ उपलब्ध कार्य स्थल, पेशागत व्यवसाय सलाह/परामर्श निधि तक पहुँच सहित एक इनक्यूबेटर की सभी सेवाएँ उपलब्ध करेगा और अन्य के बीच नेटवर्किंग तथा विलयन एवं अर्जन, परामर्श, मूल्यांकन सहित वाणिज्यीकरण चरण पर सहायता उपलब्ध भी करेगा। इस इनक्यूबेशन हब प्रभावोत्पादक एवं चहुमुखी विस्तार किया जाएगा।

10.5 **स्टार्ट-अप को निधि की सहायता:**

स्टार्ट-अप को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में निधि की सहायता उपलब्ध की जाएगी।

विधिमान्यकरण चरण :

10.5.1 **बीज निवेश सहायता:** इनक्यूबेशन सेन्टर तथा न्यास (ट्रस्ट) द्वारा परिभाषित माइलस्टोन/फेज एवं उपलब्धि मापदंड से जुड़ी भुगतान अनुसूची से; प्रति स्टार्ट-अप 10 लाख रुपये तक 10 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त लोन वित्तीय सहायता के रूप में इनक्यूबेशन सेन्टर एवं ट्रस्ट के द्वारा निर्धारित लक्ष्य/चरणों में किये गये प्रदर्शन के आधार पर विमुक्त की जायेगी। यह वित्तीय सहायता विचारों के विधिमान्यकरण, आदि प्ररूप विकास, यात्रा खर्च सहायता तथा क्षेत्र बाजार शोध, कौशल प्रशिक्षण, मार्केटिक तथा स्टार्ट-अप इत्यादि स्थापित करने हेतु आरंभिक क्रियाकलापों के लिए स्टार्ट-अप को उपलब्ध किया जाएगा। वास्तविक वित्त पोषण की मात्रा इनक्यूबेशन केन्द्र एवं विशेषज्ञ समिति के संयुक्त मूल्यांकन के आधार पर किया जायेगा। स्टार्ट अप में कुल बीज अनुदान की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर राशि इनक्यूबेटी का भी योगदान होगा एवं ऋण 10 साल के उपरान्त वापस किया जा सकेगा।

वाणिज्यीकरण चरण:

10.5.2 **आरंभिक चरण में वित्तीय सहायता:**

(क) स्टार्ट-अप के लिए मुफ्त मूल्यांकन;

(ख) देवदूत निवेशकों तक पहुँच सुकर बनाना;

(ग) राज्य द्वारा निबंधित देवदूत निवेशकों से आरंभिक राज्य निधि की ओर निवेश को मोक्लाइजिंग के लिए निवेश के 2 प्रतिशत की दर से सफलता फीस स्टार्ट-अप को उपलब्ध की जाएगी।

(घ) एंजेल ग्रुप एवं श्रेणी-1 के वैकल्पिक निवेश निधि द्वारा स्टार्ट अप में किये गये निवेश की राशि के बराबर स्टार्ट अप को वित्तीय प्रोत्साहन ऋण के रूप में प्रदान किया जायेगा ऋण का ब्याज दर एवं नियम एवं शर्तें समय-समय पर ट्रस्ट द्वारा अधियूचित की जायेगी।

10.5.3 **वित्तीय सहायता का स्केल अप:**

(क) न्यास के माध्यम से सेबी अधिकृत एआईएफएस (वैकल्पिक निवेश निधि) एवं वेन्चर कैपिटल फंड के रूप में 25 प्रतिशत तक सिमित भागीदारी कर सकती है। निर्मित वेन्चर कैपिटल फंड द्वारा कम से

कम 50 प्रतिशत (वेन्चर कैपिटल फंड में ट्रस्ट द्वारा किये गये निवेश की राशि के दुगुणी राशि के बराबर)राशि का निवेश बिहार में अवस्थित स्टार्ट अप के लिए किया जायेगा।

(ख) ट्रस्ट द्वारा राष्ट्रीय बीएसई/एनएसई, जैसे के स्तर के स्टॉक एक्सचेंज, सहयोग से स्टार्ट-अप के सूचीबद्धकरण और सार्वजनिक मुद्दों को सुकर बनाएगी। लागू बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के प्रावधानों के अधीन स्टार्ट-अप को प्रोत्साहन उपलब्ध होगी। हालांकि एक से अधिक बार प्रोत्साहन के लिए दावा एक ही कंपोनेंट के लिए नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन उपलब्ध सुसंगत लिवर लाभ हेतु प्रयास किए जाएंगे।

10.6 देश और विदेश में पेटेंट दाखिल करने के लिए शून्य खर्च :

बौद्धिक संपदा (आईपी) स्टार्ट-अप अथवा उद्यमियों के लिए किसी के व्यवसाय को आरंभिक स्टार्ट-अप उपलब्ध करना एक अमूल्य व्यवसाय उपकरण है। बौद्धिक संपदा सृजनकर्ता का किसी खास अवधि के लिए अपने सृजन का उपयोग करने के लिए अनन्य अधिकार प्रदान करता है। व्यापार के नए रास्तों की वृद्धि से, बौद्धिक संपदा, वर्तमान धन चालकों की कुंजियों में से एक कुंजी हो गई है। आज के प्रतियोगी एवं गतिशील वातावरण में, बौद्धिक संपदा, उत्पाद या सेवा की अद्वितीय विक्रय प्रस्तावना (यूएसपी) अपने प्रतियोगी से अधिक तेजी से स्टार्ट-अप के लिए, बड़ी प्रवेश बाधा को पार करते हुए, हो सकती है। निवेशक बौद्धिक संपदा पर काफी जोर देते हैं और जोखिम के लिए अच्छे मूल्यों का सृजन करते हैं। स्टार्ट-अप द्वारा बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) के निबंधन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए एवं बौद्धिक संपदा अधिकार की रक्षा एवं वाणिज्यीकरण हेतु सहायता सुकर बनाने हेतु सरकार निम्नलिखित के लिए प्रावधान करेगी:

(क) देशी पेटेंट दाखिल करने से संबंधित सभी खर्च वहन करने;

(ख) दिए गए विदेशी पेटेंट मद्दे दाखिलीकरण फीस के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में अतिरिक्त वित्तीय सहायता उपलब्ध करने।

10.7 अनुसूचित जाति/जनजाति/महिला एवं दिव्यांगों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता :

निम्नलिखित सहायता सिर्फ उन स्टार्ट-अप के लिए लागू होगी जिनका (पूर्ण रूप से) स्वामित्व इस कोटि के व्यक्ति अथवा केवल इस कोटि में परिभाषित व्यक्ति के समूह/मेलजोल का हो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों की पहचान करने और उनके बीच उद्यमिता प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

10.7.1 ट्रस्ट एक परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना, उनके जोखिम को स्थापित करने में विनिर्दिष्ट रूप से पकड़ बनाने के लिए, की जाएगी।

10.7.2 इस कोटि के अधीन उद्यमियों को इस नीति के खंड 10.5.1 और 10.5.2 के अधीन नियत सीमा से अधिक अतिरिक्त अनुदान/उन्मुक्त आर्थिक सहायता प्राप्त करेंगे।

(क) महिला उद्यमी-अतिरिक्त 5 प्रतिशत

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति-अतिरिक्त 15 प्रतिशत

(ग) दिव्यांग-अतिरिक्त 15 प्रतिशत

10.7.3 इसके अतिरिक्त स्टार्ट-अप की निधि के लिए की गई कुल संग्रह राशि (कार्पस) का 22 प्रतिशत (20

प्रतिशत अनुसूचित जाति / 2 प्रतिशत जनजाति) अनुसूचित जाति एवं जनजाति जातियों के लिए सुरक्षित रखी जाएगी।

- 10.7.4 आवश्यकता के आधार पर, जैसा कि कंडिका संख्या-6.1 में वर्णित है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, महिला और दिव्यांग स्टार्ट-अप को प्रमाणित करने के लिए सरकार मानदंडों को शिथिल करेगी।

11. सांस्थिक ढाँचा :

- 11.1 न्यास (ट्रस्ट) किसी पेशेवर व्यक्ति, जिसे कंपनी में निवेश का अनुभव हो, की अध्यक्षता में गठित एक स्वायत्त निकाय होगा। न्यास (ट्रस्ट) की संरचना निम्नलिखित से होगी:

निवेश के क्षेत्र में विशेषज्ञ अन्यथा विकास आयुक्त सरकार द्वारा ऐसी नियुक्ति होने तक	अध्यक्ष
प्रधान सचिव / सचिव, उद्योग	सदस्य सचिव
प्रधान सचिव, वित्त	सदस्य
प्रधान सचिव, योजना	सदस्य
प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	सदस्य
सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होने वाले दो प्रधान सचिव / सचिव	दो सदस्य
निदेशक, आईआईटी, पटना, निदेशक, एन.आई.आई.टी., पटना निदेशक, सी.आई.एम.पी., पटना	तीन सदस्य
उद्यमिता को प्रोत्साहित करनेवाले संघों, संगठनों एवं संस्थानों के प्रतिनिधि	तीन सदस्य
विशेष आमंत्रित सदस्य (विषय / सेक्टर विशेषज्ञ)	दो सदस्य
वित्तीय प्रबंधन कंपनी के प्रतिनिधि	दो सदस्य

11.2 सिंगल विंडो क्लियरेंस समिति :

स्टार्ट-अप द्वारा अपेक्षित सभी वैधानिक अनुज्ञा पत्र क्लियरेंस (इस नीति के अधीन यदि अन्यथा उन्मुक्त न किए गए हों) प्राथमिकता के आधार पर सुकर बनाए जाएंगे। समिति निम्नलिखित से मिलकर गठित होगी:

- (क) प्रधान सचिव, उद्योग विभाग
(ख) संबंधित विभागों के प्रतिनिधिगण।

यह समिति इस नीति में यथा उल्लिखित सभी विषयों के लिए समयबद्ध क्लियरेंस सुनिश्चित करेगी।

11.3 वित्तीय प्रबंधन कंपनी

ट्रस्ट द्वारा अपने वित्तीय संचालन को सुगम रूप से संचालित करने हेतु एक वित्तीय प्रबंधन कंपनी की

स्थापना करेगी जो स्टार्ट अप को प्रोत्साहन, ऋण एवं अन्य वित्तीय सहायता ट्रस्ट के माध्यम से विमुक्त करने पर निर्णय लेगी।

11.4 ट्रस्ट की भूमिका :

इस स्टार्ट-अप नीति के लिए, ग्रंथिक (नोडल) एजेंसी होने के नाते, ट्रस्ट को निम्नलिखित भूमिका एवं जिम्मेवारियों सौंपी जाएगी:

- (क) बिहार के युवाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान का प्रबंधन;
- (ख) उद्यमिता विकास इकाई और उद्यमिता सहायता केन्द्रों को सहायता पहुँचाना;
- (ग) स्टार्ट-अप के लिए कॉमन आधारभूत संरचना का सृजन और प्रबंधन करना;
- (घ) शिक्षा में उद्यमिता प्रोत्साहित करने हेतु सुधारों की अनुशंसा करना;
- (ङ) स्टार्ट-अप के कार्यों की गुणवत्ता की जाँच के लिए अपने हिसाब से तालिका का निर्माण करना ताकि गुणवत्ता के आधार स्टार्ट-अप की परख, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्र स्तर की बेंच मार्किंग द्वारा, स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र की गुणवत्ता को लीक पर लाने हेतु व्यवसायकृत इन्डेक्स का सृजन करना;
- (च) बिहार स्टार्ट अप पोर्टल की स्थापना, संचालन एवं प्रबंधन।—
- (छ) स्टार्टअप्स का प्रमाणीकरण।
- (ज) नीति के कार्यान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा हेतु समिति के साथ प्रत्येक तिमाही समीक्षा बैठक का आयोजन।
- (झ) राज्य सरकार की अन्य नीतियों के साथ नीति का संरेखण या पंक्तिबद्धता;
- (ञ) आवश्यकतानुसार इस नीति में संशोधन या उपांतरण करना;
- (ट) इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य के अन्य विभागों के साथ संपर्क स्थापित करना;
- (ठ) स्टार्ट-अप को निधि सहायता देने के लिए आशावादी नीतियों का सृजन करने हेतु सरकारी एजेंसी और सेबी आदि जैसी राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी के साथ संपर्क (लाइजन) करना;
- (ड) विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि जैसे बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान के साथ, स्टार्ट-अप के लिए वित्तीय सहायता हेतु संपर्क (लाइजन) करना;
- (ढ) स्टार्ट-अप द्वारा बिहार में स्थापना और प्रचालन के दौरान की जानेवाली किसी कठिनाई का निराकरण करना;
- (ण) इस नीति की वार्षिक समीक्षा करना;
- (त) इस नीति का संपूर्ण मॉनिटरिंग और क्रियान्वयन करना;
- (थ) स्टार्ट-अप के लिए राज्य में नया बाजार चिन्हित करना एवं उसका विकास करना;

11.5 वित्तीय प्रबंधन कंपनी की भूमिका :

ट्रस्ट द्वारा स्थापित वित्तीय प्रबंधन कंपनी द्वारा निम्न गतिविधियाँ की जायेगी:

- (क) ट्रस्ट का आस्ति प्रबंधन;
- (ख) फंड मैनेजर की नियुक्ति
- (ग) इस नीति में उल्लिखित वित्तीय प्रोत्साहन, निबंधन, अनुज्ञा पत्र, शून्य खर्च, आईपीआर एवं अन्य सभी राजकोषीय जैसे खर्च को नीति में सुकर बनाना;
- (घ) स्टार्ट-अप को बीज अनुदान, आरंभिक चरण एवं उर्ध्ववर्ती निधि देने और इस नीति में अधिकथित अन्य निधि सहायता जैसी निधि के लिए सहायता;
- (ङ) उद्यमिता विकास सेल तथा उद्यमिता सुविधा केन्द्र को स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता ।
- (च) स्टार्ट अप्स के लिए बुनियादी ढांचों के विकास एवं प्रबंधन हेतु वित्तीय सहायता ।
- (छ) इस नीति के अनुसार स्टार्ट-अप में निवेश;
- (ज) इस नीति के अधीन समयबद्ध रीति से लिए गए निर्णयों से संबंधित निवेश को सुकर बनाना;
- (झ) नीति एवं स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र का, समय-समय पर निर्धारण;
- (ञ) समय-समय पर नीति में संशोधन के सुझाव ।
- (ट) नीति कार्यान्वयन प्रक्रिया पर पैनी निगाह रखना;
- (ठ) बहुपक्षीय एवं दानदाता एजेंसियों से स्टार्ट-अप के लिए निधि की उगाही करना ।

11.6 स्टार्टअप निवेश सलाहकार समिति (SIAC)

राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप निवेश सलाहकार समिति प्रतिस्थित एवं अनुभवी पेशेवरों को मिलाकर गठित किया जायेगा ।

SIAC की गतिविधियाँ निम्न रूप से होंगी :

- (क) इस नीति के तहत आवेदकों के अनुशंसित सूची में से स्टार्टअप्स को प्रमाणित करना ।
- (ख) निजी इन्क्यूबेटर्स के पैनल तैयार करने में ट्रस्ट को सहयोग प्रदान करना ।
- (ग) एंजेल ग्रुप एवं श्रेणी 1 वैकल्पिक निवेश कोष के पैनल तैयार करने में ट्रस्ट को सहयोग प्रदान करना ।
- (घ) बिहार में स्टार्टअप्स के लिये वेन्चर कैपिटल फंड का पैनल तैयार करने एवं फंड ऑफ फंड्स में निवेश हेतु ट्रस्ट तथा वित्तीय प्रबंधन कंपनी को सहयोग प्रदान करना ।
- (ङ) नीति के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर ट्रस्ट को सलाह देना ।
- (च) नीति के प्रदर्शन की समीक्षा एवं ट्रस्ट को सलाह देना ।

ऐसे विषयों के लिए समिति की बैठक कुछ दिनों के अंतराल पर आयोजित की जाएगी और दो बैठकों के बीच किसी भी स्थिति में 90 दिनों से अधिक अंतराल नहीं होगा । समिति की यह बैठक स्वयं या वास्तविक प्रौद्योगिकी का उपयोग यथा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सम्मेलन कॉल के माध्यम से किया जायेगा जिसमें सभी सदस्यों द्वारा आपस में सभी सदस्यों को सूना जा सकेगा ।

11.7 उत्तरदायित्व साँचा:


क्रमांक	कार्य	उत्तरदायित्व
1.	स्टार्ट-अप का प्रमाणीकरण	SIAC ट्रस्ट को सलाह देगा
2.	जागरूकता अभियान, राज्य स्तरीय चुनौतियाँ / प्रतियोगिता और बिहार स्टार्ट-अप महोत्सव	वित्तीय प्रबंधन कंपनी / किसी अन्य एजेंसी की सहायता से ट्रस्ट
3.	उद्यमिता विकास कोषांग उद्यमिता सहायता केन्द्र की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता	वित्तीय प्रबंधन कंपनी की सहायता से ट्रस्ट
4.	बिहार स्टार्ट-अप मुख्य द्वार पोर्टल स्थापित करना	वित्तीय प्रबंधन कंपनी / किसी अन्य एजेंसी की सहायता से ट्रस्ट
5.	किसी व्यवसाय को चलाने के लिए अपेक्षित विभिन्न अधिनियम के अधीन कानूनी अनुज्ञा पत्र / निबंधन	सिंगल विंडो क्लियरेंस समिति
6.	शिक्षातंत्र में सुधारों की अनुशंसा	तकनीकी उच्चतर शिक्षा संस्थानों की सहायता से ट्रस्ट
7.	निधि / प्रोत्साहन का मूल्यांकन	वित्तीय प्रबंधन कंपनी
8.	स्टार्ट-अप में निवेश	वित्तीय प्रबंधन कंपनी
9.	स्टार्ट-अप के लिए इनक्यूबेशन सहायता	वित्तीय प्रबंधन कंपनी
10.	कॉमन आधारभूत संरचना और बिहार नवीकरण हब	ट्रस्ट / वित्तीय प्रबंधन कंपनी
11.	शून्य खर्च आईपी निबंधन	वित्तीय प्रबंधन कंपनी

12. सौहार्दपूर्ण वातावरण में की गई कार्रवाई से संरक्षण:

- (क) न्यास, वित्तीय प्रबंधन कंपनी, स्टार्टअप निवेश सलाहकार समिति या शामिल किसी भी अधिकारी के संबंध में जो इस नीति के कार्यान्वयन में अच्छे इरादे से कार्य किया गया हो या किये जाने वाले कार्य तथा इस नीति के अधीन कोई भी निर्गत आदेश, कार्यकारी अनुदेश या दिशा निर्देश अच्छे इरादे से किया गया हो, तो उस पर कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं लाई जा सकती है ।
- (ख) न्यास, वित्तीय प्रबंधन कंपनी, स्टार्टअप निवेश सलाहकार समिति या किसी भी अधिकारी के संबंध में जो इस नीति के कार्यान्वयन में नुकसान या कुछ भी करने का इरादा या इस नीति के अधिन अच्छे विश्वास में किया गया कार्य या इसके अधिक किसी आदेश, कार्यकारी अनुसरण या दिशा देने का इरादा के खिलाफ कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं लाया जा सकता है ।

13. बिहार स्टार्ट-अप नीति, 2016 को दिनांक-17.03.2017 से निरसित कर दी गई है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


17/3/2017

(डॉ. एस. सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक: 357 / पटना, दिनांक: 17.03.2017

सं0सं0- 4तक0 / बिहार स्टार्ट अप पॉलिसी / 88 / 2016

प्रतिलिपि: राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित करने एवं इसकी 1000 प्रतियां विभाग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध के साथ प्रेषित।


17/3/2017

(डॉ. एस. सिद्धार्थ)


प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक: 357 / पटना, दिनांक: 17.03.2017

सं0सं0- 4तक0 / बिहार स्टार्ट अप पॉलिसी / 88 / 2016

प्रतिलिपि :- सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / आयुक्त, वाणिज्य-कर विभाग / प्रबंध निदेशक, उद्योग विभाग के अधीन सभी निगम / बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना / अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, पटना / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी उप विकास आयुक्त / निदेशक, तकनीकी विकास / निदेशक, उद्योग निदेशालय / स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली / सभी महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र / निदेशक, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विकास निगम, पटना / मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


17/3/2017

(डॉ. एस. सिद्धार्थ)

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।



औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016

उच्च प्राथमिकता प्रक्षेत्रों के लिए बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियम, 2016

बिहार स्टार्ट अप नीति, 2017

